27 मार्च, 1980

लोक सभा वाद–विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[दूसरा सत्र]

(खंड 3 में अंक 11 से 14 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 13, गुरुवार, 27 मार्च, 1980/7 चैत्र, 1 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
*तारांकित प्रश्न संख्या 223 और 225 से 230	2–12
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या 224 और 231 से 242	12–17
अतारांकित प्रश्न संख्या 1876 से 1988 और 1990 से 2078	17–109
सभा पटल पर रखे गये पत्र	109–118
राज्य सभा से संदेश	118–120
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
व्यास-सतलुज संपर्क परियोजना (हि०प्र०) के कार्य प्रभारित कर्मचारियों में शेष का समाचार	
श्री नारायण चन्द पराशर	120
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	120–121
हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में	122–123
अंतर्राज्यीय जल-विवाद (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	123–124
नियम 377 के अधीन मामले—	
(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में रक्त कैंसर के रोगियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के समाचार—	
श्री के० पी० सिंह देव	124
(दो) दीगो गार्शिया में आणविक अस्त्रों के इकट्ठा करने के अमरीका के निर्णय के समाचार—	
श्री ए० नीलालोहिया दसन	125
(तीन) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा राजस्थान में तेल की खोज करने और कुयें खोदने के बारे में—	
श्री विरजी चन्द्र जैन	125
(चार) कालीकट जिले में ग्वालियर रेयन्स के मलतिस्साटण के कारण चेलियार नदी के जल-दूषण का समाचार—	
श्री वी० एस० विजय राघवन	126
(पांच) जम्मू में रहने वाले पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों को नागरिक अधिकार प्रदान करने के बारे में—	
डा० कर्ण सिंह	126
(छ) क्विलोन जिले के तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र से कटाव के बारे में—	
श्री बी० के० नायर	126–127
(सात) राजस्थान के जनजाति क्षेत्रों में अकाल की स्थिति के बारे में—	
श्री भीखा भाई	127
(आठ) राजस्थान के अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों से लगान की वसूली स्थगित करने की आवश्यकता के बारे में—	
श्री मूल चन्द डागा	127

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह †इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

1—50 एम०एच०एस० (एन०डी)/80

(नौ) मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा स्कूल के दो अध्यापकों तथा आसाम राईफल और सीमा सड़क संगठन के चार जवानों की हत्या करने का समाचार—

श्री संतोष मोहन देव 127–128

(दस) आंध्र प्रदेश के नरसापुर-राजोल सेक्टर में तेल के लिये छिद्रण कार्य के बारेमें—

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति 128

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के बारे में प्रस्ताव—अस्वीकृत

प्रो० मधु दंडवते . . . . . 129–13[illegible]
172–174

श्री ज्योतिर्मय वसु 134–138

श्री एच० के० एल० भगत 138–140

श्री पी० राजगोपाल नायडू 140–142

श्री चन्द्रजीत यादव 142–146

श्री वी० के० नायर 146–149

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी 149–150

श्री इन्द्रजीत गुप्त 150–154

श्री ए०.एम० वेलु 154–155

श्री शिव प्रसाद साहू 155–157

श्री के० मायातेवर 157–160

श्री मूलचन्द डागा 160–161

श्री चित्त वसु 161–162

श्री एस० आर० ए० एस० अप्पालानायडू 163–164

श्री आर० के० महालगी 164–165

श्री वाई० एस० महाजन 165–166

श्री प्रणव मुखर्जी 166–172

महिलाओं पर बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव—

श्रीमती गीता मुखर्जी 175–178

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी 178–180

श्रीमती प्रमिला दंडवते 180–182

श्रीमती सुशीला गोपालन 182

लोक सभा

गुरुवार, 27 मार्च, 1980/7 चैत्र, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने चार भूतपूर्व सहकर्मियों अर्थात सर्वश्री कमला प्रसाद अग्रवाल, ज्वालाप्रसाद दुबे, सी० एम० त्रिवेदी और टी० सोहनलाल के दुःखद निधन की सूचना सदन को देनी है।

श्री कमला प्रसाद अग्रवाल वर्ष 1971–77 में पांचवी लोक सभा के सदस्य रहे और वे असम के तेजपुर चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उससे पहले वह वर्ष 1940–47 में असम विधान परिषद और वर्ष 1952–67 में असम विधान सभा के सदस्य रहे। वे 1948–60 के दौरान तेजपुर नगर पालिका के चेयरमैन, 1964–67 में तेजपुर महोकुमा परिषद के अध्यक्ष और 1967 में असम वित्तीय निगम के सभापति रहे। एक सक्रिय संसदविद् और सुविख्यात समाज सेवक के रूप में श्री अग्रवाल अनेक सांस्कृतिक, साहित्यिक और सहकारी संस्थावों से संबद्ध थे।

71 वर्ष की आयु में 25 फरवरी, 1980 को तेजपुर में उनका निधन हो गया।

श्री ज्वाला प्रसाद दुबे वर्ष 1971–77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे और महाराष्ट्रके भण्डारा चुनाव–क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। एक वकील और सुप्रसिद्ध समाज सेवक के रूप में वे जे० एम० पटेल कालिज की कार्यकारिणी के और भण्डारा और गोन्डिया शिक्षा सभा के सदस्य रहे। वर्ष 1942–48 में नगरपालिका परिषद, स्कूल बोड, भण्डारा और जिला परिषद, भण्डारा के सभापति रहे।

73 वर्ष की आयु में 1 मार्च, 1980 को भण्डारा में उनका निधन हो गया।

श्री सी० एम० त्रिवेदी वर्ष 1933–34 और फिर 1942–45 में केन्द्रीय विधान परिषद् के सदस्य रहे। 1946 में उन्हें उड़ीसा का और 1947 में पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 1953 में वे आन्ध्र प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बने। भारतीय सिविल सेवा का सदस्य होने के नाते उन्होंने कई उच्च पदों पर विशिष्ट सेवा की। उन्होंने तत्कालीन सी० पी० और बरार सरकार की सेवा मुख्य सचिव के रूप में की। 1957 में वे योजना आयोग के सदस्य बनाये गये। बादमें उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। 1956 में उन्हें पदमंभूषण से अलंकृत किया गया।

87 वर्ष की आयु में, अपने जन्मस्थान गुजरात के खेड़ा जिले के कपड़गंज कस्बे में 14 मार्च, 1980 को उनका निधन हो गया।

श्री टी० सोहनलाल पांचवी लोकसभा के सदस्य थे और 1971–77 के दौरान उन्होंने दिल्ली के करोलबाग चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उससे पहले वर्ष 1951–58 में वे दिल्ली नगरपालिका के सदस्य रहे। एक व्यवसायी और सुप्रसिद्ध समाज सेवक के रूप में उन्होंने अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये काम किया। एक सक्रिय संसदविद के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाही में रुचि ली। 58 वर्ष की आयु में 24 मार्च, 1980 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया।

हमें इन मित्रों के निधन पर गहरा दुःख है और मुझे विश्वास है कि शोकविव्हल परिवार को शोक सम्वेदना भेजने में सदन भी मेरे साथ है।

दिवंगत आत्माओं की स्मृति में सम्मानस्वरूप सभा कुछ क्षण के लिए मौन धारण करके खड़ी होगी।

इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहें—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

महिला सहकारी संगठनों को ठेके

*223. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल स्टेशनों पर अधिकतर ठेके/नियत कार्य महिला सहकारी संगठनों को देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनाएं क्या है; और

(ग) यह योजना कब से चल रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए ठेके आवंटित करने में प्रामाणिक सहकारी समितियों के वास्तविक कार्यकर्ताओं को वरीयता दी जाती हैं। इस संबंध में सहकारी समितियों के बीच, लींग के आधारपर कोई भेद-भाव नहीं किया जाता हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

श्री आर० के० महालगी : उत्तर अस्पष्ट और टालमटोल करने वाला है। मैं यह चानना जाहता हूं कि क्या रेलवे प्रशासन के कर्मचारियों के अलावा विशेषतया कैन्टीनों और जलपानगृहों के ठेके किसी महिला सहकारिता/संगठन को दिये गये हैं और यदि हां, तो, आजकल रेलवे में ऐसे कितनी सहकारिताएं काम कर रही हैं।

श्री० सी० के० जाफर शरीफ : जैसा कि मैं बता चुका हुं, वास्तविक सहकारी समितियों को, जहां कर्मचारी ऐसे कार्य करने को तैयार हैं, प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें सहायता दी जा रही है।

जहां तक महिला सहकारी संगठनों के बारे में पूछे गये प्रश्न की बात है, महाराष्ट्र में एक महिला सहकारी ग्राहक संस्था लि०, मन्मड ने गन्ने के रस की दुकान के लिये आवेदन भेजा है। समिति के जिन तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने आवेदन पत्र की जांच की थी, इसे उपयुक्त नहीं पाया। इसका कारण यह था कि महिला संस्था को खानपान व्यवस्था का कोई अनुभव नहीं था, इसलिये उन्हें इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। परन्तु जहां कहीं भी ऐसी सहकारी संस्थाएं खान–पान या विक्रय अथवा अन्य किसी काम को सम्भालने में समर्थ हैं तो हमारी नीति यह रही है कि उनको प्रोत्साहित किया जाए और सहायता दी जाए।

श्री आर० के० महालगी : मेरा प्रश्न था कि क्या रेलवे कर्मचारियों के अलावा किन्ही महिला संगठनों को रेलवे में ठेके या काम सौंपे गये हैं विशेषकर कैन्टीनों, जलपान गृहों आदि के लिये है। इसका ठीक से उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मेरे पास विसिष्ट सूचना नहीं है; मैं सूचना सदस्यवर को दे दूंगा।

श्री आर० के० महालगी : क्या ऐसे कुछ आवेदन–पत्र अस्थगित पड़े हैं और यदि हां तो कब से ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह भी प्रथम प्रश्न से सम्बन्धित है। जैसा कि मैंने बताया है मैं जांज पड़ताल करूंगा और यह सूचना भी दूंगा।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मेरा सवाल यह है कि रेलवे स्टेशनों पर स्टाल्स या कैंटीनों के रिन्यूअल के समय हर बार जो करप्शन होता है, उसे खत्म करने के लिये और प्राइवेट कैन्टीन्स में काम करने वाले मजदूरों को रेलवे में लाने के लिये पहले मंत्री ने 70 स्टॉल्स को रेलवे द्वारा चलाने का जो सुझाव रखा था, और उस पर काम भी शुरु हुआ था, उसके बारे में आज की सरकार की क्या नीति है ? क्या आगे चलकर वह इन स्टाल्स को प्राइवेट लोगों को ही देने वाले हैं या रेलवे कैटरिंग के द्वारा ही चलवायेंगे ? अगर रेलवे कैटरिंग द्वारा चलवाने हैं तो उसमें से अब तक कितने रेलवे के पास आये हैं और कितने नहीं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मूल प्रश्न तो यात्रा करने वाले लोगों को खान-पान की बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। मैंने जैसा कि पहले कहा है कि यदि कर्मचारी लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम हों तो हम निश्चय ही उनको प्रोत्साहन देंगे। यदि वे इतने सक्षम न हों और बाहरी लोग हों तो हम उनका स्वागत करेंगे।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मैंने यह पूछा है कि क्या यह काम रेलवे डिपार्टमट के द्वारा चलने वाला है या प्राइवेट होटल तथा कैन्टीन वालों को दिया जाएगा।

श्री जाफर शरीफ : दोनों के द्वारा ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या हम माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से यह समझें कि महिला सहकारी संस्थाएं रेलवे की कैन्टीनों और अन्य चीजों को चलाने में सक्षम नहीं है । उनके पास एक भी कैन्टीन आदि नहीं है जिसे वे हमें बता सकें और कह सकें कि यह रेलवे द्वारा दी गई है । क्या यह सच है कि चूंकि महिलाएं घोटाला आदि कम करती हैं और वे अन्य ठेकेदारों की तुलना में गुणात्मक और भागात्मक दृष्टि से कम भी नहीं है, इसीलिए मंत्रालय महिला सहकारी संस्थाओं की सहायता नहीं करता है । क्या कारण है कि वे पूरे भारत में रेलवे में एक भी महिला सहकारी संस्था का नाम नहीं बता सके हैं ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : ऐसी बात नहीं है । हमारा यह विचार नहीं है । मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि वे अधिक सक्षम हैं क्योंकि वे खान-पान में अपेक्षाकृत अधिक प्रशिक्षित होती हैं । मैंने जैसा कि पहले कहा है मेरे पास आंकड़े नहीं है । मैं आंकड़े एकत्रित करके माननीय सदस्य को सप्लाई करूंगा ।

श्री आर० के० महालगी : मुख्य प्रश्न वह था परन्तु मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार नहीं थे ।

श्री भागवत झा आजाद : मुख्य प्रश्न इसीसे संबंधित है ।

श्री नारायण चौबे : अपने उत्तर में आपने कई प्रकार के ठेकों के नाम गिनाए हैं ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : शारदा उद्योग मन्दिर, अमरावती के नाम से एक महिला कल्याण संगठन है जो सोसाइटीज अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत हुआ है । यह मध्य रेलवे के वांद्रा स्टेशन पर एक चाय, काफी, स्वीटमीट, फल का स्टाल चला रहा है ? ।

श्री नारायण चौबे : क्या आप जानते हैं कि सामान्यत; उन्हीं सहकारी संस्थाओं को काम दिया जाता है जिनकी प्रेजीडेन्टस जनरल मैनेजरों, डी० आर० एम० और डी० एस० एस० की पत्नियां होती हैं और यदि सहकारी संस्था का कोई कर्मचारी उनके तानाशाही दृष्टिकोण को चुनौती देने का साहस करता है तो उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाता है ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं नहीं जानता हूं । यदि माननीय सदस्य कोई विशेष दृष्टांत दें तो मैं उसकी जांच करुंगा ।

श्री नारायण चौबे : ऐसी सैंकडों मिसाले हैं ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप उन्हें दे सकते हैं ।

देश में कुष्टरोग का फैलना

*225 **डा० सरदीश राय** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में कुष्ठ रोग फैलने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व के कुल कुष्ठ रोगियों का 1/5 भाग भारत में रहता है; और

(ग) इस रोग की रोकथाम और उसके उन्मूलन के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ऐसा ही है ।

(ग) राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठरोगियो का शीघ्र पता लगाने और उनका नियमित उपचार करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस रोग की रोकथाम की जा सके ।

डा० सरदीश राय : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि लगभग 20 प्रतिशत कुष्ट रोगी हमारे देश में रहते हैं और इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा है, क्या मै यह जान सकता हूं कि सरकार द्वारा इसका कोई मूल्यांकन कराया गया है, क्या यह सच है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग इस बीमारी से अपेक्षाकृत अधिक पीड़ित होते हैं और क्या आपके मूल्यांकन में आपको यह पता चला है कि हमारे देश के कतिपय क्षेत्र इस बीमारी से अधिक ग्रस्त हैं ? यदि यह सच है तो, क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : यह सच है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र इस बीमारी से अपेक्षाकृत अधिक ग्रस्त हैं। यह सच है कि यह बीमारी उन क्षेत्रों में अधिक फैली हुई है जहां लोग अधिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। ये कदम उठाए गए हैं : राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम चल रहा है। यह 1955-56 में चलाया गया था। यह निमर्मित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम बन गया है। इस कार्यक्रम के अधीन बीमारी का जल्दी पता लगाया जाता है, 'मास सुलफोन थिरेपी' से कुष्ठ रोगियों का इलाज किया जाता है ताकि लोगों पर इस बीमारी के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके और बीमारी को फैलने से रोका जा सके, या समाज में और न बढ़े। इस प्रयत्न की पूर्ति स्वास्थ्य शिक्षा, स्टाफ के प्रशिक्षण अनुसंधान और जांच-पड़ताल, रिकन्सटर्कटिव सर्जरी, फिजियोथिरेपी आदि के द्वारा की जाती है।

डा० सरदीश राय : क्या इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया है या नहीं।

श्री बी० शंकरानन्द : अखिल भारतीय सर्वेक्षण दल विशेषरुप से बंगाल सर्वेक्षण दल द्वारा 1929 से 1951 के बीच किए गए अखिल भारतीय नमूनों सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग 90 लाख व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया था और 1951 की जनसंख्या में 15 लाख कुष्ठ रोगियों के मामलों का पता चला।

डा० सरदीश राय : मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं इस कार्यक्रम की स्थापना से लेकर अब तक की, प्रगति के बारे में जानना चाहता हूं। उन्होंने 1929 से 1951 तक के समय के बारे में उत्तर दिया है जो कि स्वतन्त्रता - पूर्व का समय है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दे रही है। और क्या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे इस बीमारी से संघर्ष करने में सक्षम हो सके।

श्री बी० शंकरानन्द : पोषाहार कार्यक्रम समाज कल्याण मंत्रालय से संबंधित है और निस्सन्देह समाज कल्याण मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समन्वय है। मैं यह कह सकता हूँ कि इस बीमारी से जूझने के लिए पोषाहार कार्यक्रम जैसा कोई कार्यक्रम नहीं है। इसके अतिरिक्त मेरे माननीय मित्र प्रगति के विषय में जानना चाहते थे। आई० सी० एम० आर० ने विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम का मूल्यांकन किया और रिपोर्टें प्रकाशित की। अन्तिम रिपोर्ट 1979 में प्रकाशित की गई।

श्री सरदीश राय : परिणाम क्या रहा है ?

श्री समर मुकर्जी : उनका प्रश्न यह था कि क्या सरकार इस बीमारी से जूझने के लिए राज्यों की सहायता कर रही है ?

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष महोदय, छोटा नागपुर और संथाल परगना के क्षेत्र में जो आइसोलेटेड विलेजेज हैं वहां पर लेप्रासी के केसेज बहुत पाए गए हैं। वहां सरकार का मोबाइल स्क्वाड या सर्च पार्टी नहीं जा पा रही है जिस से अन्दाज नहीं लग रहा है कि कितने केसेज हैं। ऐसी स्थिति में इन इलाकों में जो बीहड़ इलाके हैं मंत्रालय कोई स्पेशल स्क्वाड या मोबाइल स्क्वाड भेज कर उन इलाकों का पता लगाएगा कि लेप्रासी वहां कितनी मात्रा में है और जो लोग वहां इस से पीड़ित हैं उन को तुरंत सहायता देने की व्यवस्था करेगा ?

श्री बी० शंकरानन्द : यह कार्रवाई हेतु एक सुझाव है।

श्री एम ०राम गोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि कुष्ठ रोगियों की जनसंख्या का 1/5 भाग भारत में रहता है। जब कि हमारी कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 1/7 भाग है। इसलिए यह संख्या तो काफी अधिक हुई। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसे घटाने के लिए या कम से कम 1/7 भाग तक लाने के लिए मंत्री महोदय के पास कोई योजना है। मैं यह भी जानना चाहता हुँ कि पिछले तीन वर्षों में इसमें काफी वृद्धि हुई है। वे इस बीमारी से कैसे संघर्ष करेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : संभवत: माननीय सदस्य महोदय यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इस प्रतिशतता को कम करने के लिए इस संबंध में कुछ कार्रवाई करने का विचार रखती है। इस संबंध में एक बड़ा अभियान 1980 में आरम्भ किया जाना है। इसमें बहु औषधि इलाज किया जाएगा जैसे रिफाम्पीसिन, क्लोफाजिमिन और डी०डी०एस०।

श्री जोवियर अराक्कल : माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि अधिकांश कुष्ठ रोगी ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वे अब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं। केवल यही नहीं। जब वे शहरी क्षेत्रों में आते हैं तो वे कुछ क्षेत्रों में निवास कर लेते हैं। उनको शहरों में आने से रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और शहरी क्षेत्र में इन्हें दूर-दूर बसाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री बी० शंकरानन्द : मुख्य तौर पर यह प्रश्न बीमारी का पता लगाने से संबंधित है। रोगियों का पता नहीं लगाया जाता ; रोगी स्वयं इलाज कराने के लिए नहीं आते। जबतक हमें पता नहीं चलता इसमें बड़ी कठिनाई होती है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के कुष्ठरोग ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाया है और यदि हां तो राज्यों के ऐसे क्षेत्रों के क्या नाम है ? आप जानते हैं। कि मेरे राज्य में दुर्गापुर और पुरुलिया जिले कुष्ठ रोग ग्रस्त हैं। क्या सरकार के पास ऐसे कुष्ठ रोग-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए कोई कार्यक्रम हैं, राज्यों को सहायता देने का कोई कार्यक्रम है और यदि है तो उस सहायता का ब्यौरा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह प्रश्न काफी लम्बा खिंच गया है; वह इस प्रकार जानकारी नहीं दे सकेंगे। अगला प्रश्न।

भारत-पाकिस्तान-बंगला देश शिपर्स कान्फरेंस द्वारा भाड़ा दरों में वृद्धि करने का निर्णय

*226. श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान-बंगला देश शिपर्स कान्फरेन्स ने हाल ही में 1 मई, 1980 से भाड़ा दरों में 20 प्रतिशत तक वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय भारतीय नौवहन व्यापारियों के अनुमोदन के बिना एकपक्षीय तौर पर किया गया था;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने का है ; और

(घ) प्रस्तावित बढ़ी हुई भाड़ा दरों के कारण भारत को कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का भार वहन करना पड़ेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) दि इंडिया, पाकिस्तान-बांगला देश—यूके/कान्टीनैन्ट कानफ्रेन्स ने इस वृद्धि को लागू करने का निर्णय किया है।

(ख) कानफ्रेंस ने यूरोप, बांगला देश, पाकिस्तान और भारत में व्यापारी परिषदों से परामर्श करने के बाद ही भाड़े में वृद्धि करने के निर्णय की घोषणा की थी यद्यपि कांनफ्रेंस द्वारा घोषित भाड़ा वृद्धि अखिल भारतीय व्यपारी परिषद ने स्वीकार नहीं की है।

(ग) सरकार के पास ऐसा कोई काननी अधिकार नहीं है कि वह मामले में दखल दें। वह कानफ्रेंस अधिकारियों और व्यापार-संस्थानों को आग्रह और सहायता ही कर सकती है कि कोई परस्पर स्वीकार्य निर्णय कर लिया जाए। सरकार द्वारा नौवहन महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित भाड़ा और नौवहन सेवा परामर्शदात्री स्थायी समिति ने व्यापारियों और कानफ्रेंस की सदस्य भारतीय कंपनियों से बातचीत करने के लिए आग्रह किया है ताकि कोई परस्पर संतोषजनक समझौता हो सके। कानफ्रेंस के सचिव से अनुरोध किया गया है कि वह भारतीय व्यापारियों के दिलों के बारे में लन्दन में कानफ्रेंस के मुख्यालय को सूचित कर दें। समिति दोनों पक्षों में विचार विमर्श के दौरान निरन्तर सहायता करती रहेगी।

(घ) प्रस्तावित वृद्धि के फलस्वरूप भारतीय निर्यातकर्ताओं पर जो अतिरिक्त भार पड़ेगा वह व्यापार की उस मात्रा पर निर्भर करेगा जो इस कानफ्रेंस के माध्यम से 1 मई, 1980 के बाद भारतीय तट से उठाया जाएगा।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा कि स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं हैं इन्टरफीयर करने के लिए परन्तु इसके कारण हिन्दुस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनपर 20 परसेंट फ्रेट बढ़ जायेंगे इसलिए क्या शासन एक्सपोर्टर्स को कोई अनुदान देने के लिए सोच रहा है क्योंकि अगर अनुदान नहीं देंगे तो इन्टरनेशनल मार्केट में हमारे देश में बनी हुई चीजों की कास्ट ज्यादा बढ़ जायेगी तथा कांपिटीशन नहीं हो पायेगा। इसिलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इन बढ़े हुए रेट के कारण हमारे भारतीय एक्सपोर्टर्स को अनुदान देने पर विचार कर रही है ?

श्री ए० पी० शर्मा : नही, ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे हमारी हिन्दुस्तान की जो शिपिंग कम्पनीज हैं, उनको तो लाभ पहुंचेगा, लेकिन इन्टरनेशनल मार्केट में हमारी वस्तुओं की कीमत अधिक होने से हम टिक नहीं पा रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे इस संबंध में क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री ए० पी० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कान्फ्रेंस नान-आफिशियल इन्टरनेशनल आर्गेनिजेशन है और तीन नेशनल शिपिंग लाइन्स इस कांफ्रेंस के सदस्य हैं । शिपर्स एसोसिएशन से बातचीत करने के बाद, ये किराया बढ़ाने का फैसला करते हैं । इन्होंने फैसला किया है, लेकिन शिपर्स एसोसिएशन को यह मान्य नहीं है । इस संबंध में हमारे डी० जी० शिपिंग और चेअरमैन कन्सलटेटिव कमेटी बातचीत कर रहे है और शिपर्स एसोसिएशन का जो विरोध है, उसको उन्होंने कान्फ्रेंस के रीजनल आफिस को जो बम्बई में है कन्वे किया है और यह कहा है कि अपने लंदन आफिस को यह बता दें । अभी हमें मालूम नहीं है कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है ।

श्रेणी-एक के अधिकारियों का अन्तर्पत्तन और अन्तर्गोदी स्थानान्तरण

*227. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक पत्तन न्यास और गोदी श्रमिक बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर श्रेणी-एक के सभी अधिकारी प्रत्येक पत्तन न्यास और गोदी श्रमिक बोर्ड के स्थायी कर्मचारी हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या श्रेणी एक के अधिकारियों को अन्तर्पत्तन/अन्तर्गोदी श्रम बोर्ड में स्थानान्तरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) पोर्ट ट्रस्टों और डाक लेबर बोर्डों के प्रथम श्रेणी के अधिकारी ऐसे अधिकारियों को छोड़ कर जो अस्थायी आधार पर या परिवीक्षा के आधार पर या कुछेक मामलों में जब वे दूसरी संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, संबंधित पोर्ट ट्रस्टों और डाक लेबर बोर्डों के स्थायी अधिकारी होते हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मंत्री महोदय इस तथ्य से अवगत हैं कि चूंकि ये पद स्थायी हैं और ये अधिकारी नौवहन कम्पनियों और ठेकेदारों के सम्पर्क में आते हैं इसलिए उनके एक ही पद पर एक स्थान पर बने रहने से भ्रष्टाचार पैदा हो सकता है । यह उनके एक ही स्थान पर काफी समय तक रहने के कारण है और इससे उनके निहित स्वार्थ पैदा हो जाते हैं । यदि ऐसा है तो क्या श्रेणी एक के अधिकारियों के अन्तर्राज्यीय और अन्तर्पत्तन स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं है ?

श्री ए० पी० शर्मा : माननीय सदस्य के दृष्टिकोण से सहमत होने में काफी कठिनाईयां हैं । ये कठिनाइयां उनके वेतन-मान के निर्धारण से संबंधित हैं क्योंकि विभिन्न पत्तनों पर एक ही काम करने वाले अधिकारियों का वेतनमान भिन्न भिन्न है । फिर इनकी वरिष्ठता निर्धारण का प्रश्न आता है । इस प्रश्न की जांच अग्रवाल समिति की सिफारिशों के प्रकाश में की गई थी । स्थिति की पुनरीक्षा करते समय यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रश्न को और आगे न बढ़ाया जाए क्योंकि इसमें कई कठिनाइयां है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या इस समिति ने जैसा कि मैंने कहा है भ्रष्टाचार के संबंध में भी विचार किया था । यदि नहीं तो क्या प्रभारी मंत्री महोदय इन प्रश्नों पर विचार करेंगे ताकि प्रस्ताव की पुनरीक्षा हो सके ?

श्री ए० पी० शर्मा : यदि किसी समय सरकार के समक्ष किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का मामला लाया जाएगा तो उनकी जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या माननीय मंत्री महोदय, यदि उनके पास समय है और उन्होंने कलकत्ता पत्तन न्यास के संबंध में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट का ध्यान से अध्ययन किया है तो, हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से चेयरमैन श्री पी० सी० मित्रा को समयपूर्व हटा दिया गया और लैंड मैनेजर श्री घोष को निलंबित कर दिया गया ? क्या मैं उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के विषय में जान सकता हूं । **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : आश्चर्य की बात है कि भ्रष्ट अधिकारियों को बचानेवाले अनेक लोग हैं । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमें बतायें कि क्या उन्होंने कलकत्ता पत्तन-न्यास पर लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया है ।

प्रो एन० जी० रंगा : यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है । मंत्री महोदय से इसका उत्तर देने के लिए कैसे कहा जा सकता है ? क्या यह प्रश्न इससे उत्पन्न होता है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध है। अन्तर-गोदी श्रमिक बोर्ड में स्थानान्तरण आवश्यक हैं ताकि वे वहां जड़े न जमा लें, इससे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध न बन जाये और नौकरकों के वेतन चिट्ठे में न आ जायें और वहां के मुस्ताभियों के साथ न मिल जाये।

श्री ए० पी० शर्मा : मेरे मित्र श्री बसु ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अवगत हूं। परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इस प्रश्न पर अग्रवाल समिति ने विचार किया है। उन्हें एक पत्तन से दूसरे पत्तन में स्थानान्तरण में काफी कठिनाइयां हैं। प्रश्न तो उनके वेतन, वरिष्ठता, पदोन्नति अवसर, आदि का है। इसलिए इस समय इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

श्री के० ए० राजन : कोचीन गोदी श्रम बोर्ड के लिए गत एक वर्ष से कोई उपाध्यक्ष नहीं है। क्या मैं जान सकता हूं कि पद खाली क्यों रखा जाता है और यह पद कब भरा जाएगा ?

श्री ए० पी० शर्मा : यद्यपि इस प्रश्न का इससे सम्बन्ध नहीं है, फिर भी मैं माननीय मित्र की संतुष्टि के लिए उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि यह पद शीघ्र ही भरा जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमती गीता मुखर्जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके सिलसिले में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि यह कलकत्ता पत्तन के कतिपय अधिकारियों और नौकरकों के बीच सांठगांठ के कारण हुआ है कि कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड को भंग कर दिया गया है और गंभीर कदाचारों तथा भ्रष्टाचार के कारण यह अभी भी भंग पड़ा है ? क्या यह सही नहीं है कि ये अधिकारी नौकरकों के साथ अधिक समय तक संबन्ध रखने या उनसे सांठ गांठ करने के कारण एकतरफा मंत्रालय से प्रशासकीय निकाय पुनः बनाने के लिए कह रहे है, जिसके विरुद्ध सभी संघोने और सभी ने विरोध भी किया है, क्योंकि वे भ्रष्ट पाये गए हैं ?

श्री ए० पी० शर्मा : जहां तक कलकत्ता गोदी श्रम बोर्ड के प्रशासकीय निकाय का सम्बन्ध है, यह सत्य है कि यह संस्था भंग की गयी है। हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं माननीय मित्र को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार का इरादा इस प्रशासकीय संस्थ. को पुनः कायम करने का है। यह किस रूप में बनायी जाए, इस पर निर्णय किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सम्बन्धित हितों से परामर्श किया जाएगा या यह एक तरफा ही किया जाएगा ?

श्री ए० पी० शर्मा : हम इसके लिए समुचित प्रक्रिया अपनायेंगे।

श्रमिक कानूनों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

*228. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम जैसे श्रमिक कानूनों के क्रियान्वयन का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इसके परिणामस्वरूप सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) श्रम कानूनों के कार्यान्वयन की निरंतर पुनरीक्षा की जाती है।

श्रम कानूनों के कार्यान्वयन और सरकारी/निजी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में औद्योगिक संबंधों की सामान्य दशाओं के बारे में बहुत से मूल्यांकन संबंधी अध्ययन किए गए हैं। श्रम ब्यूरों ने भी विशिष्ट क्षेत्रों में श्रमिकों की कामकाज की दशाओं पर श्रम कानूनों के प्रभाव संबंधी अनेक सर्वेक्षण किए हैं।

सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का मूल्यांकन सर्वेक्षण करने का निर्णय किया है।

उपर्युक्त सभी अध्ययनों के निष्कर्षों को आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित प्राधिकारियों के पास भेजा जाता है।

श्री मलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह तो एक रुटीन आन्सर है। मैं जानना चाहता हूं कौन-कौन से श्रमिक कानूनों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कब-कब और किस-किस मशीनरी के द्वारा आप ने करवाया ? उस का आखरी सर्वेक्षण कब हुआ और कौन सी तारीख को हुआ, उसके क्या परिणाम निकले और आप किस नतीजे पर पहुंचे ? उन्होंने किन-किन कानूनों की अवहेलना की है और उस मशीनरी में क्या कोई लेबर-रिप्रेजेन्टेटिव था या नहीं था, जब आप ने उन का इवैल्यूएशन करवाया ?

श्री जे० बी० पटनायक : यह एक बड़ा प्रश्न है। यह किसी विशेष अधिनियमों के बारे में उल्लेख नहीं किया है जिसके बारे में सर्वेक्षण किए गए या मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किए गए।

न्यूनतम मजुरी अधिनियम के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि मूल्यांकन किया जाना होगा और इसके बाद प्रतिवेदन उपलब्ध होगा।

न्यूनतम मजूरी के सम्बन्ध में 1972 में फिर श्रम ब्यूरो ने मूल्यांकन किया था। प्रतिवेदन उस समय उपलब्ध था। शायद माननीय सदस्य ने उस प्रतिवदन को देखा हो।

श्री मूलचन्द डागा : अपने उत्तर में आपने कहा है :

"श्रम कानूनों के कार्यान्वयन और सरकारी/निजी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्धों की सामान्य स्थिति के बारे में बहुत से मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन किए गए हैं।"

परन्तु मेरा प्रश्न तो यह है : किस तारीख को और किस वर्ष में आपने यह काम किया है ? और आपने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ? आप इस भाग का उत्तर नही दे रहे हैं। क्या इस तंत्र में कोई श्रम प्रतिनिधि था ? यह बहुत ही सरल प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष : आपको ऐसा सोचने की स्वतंत्रता है।

श्री जे० बी० पटनायक : मेरे मित्र श्री डागा अधीर हो रहे हैं। उन्होंने आम तौर पर श्रम कानूनों के बारे में पूछा है। विशेष रूप से उन्होंने न्यूनतम मजूरी अधिनियम के बारे में पूछा है। न्यूनतम मजूरी अधिनियम के बारे में मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है। इस देश में केन्द्र और राज्यों से सम्बन्धित सैंकड़ों श्रम कानून हैं। केन्द्रीय श्रम कानूनों की संख्या 41 है और शेष राज्यों के हैं। इस देश में लगभग 27 लाख कारखानों और औद्योगिक उपक्रमों के लिए जो श्रम कानून हैं, उनका मूल्यांकन करना संभव नहीं है। समय-समय पर नमूना सर्वेक्षण किए गए हैं। ये नमूना सर्वेक्षण श्रम मंत्रालय के तीन संगठनों द्वारा किये जाते ह। वे हैं राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम ब्यूरो और केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र। वे किसी विशेष क्षेत्र में जाकर श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में कुछ अध्ययन करते है। उनके प्रतिवेदन उपलब्ध हैं। श्रम मंत्रालय में कार्यान्वयन सेल है। यह 'सेल' विभिन्न उपक्रमों में उपक्रमवार समय समय पर अध्ययन कर रहा है और अधिनियम-वार नहीं। अधिनियम-वार अध्ययन करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके अन्तर्गत लगभग सभी 27 लाख औद्योगिक उपक्रम आ जायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आप यह बतलाने का कष्ट करें कि क्या आप ने मिनिमम वजेज एक्ट का सर्वे किया है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री शिव प्रसाद साहू : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान न्यूनतम मजदूरी की ओर दिलाना चाहता हूं। कई बार कोयला और दूसरे जो मैटीरियल्स हैं, उन के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। बाक्साइट एक ऐसा मेटीरियल है, जिसमें हजारों मजदूर काम करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा दूसरा सप्लीमेन्टरी रह गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अवसर दिया है।

श्री शिव प्रसाद साहू : मैं यह बतलाना चाहता हूं कि पिछले चार वर्षों से बाक्साइट की खानों में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ऐसा विचार कर रहे है कि बाक्साइट की खानों में काम करने वाले कामगरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाये ?

श्री जे० बी० पटनायक : न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत बाक्साइट उद्योग भी आता है और इस सम्बन्ध में नए प्रस्ताव हैं। हमने बाक्साइट की खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए मजूरी बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया है।

श्री मधु दंडवते : पिछले सत्र में मैंने माननीय श्रम मंत्री को सुझाव दिया था कि उन्हें विभिन्न केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके साथ समन्वित औद्योगिक सम्बन्ध विधान का एक प्रारूप बनाने की समस्या पर विचार करना चाहिए और उन्होंने पहले ही यह आश्वासन दिया है कि वह इस पर विचार करेंगे। मैं माननीय मंत्री से

जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने विभिन्न मजदूर संघ संगठनों से पहले बातचीत की है और यदि की है तो उसका परिणाम क्या रहा है। यदि पहले बातचीत पूरी हुई हैं तो वह इस सभा में विस्तार से एक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक कब तक पेश करेंगे ?

श्री जे० बी० पटनायक : मैंने विभिन्न मजदूर संघ संगठनों के साथ परामर्श के लिए इस सभा को दिए गए वायदे के अनुसार कार्य किया है। मैंने विभिन्न केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों को बुलाया है और उनके साथ बोनस तथा औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। सुझाव नोट कर लिए गए हैं और सरकार व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक न लाने की बात सोच रही है, क्योंकि इसमें अधिक समय लगेगा। परन्तु कतिपय अधिनियमों के बारे में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं जिससे मजदूरों के साथ न्याय करने में मदद मिलेगी। यदि माननीय मित्र, संसद सदस्यों तथा केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं ये सुझाव देने को तैयार हूं।

श्री सत्यनारायण जाटिया : अध्यक्ष महोदय, अभी, माननीय मंत्री जी ने जानकारी देते हुए यह बताया है कि हमने न्यूनतम वेतन के लिए एक सर्वेक्षण कराया हुआ है। आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि उस सर्वेक्षण को कराने के बाद जो निष्कर्ष निकला है, उस निष्कर्ष को कहां तक क्रियान्वित किया गया और उस सर्वेक्षण का क्या निष्कर्ष निकला ?

अध्यक्ष महोदय : आपके सर्वेक्षणों का क्या परिणाम निकला है ?

श्री जे० बी० पटनायक : हर वर्ष उद्योग के कतिपय क्षेत्रों, न्यूनतम मजूरी के लागू करने के बारे में सर्वेक्षण किया जाता है परन्तु श्रम ब्यूरो ने 1972 में एक व्यापक सर्वेक्षण किया था। और वे कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया है कि आमतौर पर केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में अधिनियम संतोषजनक ढंग से लागू नहीं हुआ। परन्तु इसको प्रभावी ढंग से लागू न करने के कुछ कारण रहे हैं—जैसे प्रवर्तन तंत्र का अपर्याप्त होना, प्रतिष्ठान का प्रकीर्णन होना, एककों की अस्थिरता, समुचित परिवहन सुविधाओं का अभाव, श्रमिकों में मजबूत मजदूर संघवाद का न होना, मजदूरों और नियोक्ताओं में निरक्षरता, आदि। परन्तु केन्द्रीय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को विभिन्न समस्याओं की जानकारी है और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। समय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिनियम को लागू करने से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अपनी मजूरी बढ़ाने और उनकी सेवा शर्तें बेहतर बनाने में मदद मिली। इस बात पर विचार करने के लिए कि इन निष्कर्षों पर कहां तक विचार किया जा रहा है और सुझावों को कार्यान्वित किया जा रहा है, श्रमिक ब्यूरो एक और अध्ययन कर रहा है।

श्री पी० के० कोडियन : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि खेतिहर मजदूरों के मजदूर संघों की यह बड़ी शिकायत है कि खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम को कार्यान्वित करने की अपेक्षा उल्लंघन अधिक किया जाता है ? यदि उन्हें मालूम है तो इसके लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और क्या माननीय मंत्री खेतिहर मजदूरों के लिए भी न्यूनतम मजूरी अधिनियम को लागू करने के बारे में सर्वेक्षण के लिए आदेश दे रहे हैं ?

श्री जे० बी० पटनायक : जी, हां। इसमें खेतिहर मजदूरों के बारे में न्यूनतम मजूरी अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में सर्वेक्षण भी शामिल है। सरकार खेतिहर मजदूरों के बारे में एक विधेयक लाने के लिए भी सोच रही है। और इसमें इसके प्रवर्तन भाग के बारे में भी उल्लेख होगा। जहां तक कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, मैंने यह पहले ही बताया है कि यह खेतिहर मजदूरों के संगठन पर अधिक निर्भर करता है जिसमें माननीय सदस्य सरकार की मदद कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : सरकार बहुत से इनक्लाबी श्रम कानून बनाती है लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं होता है। क्या आप देखेंगे कि जो श्रम कानून आपने बनाए हैं उनका कार्यान्वयन भी हो ? यही हालत मिनिमम वेजिज एक्ट की भी है। सरकारी विभागों में तथा पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में इस तरह के कानूनों का कहां कहां उल्लंघन हो रहा है, क्या इसके बारे में जानकारी आपने ली है और यदि ली है तो इस दिशा में आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री जे० बी० पटनायक : आम तौर पर मैंने इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। इसके उल्लंघन के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि कतिपय क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जाता है अध्ययन किया जाता है, निरीक्षण हर वर्ष किया जाता है और जहां भी उल्लंघन होता है, उनके बारे में बताया जाता है और उन विशेष उपक्रमों पर मुकदमा चलाया जाता है और अपनी

एजेन्सियों के माध्यम से श्रम मंत्रियों के साथ बैठकें करके सरकार का प्रयास सदैव यह सुनिश्चित करने का होता है कि यह कार्यान्वित किया जाये।

"एलेक्जेन्ड्रा" नामक भारतीय जहाज की नीलामी

*229 श्री जनार्दन पुजारी
श्री कृष्ण प्रताप सिंह } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एलैक्जेन्ड्रा" नामक भारतीय जहाज को कर्मचारियों को अदा न किये गये 25 लाख रुपये तक के वेतन की वसूली के लिये लंदन डाक्स पर नीलामों के लिये रखने का विचार था ;

(ख) क्या सरकारने जहाज को विवश होकर बेचने तथा कर्मचारियों को उनके वेतन की बकाया राशि से वंचित होने से बचाने के लिये हस्तक्षेप किया था ;

(ग) यदि हां, तो नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(घ) क्या सम्बन्धित जहाजरानी कम्पनी के विरुद्ध कोई कायवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए०पी० शर्मा) : (क) यह जहाज कर्मीदल के वेतन और अन्य दावों का भुगतान नहीं करने के कारण यु० के० के नौ न्यायालय द्वारा बेचे जाने का आदेश दिए जाने के कारण नीलामी पर चढ़ा दिया गया था।

(ख) से (घ) नौवहन महानिदेशक ने नीलहट शिपिंग कंपनी और जहाज के अधिकारियों और कर्मीदल के बीच समझौता कराया। इसके परिणाम स्वरूप नौ न्यायालय, लंदन द्वारा विक्री के लिए दिया गया आदेश वापस ले लिया गया। नीलहट शिपिंग कंपनी ने शिपिंग मास्टर, कलकत्ता के पास अपेक्षित धनराशि जमा कर दी है और मर्चेंट शिपिंग ऐक्ट, 1958 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अधिकारियों और कर्मीदल के दावों का निपटान करनें के लिए शिपिंग मास्टर, बम्बई के पास बैंक गारंटी जमा कर दी है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं मंत्री महोदय को जहाज को बचाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने के लिए बधाई देता हूं। अन्यथा यदि कर्मीदल को वेतन और मजूरी का भुगतान न करने के कारण जहाज विदेशों में नीलाम कर दिया जाता तो भारत की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगता। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वेतन भुगतान न करने के क्या कारण रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इनका भुगतान कर दिया गया है।

श्री जनार्दन पुजारी : वेतन पहले नहीं दिये गए हैं। इसलिए, कर्मीदल को वेतन भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या ऐसा नौकरशाही लाल फीताशाही के कारण हुआ है या प्रक्रियात्मक गड़वड़ी के कारण ?

श्री ए० पी० शर्मा : यह एक प्रायवेट कम्पनी है और इसने समुद्री विभाग के अधिकारियों के वेतन नहीं दिए और इन अधिकारियों ने लंदन में नौअधिकरण न्यायालय में अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन संघ के माध्यम से मुकदमा दायर किया है और वहां जहाज को पकड़ लिया गया। ज्योंहि यह बात हमारे ध्यान में लायी गयी, हमने कदम उठाए। डी० जी० नौवहन ने कदम उठाये और वेतन भुगतान की व्यवस्था की गयी है। न्यायालय से संपर्क स्थापित किया गया और इसने निर्णय रद्द कर दिया है। जहाज छोड़ दिया गया है और यह भारत में आ रहा होगा।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नौवहन विकास निधि समिति इस जहाज को खरीदने जा रही है ?

श्री ए० पी० शर्मा : जहाज खरीदने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसका कारण यह था कि इसमें हमारा हित भी था। इसलिए हमने शीघ्र कार्यवाही की। यदि जहाज कठिनाई में पड़ जाता तो हमारा पैसा भी चला जाता। किन्तु अब जहाज बेचने का कोई सवाल ही नहीं है। यह काम में लाया जाएगा और हमेशा की तरह एस० डी० एफ० सी० ऋण प्राप्त किया जाएगा और इसे इस कम्पनी से वसूल किया जाएगा।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : अध्यक्ष जी, जो हमने (डी) में सवाल किया है और पूछा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ़ आप कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं, इसका मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : पूछिये आप।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि आप दोषी अधिकारियों पर कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं जिनकी ढिलाई के कारण यह जहाज नीलामी पर आया ?

दूसरे यह कि जो नीलामी की स्थिति हुई उसके लिये और कुछ अधिकारी दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो उनके आप नाम बतायेंगे ? और जो समझौते के अनुसार रुपया जमा किया है उसकी कुल राशि क्या है ?

श्री ए० पी० शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों के दोषी ठहराने का तो प्रश्न है ही नहीं । यह प्राइवेट शिपिंग कम्पनी है, इसने अपने काम करने वाले लोगों को पैसा नहीं दिया था इसलिये उन्होंने लन्दन कोर्ट में मुकदमा किया था जिसकी वजह से शिप अरेस्ट हुआ था । तो यह शिप अब छूट गया इसलिये कि उन्होंने पैसे जमा कर दिये हैं । इसमें इन्होंने 5 लाख रु० जमा किया है और 10 लाख रु० की बैंक गारन्टी दी है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु कुल बकाया राशि 25 लाख रुपए थी । वह इसे स्पष्ट करें ।

श्री ए० पी० शर्मा : 5 लाख रुपए नकद जमा कराये गए हैं । और 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी दी गयी है । शेष के लिए वे समझौता करने के लिए बातचीत कर रहे हैं ।

श्री एम० एम० लारेंस : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि नौवहन कम्पनियां कर्मचारियों को सुविधाओं के बारे में नियम और विनियम लागू नहीं कर रही हैं और इससे सामान के लाने ले जाने में कठिनाई आयी है? यदि यह सही है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री ए० पी० शर्मा : यदि नौवहन कम्पनियां नियमों का पालन नहीं करती हैं और कर्मचारियों को मजूरी नहीं देती हैं, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं कि वे इसका भुगतान करें ।

वर्तमान श्रम कानूनों को अद्यतन बनाना

*230. **श्री सतीश प्रसाद सिंह**
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से संसद सदस्यों ने वर्तमान श्रम कानूनों को अद्यतन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है ;

(ख) क्या असंगठित क्षेत्र की सेवा शर्तों के बारे में विधान लाने की भी मांग है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन करने तथा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये कानुन बनाने हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं ।

(ग) ये सुझाव विचाराधीन हैं ।

श्री सतीश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो श्रम कानून पहले से बना हुआ है वह इस परिस्थिति में कारगर नहीं है और उसके द्वारा जो फायदा लोगों को होना चाहिये वह नहीं मिल रहा है । वैसी हालत में क्या सरकार उसका नवीकरण करने की ओर सोचती है ?

श्री जे० बी० पटनायक : जी, हां, हम कानूनों में संशोधन करने जा रहे हैं । हम उन कानूनों में संशोधन करने जा रहे हैं जो हम समझते हैं कि अपर्याप्त हैं ।

श्री सतीश प्रसाद सिंह : जिस एरिया में संगठन नहीं है, संगठित एरिया नहीं है, उसके लिये कोई लैजिस्लेशन लाने का विचार हैं ?

श्री जे० बी० पटनायक : असंगठित मजदूरों के लिए विधेयक लाने के बारे में उन्होंने दूसरा प्रश्न उठाया है । मैंने सभा को पहले आश्वासन दिया है कि सरकार खेतिहर मजदूरों के बारे में विधेयक लाने की बात सोच रही है ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि जो अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर में 4 करोड़ के लगभग खेतिहर मजदूर हैं, जिन्हें कोई भी नियोजक एम्पलाय करते हैं और तुरन्त 15, 20 दिन के बाद बाहर कर देते हैं, उसकी सेवा शर्तें कुछ नहीं हैं, मजदूरी भी कुछ नहीं है, प्राविडेंड फंड का भी कोई प्रावीजन नहीं है, उन्हें कई तरह की और कठिनाइयां होती हैं, उनकी बहुत बदतर स्थिति है तो क्या मंत्री महोदय इस दिशा में कोई ठोस कानून या अधिनियम बनाना चाहते हैं, जिससे उन लोगो को लाभ मिल सके ?

श्री जे० बी० पटनायक : संविदा श्रमिक अधिनियम पहले ही है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित श्रमिकों का सम्बन्ध है, मैंने सभा को आश्वासन दिया है कि हम इस सम्बन्ध में एक विधेयक लायेंगे।

श्री के० राममूर्ति : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पिछली जनता सरकार ने खेतिहर मजदूरों के लिए कानून बनाने हेतु एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति की रचना क्या है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उसकी बैठकें हुई हैं और क्या इसने अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है और क्या मंत्री महोदय को प्रतिवेदन मिल गया है और यदि यह सही है तो सरकार इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही करने जा रही है।

श्री जे० बी० पटनायक : श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण असंगठित श्रमिकों सम्बन्धी एक केन्द्रीय स्थायी समिति थी। समिति की पहली बैठक जनवरी, 1979 में हुई थी और इसने तीन उप-समितियां बनाने का निर्णय लिया और उप-समितियों की बैठकें हुई हैं और इन समितियों ने सरकार को सिफारिश की है कि यह बंधक मजदूरों के पुनर्वास और मुक्ति के लिए एक विधेयक लाए और यह भी सिफारिश की है कि उसमें सुधार करने तथा ग्रामीण मजदूरों की शिक्षा तथा संगठन के लिए उपाय करे। इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

श्री ए० के० राय : संविदा श्रमिक (उत्पादन तथा विनियमन) अधिनियम में संविदा प्रणाली को समाप्त करने के लिए क्षेत्रों का पता लगाया गया है। परन्तु ठेकेदारों के अधीन काम कर रहे मजदूरोंकी स्थिति के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया गया है। अधिकांश रूप से उनकी धंसी की जा रही है यद्यपि अधिनियम में उनको विभागीकरण करने की व्यवस्था थी क्या मंत्री महोदय इस विशेष मामले पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री जे० बी० पटनायक : मैंने यह कहा है कि अनेक अधिनियमों को लागू करते समय कतिपय दोष पाये जाते हैं और कुछ अधिनियम तो सचमुच पर्याप्त नहीं हैं। अतः हम कमियों को नोट कर रहे हैं और हम इन कमियों को दूर करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

छपरा-वाराणसी रेल लाइन की बड़ी लाइन में बदलना

*224. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की छपरा-वाराणसी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) 174 किलोमीटर लम्बी वाराणसी-छपरा मीटर लाइन के बड़ी लाइन में बदलाव की परिचालनिक आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट एक-दो महीनों में तैयार हो जाने की संभावना है और इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा।

समुद्री जहाजों की टन-भार क्षमता

*231. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समुद्री जहाजों की टन-भार क्षमता कुल कितनी है ;

(ख) क्या यह विदेशी यातायात और तटीय यातायात के लिए देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश को आत्म-निर्भर बनाने हेतु टन-भार क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) देश में 1 मार्च, 1970 को नौवहन के लिए कुल 377 जहाज उपलब्ध थे जिनका जी० आर० टी० 55.97 लाख था।

(ख) और (ग) तटीय यातायात के लिए जहाज पर्याप्त हैं। सामान्य रूप से विदेशी यातायात के लिए भी पर्याप्त जहाज हैं। अंतर्राष्ट्रीय नौवहन में वाणिज्यिक दृष्टि से सभी राष्ट्रीय जहाजों को राष्ट्रीय व्यापार में लगाना संभव नहीं

होता । इन जहाजों को राष्ट्रीय व्यापार के अतिरिक्त विदेशी व्यापार में टाइम चार्टर के आधार पर और अलग अलग पार्टियों के लिए लगाया जाता है ।

संगणक द्वारा आरक्षण किया जाना

*232. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में संगणक द्वारा आरक्षण प्रणाली शुरू करने के विचार से रेलवे बोर्ड ने प्रक्रिया का अध्ययन करने हेतु एक दल विदेशों को भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दल द्वारा कौन-कौन से देशों का दौरा किया गया है तथा दल में सदस्यों की संख्या कितनी है, सदस्यों के वर्तमान पदनाम क्या हैं, और इस अध्ययन पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) इस दल ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड का दौरा किया था । इस दल में रेलवे बोर्ड के वित्त सलाहकार, संयुक्त निदेशक, वित्त (समन्वयन संगणक लेखा), संयुक्त निदेशक सतर्कता (यातायात), संयुक्त निदेशक, रेल योजना तथा दक्षिण मध्य रेलवे के उप मुख्य लेखा अधिकारी (यातायात), उप मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर और दक्षिण रेलवे के उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर शामिल थे । इस दौरे पर लगभग 3.32 लाख रुपये खर्च हुए ।

धुले से बम्बई तक दुग्ध-वैगन का जोड़ा जाना

*233. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने धुले से बम्बई तक रेल द्वारा दूध ले जाने के लिए चौथा दुग्ध-वैगन जोड़ने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मांग कब तक मान ली जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) तथा (ख) भूसावल स्थित केन्द्रीय रेलवे के डिवीजनल अधिकारियों से जून, 1978 में यह अनुरोध प्राप्त किया गया था कि धुले और वाईकुला के बीच पहले से चल रहे तीन दुग्ध टैंकरों के अलावा एक और दुग्ध टैंकर चलाया जाये । भुसावल स्थित डिवीजनल अधिकारियों ने उत्तर दिया कि उन्हें खेद है कि धुले से चालिसगांव और चालिसगांव से वाईकुला क बीच गाड़ियों में स्थान की कठिनाईयों तथा वाईकुला में जहां दो स्थानों पर पहले ही 6 टैंकरों का दूध खाली किया जाता है, दूध खाली करने की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण वे चौथे टैंकर को चलाने में असमर्थ हैं ।

रेलवे को न तो प्रबंधक, सरकारी दुग्ध योजना धुले से और न महाराष्ट्र सरकार से ही आगे कोई पत्र प्राप्त हुआ है ।

सीटों के आरक्षण का अवैध धन्धा

*234. **श्री एन० ई० होरो**
श्री तारिक अनवर } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 मार्च 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सुविख्यात राजधानी एक्सप्रेस के लिये दिल्ली और बम्बई दोनों स्थानों में सीटों के आरक्षण का पनपता हुआ अवैध धंदा चालू है और अल्प सूचना पर एक सीट प्राप्त करने के लिये प्रीमियम 80 और 100 रुपये के बीच है जो यात्रियों की आवश्यकता पर निर्भर होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट से पता चला कि भुक्त भोगी यात्रियों नें अनधिकृत श्रोत से टिकट प्राप्त की थी जिसके परिणामस्वरूप वे ठगे गये । यदि वे अधिकृत स्थानों से टिकट खरीदे होते तो उन्हें इस प्रकार से हानि न उठानी पड़ती । इस संबंध में आगे जांच और कार्रवाई करने के लिए रेल मंत्रालय समाचार पत्र में उल्लिखित आरोपों के संबंध में विशिष्ठ सूचना इकट्ठी करने का प्रयास कर रहा है ।

उड़ीसा में ग्रामीण क्षेत्रों में नई डिस्पेंसरियां खोलना

*235. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उड़ीसा राज्य में, ग्रामीण क्षेत्रों विशेषतया आदिवासी क्षेत्रों में नई डिस्पेंसरियां खोलने की कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस के लिए कुछ और धनराशि मांगी है ; और

(ग) इस राज्य की जनसंख्या को देखते हुए चिकित्सा सहायता की दृष्टि से उक्त सुविधायें कितने प्रतिशत क्षेत्र में पहुंचाई गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उड़ीसा सरकार से अपेक्षित सूचना भेजने के लिये अनुरोध कर दिया गया है जिसकी अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। इसके प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) राज्य सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय को नहीं मिला है।

(ग) उप केन्द्रों/डिस्पेंसरियों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ग्रामीण अस्पतालों आदि का जाल सा बिछा कर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 80 से 100 गांव की 80,000 से 100,000 की आबादी की जरूरतोंको पूरा करता है और एक उप केन्द्र लगभग दस गांव की 10,000 जनसंख्या के लिये खोला जाता है। इस समय इस राज्य में 314 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2038 उप केन्द्र चल रहे हैं। इनमें से 155 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 837 उप-केन्द्र आदिवासी क्षेत्रों में खुले हुए हैं। योजना आयोग आदिवासी, पर्वतीय और पिछड़े इलाकों के 20,000 आबादी के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 3,000 की आबादी के पीछ एक उप-केन्द्र खोलने के लिये सिद्धान्त रूप से सहमत हो गया है। इस मापदण्ड के आधार पर इस राज्य में और 120 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 803 उप-केन्द्र यथा समय खोल दिये जायेंगे।

सभी पत्तनों पर बढ़ती हुई भीड़-भाड़

*236. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी कुछ महीनों से सभी पत्तनों पर, विशेषत: बम्बई और कलकत्ता पत्तनों पर भीड़-भाड़ बढ़ती जा रही है ;

(ख) क्या भारतीय नौवहन निगम ने इस संबंध में सरकार के पास अभ्यावेदन भेजा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त भीड़-भाड़ के ब ने का मुख्य कारण रेलवे तथा कोयला-प्राधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव है ; और

(घ) प्रमुख पत्तनों पर भीड़-भाड़ की समस्या को हल करने के लिये सरकार ने क्या कदम सोचे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) देश में दस बड़े पत्तनों में से बम्बई, कलकत्ता और मद्रास पत्तनों पर कुछ दिनों से जहाजों का भारी जमाव हो रहा था। हाल में बम्बई और कलकत्ता पत्तनों पर स्थिति में सुधार हुआ है। अभी हाल में मद्रास पत्तन पर भी स्थिति में सुधार हो रहा है।

(ख) भारतीय नौवहन निगम ने भारत सरकार से अपने जहाजों को घाट की सुविधा मिलने में देर होने के बारे में सूचित किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) पत्तनों पर जहाजों के जमाव से उत्पन्न कठिनाई को हल करने के लिए सरकारी खाते के माल को विभिन्न पत्तनों के लिए जहां तक संभव हो युक्तिसंगत रीति से वितरित करना, बम्बई के पास समुद्र में ही माल उतारने की व्यवस्था करना, माल को उतारने चढ़ाने वाले उपकरण को मंगाने की व्यवस्था करना, कलकत्ता पत्तन की समस्याओं की जांच करने के लिए उच्च अधिकारियों की समिति गठित करना आदि अनेक उपाय किये जा रहे हैं। इसके अलावा पत्तनों पर माल उतारने-चढ़ाने की क्षमता में वृद्धि करने के बारे में भी योजना बनाई जा रही है। यह निरन्तर किया जाने वाला कार्य है।

गुजरात के समुद्री तट पर शिपयार्ड

*237. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के समुद्री तट पर एक शिपयार्ड स्थापित करने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उस पर कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय धन के उपलब्ध होने और अन्य प्राथमिकताओं के ऊपर निर्भर है । यह बताना अभी संभव नहीं है कि सरकार इस प्रस्ताव पर कब फैसला करेगी ।

स्थानीय व्यक्ति

*238. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रोजगार के अवसरों के मामले में कई राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई "स्थानीय व्यक्ति" (सन्स आफ़ दि सॉयल) नीति का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी, हां ।

(ख) यह एक ऐसा मामला है जिस में किसी भी नागरिक के भारत के किसी भी भाग में कार्य कर सकने के संवैधानिक अधिकार और इस बात को सुनिश्चित करने की वांछनीयता के बीच उपयुक्त संतुलन कायम रखने की आवश्यकता है कि स्थानीय उम्मीदवार पर्याप्त रोजगार अवसरों से वंचित न रहें तथा उन्हें किसी प्रकार की अन्याय की भावना अनुभव न हो ।

पोरबन्दर का पूरे वर्ष चालू बंदरगाह के रूप में विकास

*239. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबंदर का पूरे वर्ष चालू बंदरगाह के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह बंदरगाह कब से चालू हो जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (घ) पोरबन्दर पत्तन को जो एक छोटा पत्तन है, सभी मौसम के पत्तन के रूप में विकसित किया गया और यह 16 जून, 1978 से यातायात के लिए खोल दिया गया है ।

छोटे पत्तनों का विकास कार्य करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । इसलिए पोरबन्दर पत्तन का और आगे विकास करने की जिम्मेदारी गुजरात सरकार की है ।

हिन्द महासागर में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमरीका की गतिविधियां

*240. **डा० फारुक अब्दुल्ला** :
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द महासागर में सैनिक शक्ति का विस्तार करने हेतु आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हिन्द-महासागर में गतिविधि तेज करने के विषय में अमरीका के साथ सहमत हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस से सम्बन्धित प्रेस रिपोर्टें देखी हैं और उनकी जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) ऐसा समझा जाता है कि पिछले महीने वाशिंग्टन में "ऐंजुस" (आस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड और अमरीका) परिषद की बैठक में इस बारे में सहमति हुई थी कि वे हिन्द महासागर में अपनी सैनिक गतिविधियों की प्रभावकारिता तेज करने की सम्भावनाओं का पता लगायेंगे ।

(ख) जी हां ।

2—50 LSS(ND)/80

(ग) हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र स्थापित करने की अपनी वचनबद्धता के अनुरूप, इस क्षेत्र में विदेशी सैनिक उपस्थिति में वृद्धि होने से हम चिंतित होंगे ही। हम संयुक्त राष्ट्र के 1971 के प्रस्ताव के क्रियान्वयन की दिशा में बराबर प्रयत्न करते रहेंगे जिसमें हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र घोषित किया गया है। सरकार ने "ऐंजुस" के सदस्य राज्यों को अपने विचारों से अवगत करा दिया है।

गोदी श्रम बोर्ड में सचिव एवं कार्मिक अधिकारी की नियुक्ति

*241. **श्री के० ए० राजन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी गोदी श्रम बोर्ड में दो उच्चतम पदों के पदधारी अर्थात् डिप्टी चेयरमैन तथा सचिव एव कार्मिक अधिकारी सगे भाई हैं ;

(ख) क्या गोदी श्रम बोर्ड के श्रमिक सदस्यों ने सचिव एवं कार्मिक अधिकारी के पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति का इस आधार पर विरोध किया था कि उसका भाई डिप्टी चेयरमैन है ;

(ग) क्या सचिव एवं कार्मिक अधिकारी का रिक्त स्थान भरने के लिये चयन समिति का गठन बोर्ड-इन-मीटिंग द्वारा किया गया था जो वर्तमान नियमों के अधीन ऐसे मामले में नियुक्ति करने का प्राधिकारी होता है ;

(घ) चयन समिति का गठन किसने किया था ; और

(ङ) अनियमितता दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां। यह स्थिति विशाखापत्तनम गोदी श्रम बोर्ड में है।

(ख) जी, नहीं। यद्यपि श्रमिक सदस्यों ने नियुक्ति का विरोध किया था, लेकिन इस आधार पर नहीं। गोदी श्रम बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त का संबंधित अंश नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है :—

"श्री भद्रम ने कहा कि प्रति माह 1000 रुपए से ऊपर जिन पदों का वेतनमान अधिकतम स्तर पर चल रहा हो, उन पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार बोर्ड-इन-मीटिंग को है। इस संबंध में श्री भद्रम ने एक दीवानी मुकदमा दायर किया हुआ है जिस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है और वे अपने इसी पक्ष पर अड़े हुए हैं। इसलिए, श्रमिक सदस्यों ने विरोध किया था।"

(ग) जी, नहीं।

(घ) विशाखापत्तनम गोदी श्रम बोर्ड में प्रचलित पद्धति के अनुसार, गोदी श्रम बोर्ड के चेयरमैन द्वारा चयन समिति का गठन किया गया था।

(ङ) इस मामले में कोई अनियमितता नहीं हुई। इसलिए, उसे दूर करने का प्रश्न ही नहीं होता।

सियालदह तथा बशीरहाट के बीच सीधी रेल सेवा

*242. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पूर्वी रेलवे में सियालदह तथा बशीरहाट के बीच कोई सीधी रेल गाड़ी न होने के कारण दैनिक यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) कलकत्ता के चारों ओर के विद्युतीकरण कार्यक्रम में शामिल करने से इस सेक्शन को किन कारणों से छोड़ दिया गया है ; और

(ग) क्या सियालदह और बशीरहाट तथा बशीरहाट और सियालदह के बीच भारी यातायात संभावना के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) पूर्व रेलवे के सियालदह और बशीरहाट स्टेशनों के बीच एक ब्रू गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए रेलवे को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। बशीरहाट स्टेशन बारासत-हसनाबाद शाखा लाइन पर स्थित है। ब्रू गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि सियालदह से बारासत तक की मुख्य लाइन विद्युतीकृत है और उपनगरीय गाड़ियों के लिए बिजली गाड़ी स्टाक का इस्तेमाल किया जाता है। बारासत-हसनाबाद शाखा लाइन विद्युतीकृत नहीं है और इस खंड पर गाड़ियों में भाप रेल इंजनों द्वारा कर्षित परम्परागत सवारी डिब्बों का इस्तेमाल किया जाता है। बारासत और सियालदह के बीच विद्युतीकृत खंड पर उपनगरीय गाड़ियों के व्यस्त समय के

दौरान भाप रेल इंजन द्वारा चालित कोई गाड़ी चलाना संभव नहीं है। तथापि, यात्रियों की सुविधा के लिए सियालदह को जाने वाली विद्युतीकृत उपनगरीय गाड़ियों के साथ बारासत में मेल लेने वाली उपयुक्त गाड़ियों की व्यवस्था की गयी है।

(ख) और (ग) सियालदह बारासत खंड पहले ही विद्युतीकृत है। बारासत-बशीरहाट खंड के विद्युतीकरण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस काम के लिए प्रारम्भ में भारी निवेश अपेक्षित है और आर्थिक दृष्टि से ऐसा करने का उन्हीं खंडों पर औचित्य है जिन पर यातायात का भारी घनत्व हो और उस यातायात को भाप कर्षण द्वारा संभाला न जा सके और जहां डीजलीकरण की अपेक्षा विद्युतीकरण का विकल्प सस्ता पड़े। इसके अतिरिक्त धन की कमी के कारण विद्युतीकरण के लिए सबसे पहले देश के भारी घनत्व वाले मार्गों को प्राथमिकता देनी होगी।

बारासत-बशीरहाट खंड के विद्युतीकरण के प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच करने से पता चला है कि उन खंडों की अपेक्षा जिन पर आगामी कुछ वर्षों के दौरान विद्युतीकरण का काम शुरू किये जाने की संभावना है, इस खंड पर यातायात का घनत्व बहुत कम है।

इन परिस्थितियों में निकट भविष्य में इस खंड के विद्युतीकरण का काम शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा जहाजी कुली कारोबार को जारी रखने के संबंध में अभ्यावेदन

1876. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा जहाजी कुली कारोबार जारी रखने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड द्वारा नौभरण का काम फिर से शुरू किये जाने के बारे में अभी विचार हो रहा है।

हावड़ा-आसनसोल/धनबाद के बीच तेज रफ्तार गाड़ी

1877. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हावड़ा-आसनसोल/धनबाद के बीच दो तेज रफ्तार गाड़ियां, एक बरास्ता 'कोर्ड' लाइन तथा दूसरी बरास्ता मुख्य लाइन, चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय खाद्य दस्ते द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत लिये गये नमूने

1878. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा के केन्द्रीय खाद्य दस्ते द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई नमूने लिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो अपमिश्रण के आरोप में किन फर्मों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू की गई और किन फर्मों के मामले कानूनी कार्यवाही किये बिना समाप्त कर लिये गये तथा उपरोक्त दोनों प्रकार के मामलों में किस-किस प्रकार का अपमिश्रण था ; और

(ग) कानूनी कार्यवाही शुरू करने अथवा मामला समाप्त करने से पहले ये आदेश किस स्तर पर पारित किए गए थे ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी, हां।

(ख) आवश्यक सूचना संलग्न है, देखिए विवरण ख(i), ख(ii) तथा ख(iii)।

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 20(i) के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिए गए थे।

विवरण

(ख) (i) उन फर्मों की सूची जिनके विरुद्ध मिलावट के लिए मुकद्मे चलाए गए थे

क्रम सं०	फर्म का नाम	खाद की किस्म	मिलावट की किस्म
1	मैसर्स अग्रवाल आयल मिल्स	सरसों का बीज	बीजों में कीड़ों तथा कृन्तक मलमूत्र का पाया जाना।
2	मैसर्स अग्रवाल आयल मिल्स	सरसों का तेल	अत्यधिक नमी, साबुनीकरण तत्वों तथा साबुनीकरणीय पदार्थों का होना और तेल का साफ न होना।
3	मैसर्स विजय कुमार अजय कुमार	साबुत काली मिर्च	खनिज तेल का होना।
4	मैसर्स गोदरेज सोप लिमिटेड	सरसों का तेल	अत्यधिक साबुनीकरण तत्वों तथा वसीय एसिड का होना तथा ब्यूटोरिफ्रेक्टोमीटर सीडिंग का कम होना। नमूने में दुर्गन्ध का होना।
5	मैसर्स होटल वुडलैण्ड्स	वथाकूजुम्बू	प्रतिबंधित कोलतार रंग का पाया जाना।
6	मसर्स जैन आइसक्रीम	आयस कैण्डी	सैकरिन का पाया जाना।
7	मसर्स न्यू भारत आयल मिल्स	तिल का तेल	वसीय एसिड की मात्रा का अधिक होना।
8	मैसर्स प्रभूदयाल रामानन्द	खांडसारी	कूड़ा-कर्कट तथा कीड़ों का पाया जाना।
9	मैसर्स किशन लाल कुड़ियामल	सावुत धनिया	कीड़ों तथा कृन्तक मलमूत्र और कूड़े-कर्कट का अधिक मात्रा में पाया जाना।
10	मैसर्स नन्द किशोर धर्मेन्द्र कुमार	सावुत सौंफ	कीड़ों तथा कूड़ा-कर्कट का अधिक मात्रा में पाया जाना।
11	मैसर्स विक्टोरिया मैनुफैक्चरिंग कम्पनी।	सोयावीन की चटनी	अम्लता का कम मात्रा में पाया जाना।
12	मैसर्स हरियाणा प्रोविजन स्टोर	सरसों का तेल	तलछट का पाया जाना, तेल का धुंधला होना।
13	मैसर्स अग्रवाल आयल मिल्स	सरसों का तेल	साबुनीकरण तत्व तथा असाबुनीकरणीय पदार्थ का अधिक मात्रा में पाया जाना।
14	मैसर्स राधेश्याम सोहनलाल	लौंग	वगैर गोल आकार की बंद फूल की कलियों वाली लौंग का पाया जाना।
15	मैसर्स गुरुचरण दास श्याम सुन्दर आयल मिल्स	सरसों का तेल	वाइट्रोरफ्रेक्ट्रोमीटर रीडिंग का अधिक होना।
16	मैसर्स सरदार जीवन सिंह सादाना	पिसी हुई लाल मिर्च	कूड़ा-कर्कट तथा कृत्रिम रंग के पदार्थ का पाया जाना और डिल०एच०सी०-1 में अघुलनशील राख का अधिक मात्रा में पाया जाना।
17	मैसर्स सरदार जीवन सिंह सादाना	पिसी हुई हल्दी	कूड़ा-कर्कट तथा कृत्रिम रंग के पदार्थ का पाया जाना और डिल०एच०सी०- 1 में अघूलनशील राख का अधिक मात्रा में पाया जाना।
18	मैसर्स महादेव स्टोर	आटा	कृन्तक वाल और उनका मल-मूत्र का अधिक मात्रा में पाया जाना।
19	मसर्स शिवचरण चन्द वेद प्रकाश	कत्था	एच०सी०-1 में राख तथा अघुलनशील राख का अधिक मात्रा में पाया जाना।
20	मैसर्स क्राइस्टाल आइसक्रीम	फ्रूट आईसक्रीम	उचित मात्रा में पलो का न होना।
21	मेसर्स नन्द किशोर धर्मेन्द्र कुमार	अजवाइन	कूड़े-कर्कट का अधिक मात्रा में पाया जाना।
22	मैसर्स शिव चरण चन्द वेद प्रकाश	कत्था	एस०सी०-1 में अधुलनशील राख का अधिक मात्रा में पाया जाना।
23	मसर्स हरियाणा प्रोविजन स्टोर	वेसन	अन्य सामग्री का पाया जाना।
24	मैसर्स सुरेश कुमार एण्ड कम्पनी	मीठा कार्बोनेटिड पानी	कुनीन साल्ट और वेनजोईक एसिड का अधिक मात्रा में पाया जाना।

क्रम सं०	फर्म का नाम	खाद की किस्म	मिलावट की किस्म
25	मैसर्स सुन्दर दास अमृत लाल .	चने की दाल	खराब दानो का अधिक मात्रा में पाया जाना ।
26	मैसर्स नन्द किशोर धर्मेन्द्र कुमार.	लौंग	बगैर गोल आकार की बंद फूल की कलियों वाली लौंग का पाया जाना ।
27	मैसर्स नन्द किशोर धर्मेन्द्र कुमार.	साबुत हल्दी	टूटी-फूटी जड़ों का अधिक मात्रा में पाया जाना ।
28	मैसर्स जैन आइसक्रीम फैक्टरी .	फ्रूट आइसक्रीम	उचित मात्रा में फलों का न पाया जाना ।
29	मैसर्स हरबीस सिंह ओम प्रकाश .	साबुत धनिया	कीड़ों तथा कंकड़ियों का पाया जाना ।
30	मैसर्स न्यू भारत आयल मिल्स .	तिल का तेल	असाबुनीकरणीय पदार्थ का अधिक मात्रा में पाया जाना ।

विवरण

(ख) (ii) उन फर्मों की सूची जिन के मामले मुकदमा चलाये बिना समाप्त कर दिये गये ।

क्रम सं०	फर्म का नाम	खाद्य की किस्म	मुकदमा न चलाने के कारण
1	मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज लिमिटेड	ग्लैक्सोज-डी	जब इस मामले की जांच की गई तो इस मिलावट का मामला नहीं पाया गया ।
2	मैसर्स इंडिया रेस्टोरेट .	टोंड मिल्क	दूध में उचित तत्वों का न पाया जाना । दूध में 0.21 प्रतिशत वसा का होना जो कि खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम है ।
3	मैसर्स जगदीशचन्द रोशनलाल .	सरसों का तेल	वेलियर्स टरबीडिटी तापमान में 1° सेंटीग्रेड की कमी होना जो कि खाद्य मानक की केन्द्रीय समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रायोगिक भिन्नता मानी गई ।
4	मैसर्स ग्रोवर एण्ड कम्पनी .	कढ़ी पाउडर	जब इस मामले की जांच की गई तो इसे मिलावट का मामला नहीं पाया गया ।
5	मैसर्स बी०बी० सोडावाटर फैक्टरी	मीठा कार्बोनेटेड जल (कोला)	जब इस मामले की जांच की गई तो इसे मिलावट का मामला नहीं पाया गया ।

विवरण

(ख) (iii) इस विभाग के विचाराधीन मामला

क्रम सं०	फर्म का नाम	खाद्य की किस्म	मिलावट की किस्म
1	मैसर्स सूरजभान शरद कुमार .	खण्डसारी	क्रिस्टल के रूप में पाया जाना ।

1955 के पूर्व के वाष्प-चालित इंजन

1879. श्री आनन्द पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1955 से पहले प्रयोग में लाए गए वाष्प-चालित इंजनों में से कितने इंजन अभी तक प्रयोग में हैं ;

(ख) क्या इन इंजनों के बायलर बदल दिए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने इंजनों के बायलर बदले गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 1955 से पूर्व चलाये गये 3403 भाप रेल इंजन अभी भी भारतीय रेलों में चलाये जा रहे हैं ।

(ख) और (ग) भारतीय रेलों में मानक अनुरक्षण की प्रक्रिया के अनुसार कारखानों में आवधिक ओवर हाल के दौरान रेल इंजनों के बायलर हटा लिए जाते हैं और उसके स्थान पर पहले से मरम्मतशुदा बायलरों लगा दिये जाते हैं । अतः आमतौर पर कोई भी रेल इंजन अपने मूल बायलर से नहीं चलाये जाते हैं ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के समाज वैज्ञानिकों द्वारा किया गया सर्वेक्षण

1880. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के समाजवैज्ञानिकों के एक दल द्वारा किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट एक वर्ष से निलम्बित पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो दल की सिफारिशों पर कोई कार्य न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रमुख सिफारिशें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : (क) जी नहीं ।

2. यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस विषय पर एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा परिवार कल्याण नीति को अधिक कारगर ढंग से कार्यान्वित करने संबंधी तरीकों के बारे में जनता से सुझाव आमंत्रित करने संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को 30 सितम्बर, 1978 को प्रस्तुत की गई थी ।

2. इस अध्ययन रिपोर्ट पर निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(1) इस अध्ययन रिपोर्ट के निष्कर्ष सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 2 जनवरी, 1979 को परिचालित कर दिए गए हैं ।

(2) इस रिपोर्ट के निष्कर्षों को नई दिल्ली में अप्रैल, 79 में हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद् के छठे संयुक्त सम्मेलन की कार्यसूची में भी शामिल किया गया था और सम्मेलन द्वारा इन संकल्पों को तैयार करते समय इनका पूरा-पूरा ध्यान रखा गया था ।

(3) इस रिपोर्ट के निष्कर्ष योजना आयोग द्वारा जनसंख्या नीति के बारे में गठित कार्यकारी दल के सदस्यों को दे दिए गए हैं ताकि जनसंख्या के बारे में समीक्षा करके भारत के लिए एक उपयुक्त जनसंख्या नीति तैयार की जा सके । ये निष्कर्ष कार्यकारी दल के सदस्यों को दिये जाने का उद्देश्य यह है कि वे अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय इन निष्कर्षों को ध्यान में रखें । राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक, जो रिपोर्ट के लेखकों में से एक हैं, को भी इस कार्यकारी दल का सदस्य बनाया गया है । जनसंख्या नीति पर गठित कार्यकारी दल की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

3. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के अलावा परिवार कल्याण के सलाहकारी निकायों और समितियों को भी इस रिपोर्ट के निष्कर्षों से अवगत करा दिया गया है ताकि वे परिवार कल्याण नीति को तैयार करके उसे लागू करने में इनका ध्यान रख सकें ।

4. इस सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण निष्कर्ष और इस संबंध में सरकार के जो विचार हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) **निष्कर्ष** : इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अनिवार्य उपायों की आवश्यकता के बारे में ग्रामीण/शहरी ग्रुपों और शिक्षित ग्रुप की अलग अलग राय थी । ग्रामीण/शहरी ग्रुप आमतौर पर स्वैच्छिक पद्धति के पक्ष में था जब कि शिक्षित ग्रुप सांविधिक उपायों के माध्यम से इसे लागू करने के पक्ष में था ।

सरकार की प्रतिक्रिया : सरकार इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन तथा शिक्षा पद्धति के जरिये पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर चलाने और विभिन्न तरीकों को स्वैच्छा से स्वीकार करने के लिए यथासंभव बड़े पैमाने पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है ।

(2) **निष्कर्ष :** समाज के कुछ वर्ग नसबंदी के बाद होने वाले कुप्रभावों से भयभीत हैं ।

सरकार की प्रतिक्रिया : विभिन्न राज्यों में चलाये जा रहे विषय परिचायक शिविरों और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ सम्पर्क करके तथा स्वीकारकर्ताओं की देखरेख संबंधी अनुवर्ती उपायों की और अधिक से अधिक व्यवस्था करके विभिन्न उपायों के बारे में ऐसे सभी डरों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने और भावी स्वीकारकर्ताओं के मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए संतुष्ट स्वीकारकर्ताओं की सेवाओं को भी उपयोग में लाया जा रहा है ।

(3) **निष्कर्ष :** आमतौर पर वर्गीकृत प्रोत्साहनो की पद्धति को पसंद किया जाता है ।

सरकार की प्रतिक्रिया : सरकार का विचार है कि जहां प्रोत्साहनों की पद्धति को खासतौर से नकद मुआवजे की पद्धति को जारी रखा जाना चाहिए, वहां वर्गीकृत प्रोत्साहनों की पद्धति जिसका पहले परीक्षण किया गया था और जिसमें कोई खास सफलता नहीं मिली थी, इस समस्या का सही हल नहीं है ।

(4) **निष्कर्ष :** लड़कों और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु में वृद्धि करने की बात आमतौर पर स्वीकार की गई ।

सरकार की प्रतिक्रिया : आवश्यक कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है और लड़कों तथा लड़कियों की न्यूनतम विवाह योग्य आयु को बाल विवाह प्रतिबंध (संशोधन) अधिनियम, 1978 के जरिये बढ़ाकर क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष कर दिया गया है । सभी स्तरों पर जनसंख्या शिक्षा को बढ़ावा देने के महत्व को भी उचित मान्यता दी गई है ।

(5) **निष्कर्ष :** इस कार्यक्रम को बढावा देने और लोगों में कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी देने के लिए विभिन्न प्रचार साधनों के साथ-साथ स्वैच्छिक एजेंसियों और पंचायतों को भी शामिल किया जाना चाहिए ।

सरकार की प्रतिक्रिया : इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रचार साधनों को पहले ही शामिल कर लिया गया है । इस कार्यक्रम को बढावा देने के लिए पंचायतों और स्वैच्छिक संगठनों को शामिल किये जाने पर विशेष ध्यान दिया जाता हैं । पात्र-दम्पतियों को परिवार नियोजन की उपयुक्त और अधिक से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं । मातृ और शिशु स्वास्थ्य तथापोषण का यंत्रक्रम को बढ़ावा देने के साथ-साथ रोगप्रतिरक्षण सेवाएं उपलब्ध करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है । ग्रामीण तथा शहरी इलाकों यह सुझाव है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए समुचित बल दिया जाना चाहिये, और इस सुझाव को स्वीकार भी किया गया है और इस पर कार्रवाई भी की जा रही है ।

पाथारडीह के रेलवे के डाक्टरों की लापरवाही

1881. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाथारडीह के रेलवे के डाक्टरों की लापरवाही के कारण स्वर्गीय चन्द्रदीप प्रसाद, भूतपूर्व शंटमैन, पाथारडीह के दुःखद निधन पर 25 और 26 मार्च, 1979 को काम स्थगित हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो मामले का ब्यौरा क्या है और इस विवाद को निपटाने के लिये 26 मार्च, 1979 को धनबाद में मुख्य कार्मिक अधिकारी, पूर्व रेलवे, कलकत्ता द्वारा क्या समझौता किया गया ;

(ग) रेलवे के डाक्टर की लापरवाही के बारे में की गई जांच के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) इस मामले में डाक्टरों और/अथवा मजदूर संघ के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) कर्मचारियों के एक वर्ग ने 25-3-79 और 26-3-79 को एक डाक्टर की कथित असावधानी के विरुद्ध काम रोक दिया था, जैसा कि बताया जाता है कि वह एक कर्मचारी श्री चन्द्रदीप प्रसाद का उपचार करने नहीं आया । इस घटना की जांच करने पर यह पता चला कि कर्मचारी की हृदय गति रुक जाने से 25-3-79 को मृत्यु हो गयी थी । लेकिन, मृत्यु डाक्टर की असावधानी या अन्य कारण से हुई, इस बात की जांच की जा रही है ।

चम्बल-अवध एक्सप्रेस को वाराणसी तक बढ़ाना

1882. **श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा (राजस्थान) से चलने वाली चम्बल-अवध एक्सप्रेस को वाराणसी तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) फिलहाल नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इरोड में नया प्रभाग (डिवीजन)

1883. **श्री थाझाई एन० करुणानिधि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के ग्यारह संसद सदस्यों ने दक्षिण रेलवे में पोदनुर प्रभाग का पुनरुद्धार करने, अथवा इरोड में या सेलम में नया प्रभाग बनाने के लिए 22-8-1979 को एक पत्र रेल मंत्री को प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उपर्युक्त योजना को निकट भविष्य में कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) पत्र में उल्लिखित बातों की गहराई से जांच की गयी थी और एक ब्यौरेवार उत्तर भेज दिया गया था । परिचालनिक और प्रशासनिक विचार से ईरोड या सेलम में एक नया मंडल खोलना व्यावहारिक नहीं रहा है । इस क्षेत्र में वर्तमान प्रशासनिक रेल तंत्र इस क्षेत्र के रेल उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर रहा है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

1884. **श्री मोहम्मद इसमाईल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल के कर्मचारियों ने, भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री के इस आश्वासन पर कि मांगों को कार्यान्वित कर दिया जाएगा, दिनांक 24 नवम्बर, 1979 को अपनी हड़ताल वापिस ले ली थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मांगों के निपटारे के संबंध में संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य) और यूनियन के बीच एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अस्पताल के प्राधिकारियों ने कथित समझौते का उल्लंघन किया था, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों ने दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 से हड़ताल कर दी थी ;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के इस आश्वासन पर कि वित्तीय बचनबद्धता से संबंधित मांगों को चुनाव के फौरन बाद पूरा कर दिया जाएगा और अन्य सभी मांगों का निपटारा 31 दिसम्बर, 1979 तक कर दिया जाएगा, दिनांक 23 दिसम्बर, 1979 को हड़ताल वापिस ले ली गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक मांगों का निपटान न होने के कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) जब केन्द्र और अस्पताल के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही थी तब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने एक वचन दिया था जिसमें कहा था कि "इनमें से (उनकी) अनेक समस्याएं हल हो सकती हैं और उनमें से प्रत्येक पर शीघ्र और अलग अलग रूप से विचार किया जाए ।" यह भी माना गया था कि सरकार "यथा सम्भव अधिकारिक अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी ।"

(ग) अस्पताल के अधिकारियों ने सेलेक्शन ग्रेड देने, स्टाफ के लिए अतिरिक्त मकानों का आवंटन करने, कर्मचारियों की पुष्टि करने तथा कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने जैसी निपटाई जा सकने वाली अनेक मांगों का निपटारा किया। इस प्रकार समझौता तोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) : यह हड़ताल 22 दिसम्बर, 1979 को समाप्त हुई थी। जिन कुछेक मांगों पर पैसा नहीं लगता था वे पूरी की जा चुकी हैं। जिन मांगों पर पैसा खर्च करना पड़ेगा उन पर यथोचित ध्यान दिया जा रहा है।

सिहोरा में कुतुब एक्सप्रेस को खड़ी करने की व्यवस्था करना

1885. **श्री मुन्दर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत बड़ी संख्या में छात्र, व्यापारी और सरकारी अधिकारी प्रतिदिन सिहोरा से जबलपुर जाते हैं और वहां से सिहोरा आते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुतुब एक्सप्रेस कटनी और जबलपुर पर खड़ी होती है परन्तु अभी तक सिहोरा पर खड़ी नहीं होती है ;

(ग) क्या सिहोरा में कुतुब एक्सप्रेस को खड़ी करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) सिहोरा और जबलपुर के बीच प्रतिदिन औसतन लगभग 300 यात्री, जिनमें सीजन टिकटधारी भी शामिल हैं, यात्रा करते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ): सिहोरा स्टेशन पर कुतुब-नर्मदा एक्सप्रेस को ठहराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सिहोरा स्टेशन पर 6 जोड़ी गाड़ियां, जिनमें 3 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां भी शामिल हैं, रुकती ह तथा ये गाड़ियां यातायात के वर्तमान स्तर की आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति करती हैं।

बोनस के प्रयोजनार्थ औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपक्रमों के रूप में विभागों का निर्णय करने संबंधी मानदंड

1886. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केवल उन सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया है, जो सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों में नियुक्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह निर्णय करने के लिए क्या मानदंड अपनाया है कि कौन सा विभाग औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे कालोनी में पानी की कमी

1887. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण-पूर्व रेलवे पर रेलवे कालोनियों में पानी की अत्यधिक कमी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे की रेलवे कालोनियों में पानी सप्लाई की व्यवस्था सामान्यतः संतोषजनक है। लेकिन, विस्तृत क्षेत्र में सूखा और बिजली में कटौती के कारण स्टेशनों से अलग-थलग क्षेत्रों में कभी-कभी पानी की सप्लाई में कमी हो जाती है।

(ख) रेलवे प्राधिकारी परिस्थिति से पूर्णतया अवगत हैं और इसलिए पानी की कमी पैदा होते ही उसकी प्रकृति और मात्रा के अनुरूपी कार्रवाई करेंगे।

सिंधियों के लिए पाकिस्तान में धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए प्रबंध

1888. **श्री भगवान देव :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से बातचीत कर भारत के सिंधी हिन्दुओं को पाकिस्तान स्थित साधु बेला, जिला सक्कर तथा सन्त टकेंराम मन्दिर, टण्डोआदम, जिला नवाबशाह तीर्थ स्थलों पर जाने के लिये क्या वही सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करेगी जो कि पाकिस्तान से आने वाले और भारत स्थित खवाजा साहिब की दरगाह, अजमेर की हज यात्रा करने वाले यात्रियों को प्राप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब तक यह व्यवस्था हो जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नर्रासिह राव) : (क) भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत जाने-आने वाले तीर्थ यात्री दोनों देशों के सिर्फ उन्हीं धर्म-स्थानों की यात्रा कर सकते हैं जो 1976 में भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न धर्म-स्थानों से सम्बद्ध प्रोतोकोल की शर्तों के अंतर्गत सहमत सूची में आते हैं। अजमेर स्थित हजरत मोइयनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत के ऐसे धर्म-स्थानों की सूची में शामिल है। हमने पाकिस्तान सरकार को इस सहमत सूची में शामिल किए जाने के लिए पाकिस्तान के कुछ और धर्म-स्थानों की एक सूची भेजी है जिसमें सक्कर जिले में स्थित साधु बेला भी शामिल है ।

जिला नवाब शाह स्थित सन्त टकेंराम मन्दिर टण्डोआदम तथा पाकिस्तान के अनेक अन्य धर्म-स्थानों को उक्त सूची में शामिल करने के लिए भी हाल ही में अनुरोध प्राप्त हुआ है। यदि उन्हें उक्त सूची में शामिल कर लिया जाता है तो निःसन्देह हम उन्हीं सुविधाओं की मांग करेंगे जो भारत में अजमेर स्थित हजरत मोइयनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा अन्य धर्म-स्थानों की यात्रा करने वाले पाकिस्तानी तीर्थ-यात्रियों को उपलब्ध हैं।

(ख) चूंकि इन पर निर्णय पाकिस्तान की सरकार द्वारा लिया जाना है, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि इन प्रबंधों में कितना समय लगेगा । फिर भी, हमारी कोशिश होगी कि यह मामला यथाशीघ्र तय हो जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोलेनगोड-त्रिचूर लाईन

1889. **श्री वी०एस० विजयराघवन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित कोलेनगोड-त्रिचूर और गुरुवामूर-कुट्टीपुरम रेल लाईनों संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : कोलंगोड और त्रिचूर पहले से ही ब० ला०/मी० ला० द्वारा सम्बद्ध हैं। इन दोनों स्थानों को जोड़ने के लिए छोटे रास्ते से होती हुई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

त्रिचूर-गुरुवायूर-कोट्टिपुरम रेलवे लाइन के लिए पिछले सर्वेक्षण को अद्यतन करने का काम 1980-81 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है।

तामलुक-डीगा लाइन

1890. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक से डीगा तक रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) काम कब शुरू होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के०जाफर शरीफ) : (क) से (ग) तामलुक से डीगा तक एक रेल लाइन तथा कोण्टाई रोड से डीगा तक एक वैकल्पिक लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण के काम को स्वीकृति 1979-80 के बजट में दे दी गयी है और सर्वेक्षण का काम चल रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उसकी जांच कर लिये जाने के बाद तथा वित्तीय अर्थक्षमता और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में कोई विनिश्चय किया जायेगा।

राजस्थान में चिकित्सा सुविधा रहित गांव

1891. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए राजस्थान राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ;

(ख) राजस्थान में ऐसे कितने गांव हैं, जिनमें डाक्टर और दाई की सुविधा नहीं है ; और

(ग) राजस्थान के गांवों में ऐसी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार की क्या योजनाएं हैं और इस सम्बन्ध में कितनी निधि आवंटित की गई है ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) पिछले दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के लिये राजस्थान राज्य को जो केन्द्रीय सहायता दी गई, वह इस प्रकार है :—

कार्यक्रम	1978-79 (रुपये लाखों में)	1979-80
(1) जन स्वास्थ्य रक्षक योजना	50.86	159.05
(2) बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता योजना	23.57	40.71
(3) दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	15.00	32.00
(4) चिकित्सा शिक्षा रिओरियेंटेशन योजना . . .	19.16 (नकद)	50.00 (सामान)
(5) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	148.30	208.91
(6) चिकित्सा/अस्पताल और डिस्पेंसरी	266.09	32.03

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उप-केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ग्रामीण अस्पतालों/डिस्पेंसरियों आदि का जाल सा बिछा कर उपलब्ध कराई जाती हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 80—100 गांवों के 80,000 से 1,00 000 लोगों की और एक उप-केन्द्र 10,000 लोगों की आवश्यकता को पूरा करता है। 1-4-1979 की स्थिति के अनुसार देश में 232 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 2,120 उप-केन्द्र चल रहे थे। इनमें से 198 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तो दो-दो या अधिक डाक्टर थे और शेष 34 केन्द्रों में केवल एक-एक डाक्टर था। ऐसा एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं था जहां कोई डाक्टर न हो। योजना आयोग आदिवासी पर्वतीय और पिछड़े इलाकों में बीस-बीस हजार आबादी के पीछे एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिये सिद्धान्त रूप से सहमत हो गया है।

योजना आयोग ने अब पचास-पचास हजार की आबादी के पीछे एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संशोधित मापदण्ड को भी मान लिया है।

प्रत्येक उप-केन्द्र में जिसे लगभग दस गांव की दस हजार की आबादी के लिये खोला जाता है, सहायक नर्स मिडवाइफों की व्यवस्था की जाती है। 1-4-1978 की स्थिति के अनुसार राज्यों में चल रहे 2,120 उप-केन्द्रों में 2,026 सहायक नर्स मिडवाइफें पदासीन थी।

(ग) उपर्युक्त के अतिरिक्त इस राज्य में चार योजनायें चल रही हैं जिनका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना है। ये योजनाएं हैं :—

(1) जन स्वास्थ्य रक्षक योजना ;
(2) बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता योजना ;
(3) दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम ;
(4) चिकित्सा शिक्षा रिओरियेंटेशन योजना।

जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अधीन दस हजार की आबादी वाला समुदाय/गांव वहां के निवासियों में से एक जन स्वास्थ्य रक्षक का चयन करता है जो वहां के लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को देखता है। बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन एक-उद्देशीय कार्यकर्ताओं को भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के अधीन कर्तव्य निभाने के लिये कला-कौशलों की रिओरियेंटेशन ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे दो प्रकार के कार्यकर्ता होंगे—एक पुरुष और एक महिला—जो पचास-पचास हजार की आबादी के पीछे होंगे। दाई-प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक गांव में एक परम्परागत दाई को प्रशिक्षण देने

की व्यवस्था है जो प्रसव और अन्य प्रसूति सेवाओं का काम कुशलता पूर्वक सम्पन्न करेगी । चिकित्सा शिक्षा रिओरियेंटेशन योजना के अधीन प्रत्येक मेडिकल कालेज के लिये तीन चलते फिरते क्लिनिक निःशुल्क दिये जा रहे हैं जिसका प्रायोजन संकाय के सदस्यों और मेडिकल कालेज के छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य की रिओरियेंटेशन ट्रेनिंग देना है । ये चलते-फिरते क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट सेवायें भी सुलभ करायेंगे ।

1980-81 के दौरान राजस्थान में चिकित्सा सुविधायें सुलभ कराने के लिये धन का आवंटन इस प्रकार किया गया है :—

योजना	(रुपये लाखों में)
(1) जन स्वास्थ्य रक्षक योजना	45.00
(2) बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता योजना	3.00
(3) दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम	14.00
(4) चिकित्सा शिक्षा रिओरियेंटेशन योजना	23.95(नकद)
(5) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	193.00
(6) चिकित्सा/अस्पताल और डिस्पेंसरी	35.00

भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी की टक्कर में मारे गये तथा घायल हुये व्यक्ति

1892. **श्री रासविहारी बेहेरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर 5 मार्च 1980 को हुई गाड़ी दुर्घटना में कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने मारे गये ; और

(ख) क्या दुर्घटना की कोई जांच की गई है तथा यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) सम्भवतः यह संदर्भ रेतांग और भुवनेश्वर स्टेशनों के बीच स्थित लिंगाराज टेम्पल रोड पैसेंजर हाल्ट पर 4-3-1980 को हुई घटना के बारे में है । उस दिन 214 पुरी-कटक यात्री गाड़ी से लिंगाराज टेम्पल रोड स्टेशन पर बहुत से यात्री उतरे थे । जब उन्होंने रेल लाइन पार करने की कोशिश की तब उनमें से 6 यात्री 207 अप भदरक-खुर्दा रोड यात्री गाड़ी के नीचे आ गये । उनमें से 5 मारे गये और एक को मामूली चोटें आयीं ।

(ख) इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

जयपुर-टोडा रायसिंह रेल लाइन

1893. **श्री बनवारी लाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर से टोडा रायसिंह तक की रेल लाइन को उखाड़ने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या राजस्थान में किसी और स्थान से भी रेल लाइन को उखाड़ा जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के०जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं ।

वाल्टेयर-किरंदुल रेल लाइन का विद्युतीकरण

1894. **श्री एस० आर० ए० एस० अप्पालानायडू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्वी रेलवे में वाल्टेयर से किरंदुल तक की लाइन के विद्युतीकरण कार्य की गति धीमी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या ठेकेदार को कोई मुआवजा दिया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं । लेकिन 1973-74 में कीमतों में हुई आम वृद्धि और उसके बाद 5वीं योजना में वित्तीय कठिनाई के कारण भारतीय रेलों पर वाल्तेरु-किरंदुल सहित विद्युतीकरण परियोजनाओं को धन राशि के वार्षिक आवंटन के भीतर चरणबद्ध करना पड़ा । तदनुसार, इस परियोजना के पूरा करने के लक्ष्य को आस्थगित करना पड़ा ।

(ग) और (घ) जी, हां। चूंकि ठेके देने के बाद इस कार्य को चरणबद्ध करना पड़ा, इसलिए दो ठेकेदारों को कुल लगभग 40 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ा।

मलेरिया विभाग के निगरानी निरीक्षक के प्रति किया गया अन्याय

1895. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने बहु-उद्देश्यीय योजना को क्रियान्वित करते समय मलेरिया विभाग के निगरानी निरीक्षक संवर्ग को 135—190 रुपये के वेतनमान वाले कर्मचारियों के बराबर माना है तबकि उनका वेतनमान 195—330 रुपये है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहु-उद्देश्यीय योजना के लिये सुपरवाइजरों के पद बनाने के संबंध में राज्य स्तर पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है और इन पदों के बनाये जाने का कार्य जिला अधिकारियों पर छोड़ दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो ये असमानताएं दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्ता योजना के एक अंग के रूप में, मलेरिया निगरानी निरीक्षकों को पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें 135—195 रुपये के वेतनमान वाले कर्मचारियों के बराबर नहीं माना गया है जिन्हें कार्यकर्ता पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया है।

(ख) जी नहीं, बहु-उद्देश्यीय योजना के लिए सुपरवाइजरों के पद बनाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में चाय बागान द्वारा भविष्य निधि की राशि जमा न कराया जाना

1896. **श्री सुबोध सेन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल के राज्य में अनेक चाय बागानों द्वारा उपयुक्त प्राधिकरण में भविष्य निधि की राशि जमा नहीं करवाई गई; और

(ख) यदि हां, तो दोषी बागानों के नाम क्या हैं और कितनी राशि जमा नहीं करवाई गई ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा की मेज पर रख दिया जाएगा।

हिन्द महासागर का विसैन्यीकरण

1897. **श्री मुकुन्द मंडल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन कौन से राष्ट्र हिन्द महासागर के विसैन्यीकरण के पक्ष में हैं ;

(ख) क्या यह क्षेत्र अमरीका तथा सोवियत रूस के बीच संघर्ष का केन्द्र बन गया है ;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) अधिकांश राष्ट्र हिन्द महासागर में शांति क्षेत्र स्थापित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। जिन देशों ने दिसम्बर, 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प सं० 34/80 (क) एवं (ख) के पक्ष में मत दिया है, उनके नामों की सूची संलग्न है। इन संकल्पों में दिसम्बर 1971 में पारित शांति क्षेत्र संकल्प को क्रियान्वित करने की मांग की गई है।

(ख) यह खेद की बात है कि हमारी इस हार्दिक इच्छा के बावजूद कि हिन्द महासागर शांति का क्षेत्र बने, इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(ग) और (घ) अपनी नीति के अनुरूप, इस क्षेत्र में विदेशी सैनिकों की वृद्धि से चिन्तित हम होंगे ही। दो बड़ी शक्तियो की सैनिक उपस्थिति में वृद्धि से इस क्षेत्र में वर्तमान तनाव और बढ़ जाएगा।

विवरण

संख्या 34/80 "क" पर प्राप्त मत

पक्ष में

1. अल्जीरिया
2. अंगोला
3. अर्जन्तीना
4. आस्ट्रेलिया
5. आस्ट्रिया
6. बहामास
7. बहरीन
8. बंगलादेश
9. बारबेडोस
10. बेनिन
11. भूटान
12. बोलिविया
13. बोत्स्वाना
14. ब्राजील
15. बर्मा
16. बुरुन्डी
17. केप वर्डे
18. मध्य अफ्रीकी गणराज्य
19. छाड
20. चिली
21. चीन
22. कोमोरोस
23. कांगो
24. कोस्टारिका
25. क्यूबा
26. साइप्रस
27. लोकतांत्रिक कम्पूचिया
28. लोकतांत्रिक यमन
29. जिबूती
30. दोमिनिकन गणराज्य
31. इक्वाडोर
32. मिस्र
33. अल साल्वाडोर
34. इथोपिया
35. फिजी
36. फिनलैंड
37. गैबोन
38. गेम्बिया
39. घाना
40. यूनान
41. ग्रेनेडा
42. ग्वातेमाला
43. गिनी
44. गिली-बिसाउ
45. गुयाना
46. हाइटी
47. होंडूरास
48. आइसलैंड
49. भारत
50. इंडोनेशिया
51. ईरान
52. इराक
53. आइवरी कोस्ट
54. जमाइका
55. जापान
56. जोर्डन
57. कीनिया
58. कुवैत
59. लाओ लोकतांत्रिक जन गणराज्य
60. लेबनान
61. लीसोथो
62. लाइबेरिया
63. लीबिया
64. मडागास्कर
65. मलेशिया
66. मालदीव
67. माली
68. माल्टा
69. मारीतानिया
70. मारीशस
71. मेक्सिको
72. मोरक्को
73. मोजाम्बिक
74. नेपाल
75. न्यूजीलैंड
76. नाइजर
77. नाइजीरिया
78. ओमान
79. पाकिस्तान
80. पनामा
81. पापुआ न्यू गिनी
82. पेराग्वे

83. पेरु
84. फिलीपीन्स
85 कतार
86. रुमानिया
87. रुआन्डा
88. समोआ
89. साओ तोमे एवं प्रिन्सिपी
90. सउदी अरब
91. सेनेगल
92. सियरा लियोनं
93. सिंगापुर
94. स्पेन
95. श्री लंका
96. सूडान
97. सूरीनाम
98. स्वाजीलैंड
99. स्वीडन
100. सीरिया
101. थाइलैंड
102. टोगो
103. त्रिनिडाड एवं टोबेगो
104. ट्यूनीसिया
105. तुर्की
106. उगांडा
107. संयुक्त अरब अमीरात
108. कैमरून संयुक्त गणराज्य
109. तंजानिया संयुक्त गणराज्य
110. अप्पर वोल्टा
111. उरुग्वे
112. वेनेजुएला
113. वियतनाम
114. यमन
115. यूगोस्लाविया
116. जाईर
117. जाम्बिया

संकल्प 34/80 "ख" पर प्राप्त मत

पक्ष में

1. अफगनिस्तान
2. अल्जीरिया
3. अंगोला
4. अर्जेन्तीना
5. आस्ट्रेलिया
6. आस्ट्रिया
7. बहामास
8. बहरीन
9. बंगलादेश
10. बारबेडोस
11. बेनिन
12. भूटान
13. बोलिविया
14. बोत्स्वाना
15. ब्राजील
16. बरगारिया
17. बर्मा
18. बरुन्डी
19. बाइलोरशिया
20. केप वर्डे
21. मध्य अफ्रीकी गणराज्य
22. छाड
23 चिली
24. चीन
25 कोमोरोस
26. कोस्टा रिका
27. क्यूबा
28. साइप्रस
29. चेकोस्लोवाकिया
30. लोकतांत्रिक कम्पूचिया
31. लोकतांत्रिक यमन
32. जिबूती
33. डोमिनिकन गणराज्य
34. इक्वाडोर
35 मिस्र
36. अल साल्वाडोर
37. इथोपिया
38. फिजी
39. फिनलैंड
40. गेबोन
41. गेम्बिया
42. जर्मन जनवादी गणराज्य
43. घाना
44. यूनान
45. ग्रेनेडा
46. ग्वातेमाला

47. गिनी
48. गिनी-बिसाउ
49. गुयाना
50. हाइटी
51. होंडूरास
52. हंगरी
53. आइसलैंड
54. भारत
55. इंडोनेशिया
56. ईरान
57. इराक
58. आइवरी कोस्ट
59. जेमैका
60. जापान
61. जोर्डन
62. कीनिया
63. कुवैत
64. लाओ लोक तांत्रिक जन गणराज्य
65. लबनान
66. लीसोथे
67. लाइबेरिया
68. लिबिया
69. मदगास्कर
70. मलयेशिया
71. मालदीव
72. मस्ली
73. माल्टा
74. मारीतानिया
75. मारीशस
76. मेक्सिको
77. मंगोलिया
78. मोरोक्को
79. मोजाम्बिक
80. नेपाल
81. न्यूज़ीलैंड
82. नाइजर
83. नाइजीरिया
84. ओमान
85. पाकिस्तान
86. पनामा
87. पापुआ न्यू गिनी
88. पेराग्वे
89. पेरु
90. फिलीपीन्स
91. पोलैंड
92. कतार
93. रुमानिया
94. रुआन्डा
95. समोआ
96. साओ तोमे एवं प्रिन्सिपी
97. सउदी अरब
98. सेनेगल
99. सियरा लियोन
100. सिंगापुर
101. स्पेन
102. श्रीलंका
103. सूडान
104. सूरीनाम
105. स्वाजीलैंड
106. स्वीडन
107. सीरिया
108. थाइलैंड
109. टोगो
110. त्रिनिडाड एवं टोबेगो
111. ट्यूनीसिया
112. तुर्की
113. उगांडा
114. यूर्काइन
115. सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ
116. संयुक्त अरब अमीरात
117. कैमरून संयुक्त गणराज्य
118. तंजानिया संयुक्त गणराज्य
119. अप्पर वोल्टा
120. उरुग्वे
121. वेनेजुएला
122. वियतनाम
123. यमन
124. यूगोस्लाविया
125. जाईर
126. जाम्बिया

भारत के विदेशी मिशनों में बचत के उपाय

1898. **श्री उत्तमराव पाटिल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हमारे विदेशी दूतावासों/मिशनों आदि के कार्यकरण में नए बचत उपायों को लागू करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) : सरकार हमारे मिशनों और अन्य स्थापनाओं के लिए मितव्ययता के उपायों पर विचार एवं उसका अध्ययन करती रहती है। हाल ही में प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के अनुरूप खास तौर से इसकी समीक्षा और अध्ययन किया गया है। इसके फलस्वरूप 33 भारत आस्थानी पद और 35 स्थानीय पद कम किए जा सके हैं। यह अध्ययन बराबर जारी है।

किराये के आवर्ती और निरंतर बढ़ने वाले खर्च में कटौती के उद्देश से सरकार ने हाल ही में अपनी कुछ चांसरियों, राजदूतावास के आवासों और रिहायशी फ्लैटों के लिए विदेशों में सम्पत्ति खरीदने के लिए कदन उठाए है।

सरकार ने तार, स्वदेश छुट्टी यात्रा व्यय और होटल में ठहरने पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए भी कदम उठाए है।।

वरीयता सूची

1899. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे मुख्यालय ने 1978 में आई० ओ० डब्यू०, पी० डब्ल्यू० आई० तथा डी०/मेन आदि के एक संयुक्त वरीयता सूची जारी की थी;

(ख) क्या सहायक इंजीनियर (सिविल विंग) के पदों पर नियमित पदोन्नति के लिए प्रत्याशियों को उक्त वरीयता सूची के आधार पर ही परीक्षा देने के लिए बुलाया जाता है;

(ग) क्या उत्तर रेलवे में तदर्थ पदोन्नतियों के मामले में उपर्युक्त वरीयता सूची की उपेक्षा की जाती है और तदर्थ पदोन्नति के लिए ड्राइंग कार्यालय क कर्मचारियों के नामों पर विचार नहीं किया जाता है;

(घ) क्या ड्राइंग कार्यालय के वरिष्ठ व्यक्तियों को तदर्थ पदोन्नति नहीं दी गई है जब कि अन्य श्रेणियों के कनिष्ठ व्यक्तियों को तदर्थ पदोन्नति दे दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या उत्तर रेलवे को इस बारे में रेलवे बोर्ड से कोई अनुदेश प्राप्त हुए है; और

(च) ड्राइंग कार्यालय के कर्मचारियों को तदर्थ पदोन्नतियां दिए जाने के मामले में अन्य क्षेत्रीय रेलवे कार्यालयों में क्या स्थिति है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) रेलों पर ड्राइंग कार्यालय के कर्मचारियों की श्रेणी II में पदोन्नति उनकी संयुक्त वरीयता के आधार पर होती है किन्तु सहायक इंजीनियरों के पदों पर उनकी पदोन्नति तभी होती है जब उनकी सरणि में पद उपलब्ध होतें हैं।

इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा उत्तर रेलवे को कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(च) जैसा कि ऊपर भाग (ग) में बताया गया है।

बाड़मेर-जोधपुर ट्रेन के साथ द्वितीय श्रेणी का शयन-यान जोड़ना

1900. **श्री विरधी चन्द जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाड़मेर जिले के लोगों ने प्रातः चलने वाली बाड़मेर-जोधपुर ट्रेन के साथ एक दिव्तीय श्रेणी का शयनयान जोड़ने के लिये समय-समय पर बहुत से अभ्यावेदन दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मांग को पूरा करने में उनके मंत्रालय को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन कठिनाईयों को दूर किया जायेगा और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) बाड़मेर और जोधपुर के बीच शयनयानों में यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों की सुविधा के लिए, बाड़मेर और जोधपुर के बीच 97/98 एक्सप्रेस और 1 जे० बी०/2 जे बी सवारी गाड़ियों में दूसरे दर्जे का एक 2-टियर शयनयान पहले से चल रहा है, जो क्रमशः रातभर और दिन के समय

की सेवाएं मुहय्या करती है। दिन में चलने वाली गाड़ीयों में शयनयान लगाने की रेलवे की नीती नहीं है क्योंकि ये मूलत: रात के समय यात्रा करने के लिए शयन शायिकाओं की व्यवस्था करने के लिए हैं।

महसाना पालनपुर तथा कलोल के बीच गाड़ियां चलाना

1901. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महसाना से पालनपुर तक और महसाना से कलोल तक, इन लाइनों पर भारी यातायात को देखते हुए, कुछ नई गाड़ियों चलाने का विचार है, और यदि हां, तो कब तक;

(ख) क्या इन लाइनों पर इस क्षेत्र के बहुत से संगठन भी विगत अनेक वर्षों से इस तरह की मांग करते आ रहे हैं परन्तु उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त स्टेशनों के बीच नई गाड़ियों चलाने की इस मांग को तुरन्त ही पूरा करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) मेहसाना और पालनपुर तथा मेहसाना और कलोल के बीच और अधिक सवारी गाड़ियां चलाए जाने के लिए मांग की गयी है। इस समय कलोल और महसाना खंड के बीच 12 जोड़ी सवारी गाड़ियां तथा मेहसाना और पालनपुर के बीच 8 जोड़ी सवारी गाड़ियां चल रही हैं। परिचालन संबंधी विभिन्न कठिनाइयों के कारण इस समय कोई नयी गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

पाकिस्तानी राजनयिक के विरुद्ध आरोप

1902. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में नियुक्त एक पाकिस्तानी राजनयिक को हाल ही में भारत से चले जाने के आदेश दिए गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त राजनयिक के विरुद्ध आरोपों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) पाकिस्तानी राजदूतावास से अपने एक अधीनस्थ कर्मचारी को हटाने के लिए कहा गया था जिसकी गतिविधियां उसकी अधिकारिक हैसियत के अनुरूप नहीं थी।

उत्तर प्रदेश में पौखल से मांडलू तक सड़क बनाने का प्रस्ताव

1903. **श्री निहाल सिंह** :
श्री उत्तम राव पाटिल :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले में पौखल से मांडलू तक मोटर-वाहनों के आने-जाने के लिए एक सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है, यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर सकारात्मक हो, तो अनुमानित लागत क्या होगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) यह एक राज्य सड़क है। प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने मोटर गाड़ियों के आने-जाने के लिए पौखल से भवासी तक तीन कि० मी० लंबी एक सड़क बनाने के लिए 7.50 लाख रुपये की स्वीकृति पहले ही दे रखी है। राज्य के चीफ इंजीनियर ने 12.35 लाख रुपये की लागत से भवासी से आगे 5 कि० मी० लंबी एक और सड़क बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है।

कोरापुट रेल कर्मचारी कांग्रेस द्वारा ज्ञापन

1904. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट रेल कर्मचारी कांग्रेस उड़ीसा ने दक्षिण पूर्वी रेल प्राधिकारियों को कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें अपनी विभिन्न समस्याओं की ओर उन्होंने संबंधीत अधिकारियों का ध्यान दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या है;

(ग) प्राधिकारियों ने उनके कार्यान्वयन के लिए अब तक कितनी मांगों पर विचार किया है; और

(घ) मांगों के कार्यान्वयन में दक्षिणपूर्वी रेल द्वारा किए जा रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) सरकार की नीति के अनुसार किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर यथोचित विचार किया जाता है और उन पर आवश्यक कार्रवाई भी कि जाती है । दक्षिण-पूर्व रेलवेमेन्स कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लिखित मांगों पर इसी नीति के अंतर्गत कार्रवाई की गयी है ।

ट्रेन एग्जामिनरों के अधिक ग्रेड

1905. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संवर्ग-पुनर्गठन के बारे में दिनांक 1 जनवरी, 1979 के रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या पी० सी० III / 78/य० पी० जी०/ 8 के अनुसार पूर्वोत्तर, उत्तरसीमांत, दक्षिण और पश्चिम रेलवे में ट्रेन एग्जामिनरों के संवर्ग में अधिक ग्रेड के, ग्रेडवार, कुल कितने पद उपलब्ध कराये गये हैं; और

(ख) इन रेलवे जोनों में 1 जनवरी, 1979 से पूर्व और 1 जनवरी, 1979 के बाद ट्रेन एग्जामिनरों के संवर्ग में ग्रेडवार कुल कितने पद हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भरतपुर-कोसी कलां लाईन

1906. **श्री राजेश पायलट :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरतपुर को कोसी कलां से कामा डीग, कुरीथ-भरतपुर के मार्ग में मुख्य बड़ी लाइन द्वारा जोड़े जाने की कोई योजना थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सावरमती एक्सप्रेस में सूरत से एक डिब्बे का जोड़ा जाना

1907. **श्री यू० एच० पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूरत-बलसाड़ रेलवे स्टेशनों से चलने वाली सावरमती एक्सप्रेस में बलसाड़ जिले के आदिवासी क्षेत्र के उत्तरी राज्यों तथा उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के यात्रियों के लिए एक और डिब्बा जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब जोड़ा जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या बलसाड़ तथा सूरत जिलों के विभिन्न क्षेत्रों तथा संगठनों से उक्त सुविधा के लिए मांग की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) 165-166 सावरमती एक्सप्रेस में स्थान की कमी के कारण सूरत/बलसाड़ तथा वाराणसी/फैजाबाद के बीच एक रुह डिब्बा चलाने के लिए इस गाड़ी में नियमित रूप से अतिरिक्त डिब्बा लगाना इस समय परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

यूरोपीय देशों का अफगानिस्तान की तटस्थता के बारे में प्रस्ताव

1908. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान को तटस्थ देश रखने के बारे में कुछ यूरोपीय देशों से प्राप्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधिन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों ने 19 फरवरी 1980 को अफगानिस्तान के बारे में जो प्रस्ताव किये थे उनकी जानकारी सरकार को है। सरकार अफगानिस्तान की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के समाधान के लिए किसी भी प्रस्ताव को विचार के दायरे से बाहर नहीं रखती। हमारा विचार यह है कि अभी तक कोई स्पष्ट समाधान तो संभव प्रतीत नहीं होता परन्तु भारत-फ्रांस घोषणा में बताये गए सिद्धांतों में वह व्यवस्था मौजूद है जिसके आधार पर समाधान निकल सकते हैं।

कैम्पा कोला तथा थम्स अप में कोला गिरी के तत्व

1909. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्के पेयों को कोला पेय कहे जाने से पूर्व उनमें, पी० एफ० ए०/एफ० पी० ओ० के अनुसार कोला गिरी के तत्वों के होने संबंधी सामान्य नियम क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कैम्पा कोला तथा थम्स अप जैसे तथाकथित पेयों का विश्लेषण करने के लिये कोई कदम उठाये हैं;

(ग) क्या वर्तमान हल्के पेयों में कोलागिरी के वस्तुतः उतने तत्व हैं जिनका दावा वे अपने विज्ञापनों में करत हैं अथवा वे जनता को भ्रम में डाल रहे हैं; और

(घ) यदि उन में वस्तुतः कोलागिरी के तत्व नहीं है तो सरकार का विचार इन पेयों के उत्पादकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत कोला पेय की व्याख्या नहीं की गई है। तथापि, कोला पेय के लिए मानक निर्धारित करने संबंधी एक प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) से (घ) कैम्पा कोला और थम्स अप के उत्पादों का प्रयोगशालाओं से विश्लेषण कराया गया था। कोला पेय तथा गैर-कोला पेय के अन्तर को पहचानने के लिए किसी जानी मानी तकनीक के अभाव में इस बात का निश्चित रूप से खंडन या पुष्टि करना सम्भव नहीं हो पाया कि इस उत्पाद में कोला गिरी के सत्व हैं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत जब तक कोला की व्याख्या नहीं की जाती तब तक किसी हल्के पेय के लिए "कोला" शब्द का प्रयोग करने के बारे में सरकार का कोई निश्चित मत नहीं है।

पत्रकारों के लिए वेतनमानों के बारे में श्री जुदिया पालेकर के सुझाव

1910. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जूदिया पालेकर ने जो दो न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष हैं, अपने प्रस्तावों में श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिए उच्च वेतनमानों, रात्रि-ड्यूटी और प्रतिपूरक भत्तों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों पर कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) श्रमजीवी पत्रकार और पत्रकारों से भिन्न समाचारपत्र कर्मचारी संबंधी अधिकरणों द्वारा प्रकाशित अंतरिम प्रस्ताव सदन की मेज पर रख दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिकरण की सिफारिशों के बारे में निर्णय लेगी।

[ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल० टी० 703क/ 80]

अवध-तिर्हुत मेल गाड़ी की छतपर यात्रा करते समय मारे गये व्यक्ति

1911. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या रेल मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 फरवरी, 1980 को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के पाटिलदाह स्टेशन के निकट अवध-तिर्हुत मेल-गाड़ी की छतपर यात्रा करते समय कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए थे;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस मामले में जांच के आदेश दे दिये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) मारे गये —17

घायल हुए—कोई नहीं।

(ख) 2-2-1980 को 1 डाउन अवध-तिरहुत मेल की छत पर यात्रा करते हुए 17 व्यक्ति पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सोरभोग और पातिलादह स्टेशनों के बीच स्थित भुलकादोवा पुल के तीसरे स्पेन के पोटल फ्रेम से टकरा गये और उन्हे घातक चोटें आयीं।

(ग) इस घटना की जांच प्रशासनिक अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गयी। जांच समिति के निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना मृतकों द्वारा रात के समय और धुंधले मौसम में अनधिकृत रूप से गाडी की छत पर यात्रा करने के कारण हुई।

टूटीकोरिन बंदरगाह में अतिरिक्त घाटों के लिए प्रस्ताव

1912. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टूटीकोरिन बंदरगाह में चार अतिरिक्त घाटों के लिए कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) हाल में दो और बर्थ बनाने के बारे में टूटीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस पर इसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

नागपुर में वैगनों से माल उतारा जाना

1913. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपूर स्थित माल-शेड में भारी मात्रा में गेहूं तथा यूरिया वैगनों से उतारे जाने कि प्रतीक्षा में है;

(ख) क्या रेल्वे अधिकारियों नें स्थानीय व्यापारियों के कहनें पर, भारतीय खाद्य निगम की उन वैगनों से माल उतारने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है, और

(ग) यदि नहीं, तो माल न उतारे जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित माल डिब्बे जिनमें यूरिया उर्वरक सहित अनाज और उर्वरक हैं, अजनी (नागपुर क्षेत्र में) में भारतीय खाद्य निगम साइडिंग पर माल उतारने के लिए बुक किये गये। चूंकि कुछ अवसरो पर भारतीय खाद्य निगम को अपनी अजनी साइडिंग में माल डिब्बों को सम्भालने में कठिनाइ हुई, इसलिए उन्होंने अजनी में अपनी साइडिंग के बजाय नागपुर स्टेशन के माल गोदाम में माल डिब्बे पहुंचाने का अनुरोध किया। भारतीय

खाद्य निगम द्वारा माल गोदाम से अपने परेषणोंको धीरे-धीरे हटाये जाने के कारण माल डिब्बे वहां जमा हो गये और इसके फलस्वरूप इसके बाद के माल डिब्बों के खाली होने पर इसका प्रभाव पड़ा। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन तथा आटा मिलों को असफलता तथा डीजल तेल की कमी के कारण एकत्रकर्ताओं द्वारा स्टाक उठाने के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रकों को लाने मे असफलता के कारण यह माल धीमी गति से हटाया गया। इस स्थिति में अब सुधार हो गया है और सामान्य स्थिति फिर से स्थापित की जा चुकी है।

अल्प रोजगार वाले व्यक्ति और शिक्षित बेरोजगार

1914. **श्री के० प्रधानी :**
श्री नीललोहितादसन :

क्या श्रम मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करगे कि जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में (राज्यवार) बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी;

(ख) उनमें से शिक्षित बेरोजगार कितने थे; और

(ग) सूचना किन स्रोतों से प्राप्त की जाती है और संकलित की जाती है?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० वी० पट्टनायक) : (क) और (ख) बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले व्यक्तियों के बारे में उपलब्ध राज्यवार अनुमानित आंकड़े 1977-78 की अवधि से संबधित हैं और ये जुलाई, 1977-जून, 1978 के दौरान आयोजित किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 32वें दौर के सर्वेक्षण के अनन्तिम परिणामों से प्राप्त हुए हैं। इन आंकड़ों को अनुबन्ध-I, में दर्शाया गया है।

इन अनुमानों के संबंध में शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या संबंधी ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

31-12-77, 21-12-78, 30-6-79 और 31-12-79 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या (उन में से सभी बेरोजगार नहीं है) अनुबन्ध II में दी गई है। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 31-12-77, 31-12-78 और 30-6-79 को रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत शिक्षित रोजगार चाहने वालों की संख्या अनुबन्ध-III में दी गई हैं।

(ग) अनुबन्ध-I में दिए गए अनुमानित आंकड़ें जुलाई, 1977-जून, 1978 की अवधि के दौरान आयोजित किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के रोजगारी और बेरोजगार संबंधी 32 वें दौर के सर्वेक्षण से प्राप्त अनंतिम परिणामों पर आधारित है। अनुबंध-II और III मे दिए गए आंकड़ें देश भर के रोजगार कार्यालयों से प्राप्त हुई आवधिक सांख्यकिय विवरणियों से संकल्पित किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल० टी० 703ख/80]

गिलगित में मिलिटरी सैंटर के लिये पाकिस्तान को चीन की पेशकश

1915. **श्री के० मालप्पा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने पाकिस्तान को गिलगित में एक और मिलिटरी सेन्टर स्थापित करने में सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नर्रासिह राव) : (क) से (ग) : सरकार ने इस आशय की खबरें देखीं हैं कि चीनी विशेषज्ञ कश्मीर के पाकिस्तान—अधिकृत प्रदेश में एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन, दोनों ने इन खबरों का खंडन किया है और सरकार के पास इसके पुष्ट समाचार

नहीं है। लेकिन, यदि इन खबरों की पुष्टि होती है तो यह बात समुचित रूप से बता दी जायगी कि इस क्षेत्र में, जो कि भारत का ही एक अभिन्न अंग है, किसी भी सैनिक गतिविधि को हम बहुत गंभीर मानते हैं।

कांडला पत्तन में श्रमिकों के हित के लिये नई परियोजनायें

1916. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कांडला पत्तन में श्रमिकों के हित के लिये शुरू की गई अथवा शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : कांडला पत्तन पर पोर्ट ट्रस्ट के श्रमिकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं या शुरू की जाने वाली हैं:—

(क) कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए 588 प्लाट नियत किये गये हैं तथा और अधिक प्लाट नियत किये जाने की संभावना है।

(ख) कारगों जेटी एरिया में बेकर एमिनिटी सेंटर का विस्तार

(ग) पत्तन की कालोनियों में अस्पतालों का विस्तार

(घ) कांडला में पत्तन की कालोनी में स्कूल के लिए इमारत

(ङ) कांडला में बच्चों के लिए पार्क की सुविधा

(च) कारगो जेटी एरिया में खाने के कमरे की सुविधा

(छ) कांडला में स्टाक क्लब के लिए इमारत

वर्ष 1980–81 के बजट अनुमानों में उपर (ख) से (छ) तक उल्लिखित परियोजनाओं के लिए 12 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। पोर्ट ट्रस्ट ने अभी हाल में कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण देने की एक स्कीम शुरू की है और इस काम के लिए एक करोड़ रुपये अलग से रखे गय है। इसके साथ पोर्ट ट्रस्ट ने वाडीनार में तट से दूर तेल के टर्मिनल पर पत्तन के कर्मचारियों के लिए 280 मकान बनाना शुरू किया है।

2. कांडला डाक लेवर बोर्ड ने गोदी कर्मचारियों के लिए 72 क्वार्टर बनाय हैं और 23 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 104 क्वार्टर और बनाये जा रहे हैं। डाक लेवर बोर्ड गोदी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण देने की एक स्कीम भी शुरु कर रहा है और इसके लिए 15 लाख रुपये अलग से रखे गये हैं। वर्ष 1980–81 में गोदी कर्मचारियों को कैंटीन की सुविधा देन के लिए 2 लाख रुपये रखे गये है।

दरभंगा से फारबिसगंज तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

1917. **श्रीमती कृष्णा शही** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना काल में दरभंगा से फारबिसगंज तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के बारे में बिहार सरकार के प्राक्कलन सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां तो दरभंगा से फारबिसगंज तक सड़क का निर्माण–कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) दरभंगा–फारबिसगंज मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। यह एक राज्य राजमार्ग है। इसलिए यह सड़क राज्य के कार्यक्षेत्र में आती है। बिहार सरकार इस परियोजना के लिए 'राष्ट्रीय महत्व की सड़कों/पुलों की स्कीम के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए जोर दे रही है। इस स्कीम को राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए 1978–83 की पंचवर्षीय योजना के मसौदे में शामिल नहीं किया गया है। अतः इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करने का प्रश्न नहीं होता है। चूंकि यह राज्य का राजमार्ग है इसलिए राज्य सरकार को इस मामले पर आगे विचार करना चाहिए।

बिरहरघाट पर पुल का निर्माण

1918. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडेय :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बस्ती जिले में सरयू नदी के ऊपर बिरहरघाट पर पूल के निर्माण का सर्वेक्षण कार्य कई वर्ष पहले ही पूरा हो चुका था और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता बिरहरघाट पर पुल के निर्माण के लिये लगातार मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब शुरू हो जायेगा और कब तक इसे पूरा कर लिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) यह पुल निर्माण हो जाने के बाद राज्य की सड़क पर पड़ेगा। राज्य के लोक निर्माण विभाग से जो ब्यौरा प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि राज्य सरकार ने अभी पुल के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। इस क्षेत्र के निवासी पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इस पुल के निर्माण की मंजूरी नहीं दी है और इसके निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केरल राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए निर्धारित धन राशि

1919. **श्री स्कारिया थामस :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिये केरल राज्य के लिये कोई धन राशि निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां तो ऐसी निर्धारित धन राशि का ब्यौरा क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) आरंभ में केरल में 1979–80 में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 350.00 लाख रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन राज्य सरकार के कहने पर यह राशि घटाकर 300.00 लाख रुपए कर दी गई है ।

यूरो-डालर ऋण

1920. **श्री के० राममूर्ति :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग डेवलपमेंट फन्ड कमेटी को स्तत: मदद की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिये यूरो-डालर ऋण जिस पर विदेशी मुद्रा में 17 प्रतिशत की दर से व्याज लगता है जुटाने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) शिपिंग डेवलपमेंट फन्ड कमेटी के पास ऋण की कितनी अव्ययित राशि पड़ी है ;

(ग) क्या इन्डियन शिपिंग कम्पनी के जहाजों को छुड़ाने की रोक के कारण शिपिंग डेवलेपमेंट फन्ड कमेटी को 5 करोड़ रुपये की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की ऐसी परिहार्य हानि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) 117.96 करोड़ रुपये की उपलब्ध राशि में से 1-3-80 के अनुसार 19.22 करोड़ रुपये बचे हुए है, इस राशि से 31–3–80 तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। परन्तु नीलहट शिपिंग कपनी के एक जहाज चार्ट स्मा–एन के० गिरवी रखे जाने पर नौवहन विकास निधि समिति रोक लगा दी है क्योंकि संबंधित कंपनी ने कुछ राशि की अदायगी नहीं की और कुछ चूकें भी की हैं। मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । मुकदमें में डिग्री होने की दशा में नौवहन विकास निधि द्वारा जहाज की विक्री से अपनी राशि वसूल किए जाने की संभावना है।

अलीगढ़ के समाचार पत्रों को विज्ञापन

1921. **श्री चित्त महाटा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाप्रबन्धक उत्तर रेलवे, नई दिल्ली को अलीगढ़ के स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों के कुछ सम्पादकों से उनके समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के बारे में एक पत्र मिला था जिसकी प्राप्ति सूचना उन्होंने अपने पत्र संख्या 92 पी० यू०/ बी०/ओ० दिनांक 14 नवम्बर 1979 द्वारा भेजी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन समाचार पत्रों के सम्पादकों ने यह शिकायत भी की है कि उत्तर रेलवे द्वारा उन समाचारपत्रों को भी विज्ञापन दिये जा रहे हैं जो विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली की स्वीकृत सूची में नहीं है ;

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर सकारात्मक हो तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) उत्तर रेलवे द्वारा विज्ञापन देने के लिये रखी गई समाचार पत्रों की सूची कौन सी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां, केवल अलीगढ़ मेल, अलिगड के सम्पादक से ।

(ग) उन समाचार पत्रों, जो दृश्य और श्रव्य प्रचार निदेशालय की अनुमोदित सूची में नहीं थे फिर भी रेलवे से विज्ञापन प्राप्त किये हों के नाम बताने के लिए अलीगढ़ मेल के सम्पादक से अनुरोध किया गया था ताकि इस बारे में जांच की जा सके ।

(घ) उत्तर रेलवे द्वारा बनायी गयी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं जिन्हें नियमित विज्ञापन दिये जाते हैं, की सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

उत्तर रेलवे की अनुमोदित सूची में रखे गये समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की सूची

अंग्रेजी दैनिक

1. पैट्रिएट, दिल्ली
2. स्टेट्समैन, दिल्ली
3. इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली
4. इंडियन एक्सप्रेस, चंडीगढ़
5. हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली
6. टाइम्स आफ इंडिया, दिल्ली और कोलंबो
7. नेशनल हेरल्ड, लखनऊ
8. नेशनल हेरल्ड, दिल्ली
9. ट्रिब्यून, चंडीगढ़
10. एन० आई० पत्रिका, इलाहाबाद
11. प्वायनीर, लखनऊ
12. कश्मीर टाइम्स, जम्मू
13. हिन्दू, मद्रास
14. मेल, मद्रास
15. इंडियन एक्सप्रेस, बम्बई

हिन्दी दैनिक

1. नवभारत टाइम्स, दिल्ली
2. हिन्दुस्तान, दिल्ली
3. जनयुग, दिल्ली
4. व्यापार भारती, दिल्ली
5. दूरसन्देश, दिल्ली
6. मिलाप (एच), जलंधर
7. पंजाब केसरी, जलंधर
8. युगपक्ष, बीकानेर
9. डेली तेज, हनुमानगढ़
10. वीर प्रताप, जलंधर
11. प्रावदा, अलीगढ़
12. जनता युग, अलीगढ़
13. अमर उजाला, बरेली
14. हिमालय, मुरादाबाद
15. नव जीवन, लखनऊ
16. स्वतंत्र भारत, लखनऊ
17 अमृत प्रभात, इलाहाबाद
18. आज, वाराणसी
19. गाण्डीव, वाराणसी
20. सन्मार्ग, वाराणसी
21. जनवार्ता, वाराणसी
22. भारत, इलाहाबाद
23. दैनिक जागरण, कानपुर
24. दैनिक गणेश, कानपुर
25. वीर भारत, कानपुर
26. विश्व मित्र, कानपुर

उर्दू दैनिक

1. मिलाप, दिल्ली
2. मिलाप, जलंधर

3. हिन्दी समाचार, जलंधर
4. डेली उजाला, जम्मू
5. रोहजान, लुधियाना
6. नया संसार, मुरादाबाद
7. तेज, दिल्ली
8. प्रताप, दिल्ली
9. डेलीसयासत जदीद, कानपुर

पंजाबी दैनिक

1. अकाली पत्रिका, जलंधर
2. अजीत, जलंधर
3. नवां जमाना, जलंधर
4. रणजीत, पटियाला
5. डेली तर्जमान, लुधियाना

अंग्रेजी साप्ताहिक

1. फ्रंटीयर मेल, देहरादून
2. हिमाचल टाइम्स, देहरादून
3. लिंक, दिल्ली
4. नैशनल सोडिडरटी, दिल्ली
5. ईस्टर्न इकानामिस्ट, दिल्ली
6. स्पोक्समैन, दिल्ली
7. थाट, दिल्ली
8. मेन स्ट्रीट, दिल्ली
9. टेंडर न्यूज वीक, दिल्ली
10. आर्गनाइजर, दिल्ली

अंग्रेजी पाक्षिक

1. कारवां, दिल्ली

हिन्दी साप्ताहिक

2. सेनानीबीकानेर
3. लोकमत, बीकानेर
4. जनगण, जोधपुर
5. अभयदूत, जोधपूर
6. सेवाग्राम, दिल्ली
7. साक्षी, दिल्ली
8. हिन्दी, हरिद्वार
9. पायलट, भटिंडा
10. साप्ताहिक हिन्दुस्तान, दिल्ली
11. एकता संदेश, दिल्ली
12. व्यापार उद्योग पत्रिका, दिल्ली
13. जन प्रगति, नयी दिल्ली
14. ग्रामीण दुनिया, दिल्ली

उर्दू साप्ताहिक

1. जागर वीकली, दिल्ली
2. शेरे पंजाब, दिल्ली
3. निपात, मुरादाबाद

पंजाबी साप्ताहिक

1. फतेह वीकली, दिल्ली
2. पंथ वीकली, दिल्ली
3. मान सरोवर, दिल्ली
4. कोमी एकता, दिल्ली
5. पंथ प्रकाश, दिल्ली

सिन्धी साप्ताहिक

1. संगठन, कानपुर

अंग्रेजी मासिक

1. इंडियन रेलवेज, दिल्ली
2. कांटेम्पोरेरी, दिल्ली
3. करेन्ट इवेन्ट्स देहरादून

हिन्दी मासिक

1. माया, इलाहाबाद
2. मनोहर कहानियां, इलाहाबाद
3. कंचन प्रभा, कानपुर
4. भारतीय रेल, दिल्ली
5. जगत मंथली, दिल्ली
6. कादम्बनी, दिल्ली
7. चित्रलेखा, दिल्ली
8. सुषमा, दिल्ली
9. सरिता, दिल्ली
10. मुक्ता, दिल्ली
11. जाहनवी, दिल्ली
12. धनवन्ती, अलीगढ़

उर्दू मासिक

1. शमा, दिल्ली
2. मस्ताना जोगी
3. ओम् मंथली, दिल्ली
4. जमालिस्तान, दिल्ली
5. बीसवीं सदी, दिल्ली

पंजाबी मासिक

1. अक्स, मंथली दिल्ली
2. प्रीतम, दिल्ली
3. प्रीतियारी, अमृतसर
4. पंजाबी डायजेस्ट, दिल्ली
5. प्रेरणा, दिल्ली
6. आरसी, दिल्ली
7. इलेस्ट्रेटेड कौमी एकता, दिल्ली

शालीमार बाग से केन्द्रीय सचिवालय तक दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

1922. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई विकसित कालोनी शालीमार बाग ब्लाक बी (वाटर टेंक) नई दिल्ली से केन्द्रीय सचिवालय तक दिल्ली परिवहन निगम की कोई सीधी बस सेवा नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि शालीमार बाग में रहने वाले अनेक व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय स्थित अपने कार्यालयों में पहुंचन में कठिनाई होती है;

(ग) क्या सरकार का शालीमार बाग, ब्लाक बी से केन्द्रीय सचिवालय तक नियमित बस-सेवा शुरू करने का कोई विचार है; और

(घ) शालीमार बाग तक पहुंचने और वहां से शुरू होने वाली सभी सुविधाजनक रूटों की कब तक व्यवस्था हो जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां, ।

(ख) शालीमार बाग का जो दिल्ली विकास प्राधिकरण की एक कालोनी है, विकास अभी हो रहा है । इस समय, बी ब्लाक, शालीमार बाग से रीगल के बीच रूट नम्बर-एम-27 की एक मिनी बस चल रही है । इसकी सहायता से यात्री रीगल से केन्द्रीय सचिवालय के लिए बसें ले सकते हैं ।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम का विचार है कि जब शालीमार बाग बी ब्लाक में बस-यात्री इतने हो जाए कि उनके लिए एक बस की व्यवस्था करना जरूरी हो जाए और दूसरे, जब दिल्ली परिवहन निगम कुछ और बसें खरीद ले, तब उक्त क्षेत्र से केन्द्रीय सचिवालय तक सीधी बस सेवा शुरू की जाए ।

(घ) जब कालोनी से चलने वाले यात्री पर्याप्त संख्या में सफर करने लगेंगे और जब निगम के पास इतनी अधिक संख्या में अतिरिक्त बसें उपलब्ध हो जाएंगी कि वह बिना किसी कठिनाई के प्रस्तावित रूट पर सीधी बस सेवा शुरू कर सके, तब शालीमार से और वहां तक के लिए अतिरिक्त रूटों की व्यवस्था की जाएगी ।

रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए रिक्त पद

1923. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित कितने पद 1 फरवरी, 1980 को खाली थे, और

(ख) इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं और इन पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) अनुसूचित जातियों के 15 तथा अनुसूचित जन जातियों के 20 ।

(ख) मुख्य कारण यह है कि संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, जो भर्ती के माध्यम हैं, इन कोटियों के कर्मचारियों को उतनी संख्या में उपलब्ध नहीं करा सका है जिनकी संख्या में उनकी आवश्यकता थी । जैसे ही इन कोटियों के व्यक्ति उपलब्ध होंगे वैसे ही इन रिक्तियों को भर लिया जायेगा ।

गैंगमनों की भर्ती

1924. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि स्थायी मार्ग के रखरखाव के लिये भरती किये गये 315 गैंगमैनों को दक्षिण रेलवे के विभिन्न पी०डब्ल्यू०आई०/आई०ओ०डब्ल्यू० कार्यालयों में कार्मिक शाखा के लिये उपयोग में लाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गैंगमनों की कमी स्थायी मार्गों के दोषपूर्ण रखरखाव का मुख्य कारण है जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं;

(ग) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे कार्मिक शाखा कर्मचारी एसोसियेशन से इस मामले पर दिनांक 19 फरवरी 1980 का एक अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पी०डब्ल्यू०आई० और आई०ओ०डब्ल्यू० कार्यालयों में अब काम कर रहे 315 गैंगमैनों के स्थान पर कार्मिक शाखा के लिये लिपिकों के अतिरिक्त पद बनाने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं, लेकिन चतुर्थ श्रेणी के कुछ पढ़े-लिखे कर्मचारियों का सरकारी कामकाज के लिए यदा-कदा उपयोग किया जा रहा है ।

(ख) और (घ) कोई कमी नहीं है और रेलपथ का अनुरक्षण अच्छी हालत में हैं ।

(ग) जी, हां ।

चिकित्सालयों और औषधालयों में सेपट्रान दवाई का उपलब्ध न होना

1925. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों तथा देश के अन्य चिकित्सालयों में सेट्रान (गोलियां और सीरप) दवाई उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में मरीजों को से ट्रान दवाई के स्थान पर उसकी वैकल्पिक दवाई दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) हाथी समिति रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित सरकारी नीति के अनुसार सेट्रान (गोलियां और सीरप) दवाई इसके ब्राण्ड वाले नाम से नहीं बल्कि इसके ट्राइमेथोप्रिम तथा सल्फामेथाक्साजोल जीनसीय नाम से प्राप्त और सप्लाई की जा रही है ।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में सप्लाई की जा रहीं इन दवाइयों में वही घटक और शक्ति है जो सेट्रान दवाई में है ।

हल्दिया पत्तन पर सामान उतारने चढ़ाने वाले मजदूर

1926. **श्री समर मुखर्जी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हल्दिया पत्तन पर सामान उतारने चढ़ाने वाले मजदूरों, जिन्हें पत्तन के उपयोक्ताओं द्वारा काम पर रखा जाता है, के रोजगार के बारे में विनियम बनाने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि जब हल्दिया पत्तन पर माल उतारने-चढ़ाने वाले अस्थायी मजदूर 240 दिनों की अस्थायी सेवा पूरी कर लें तब उन्हें स्थायी कर दिया जाए ।

(ख) कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट उक्त अभ्यावेदन की जांच कर रहा है ।

माल यातायात

1927. **श्री चन्द्रभान बो० आठरे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1979 के दौरान रेल द्वारा माल की ढुलाई में बहुत कमी आई है और परिणामस्वरूप इससे सम्बन्धित राजस्व की आय भी कम हुई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा कुल कितने टन माल उठाया गया और प्रत्येक वर्ष कितनी राजस्व आय हुई; और

(ग) रेल द्वारा माल ढुलाई की क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) यद्यपि कलेंडर वर्ष 1979 के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में माल यातायात में गिरावट आयी थी, तथापि पिछले वर्ष की तुलना में माल यातायात से होने वाली आमदनी में कोई कमी नहीं हुई थी ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ढोया गया राजस्व उपार्जक टन भार और वसूल की गयी रकम नीचे दिखायी गयी है :—

	1977-78	1978-79	1979-80
	वास्तविक	वास्तविक	लगभग (संशोधित अनुमान)
ढोया गया मीटरिक टन (दस लाख में) . .	210.8	199.6	194.0
माल यातायात से आमदनी (करोड़ रुपयों में) . .	1348.45	1305.41	1447.95

(ग) रेलों और रेलवे बोर्ड के स्तर पर नित्य प्रति संचलन पर कड़ी निगाह रखने के अलावा माल डिब्बों का फेरा बढ़ाने के लिए सम्बन्धित विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय भी स्थापित किया जा रहा है ।

नई साइडिंग बनाना

1928. **श्री ए० नील लोहिथदासन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चवारा क्षेत्र में टिटेनियम काम्प्लेक्स के लिए (एक) नई साइडिंग बनाने और (दो) 8 किलोमीटर लम्बी लाइनें बिछाने के कार्य में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है; और

(ख) उपरोक्त साइडिंग तथा लाइन के लिये इंजीनियरी-सर्वेक्षण के काम में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरिफ) : (क) और (ख) टिटानियम क्षेत्र तक बड़े आमान की साइडिंग लाइन बिछाने के लिए इंजीनियरी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है । अब तक साइडिंग लाइन बिछाने का काम 25 प्रतिशत पूरा हो चुका है ।

सियालदह-बौनगांव सेक्शन

1929. **श्री चित्त बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के सियालदह-बौनगांव सेक्शन को दोहरा करने की परियोजना के कार्य की कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस परियोजना के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 35%, 29-2-1980 को ।

(ख) 31-12-1981 तक, बशर्ते कि धनराशि, सामग्री, आदि उपलब्ध होती रहे ।

अहमदाबाद-बम्बई/बम्बई-दिल्ली मार्ग पर सवारी गाड़ी सेवायें

1930. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद-बम्बई रेल मार्ग अथवा बम्बई दिल्ली रेल मार्ग पर सुख सुविधाओं/सुविधाओं में सुधार करने का अथवा यात्री गाड़ी सेवाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरुप और ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) अहमदाबाद-बम्बई खंड में भीड़ भाड़ कम करने के लिए सुरत और बम्बई के बीच 21/22 फ्लाइंग रानी सें डबल डेफर डिब्बे लगाने शुरु किये गये है जिनकी क्षमता परम्परागत डिब्बों से 60 प्रतिशत अधिक होती है । अहमदाबाद-बम्बई सेंट्रल और बम्बई सेंट्रल-दिल्ली खंड में वर्तमान मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में, जो पूरी संख्या में डिब्बों सहित चल रही है अधिक डिब्बे लगाना इन गाडियों में स्थान की कमी के कारण इस समय परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है । इस समय अतिरिक्त गाड़ी चलाना भी लाइन क्षमता की तंगी और बम्बई क्षेत्र में टर्मिनल/अनुरक्षण सुविधाओं की कमी के कारण व्यावहारिक नहीं है ।

1979 में औद्योगिक दुर्घटनाएं

1931. **श्री नीरेन घोष :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 के दौरान देश में औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण कुल कितने श्रमिक मारे गये और विकलांग हुए;

(ख) उद्योग वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) औद्योगिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे०वी० पटनायक): (क) और (ख) वर्ष 1979 के लिए औद्योगिक दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़े तथा उनके उद्योगवार ब्यौरे राज्य सरकारों से श्रम ब्यूरों में केवल अगस्त, 1980 से प्राप्त होने की संभावना है।

(ग) औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) उद्योग में बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए 1976 में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया। एक महत्वपूर्ण संशोधन 1000 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले कारखानों तथा जोखिम प्रक्रियाओं वाले कारखानो में सुरक्षा अधिकारीओं को नियुक्त करने से संबंधित है । अन्य संशोधन दुर्घटना से होने वाली मृत्यु से संबंधित सभी मामलों में शीघ्र जांचे करने से संबंधित है।

(ii) सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में कारखाना निरीक्षकों, प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।

(iii) श्रम विज्ञान केन्द्रों, कारखाना निरीक्षणालयों तथा अन्य विकास अभिकरणों के माध्यम से श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के विभिन्न पहलुओं का अनुसंधान करना तथा प्रशिक्षण, सलाहकारी और परामर्शी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ।

मद्रास-तिरुनेलवेली रेल लाईन

1932. श्री ई० बालानन्दन : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 700 किलोमीटर लम्बी मद्रास-मदूरे तिरुनेलवेली मीटर गेज लाईन को बड़ी लाईन में बदलने के संबंध मे बढ़ती हुई मांग की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव पर विचार न करने के कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) मद्रास से तिरुनेलवेलि तक की मीटर लाइन के आमान परिवर्तन के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) करुर से डिंडीगुल तक बड़ी लाइन के निमार्ण तथा डिंडीगुल से तिरुनेलवेल/तुत्तुकुडि तक की मीटर लाइन के आमान परिवर्तन के लिए किये गये पिछले सर्वेक्षण का पुनर्मुल्यांकन किया गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है। मद्रास और तिरुच्चिरापल्ली तथा डिंडीगुल के बीच की मीटर लाइन का आमान परिवर्तन किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[जम्मू-उधमपुर रेल लाईन]

1933. डा० कर्ण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू से उत्तरी सेना कमान मुख्यालय ऊधमपुर तक रेलवे लाइन को बढ़ाये जाने के बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण रेल संपर्क को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जम्मू-ऊधमपुर रेल सम्पर्क के निर्माण के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण (इंजीनियरी) सर्वेक्षण के काम में काफी प्रगति है और मई, 1980 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और सभी दृष्टिकोणों से उसकी जांच कर लेने के बाद इस परियोजना पर आगे विचार किया जायेगा बशर्ते की संसाधन उपलब्ध हों और योजना आयोग की मंजूरी मिल जाय। अतः अभी यह बताना कठिन है कि निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा और कब समाप्त हो पायेगा।

साबरमती-अहमदाबाद और फैजाबाद तथा वाराणसी के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को फिर से आरंभ करना

1934. **श्री मगनभाई बरोट** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साबरमती अहमदाबाद (गुजरात) और फैजाबाद तथा वाराणसी (बनारस) के बीच चलने वाली रेल गाड़ी सेवा को कुछ समय पहले समाप्त कर दिया गया था और बाद में उसे केवल फैजाबाद तक कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गुजरात के लोगों के लिये उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में और विशेषतः लखनऊ तथा अयोध्या और बनारस आदि जैसे तीर्थ स्थानों को जाने के लिये यही एक सबसे अधिक उपयुक्त और सीधी रेलगाड़ी थी; और

(घ) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को बनारस तक कब तक बढ़ाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) गाड़ी नं० 163 अप/164 डाउन साबरमती एक्सप्रेस जिसका नया नं० 165अप/166 डाउन है, को अहमदाबाद-फैजाबाद-वाराणसी के बीच 26-1-76 से चालू किया गया था। यह गाड़ी अहमदाबाद और फैजाबाद के बीच रोजाना तथा फैजाबाद और वाराणसी के बीच सप्ताह में दो बार चलायी जानी थी। इस गाड़ी में फैजाबाद और वाराणसी के बीच समुचित मात्रा में यात्रियों के सफर न करने के कारण इसका फैजाबाद-वाराणसी के बीच चलाया जाना 17-11-1977 से रद्द कर दिया गया है।

(ग) और (घ) : रद्द किये गये खंड पर अर्थात् फैजाबाद और वाराणसी के बीच 165/166 साबरमती एक्सप्रेस का 3-3-80 से पहले की तरह सप्ताह में दो बार चलाया जाना पुनः आरम्भ कर दिया गया है।

ग्वालियर-गुना लाइन

1935. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उज्जैन और इन्दौर को सीधे ही ग्वालियर के जोड़ने के लिये तथा ग्वालियर से गुजरात और उत्तर प्रदेश के लिये छोटे से छोटे रेल मार्ग बनाने के लिये ग्वालियर से शिवपुरी होते हुए गुना तक रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या ग्वालियर-शिवपुरी छोटी लाइन को उखाड़े जाने के फलस्वरूप 5 करोड़ रुपये की आय हुई है और क्या इस राशि को ग्वालियर शिवपुरी तथा ग्वालियर भिण्ड मीटर गेज लाइन में सुधार करने के लिये खर्च किया जायेगा; और

(ग) क्या यह सच है कि इन लाइनों पर चलने वाले इंजन लगभग 60 वर्ष पुराने हैं और इस समय इन लाइनों पर नये इंजनों तथा सवारी डिब्बों की आवश्यकता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी तक रेलपथ के सामान की बिक्री से 67 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। भूमि और भवनों को अभी बेचा जाना है। यह नियम नहीं है कि किसी क्षेत्र में परिसम्पतियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि को केवल उसी क्षेत्र में खर्च किये जाने के लिए आंवटित किये जायें।

(ग) जी नहीं।

कारजात में पीने का पानी

1936. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारजात (मध्य रेलवे) में पीने के पानी की अत्यधिक कमी को देखते हुए रेलवे अधिकारीयों का कारजात ग्राम पंचायत को दिये जाने वाले पीने के पानी की मात्रा में वृद्धि करके उसे 2 लाख गेलन पानी प्रति दिन कर देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त किया जायेगा; और

(ग) इस कार्यक्रम को तेज करने के लिये सम्भावित उपाय क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। रेलवे की अपनी आवश्यकताएं अधिक होने के कारण रेलवे अधिक पानी नहीं दे सकती है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

कृषि श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण

1937. **श्री राम लाल राही :** क्या श्रम मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कृषि श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी की अदायगी के औचित्य पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित की गई सरकारी नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार, संबंधित सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य या उसके भाग के लिये कृषि श्रमिकों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जा सकती है। ऐसा करते समय, स्थानीय दशाओं पर ध्यान दिया जाता है ।

लेखा कर्मचारियों की मांगें

1938. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नार्दन रेलवे मेन'स युनियन (एकाउन्ट्स डिवीजन) के तत्वावन में नई दिल्ली में रेलवे बेडमिंटन हाल में 13 और 14 जनवरी 1979 के एक वार्षिक सम्मेलन हुआ था जिसमें लेखा कर्मचारियों की मांगों के बारे में कुछ संकल्प पारित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो संकल्पों में की गई मांगों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां लेकिन लेखा कर्मचारियों से सम्बंधित कोई भी संकल्प उत्तर रेलवे द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल को वैगन आवंटन

1939. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल के लिये कितने वैगन दिये जाने का वायदा किया गया था ताकि सीमेंट, डीजल, मिट्टी का तेल और चीनी उस राज्य में बाहर से लाई जा सकें;

(ख) कितने वैगन आवंटित किये गये थे और वास्तव में कितने वैगन उस प्रयोजन के लिये सप्लाई किये गये ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कमी के लिये यदि कोई कारण जिम्मेवार थे तो वे क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) सीमेंट के संचलन के लिए कोटा कारखाने-वार निर्धारित किया गया है न कि राज्यवार । राज्य के बाहर से पश्चिम बंगाल को डीजल और मिट्टी के तेल के रेल द्वारा ढुलाई के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है । इन उत्पादों की समग्र सप्लाई या तो पाइपलाइनों द्वारा या केवल सड़क द्वारा की जाती है । परेषितियों द्वारा मांग प्रस्तुत करते ही पश्चिम बंगाल के लिए चीनी के लदान के लिए माल डिब्बे सप्लाई कर दिये जाते हैं ।

(ख) पश्चिम बंगाल सहित सम्बद्ध राज्यों के लिए 590 मालडिब्बों के दैनिक कोटे में से सीमेंट कारखानों ने प्रतिदिन केवल 380 माल डिब्बों की मांग की थी और नवम्बर, 1979 से फरवरी, 1980 के दौरान प्रतिदिन 312 माल डिब्बों की सप्लाई की गयी थी । पश्चिम बंगाल को रेल द्वारा सीमेंट के संचलन के लिए एक दिन में लगभग 116 माल डिब्बों के संयोजन के स्थान पर वास्तविक लदान का औसत 76 माल डिब्बे प्रतिदिन था ।

उसी अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल को चीनी प्रेषण के लिए 4244 माल डिब्बों की मांग की गयी थी जिसके स्थान पर 3814 माल डिब्बे सप्लाई किये गये थे ।

(ग) सीमेंट के संचलन में कमी कारखानों द्वारा माल डिब्बो के लिए मांग में कटौती के कारण है। चीनी के संचलन के लिए मांगों की पूर्ति साथ-साथ की जा रही है।

मद्रास के लिये द्रुत परिवहन प्रणाली

1940. **डा० ए० कलानिधि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगरीय परिवहन परियोजना (रेलें), जिसने मद्रास सिटी के लिए द्रुत परिवहन प्रणाली का अध्ययन किया है, को 31 मार्च, 1980 से समाप्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं, कर्मचारियों और अधिकारियों का एक केन्द्रक दल रखा जा रहा है और योजना आयोग, जो इस काम के लिए रेल योजना से बाहर धन की व्यवस्था करता है, की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी कम्पनियों में कार्य कर रहे भारतीय

1941. **श्री राम विलास पासवान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों और इसकी सहायक कम्पनियों की शाखाओं में गत तीन वर्ष के दौरान कार्य कर रहे भारतीय व्यक्तियों की कम्पनीवार उद्योगवार तथा वर्षवार संख्या क्या है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान, प्रतिवर्ष कम्पनीवार और उद्योगवार, प्रति व्यक्ति मासिक आय और उत्पादक के बारे में आंकड़े क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) वर्ष 1976 के दौरान, जिसके बारे में सूचना उपलब्ध है, 13,796 भारतीय नागरिक (जिनका वेतन 2001 रुपये या इससे अधिक था) 287 विदेशी स्वामित्व नियंत्रित कंपनियों में नियोजित थे।

(ख) यह सूचना अलग से सारणीबद्ध नहीं की जाती है और इसलिए यह उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा पता लगाये गये चोरी के मामले

1942. **डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कुछ गार्डों ने 10 जनवरी, 1978 से 28 मई, 1979 के बीच चोरी के दस मामलों का पता लगाया था जिनमें 36 अपराधी गिरफ्तार किये गये थे और गोली चलाने से एक व्यक्ति मारा गया था और उन्होंने 1,43,691 रुपये की रेलवे सम्पत्ति चोरी होने से बचाई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन गार्डों को पुरस्कार पदोन्नतियों देने की बजाय इनका स्थानान्तरण कर दिया गया था और अब इन्हें सेवा से बर्खास्त करने के लिये षडयंत्र रचा जा रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्र अपराध ब्यूरो के कुछ गार्डों ने रेलवे बोर्ड के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी इनकी चोरी के साथ साठ-गांठ है और उन्होंने अपने स्थानान्तरण और इस बारे में जांच करने के लिये कहा था; और

(घ) यदि उपरोक्त मांगों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और इन बहादुर गार्डों को कब तक पुरस्कृत किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) रेलवे बोर्ड की केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के दस्तो, जिनमें निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान रक्षक, वरिष्ठ रक्षक तथा रक्षक शामिल थे, ने चोरी के 13 मामलों का पता लगाया था जिनमें 60 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और 1,92,800 रुपये की सम्पत्ति बरामद की गयी थी। मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया था।

(ख) जी नहीं।

4—50 एल्. एस्. एस् (एम्. डी.)/80

(ग) उत्तर रेलवे के रेल सुरक्षा बल के एक रक्षक, जो पहले केन्द्रीय अपराध ब्यूरों, रेलवे बोर्ड में काम करता था, ने केन्द्रीय अपराध ब्यूरों, रेलवे बोर्ड के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की थी जिसमें कुछ आरोप लगायें गये थे । इन आरोपों का रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय द्वारा जांच की गयी थी। जांच पूरी हो जाने के पश्चात् यह मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया था जिसने इस जांच के परिणामो से कि लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो सके, से अपनी सहमति प्रकट की थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने अधिकारियों के विरुद्ध झूठे आरोप लगाने के लिए इस रक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए भी कहा है । अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रुपसा-बानगिरि पोसी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1943. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपसा-बानगिरी पोसी नेरो गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या परियोजना का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अनुमानतः कुल कितनी लागत आयेगी और परियोजना को कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) रुपसा-बोंगरी पोसी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और उसका चाकुलियां गुरुमहिसानी या किसी अन्य समुचित स्थान तक विस्तार करने के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण अब पूरा होने वाला है । इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का निर्णय सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद किया जाएगा जिसमें परियोजनाओं की वित्तीय अर्थक्षमता तथा समग्र संसाधनों की स्थिति पर भी विचार किया जायेगा ।

मद्रास-मंगलौर डाकगाड़ी का देरी से चलना

1944. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास-मंगलौर डाक गाड़ी हमेशा देरी से चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस गाड़ी के ठीक समय पर चलाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) 1 जनवरी, 1980 से 18 मार्च, 1980 तक की अवधि के दौरान । डाउन मद्रास-मेंगलौर मेल का समय पालन 84.6 प्रतिशत था। जिन दिनों यह गाड़ी देर से चली उसका कारण खराब कोयला, कर्मचारी और जन आन्दोलन, सिग्नल में खराबी तथा खराब मौसम था । इस गाड़ी के समय पालन में सुधार लाने के लिए चौबीसों घंटे विशेष निगरानी रखी जा रही है ।

हल्दिया गोदी कम्प्लैक्स में सामान्य मालघाट

1945. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया गोदी कम्पलैक्स में एक और सामान्य माल घाट का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो, उक्त गोदी में और अधिक घाटो की भारी आवश्यकता को पूरा करने क लिए वैकल्पिक प्रस्ताव क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) हल्दिया डाक पर माल की कोई और वर्थ बनाने की आवश्यकता नहीं अनुभव की गई है ।

संयुक्त अरब अमीरात से निकाले गये भारतीय

1946. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई आप्रवासी कानून के कारण संयुक्त अरब अमीरात से कुल कितने भारतीय निकाले गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंहराव) : संयुक्त अरब अमीरात स्थित हमारे मिशनों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि पहली जनवरी 1980 के बाद से 491 व्यक्ति समुद्री मार्ग से तथा 11 दिसम्बर 1979 से अब तक 1522 व्यक्ति हवाई जहाज से वह देश छोड़ चुके हैं। यह निश्चित करना संभव नहीं है कि इनमें से कितने व्यक्तियों ने स्वेच्छा से और अपनी संविदाओं को समाप्त होने पर अथवा अन्य कारणों से तथा कितने व्यक्तियों ने संयुक्त अरब अमीरात के कानूनों के कड़ाई से क्रियान्वयन का सुनिश्चिय करने के लिए शुरू किए गए उपायों के कारण यह देश छोड़ा है ।

रेल्वे स्लिपरों की दरें

1947. **श्री रणजीत सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 से वर्ष 1979 के दौरान रेलवे स्लीपरों (सीमेंट) की दरों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और रेलवे में स्लीपर ठेकेदार कितने हैं;

(ग) क्या यह सच है कि स्लीपरों की कीमत की वर्ष 1971 से निलम्बित अदायगी बढ़ी हुई दरों पर की गई थी और यदि हां, तो किन दरों पर और यह भुगतान किन ठेकेदारों को किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और उनके विरुद्ध कब तक कार्यवाही किये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) कच्चे सामान की लागत में वृद्धि के कारण कंक्रीट स्लीपरों की दरों में आनुपातिक वृद्धि हुई है ।

(ख) 1977-79 के दौरान 15 से 20 प्रतिशत के बीच उस समय दस ठेकेदार थे ।

(ग) कंक्रीट स्लीपरों का ऐसा कोई भुगतान बकाया नहीं था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर पिहरा-कासिया सम्पर्क सड़क को चौड़ा करना

1948. **श्री नगीना राय** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर पिपरा-कासिया संपर्क सड़क को चौड़ा करने का प्रस्ताव एक लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार इसे शीघ्र कार्यान्वित करेगी, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर पिपरा-कासिया लिंक रोड को चौड़ा करने का सुझाव चौथी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुआ था लेकिन इसे वित्तीय कठिनाइयों और अन्य आवश्यक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में अभी तक शामिल नहीं किया जा सका है । अगली पंचवर्षीय योजना में शुरू करने के लिए इसके बारे में धन राशि के उपलब्ध होने पर समुचित रुप से ध्यान दिया जाएगा ।

बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में एवराज में बड़े अस्पताल की योजना

1949. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले के एवराज में एक बड़ा अस्पताल बनाने की योजना के बारे में कोई प्रगति करने में समर्थ नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का उन कारणों का निराकरण करने और बिना किसी विलम्ब के योजना को पूरा करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ङ) यह सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कटक-परादीप रेल लाइन

1950. **श्री ब्रज मोहन मोहन्ती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में कटक-परादीप रेल लिंक परियोजना में काम पर लगाए गए लगभग 1600 कर्मचारियों की छटनी कर दी गई है और उनके रोजगार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनको खपाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है और उन सबको किस तारीख तक खपा लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकठ्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

तालचेर-सम्बलपुर लाइन

1951. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तालचेर-सम्बलपुर रेल लाइन का निर्माण आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं, क्योंकि इस नये रेल सम्पर्क के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का काम अभी जारी है । सर्वेक्षण के जून, 1980 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

सलेम-डिंडीगुल लाइन

1952. **श्री एस० ए० दोराई सेवास्टियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करुर के रास्ते से होकर सलेम से डिंडीगुल तक बड़ी लाइन बिछाने का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो बजट संबंधी प्रस्ताव क्या है; और

(ग) क्या इसी वित्तीय वर्ष में योजना आरंभ की जा सकती है, क्योंकि इन क्षेत्रों के तेज विकास के कारण इस आवश्यकता पर विचार किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) करुर से तिरुनेलवेल्लि/तुत्तुकुडि तक एक बड़ी लाइन के निर्माण के लिए संयुक्त परियोजना के भाग के रुप में करुर और डिंडीगुल के बीच एक नयी बड़ी लाइन बिछाने के लिए किये गये पिछले सर्वेक्षण का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उसकी रिपोर्ट की जांच की जा रही है । रिपोर्ट की सभी पहलुओं से जांच पूरी हो जाने के बाद इस परियोजना के बारे में अन्तिम निर्णय किया जाएगा बशर्ते कि धन उपलब्ध हो और योजना आयोग द्वारा इसकी स्वीकृति दे दी जाये ।

उज्जैन-कोटा बड़ी लाइन

1953. **श्री सत्य नारायण जैतिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उज्जैन-कोटा बड़ी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) उक्त सर्वेक्षण पर अनुमानत: कितना व्यय हुआ है; और

(घ) क्या सरकार को इस बारे में कोई प्रस्ताव मिले है और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) उज्जैन पहले से ही नागदा के रास्ते कोटा के साथ बड़ी लाइन से जुड़ा हुआ है । रामगंजमंडी होकर दूसरी बड़ी लाइन सम्पर्क के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सर्वेक्षण यदि किया गया तो उसकी लागत लगभग 8 लाख के रुपये आयेगी ।

शालीमार बाग दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय की सुविधाएं

1954. **श्री चन्द्रभाल मणी तिवारी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शालीमार बाग, नई दिल्ली-33 क्षेत्र में रहने वाले काफी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों को वहां पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं;

(ख) उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय की सुविधाओं से वंचित लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं; और

(घ) क्या ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए सरकार का वहां पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक नया औषधालय खोलने का विचार है और यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) शालीमार बाग दिल्ली की नव विकसित कालोनी है । शालीमार बाग में केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी रहते हैं, उनकी संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ग) इस इलाके में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

(घ) वित्तीय कठिनाइयों के कारण फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आवश्यक वस्तुओं के लिए माल-डिब्बे

1955. **श्री अजय विश्वास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य को आवश्यक वस्तुएं तथा निर्माण सामग्री ले जाने के लिए माल डिब्बों के आबंटन के बारे में कोई नीति निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि त्रिपुरा राज्य सरकार राज्य के लिए आवंटित खाद्यान्न और सी में इस्पात, छड़ आदि जैसी निर्माण सामग्री नहीं ला सकी; और

(ग) आवश्यक वस्तुएं और सामग्री उठाने के लिए त्रिपुरा सरकार ने 1978 और 1979 के दौरान कितने माल डिब्बे मांगे और कितने आवंटित किए गए ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां ।

(ख) त्रिपुरा राज्य में जो धर्मनगर और चुड़ाई बाड़ी रेलहेड से सेवित है, खनिजेतर वस्तुओं की सप्लाई 1979 में पिछले वर्ष की अपेक्षा उच्चतर स्तर पर थी । लेकिन, खाद्यान्न की उच्च प्राथमिकता दिये जाने के कारण खाद्यान्न के अतिरिक्त दूसरे पण्यों के संबंध में कमी आयी थी । स्थानीय व्यक्तियों और कुछ रेल कर्मचारियों द्वारा चलाये गये आन्दोलनों के फलस्वरूप वर्ष के अधिकांश भाग में यातायात का संचलन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ ।

(ग) 1978 और 1979 में त्रिपुरा में रेल द्वारा अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई इस प्रकार की गयी :—

	1978	1979
खाद्यान्न . . .	66,425 टन	90,640 टन
नमक	15,504 ,,	10,176 ,,
चीनी	9,472 ,,	5,808 ,,
सीमेंट . . .	25,938 ,,	17,712 ,,
दाल	5,424 ,,	3,344 ,,
खाद्य तेल . . .	3,744 ,,	1,773 ,,
	1,26,507 ,,	1,29,453 ,,

रेलवे की रोहतक इन्डस्ट्रीज से देय बकाया राशि

1956. **श्री राम स्वरूप राम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार में मैसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज ने विलम्ब शुल्क, हरजाना, माल भाड़ा आदि के रुप में लगभग 3 करोड़ रुपये की राशि रेलवे को देनी है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कम्पनी से इस बकाया देय राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पूर्व रेलवे को बिहार में डेहरी आन-सोन स्थित मैसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज से 3.01 करोड़ में से 2.68 करोड़ रुपये विलम्ब शुल्क के लेने हैं। मैसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज ने अपने कार्यों के लिए बुक किये माल डिब्बों पर विलम्ब शुल्क लगाने के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बारे में झगड़ा खड़ा किया है । पूर्व रेलवे ने झगड़े से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की है। साथ ही रेलवे इस पार्टी से बकाया राशि की वसूली के लिए सम्भावित कानूनी और प्रशासनिक उपाय करने के बारे में भी विचार कर रही है।

रेलवे की यातायात में हुआ घाटा

1957. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष के दौरान रेलवे को छोड़कर अन्य सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्र में श्रमिक अशांति के कारण रेलवे को यातायात में कितना घाटा हुआ ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : यद्यपि रेलों के लदान पर प्रभाव डालने वाले कारणों में से एक कारण सरकारी/निजी क्षेत्रों में श्रमिकों का असन्तोष रहा है, तथापि यह नहीं बताया जा सकता कि कितनी हानि हुई।

रुई की परिवहन लागत

1958. **श्री गदाधर साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल द्वारा रुई के परिवहन की लागत (भाड़ा-दर), दूरी के अनुसार, भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं जबकि लोहे और इस्पात जैसी कच्ची सामग्रियों के मामले में परिवहन लागत में समानता है;

(ख) यदि हां, तो रुई, लोहा तथा इस्पात की परिवहन लागत क्या है, इनके कारण है और इसका क्या औचित्य है,

(ग) इसका पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी राज्यों के रुई उद्योगों/कपड़ा मिलों के उत्पादन तथा संवर्द्धन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(घ) क्या सरकार को इस दर को समान बनाने के लिए राजसहायता देनी चाहिये जैसा कि लोहा और इस्पात जैसी कच्ची सामग्रियों के मामले में किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) कपास, लोहा और इस्पात आदि सहित सभी यातायात के लिए भाड़ा प्रभारों का निर्धारण पण्यों के वर्गीकरण और उनकी वहन दूरी के आधार पर किया जाता है । शायद माननीय सदस्य का आशय उन भाड़ा समीकरण योजनाओं से है जिनका परिचालन लोहा और इस्पात, सीमेंट आदि जैसे पण्यों के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों के अन्तर्गत धन/लेखों की स्वत: व्यवस्था द्वारा होता है । रेलें भाड़ा समीकरण की ऐसी कोई योजना नहीं चलातीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

बराक नदी से रेलवे पुल को खतरा

1959. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिलचर लुम्बडिंग रोड, असम पर कराकल नदी के ऊपर रेलवे और सड़क के अकेले पुल को बराक नदी द्वारा ध्वंस कर दिए जाने का खतरा है; और

(ख) सरकार का इस पुल की रक्षा करने के लिए, जो कि अकेला उपलब्ध संचार माध्यम है और इस क्षेत्र को शेष देश से जोड़ता है, क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) बराक नदी द्वारा कटाव के कारण बदरपुर-सिलचर खंड पर काटाखल रेल एवं सड़क पुल की फिलहाल कोई खतरा नहीं जान पड़ता, फिर भी काटाखल पुल के समीप बराक नदी द्वारा किए गए कटाव की समस्या राज्य सरकार और रेलवे का ध्यान आकर्षित कर रही है । रेलवे द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग को आवश्यक उपचारी उपाय करने के लिए कहा गया है । कछार बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की एक तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अभी हाल में इस सम्बन्धी रक्षात्मक कार्यों के लिए एक योजना बनायी गयी है । राज्य लोक निर्माण विभाग ने भी इस मामले के बारे में केन्द्रीय जल अनुसंधान स्टेशन, पुणे को नमूना-अध्ययन के लिए पहले ही लिख पढ़ी की है। रेलवे इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से निकट संपर्क बनाये रखेगी ।

राष्ट्रीय बेरोजगारी बीमा योजना

1960. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

श्री के० प्रधानी :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बेरोजगारी बीमा योजना आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस समय राष्ट्रीय बेरोजगारी बीमा योजना को व्यवहार्य नहीं समझा गया है, क्योंकि इसमें भारी व्यय सन्निहित है ।

वल्लभभाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट दिल्ली का कार्यकरण

1961. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "टाइम्स आफ इण्डिया" दिनांक 23 फरवरी, 1980 में संस्थान के कार्यकरण में अकुशलता के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है , यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या है;

(ख) भारी संख्या में पदों के खाली रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) संस्थान के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां । वैसे वल्लभभाई पटेल चेस्ट इन्स्टीटयूट के काम में कोई अकुशलता नहीं आई है । इसकी पुष्टि तीन वर्षों में इस संस्थान द्वारा प्रकाशित किए गए अनेक वैज्ञानिक पेपरों दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इस संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रों के एम० डी० तथा पी० एच० डी० के लिए अनुमोदित

अनेक शोध प्रबन्धो तथा उन अनेक रोगियों से हो जाती है जिन्होंने संस्थान के क्लीनिकल अनुसंधान केन्द्र में इलाज करवाया। इनका ब्यौरा इस प्रकार है ।

1. वर्षवार प्रकाशित किए गए लेखों की संख्या इस प्रकार है :—

1976–77	1977–78	1978–79
67	50	64

2. शोध प्रबन्धों की संख्या :

1977	1978	1979
6	10	8

3. क्लिनिकल अनुसंधान केन्द्र में रोगियों की वार्षिक संख्या :

(1) बहिरंग रोगी :

1977	1978	1979
37080	33149	33668

(2) अंतरंग रोगी :

1977	1978	1979
137	251	257

(ख) यद्यपि खाली पदों को संस्थान ने जून 1979 में विज्ञापित कर दिया था तथापि शासी निकाय द्वारा भर्ती के लिए संशोधित की गई अर्हताओं को स्वीकार करने के फलस्वरूप कार्यविधि की कठिनाइयों के कारण चयन में देरी हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति इन सब पदों के लिए विश्वविद्यालय चयन समिति के अध्यक्ष हैं। उपकुलपति संस्थान की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए खाली पदों को शीघ्र भरने के लिए समुचित कार्रवाई कर रहे हैं ।

(ग) यद्यपि संस्थान का काम काफी संतोषजनक है तथापि इसकी गतिविधियो को और तेज करने के प्रयास किये जा रहे है ।

निजी क्षेत्र के होटलों द्वारा कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति/सेवा समाप्ति के लाभों का भुगतान न करना

1962. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि निजी क्षेत्र के होटलों के प्रबन्धक अपने कर्मचारियों को उनकी सेवा-निवृत्ति/सेवा समाप्ति के समय देय सेवा निवृत्ति लाभ और भविष्य निधि आदि का भुगतान नहीं करते ;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई और बड़ी होटल कंपनियों द्वारा इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यटन और नागरी विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(क) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

परमाणु प्रसार रोक संधि

1963. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने परमाणु प्रसार रोक सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : सरकार की अद्यतन जानकारी के अनुसार साधिकीय अस्त्रों के प्रसार को रोकने क संबद्ध संधि पर जिन देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. अल्जीरिया
2. अर्जन्तीना
3. भूटान
4. ब्राजील
5. बर्मा
6. चिली
7. चीन
8. क्यूबा
9. इक्वाटोरियल गिनी
10. फ्रांस
11. गिनी
12. गुयाना
13. भारत
14. इजरायल
15. मलावी
16. मारीतानिया
17. नाइजर
18. पाकिस्तान
19. कतार
20. सउदी अरब
21. सेशेल्स
22. दक्षिण अफ्रीका
23. स्पेन
24. उगांडा
25. संयुक्त अरब अमीरात
26. तंजानिया संयुक्त गणराज्य
27. वियतनाम
28. जाम्बिका

त्रिचूर के फल व्यापारी संगठन से ज्ञापन

1964. श्री के० ए० राजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के प्रमुख वाणिज्यिक अधिक्षक को फल व्यापारिक संगठन त्रिचूर से बुकिंग सुविधाओं को प्राप्त करने में कठिनाइयों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि उस पर कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं :—

(i) त्रिचूर से हवड़ा तक नश्य वस्तुओं की बुकिंग के लिए कम सुविधाएं,

(ii) त्रिचूर से चलने वाली गाड़ियों में अनस्य वस्तुओं की अप्रतिबन्धित बुकिंग, और

(iii) त्रिचूर से चलने वाली गाड़ियों में सामानयानों की कमी ।

की गयी कार्रवाई ।

त्रिचूर से हावड़ा तक नश्य वस्तुओं की नियमित बुकिंग और निकासी की जा रही है। 1 से 18 मार्च, 1980 की अवधि के दौरान कुल 1975 नश्य वस्तुओं के पार्सल बुक किए गए और भेजे गए । त्रिचुर से चलने वाली गाड़ियों में नश्य पदार्थों के अतिरिक्त केवल यात्री सामान, समाचार-पत्र और फिल्म पार्सल जैसे अनश्य पदार्थ बुक किए जाते हैं । त्रिचूर से चलने वाली गाड़ियों में पार्सल यानों और सामान यानों की उपलब्धता प्रायः पर्याप्त समझी जाती है। दक्षिण रेलवे प्रशासन त्रिचूर फ्रूट्स मर्चेन्टस के परामर्श से व्यापारियों की वाजिब कठिनाइयों को दूर करने के लिए यथा सम्भव आवश्यक कार्रवाई कर रहा है ।

दिल्ली स्कूल अध्यापकों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में सम्मिलित किया जाना

1965. श्री के० ए० राजन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली के स्कूल अध्यापकों को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में सम्मिलित किये जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के स्कूल अध्यापकों की मांगों में से एक मांग यह भी है जिसकी सिफारिश शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर पिछले वर्ष गठित की गई समिति द्वारा भी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): दिल्ली शिक्षक संघ और अन्य संघों की संयुक्त परिषद् की मांगों पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई थी। इन मांगों में "सभी शिक्षकों को चिकित्सा भत्ता" देने की मांग भी शामिल थी। समिति ने 20 नवम्बर, 1979 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि दिल्ली प्रशासन के अधीन कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा जैसी सुविधाएं सुलभ कराई जाएं। जब तक उनके लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू नहीं की जाती तब तक अध्यापकों को चिकित्सा अनुदान के रूप में कुछ निर्धारित भत्ता दे दिया जाए।

समिति की इस सिफारिश पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा अभी तक आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

सीरमपुर रेलवे क्रासिंग पर ऊपरि पुल

1966. **श्री आनन्त पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीरमपुर रेलवे स्टेशन के निकट सीरमपुर रेलवे क्रासिंग पर एक ऊपरि पुल की मांग पर विचार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों के लिए रेलों तथा राज्य सरकारों/सड़क प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रुप से वित्त की व्यवस्था तथा कार्य निष्पादन किया जाता है और इन के लिए राज्य सरकारों/सड़क प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किये जाते है तथा प्रचलित नियमों के अनुसार उन्हें उन के भाग की लागत वहन करने का वचन भी देना होता है। पूर्व रेलवे के श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन पर समपार संख्या 5 के बदले एक ऊपरी सड़क पूल के निर्माण के प्रस्ताव की पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से इस समय रेलवे द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकद्मों का निपटान

1967. **श्री एन० ई० होरो** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत गत तीन वर्षों में पता लगाये गये अपमिश्रण के गंभीर मामलों के निपटाये जाने से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के आदेश प्राप्त किए गए थे ;

(ख) क्या कुछ मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच के लिए निर्देशित किए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो उन मामलों में दोषी पाये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में यदि कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं, तो वे क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी नहीं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

केन्द्रीय खाद्य दस्ते का गठन

1968. **श्री एन० ई० होरो** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ::

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने मंत्रालय में एक केन्द्रीय खाद्य दस्ते का गठन किया है जिसे खाद्य वस्तुओं में मिलावट की जांच करने का नियमानुसार अधिकार दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि खाद्य दस्ते द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिये अनुमति प्रदान कर दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह दस्ता अपने गठन के समय से आज तक, विशेष कर पिछले तीन वर्षों से सारे कार्य कर रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) जी हां। इस दस्ते के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है —

1. एक वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक	1
2. खाद्य निरीक्षक	8
3. क्षेत्रीय सहायक	6

वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक तथा खाद्य निरीक्षकों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा 9 के अधीन नियुक्त किया गया था और इस अधिनियम के अंतर्गत नमूने लेने की उन्हें शक्ति मिली हुई है। इस अधिनियम के अधीन खाद्य निरीक्षक स्थानीय (स्वास्थ्य) अधिकारी द्वारा जारी की गई उन हस्ताक्षरित पर्चियों के आधार पर नमूने ले सकते हैं जिन्हें नमूने की बोतलों पर चिपकाना होता है।

(ग) शुरू शुरू में केन्द्रीय खाद्य दस्त का नमून लेने का कार्य मुख्यतः दिल्ली तक ही सीमित था। ऐसा उस दबाव के कारण किया गया था जिसके अंतर्गत दिल्ली नगर निगम खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का कार्य कर रहा था। तथापि, 1976 में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1977–78 में खाद्य अपमिश्रण निवारण के लिए एक अलग निदेशालय खोल दिया और इस प्रकार इस दस्ते के संदिग्ध नमूने लेने संबंधी रोजमर्रा के कार्य में कमी आ गई। कार्यभार में आई इस कमी को देखते हुए दस्ते की सेवाओं का उचित उपयोग करने के बारे में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

मेडीकल कालिजों में अतिरिक्त दाखिले

1969. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारत में कितने मेडीकल कालिजों ने अधिक छात्रों को दाखिल करने के लिए स्वीकृति मांगी;

(ख) कुल कितने अतिरिक्त दाखिले के लिए अनुमति मांगी गई थी; और

(ग) इन कालिजों के लिए, कालिजवार कितनी अतिरिक्त सीट मंजूर की गई?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) 17

(ख) 587

(ग) एक विवरण, जिसमें कालेजवार मंजूर की गई अतिरिक्त सीटों की संख्या दिखाई गई है; संलग्न है।

विवरण

कालेजवार मंजूर की गई अतिरिक्त सीटों का विवरण

क्रम सं०	मेडिकल कालेज का नाम	मंजूर की गई अतिरिक्त सीटो की संख्या
1.	कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मंगलौर	20
2.	गोआ मेडिकल कालेज, पणजी	10
3.	मेडिकल कालेज, बेलारी	47
4.	मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम	15
5.	मेडिकल कालेज, कोट्टयम	20
6.	टी० डी० मेडिकल कालेज, एलेपी	20
7.	मेडिकल कालेज, कालीकट	20
8.	जे० जे० मेडिकल कालेज, दावनगिरि	25
9.	रीजनल मेडिकल कालेज, इम्फाल	25
	योग .	202

राष्ट्रीय तथा राज्य राजपथों के निर्माण के लिए विश्व बैंक से ऋण

1970. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजपथों तथा राज्यों के राज पथों के निर्माण और उनके सुधार के लिए विश्व बैंक से ऋण के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ख) उसमें से कितनी धनराशि महाराष्ट्र राज्य में खर्च की गई है ; और

(ग) वर्ष 1980-81 के लिए विश्व बैंक से कितने और ऋण की मांग की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) विश्व बैंक से पिछले दो वर्षों अर्थात् 1977-78 और 1978-79 में कोई ऋण नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) राष्ट्रीय और राज्य के राज्यमार्ग क्षेत्र के लिए वर्ष 1980-81 के लिए विश्व बक से कोई नया ऋण नहीं मांगा गया है। लेकिन बिहार की ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए विश्व बैंक से बैंक के वित्तीय वर्ष, 1981 (1-7-80 से 30-6-81) के दौरान लगभग 25 मिलियन डालर की सहायता मिलने की संभावना है ।

रेल अधिकारियों का दर्जा बढ़ाया जाना

1971. **श्री नारायण चौबे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल प्रशासन ने तृतीय वेतन आयोग के पंचाट के बाद भारतीय रेलवे के चिकित्सा अधिकारियों को छोड़कर रेल अधिकारियों के लिये दो बार दर्जा बढ़ाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के पश्चात् भारतीय रेलों पर राजपत्रित संवर्गों की दो अवसरों पर पुनर्संरचना की गयी है। पहली बार पुर्न-संरचना 1973-74 में की गयी थी। जब ग्रेड ऊंचा किये गये कुल 968 पदों में से 62 पद चिकित्सा विभाग के थे । इससे पहले 1966 में भी भारतीय रेल चिकित्सा सेवा को ग्रेड ऊंचा किये जाने के लाभ दिये गए थे जब 'सी' ग्रुप के सभी डाक्टरों को 'बी' ग्रुप में रखा गया था और उसके पश्चात् भी 1973 में सभी सहायक चिकित्सा अधिकारियों (दन्त चिकित्सों को छोड़कर) के पदों को ग्रुप 'ए' (श्रेणी 1) में रखा गया था। अभी हाल में संवर्ग पुनरीक्षण समिति द्वारा भारतीय रेल सेवाओं की त्रैवार्षिक पुनरीक्षा पूरी कर ली गयी है जिसे सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। क्योंकि इस सेवा का गठन अन्य सेवाओं से बिल्कुल अलग प्रकार का है और अन्य आठ सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अपनाए गए ढंग की चिकित्सा सेवा पर अक्षरशः लागू नहीं किया जा सकता था, इसीलिए भारतीय रेल चिकित्सा सेवा की संवर्ग पुनरीक्षा अलग से सक्रीय रूप से की जा रही है ।

भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा में विशेषज्ञ

1972. **श्री नारायण चौबे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा में रोगियों का इलाज करने के लिये किसी विशेषज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में तथ्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारतीय रेल चिकित्सा सेवाओं में भर्ती को इस प्रकार नियमित किया जाता है ताकि रेलवे अस्पतालों में अपेक्षित संख्या में विशेषज्ञ उपलब्ध रहें। इसके अलावा रेलें विभिन्न विशेष विषयों के अवैतनिक परामर्शदाता भी रखती हैं।

"दी इण्डियन कौंसिल एक्ट आफ पैरामेडिकल रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन्स" विषयक विधान

1973. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार राज्य सरकारों के परामर्श के साथ "दी इण्डियन कौंसिल एक्ट आफ पैरामेडिकल रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन्स" शीर्ष विधान प्रस्तुत करने का है ;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारों की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार का उक्त विधान कब पुरःस्थापित करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) अखिल भारतीय व्यावसायिक चिकित्सक संघ ने देश में चिकित्सा कार्य कर रहे व्यावसायिक चिकित्सकों का पंजीकरण करने के लिए एक भौतिक चिकित्सा तथा व्यावसायिक चिकित्सा परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव पर विचार किया गया था और यह महसूस किया गया था कि प्रस्तावित परिषद में सभी पुनर्वास संबंधी व्यवसायों की, जिनमें भौतिक चिकित्सा तथा व्यावसायिक चिकित्सक शामिल हैं, शामिल किया जाए। तद्नुसार एक विधेयक मसौदा तैयार किया गया था और राज्य सरकारों को भेज दिया गया था।

(ख) 23 राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर मिले थे। 8 राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से इसके विरोध में उत्तर न मिलने के कारण यह मान लिया गया था कि वे सहमत हैं।

(ग) और (घ) इस विधेयक का पुरःस्थापित करने का प्रश्न इस संबंध में कोई निर्णय लिए जाने के बाद उठेगा।

"शाप-फ्लौर" स्तर पर उत्पादन में गिरावट

1974. **श्री के० प्रधानी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य मंडल के किसी भी अध्यक्ष से उत्पादन में "शाप फ्लौर" स्तर पर होने वाली हानि को कम करने के लिए एक वृहद् कानून लाये जाने के संबंध में सरकार को कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) नियोजकों के संगठनों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिसमें औद्योगिक शांति और सुव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं।

(ख) सरकार इन प्रस्तावों पर उचित ध्यान देगी।

रेलवे अस्पतालों की संख्या

1975. **श्री नारायण चौबे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 और 1980 में रेलवे अस्पतालों की जोनवार संख्या क्या थी ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान रेलवे अस्पतालों में जोन-वार बिस्तरों की संख्या क्या थी ; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान जोन-वार डाक्टरों, नर्सों, वार्ड ब्वायज़ और अन्य कर्मचारियों की संख्या क्या थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	रेलवे का नाम	अस्पतालों की संख्या		बिस्तरों की संख्या		डाक्टरों की संख्या		नर्सों की संख्या		वार्ड बाय		अन्य कर्मचारी	
		1-1-75	1-1-80	1-1-75	1-1-80	1-1-75	1-1-80	1-1-75	1-1-80	1-1-75	1-1-80	1-1-75	1-1-80
1	पूर्वोत्तर सीमा . .	10	10	866	906	176	181	191	221	151	204	652	730
2	पूर्व . .	11	12	1,689	1,779	302	303	459	520	750	730	1,330	1,528
3	दक्षिण-मध्य . .	6	5	629	652	168	170	175	199	268	310	795	814
4	मध्य . .	8	12	1,103	1,310	168	191	313	383	338	414	716	833
5	पश्चिम . .	16	16	1,128	1,128	301	302	293	312	303	315	1,748	1,786
6	दक्षिण . .	11	10	965	940	200	206	237	252	..	..	1,825	2,020
7	दक्षिण-पूर्व . .	11	11	1,296	1,305	280	283	388	393	245	254	1,445	1,473
8	उत्तर . .	15	15	1,179	1,270	317	323	303	330	676	727	6,212	6,285
9	पूर्वोत्तर . .	8	8	953	962	140	149	212	213	267	282	2,998	2,995

तारंग-अम्बाजी लाइन

1976. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारंग-अम्बाजी लाइन के निर्माण की मांग कब से अनिर्णीत पड़ी है और इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ;

(ख) क्या उनकी हाल की अंबाजी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) फरवरी, 1978 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और मई, 1978 में पार्टी को सूचना दे दी गयी थी कि साधनों की कठिन स्थिति के कारण वरेठा-तारंगा हिल लाइन का अम्बाजी तक विस्तार, जिसकी दूरी लगभग 55 कि० मी० है, के संबंध में विचार के लिए बेहतर समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

(ख) और (ग) मार्च, 1980 के बीच प्रधान मंत्री कार्यालय से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

कतिपय कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी

1977. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स गुप्ता इंजीनियरिंग वर्क्स, बम्बई, मैसर्स सिमको ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई और मैसर्स मेटल वेज (प्राइवेट) लिमिटेड, चंडीगढ़ के अधीन कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों ने कर्मचारी भविष्य निधि और राज्य बीमा योजना में कितनी धनराशि जमा करवाई है ;

(ख) कितने कर्मचारी स्थायी आधार पर और कितने कर्मचारी दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि कर्मचारियों को बीमा लाभ न देने के उद्देश्य से इन कंपनियों ने मजदूरों को दैनिक मजूरी पर लगाया हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनाईक) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है जिस कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार (i) मैसर्स गुप्ता इंजीनियरिंग वर्क्स, बम्बई, (ii) मैसर्स सिमेक ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बम्बई (न कि सिमको ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड), और (iii) मेटल वेज प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या, पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में जमा कराई गई धनराशि और स्थायी रूप से काम करने वाले तथा दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि कर्मचारी राज्य बीमा की देय राशि में निम्नलिखित धन राशि जमा कराई गई :—

प्रतिष्ठान का नाम	अवधि	दी गई राशि (रुपये)
1. मैसर्स गुप्ता इंजीनियरिंग वर्क्स, मुम्बई . .	नवम्बर, 1976 से सितम्बर, 1979	47,126.10
2. मसर्स सिमेक ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई .	नवम्बर, 1975 से जुलाई, 1979	59,409.65
3. मैसर्स मेटल वेज प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ . .	सितम्बर, 1976 से दिसम्बर, 1979	32,786.80

(ग) दैनिक मजदूरी पर नियोजित श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में "कर्मकार" शब्द की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है और अन्य "कर्मकारों" की तरह वे प्रसुविधाओं के हकदार हैं ।

विवरण

काम करने वाले श्रमिकों की संख्या और पिछले तीन वर्षों के दौरान जमा की गई धनराशि तथा स्थायी रूप से काम करने वाले और दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	प्रतिष्ठान का नाम	काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या	पिछले तीन वर्षों के दौरान जमा की गई धनराशि	(रु०)	स्थायी रूप से/दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या		
					स्थायी रूप से	दैनिक मजदूरी पर	भविष्य निधि के कुल सदस्य
1	मैसर्स गुप्ता इंजीनियरिंग वर्क्स, बम्बई ।	96	1977-78	29,648.00	73	23	92
			1978-79	41,130.00			
			1979-80 (जनवरी, 80 तक)	60,990.50			
2	मैसर्स सिमेक ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई।	151	1977-78	65,017.50	67	84	140
			1978-79	75,235.25			
			1979-80 (जनवरी, 80 तक)	97,822.00			
3	मैसर्स मेटल वेज प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़।	62	1977-78	660.00	62	..	62
			1978-79	11,070.80			
			1979-80 (जनवरी, 80 तक)	16,009.00			

पश्चिम बंगाल में बीड़ी श्रमिकों का संगठन

1978. **श्री मुकुंद मंडल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि 24 परगना के सुन्दरवन क्षेत्र में जनसंख्या का एक बड़ा भाग बीड़ी श्रमिक है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार बीड़ी श्रमिकों की समस्याओं पर विचार करने और उनके समाधान के लिए एक संगठन बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) अनुमान है कि इस क्षेत्र में लगभग 47,000 बीड़ी श्रमिक हैं।

(ग) और (घ) बीड़ी श्रमिकों की कार्य-दशाओं से संबंधित समस्याएं राज्य सरकार के क्षेत्र में आती हैं। तथापि, ऐसे श्रमिकों के सामान्य कल्याण के कार्यक्रमों को, जिनके लिए धन की व्यवस्था बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से की जाती है, श्रम कल्याण संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जो केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन हेतु गठित किया है।

पश्चिम बंगाल में बीड़ी श्रमिकों को सुविधाएं

1979. **श्री मुकुंद मंडल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हजारों बीड़ी श्रमिक जिला 24-परगना के डायमंड हार्बर, मगरहाट, काकद्वीप और कुल्पी क्षेत्रों में वर्षों से काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन श्रमिकों को किसी प्रकार का अनुदान अथवा सुविधाएं दी हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में कल्याण संबंधी सुविधाएं देने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) जी, हां । यह अनुमान है कि डायमंड हार्बर सब-डिवीजन में लगभग 25,500 बीड़ी श्रमिक हैं । काक द्वीप और कुल्पी में ऐसे श्रमिकों की अनुमानित संख्या क्रमशः 2,000 और 1,000 है ।

(ग), (घ) और (ङ) कलकत्ता में स्थित एक चलते-फिरते चिकित्सा एकक के अंतर्गत इस समय डायमंड हार्बर सब-डिवीजन के गेंगराहाट तथा जयनगर क्षेत्र आते हैं । इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सरकार ने बीड़ी श्रमिकों हेतु मकानों का निर्माण करने के लिए वर्ष 1978-79 में 4.95 लाख रुपये के अनुदान की मंजूरी दी । बीड़ी श्रमिकों के आश्रितों को छात्र-वृत्तियां देने संबंधी योजना भी प्रारंभ की गई है । सरकार का विचार इसकी परिधि में उत्तरोत्तर विस्तार करने और बीड़ी श्रमिकों की विभिन्न ऐसी कल्याण योजनाओं में सुधार करने का है जिनके लिए वित्तीय सहायता बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से दी जाती है ।

रेलवे द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का लाया ले जाना

1980. **श्री शिवकुमार सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने रक्षा, इस्पात संयंत्रों आदि की तात्कालिक मांगों को पूरा करने के लिए देश में पेट्रोलियम उत्पादों के लाये ले जाये जाने की गति तेज कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो संचालन-रत टैंक माल-डिब्बों और उनके द्वारा लाये ले जाये गये पेट्रोलियम उत्पादों और उप-उत्पादों का साप्ताहिक औसत का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप आवश्यकताओं की किस सीमा तक पूर्ति हो जाने की संभावना है ;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या है जिसके बीच ये टैंक माल डिब्बों के संचालन-रत रहे हैं ; और

(घ) मिट्टी के तेल और पेट्रोलियम की पूर्ति की स्थिति के कब तक सामान्य हो जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) सभी पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई के लिये बड़ी लाइन के 19,593 और मीटर लाइन के 3,969 टंकी माल डिब्बों का बेड़ा काम पर लगाया जाता है । मार्च, 1980 (21 मार्च तक) के तीन सप्ताहों के दौरान बड़ी लाइन पर, प्रथम, द्वितीय और तृतीय सप्ताहों में प्रतिदिन क्रमशः 1,553, 1,607 और 1,648 तथा मीटर लाइन पर 264, 286 और 309 टंकी माल डिब्बों का लदान हुआ । इस वक्त रेलें लदान के संबंध में उनके तथा तेल कम्पनियों के बीच आपसी सहमति से निश्चित लक्ष्यों को पूर्ण रूप से पूरा कर रही है । किन्तु बरौनी तेल शोधक कारखाने के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप पाइप लाइन द्वारा ढुलाई में हुई सम्पूर्ण कमी को रेल द्वारा ढुलाई के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता है ।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की रेल द्वारा ढुलाई पत्तनों, तेल शोधक कारखानों तथा पाइप लाइनों के डाट बन्द स्थलों से देश भर में फैले उपभोक्ता स्थलों को की जाती है ।

(घ) ज्योंही बरौनी तेल शोधक कारखाने में पूरी तरह तथा असम के तीन तेल शोधक कारखानों में सामान्य रूप से कार्य प्रारम्भ हो जाएगा, तो सप्लाई की स्थिति में आगे और सुधार होगा ।

सरकारी कर्मचारियों को बोनस

1981. **श्री शिव कुमार सिंह**
श्री अर्जुन सेठी
श्री आस्कर फर्नांडिस } क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने बोनस के मामले पर संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सभी सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार का विचार रेलवे और डाक-तार कर्मचारियों के समान सभी सरकारी कर्मचारियों को बिना किसी भेदभाव के कब तक बोनस देने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) यह बैठक 3 मार्च, 1980 को हुई थी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों द्वारा बोनस के संबंध में अनेक सुझाव दिए गए। कुछ सुझाव इस प्रकार है :—

(i) बोनस को आस्थगित मजदूरी स्वीकार किया जाना चाहिए।

(ii) सभी श्रमिकों को न्यूनतम बोनस दिया जाना चाहिए। बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 32 को निकाल दिया जाना चाहिए।

(iii) न्यूनतम से अधिक बोनस का भुगतान उत्पादिकता पर आधारित होना चाहिए। न्यूनतम से अधिक बोनस या उसके आधार के संबंध में निर्णय सामूहिक सौदाकारी द्वारा लिया जाना चाहिए।

(iv) अधिकतम बोनस की सीमा को हटा दिया जाना चाहिए।

(v) बोनस के भुगतान के लिए वेतन सीमाओं को हटा दिया जाना चाहिए।

(vi) श्रम मंत्रालय/श्रम विभागों को कंपनियों के लेखों की छान-बीन करने का अधिकार होना चाहिए, जब कभी कर्मचारी बोनस के भुगतान के लिए फालतू राशि के न होने के बारे में संदेह व्यक्त करते हैं।

(ग), (घ) और (ङ) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करने के संबंध में विभिन्न प्रस्ताव विचाराधीन है। सरकार का आगामी त्यौहारों के मौसम से पहले अधिनियम में संशोधन करने के लिए व्यापक विधेयक लाने का विचार है।

विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा श्रमिकों का दिया जाना

1982. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा भारतीय खाद्य निगम (पोर्ट आपरेशन्स, विशाखापत्तनम) को उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1975 से अब तक श्रमिकों को भेजा गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा भारतीय खाद्य निगम (पोर्ट आपरेशन्स) को 1975 में कुल कितने गोदी-पास स्थायी और अस्थायी जारी किए गए; और

(घ) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा भारतीय खाद्य निगम (पोर्ट आपरेशन्स) की जुलाई 1975 से दिसम्बर 1979 तक प्रतिमास उपरोक्त पासों के अतिरिक्त कुल कितने गोदी-प्रवेश पास जारी किए गए ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) विशाखापत्तनम गोदी श्रमिक बोर्ड ने 1975 से अब तक भारतीय खाद्य निगम (पोर्ट आपरेशन्स, विशाखापत्तनम) को कोई श्रमिक नहीं भेजा है।

(ख) उक्त गोदी श्रमिक बोर्ड को श्रमिकों को भेजने के बारे में भारतीय खाद्य निगम से कोई पत्र नहीं मिला।

(ग) भारतीय खाद्य निगम (पोर्ट आपरेशन्स) को 1975 के दौरान 748 स्थायी पास जारी किए गए।

(घ) 1976, 1977 और 1978 में जारी किए गए स्थायी पासों की संख्या क्रमशः 30, 12 और 32 थी और 1979 में ऐसा कोई पास जारी नहीं किया गया।

जुलाई 1975 से दिसम्बर 1979 के दौरान प्रति मास जारी किए गए अस्थायी पासों की संख्या इस प्रकार है :

मास	नीचे लिखे वर्षों के दौरान जारी किए गए अस्थायी पासों की संख्या				
	1975	1976	1977	1978	1979
जनवरी	..	..	13	73	24
फरवरी	..	..	9	..	38
मार्च	..	10	41	..	130
अप्रैल	..	1	..	..	139
मई	..	26	..	..	40
जून	..	20	71	..	203
जुलाई	..	75	131	..	23
अगस्त	..	60	70	..	57
सितम्बर	..	78	7	..	98
अक्टूबर	..	36	5	..	23
नवम्बर	..	13	308	..	131
दिसम्बर	..	46	22	..	23

रेलवे फाटक सं० 50ग/(1) पर कोई कर्मचारी न रखा जाना

1983. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाली (राजस्थान) जिले के बागरी नगर गांव के रेलवे स्टेशन के फाटक सं० 50 ग/(1) के जिस पर कोई कर्मचारी नहीं है चौबीसों घंटे खुले न रहने के कारण बहुत से ग्रामवासियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपनी बैलगाड़ियों वाहनों आदि के साथ वहां कई-कई घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां तो वहां के लोगों की असुविधा को दूर करने के लिए सरकार का तत्काल क्या कदम उठाने का विचार है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) बागरी नगर स्टेशन के समपार सं० 50 सी पर चौकीदार रहता है और सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा इसका दिन-रात उपयोग किया जा सकता है । दिन के दौरान (7-00 बजे से 19-00 बजे तक) समपार के फाटक आमतौर पर सड़क यातायात के लिए खुले रहता हैं । ये तभी बंद होते हैं जब गाड़ी गुजरनी होती है । रात में जब यातायात कम होता है फाटक आमतौर पर सड़क यातायात के लिए बंद रहते हैं । इस अवधि के दौरान मांग करने पर ड्यूटीरत कांटे वाले द्वारा सड़क यातायात के लिए फाटक खोल दिया जाता है जब कभी इस प्रयोजन के लिए सड़क उपयोगकर्ता स्टेशन मास्टर से अनुरोध करते हैं । सड़क उपयोगकर्ताओं से अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है । लेकिन समपार पर यह मालूम करने के लिए यातायात की नयी गणना की जा रही है कि क्या समपार में अब यातायात बढ़ गया है ताकि रात्रि के दौरान एक भाग फाटक वाले द्वारा लगातार चौकीदारी के काम का औचित्य बन सके और वैसी स्थिति में रात्रि के दौरान भी फाटक सड़क यातायात के लिए आमतौर से खूले रखे जा सकें ।

बरौनी-कटिहार रेल-लाइन

1984. **श्री सतीश प्रसाद सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी से कटिहार तक रेल लाईन के दोनों ओर बहुत से 'शापिंग सेंटर' हैं जैसे खगड़ियो, मा महेश खूट, ठाना विहपुर तथा काधा गोला आदि और बहुत से लोग वहां खरीदारी के लिए जाते हैं ;

(ख) क्या उपर्युक्त स्थानों पर उपरि-पुलों की कोई व्यवस्था न होने से रेल दुर्घटनायें होती हैं ;

(ग) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान इन जंक्शनों पर रेल लाईन पार करने वाले कितने व्यक्तियों की दुर्घटनाओं में मृत्यू हुई है ;

(घ) क्या कुछ स्थानों पर ऊपरि पुल बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) ऊपरि-पुलों का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(च) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) इस रेल लाइन के दोनों ओर की रेलवे की भूमि पर दुकाने नहीं है ।

(ख) इन स्टेशनों पर समपारों की व्यवस्था की गयी है लेकिन ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल लाइन पार करते समय कोई दुर्घटना नहीं हुई है ।

(घ) से (च) वर्तमान समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण संबंधी कार्यों के लिए रेलों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा धन की व्यवस्था की जाती है और इन्हें निष्पादित किया जाता है तथा वर्तमान नियमों के अनुसार उनके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस आश्वासन के साथ प्रायोजित करने होते हैं कि वे अपने हिस्से का खर्च वहन करेंगे । इन स्टेशनों पर ऊपरी/निचले सड़क पुलो के निर्माण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है ।

जहाजरानी कंपनियों द्वारा भाड़े में वृद्धि की मांग

1985. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजरानी कम्पनियों ने माल यातायात के लिए भाड़े बढ़ाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां तो कितनी वृद्धि की मांग की जा रही है ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित लाइनर कान्फ्रेंसों/रेट एग्रीमेंटों और जहाजरानी कंपनियों ने प्रस्ताव किया है कि वे अपने भाड़ों में वृद्धि इस प्रकार से करना चाहते हैं :—

क्र० सं०	कान्फ्रेंस/रेट एग्रीमेंट/जहाजरानी कंपनी का नाम	व्यापार-क्षेत्र	प्रस्तावित वृद्धि की प्रतिशतता	लागू होने की तारीख
1	प्रशांत-भारत रेट एग्रीमेंट	संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के भारत-प्रशासंत पत्तनों के पूर्वी/पश्चिमी तट ।	15%	1-4-1980
2	कलकत्ता/भारत और बांगलादेश का पूर्वी तट/संयुक्त राज्य अमरीका (कलकुसा) ।	भारत के पूर्वीतट से संयुक्त राज्य अमरीका में ग्रेट लेक्स अंधमहासागर और मेक्सिको की खाड़ी तक ।	17%	10-4-1980
3	भारत-पाकिस्तान-बांगलादेश-यू० के०/महाद्वीप कान्फ्रेंस ।	भारत से यू० के०/महाद्वीप तक और वापसी ।	20%	1-5-1980
4	भारत-पाकिस्तान-बांगलादेश-श्रीलंका और बर्मा विदेशी भाड़ा कान्फ्रेंस (इन्पकोन) ।[1]	यू० एस० अटलांटिक और खाड़ी के पत्तनों से भारत तक ।	18%	15-5-1980

क्र० सं०	कान्फ्रेंस/रेट एग्रीमेंट/जहाजरानी कंपनी का नाम	व्यापार-क्षेत्र	प्रभावित वृद्धि की प्रतिशतता	लागू होने की तारीख
5	*भारत का पश्चिमी तट और पाकिस्तान यू० एस० ए० कान्फ्रेंस ।	भारत के पश्चिमी तट से यू० एस० ए० और मैक्सिको खाड़ी के पत्तनों तक ।	17%	15-5-1980
6	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और सिंधिया स्टीमशिप नेवीगेशन कंपनी (संयुक्त सेवा) ।	कनाडा के पूर्वी तट से भारत तक ।	उल्लेख नहीं किया गया ।	6-6-1980
7	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया और सिंधिया स्टीमशिप नेवीगेशन कंपनी (संयुक्त सेवा) ।	यू० एस० ए० की ग्रेट लेक्स से भारत तक ।	उल्लेख नहीं किया गया ।	6-6-1980

*कोई भी भारतीय जहाजरानी कंपनी इस कान्फ्रेंस की सदस्य नहीं है ।

(ग) उपरोक्त कान्फ्रेंसों/रेट एग्रीमेंटों/जहाजरानी कंपनियों से अनुरोध किया गया है कि वे भारतीय जहाज मानिकों की विभिन्न संस्थाओं के साथ बातचीत करें ताकि प्रस्तावित भाड़ा वृद्धि के मामले पर संतोषजनक रूप से कोई सर्वसम्मत समझौता हो सके ।

मैसर्स रयाल कारपोरेशन लि० और मैसर्स फेसिट एशिया लि०, मद्रास द्वारा जमा की गई भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि

1986. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में (एक) मैसर्स रयात कारपोरेशन लि०, मद्रास और (दो) मैसर्स फेसिट एशिया लि०, मद्रास द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना और भविष्य निधि की वर्षवार कितनी धनराशि जमा की गई तथा उनकी और अब तक कितनी राशि बकाया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स रयाल कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास और मैसर्स फेसिट एशिया लिमिटेड, मद्रास द्वारा निम्नलिखित धन-राशि का भुगतान किया गया :—

नाम	अवधि	भुगतान की गई राशि (रु०)	बकाया राशि
1. मैसर्स रयाल कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास ।	1977	1,81,611.40	4,513.50 रु०
	1978	1,73,987.85	(इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान ने कोचीन ब्रांच में तैनात एक कर्मचारी और कैन्टीन स्टाफ को अभी इस योजना के अन्तर्गत लाना है) ।
	1979	1,82,029.85	
2. मैसर्स फेसिट एशिया लिमिटेड, मद्रास ।	1977	1,11,676.05	63.65 रु०
	1978	1,54,093.05	
	1979	1,69,423.65	

भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि इन प्रतिष्ठानों द्वारा जमा कराई गई भविष्य निधि अंशदानों की राशि इस प्रकार है :—

1. मैसर्स रयाल कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास ।	1977-78	4,43,656.75
	1978-79	4,42,892.25
	1979-80 (जनवरी, 80 तक)	4,32,628.70

नाम	अवधि	भुगतान की गई राशि (रु०)	बकाया राशि
2. मैसर्स फेसिट एशिया प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास ।	1977-78	2,93,590.75	
	1978-79	3,27,108.50	
	1979-80 (जनवरी, 80 तक)	3,73,411.75	

जनवरी, 1980 के अंत तक, उनके पास भविष्य निधि देय राशि की कोई बकाया राशि नहीं थी ।

मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड द्वारा जमा की गई भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि

1987. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड में कितने कर्मचारी मासिक और दैनिक मजूरी आधार पर काम कर रहे हैं ; और

(ख) उक्त फर्म ने गत तीन वर्षों में भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कितनी राशि जमा की है और इस समय उन पर कितनी राशि बकाया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड में मासिक और दैनिक मजूरी आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

	मासिक आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या	दैनिक मजूरी आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या
(i) मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड (मुख्यालय अकूरडी, महाराष्ट्र)	1,557	4,340
(ii) मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड, (दिल्ली में तीन ब्रांच)	89	..

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मुख्यालय और ब्रांच यूनिटों के अनुसार निजी भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड के पास प्रतिष्ठान द्वारा जमा कराई गई भविष्य निधि धन-राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	मुख्यालय (लाख रुपये)	ब्रांच (लाख रुपये)
1977-78	51.33	1.07
1978-79	52.75	1.04
1979-80 (फरवरी, 1980 तक)	49.44	0.89

यह सूचित किया गया है कि इस समय प्रतिष्ठान के पास कोई बकाया राशि नहीं है ।

कर्मचारी राज्य बीमा देय राशि संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा की मेज पर रख दिया जाएगा ।

हिन्दुस्तान मोटर्स तथा स्टेन्डर्ड मोटर्स प्रौडक्ट आफ इंडिया द्वारा जमा कराई गई भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की राशि

1988. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मोटर्स और स्टेन्डर्ड मोटर्स प्रोडक्ट आफ इंडिया द्वारा पिछले तीन वर्षों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी राशि जमा की गई है ; और

(ख) उन पर अभी कितनी राशि बकाया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) जैसा कि भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है, गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता और मैसर्स स्टेन्डर्ड मोटर प्रोडक्टस आफ इंडिया, मद्रास द्वारा जमा कराई गई भविष्य निधि धन-राशि इस प्रकार है :—

1. मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता (छूट प्राप्त प्रतिष्ठान)	1977 से 1979 तक	840.26 लाख रुपये
2. मैसर्स स्टेन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इंडिया, मद्रास . .	1977-78 .	15.45 लाख रुपये
	1978-79 .	16.69 लाख रुपये
	1979-80 .	16.70 लाख रुपये
	(जनवरी, 1980 तक)	

यह सूचित किया गया है कि उनके पास भविष्य निधि अंशदानों की बकाया राशि नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान इन प्रतिष्ठानों द्वारा भुगतान किए गए कर्मचारी राज्य बीमा अंशदानों की राशि इस प्रकार है :—

	भुगतान की गई राशि	बकाया राशि
1. मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता . .	1,52,09,529.75 रु०	4,160.00 रु० और 2,393.99 रु० (क्रमशः हर्जाते और ब्याज)
2. मैसर्स स्टेन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इंडिया, मद्रास (जनवरी, 1977 से फरवरी, 1980).	29,59,644.00 रु०	शून्य

रेलवे द्वारा वैगनों की आवश्यकता

1990. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31-12-1979 को भारतीय रेलवे के पास रेलवार कितनी वैगनें थी ;

(ख) रेलवे द्वारा वास्तविक रूप से कितनी वैगनों का प्रयोग किया जा रहा है और कितनी वैगनों की वास्तविक आवश्यकता है ; और

(ग) क्या यह सच है कि अनेक वैगनें पहियों की खराबी अथवा टूटी-फूटी हालत के कारण प्रयोग में नहीं लाई जा रही हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) चौपहियों के हिसाब से 31-12-79 को माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार थी :—

रेलवे	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
मध्य	67,073	1,006
पूर्व	92,718	..
उत्तर	64,198	8,464
पूर्वोत्तर	990	28,778
पूर्वोत्तर सीमा	5,944	19,148
दक्षिण	22,295	13,680
दक्षिण मध्य	29,857	12,721
दक्षिण पूर्व	92,850	..
पश्चिम पश्चिम	36,795	26,701
जोड़ . . .	4,12,720	1,10,498

(ख) 31-12-79 को रेलों पर लगभग 3,92,700 माल डिब्बे सक्रिय उपयोग में हैं और विगत समय में रेलों द्वारा डिब्बों के उपयोग के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिमानों को देखते हुए वर्तमान यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये पर्याप्त हैं।

(ग) जी नहीं। सिवाय उन माल डिब्बों के, जिनका कि कारखानों में आवधिक ओवरहाल अथवा दिन प्रति दिन की मरम्मत और अनुरक्षण किया जा रहा है जिसमें मरम्मत लाइनों अथवा मरम्मत डिपुओं में पहिये बदलना शामिल है, कोई भी माल डिब्बा नकारा पहियों पर अथवा क्षतिग्रस्त हालत में निष्क्रिय नहीं पड़ा है।

खाड़ी के देशों में रोजगार अवसरों में कमी

1991. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य पूर्व तथा खाड़ी के देशों में भारतीय आप्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिलने में गत एक वर्ष में बहुत अधिक कमी हुई है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय आप्रवासियों के लिए प्राप्त किए गए नौकरियों सम्बन्धी करार लम्बी देरी, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार तथा भारतीय उत्प्रवास अधिनियम द्वारा कठिनाइयों के कारण विदेशी एजेन्सियों के द्वारा रद्द कर दिये गये हैं; और

(ग) भारी संख्या में भारतीय आप्रवासियों के लिये रोजगार प्राप्त करने तथा उनके कल्याणार्थ एवम् उनके कल्याण तथा सुरक्षा प्राप्त करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) उत्प्रवासियों के विदेश जाने की संख्या से इस बात का संकेत नहीं मिलता कि इसमें बहुत अधिक कमी आयी है। इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1979 के दौरान 204,809 व्यक्तियों को उत्प्रवासन की अनुमति प्रदान की गई, जबकि 1978 में सिर्फ 69,006 मामलों में उक्त अनुमति दी गयी थी।

(ख) जी नहीं, उत्प्रवासन की अनुमति देने में देरी अथवा परेशान किए जाने आदि की किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण अथवा साक्ष्य सहित शिकायतें सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) इन देशों में स्थित हमारे मिशनों और केन्द्रों की सहायता से भारत सरकार द्वारा निरन्तर इस विषय पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि विदेशी नियोजक भर्ती करने वाली एजेंसियों के माध्यम से भारत में खुले बाजार से भारतीय श्रमिकों की भर्ती करते हैं।

भारतीय जहाजरानी निगम की टनों के हिसाब से भार वाहन क्षमता

1992. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय जहाजरानी निगम को टनों में भार वहन क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय जहाजरानी निगम के अधीन नौवहन सेवाओं की संख्या तथा उनकी टनों के हिसाब से भार वाहन क्षमता कितनी है और उनमें से प्रत्येक के द्वारा वर्ष 1979 के दौरान कितना सामान लाया-ले जाया गया; और

(ग) क्या सरकार के पास कोई कन्टेनर-ओरिएन्टेड माल वाहक पोत है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) सरकार भारतीय नौवहन निगम के मालवाही जहाजों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में जब कभी भी सुझाव प्राप्त होते हैं, इनके गुण-दोष के आधार पर विचार करती है। भारतीय नौवहन निगम द्वारा जहाज खरीदने की क्रिया निरन्तर होती रहती है।

(ख) पहली मार्च, 1980 को भारतीय नौवहन निगम के पास 6.88 लाख जी० आर० टी० और 9.72 लाख डी० डब्ल्यू० टी० के 74 कारगो लाइनर जहाज थे। वर्ष 1978-79 के वित्तीय वर्ष (मार्च 1979 को समाप्त हुए) में भारतीय नौवहन निगम के जहाजों ने 27.86 लाख राजस्व टन माल ढोया।

(ग) भारतीय नौवहन निगम के पास इस समय कंटेनर वाले 19 जहाज हैं जो 20 कोट कंटेनर यूनिटों (टेऊस) के कुल 5,711 कंटनरों को ले जा सकते हैं। इसके अलावा कुल 6,852 टेऊस की धारिता के कंटेनरों वाले 18 जहाजों के लिए आर्डर दिए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं

1993. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं और उनसे कितने प्रतिशत को लाभ पहुंच रहा है ; और

(ख) उन योजनाओं पर अनुमानत: कितनी राशि खर्च होगी जिन्हें सरकार चालू वर्ष के दौरान क्रियान्वित करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़िया चिकित्सा सुविधायें देने के लिये भारत सरकार ने जो योजनायें चला रखी हैं इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

1. बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता योजना ;
2. जन स्वास्थ्य रक्षक योजना ;
3. दाई-प्रशिक्षण योजना ;
4. चिकित्सा शिक्षा रिओरियेंटेशन योजना।
5. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम।

1-4-1979 की स्थिति के अनुसार बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अधीन देश के 139 जिलों में रिओरियेंटेशन ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है। 144 और जिलों में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस समय चलाया जा रहा है। इसी प्रकार जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अन्तर्गत, जिसे अक्तूबर, 1977 में शुरू किया गया था, 1,698 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को लाया गया है और इसे आगे अक्तूबर, 1979 से 688 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चलाया गया है। 31 दिसम्बर, 1979 तक 1,29,654 जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका था।

1979-80 के दौरान दाई प्रशिक्षण योजना के अधीन भारी प्रगति हुई है और आशा है कि इस वर्ष के दौरान लगभग एक लाख दाइयों को प्रशिक्षण दे दिया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षा रिओरियेंटेशन योजना के अधीन प्रत्येक मेडिकल कालज के लिये तीन चलते-फिरते क्लिनिकों की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है ताकि संकाय के सदस्यों और मेडिकल कालेजों के छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य की रिओरियेंटेशन ट्रेनिंग दी जा सके। ये चलते फिरते क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा देने में भी सहायक होंगे।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोले जा रहे हैं। इस समय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 5,444 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 48,571 उप-केन्द्र चल रहे हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 80,000 से 1,00,000 लोगों को और एक उप-केन्द्र आमतौर पर 10,000 लोगों को चिकित्सा सुविधायें प्रदान करता है। पचास-पचास हजार की आबादी के लिये एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और पांच हजार की आबादी के लिये एक-एक उप-केन्द्र खोलने का विचार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों को खोलने का काम राज्य क्षेत्र के अधीन आता है और इस क्षेत्र के अधीन योजना आयोग द्वारा अपेक्षित व्यवस्था सीधे की जाती है।

(ख) इस वित्तीय वर्ष के दौरान ग्राम स्वास्थ्य योजनाओं पर निम्नलिखित खर्च आने का अनुमान है :—

	(रुपये लाखों में)
1. बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता योजना	733.99
2. जन स्वास्थ्य रक्षक योजना	2,141.68
3. दाई प्रशिक्षण योजना	380.00
4. चिकित्सा शिक्षा रिओरियेंटेशन योजना	1,250.00

अन्य पत्तनों का विकास करने के लिए यातायात को अन्यत्र भेजना

1994. **श्री एडुआर्डो फेलीरो** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के 10 प्रमुख पत्तनों में से छः पत्तन अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कुछ यातायात को अन्यत्र भेजने और अन्य प्रमुख पत्तनों विशेषत: पश्चिमी तटवर्ती मोरमुगांव हार्बर का विकास करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) अभी हाल ही के मूल्यांकन के अनुसार 10 में से 7 बड़े पत्तनों पर पेट्रोल, तेल और स्नेहक और कच्चे लोहे के अलावा अन्य माल का पत्तन-क्षमता से अधिक यातायात हुआ है।

(ख) जहां तक संभव होता है सरकारी माल के यातायात के वितरण को सुनियोजित किया जा रहा है।

अभी हाल में मार्मुगाव पत्तन पर 82 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का एक मैकेनिकल और हैंडलिंग प्लांट चालू किया गया है। 1980-81 में बड़े पत्तनों के विकास के लिए 99 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है।

गुजरात में शिपयार्ड बिल्डिंग का निर्माण

1995. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में एक शिपयार्ड बिल्डिंग का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान का चयन कर लिया गया है ;

(ग) राज्य सरकार ने इसके लिए किस स्थान की सिफारिश की है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम रूप से क्या निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) गुजरात में हजीरा नामक स्थान पर शिपयार्ड की स्थापना करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराई गई है। इस स्थान की सिफारिश राज्य सरकार ने की थी।

(घ) सरकार ने इस संबंध में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं किया है।

श्रम नीति

1996. **डा० फरूक अब्दुल्ला :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई श्रम नीति घोषित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या पिछली सरकार की नीति अधिकांश श्रमिकों के लिये कल्याणकारी नहीं रही है ; और

(घ) इसकी घोषणा कब तक की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (घ) इस समय श्रम नीति के संबंध में कोई वक्तव्य देने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस नीति की लगातार पुनरीक्षा की जाती है।

भारत में स्वास्थ्य-शिक्षा

1997. **डा० फरुक अब्दुल्ला**
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया था जिसमें यह कहा गया है कि भारत में स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति खराब है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके लिये क्या कारण उत्तरदायी हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया था, उससे पता चलता है कि भारत में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कुछेक कमियां हैं।

(ख) इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष विवरण में दिये गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कमियों के कारणों का उल्लेख भी किया गया है।

(ग) और (घ) भारत में स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन में जो फरवरी, 1980 में हुआ था, इन निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में देश में स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार लाने के उपायों पर भी विचार किया गया। सबसे निचले स्तर से स्कूल शिक्षा की 10+2 पद्धति के ढांचे के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व की मान्यता दी गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, श्रव्य-दृश्य साधनों, पुस्तकों और पुस्तिकाओं, पोस्टरों, पेम्पलेटों आदि के रूप में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए प्रोटोटाइप सामग्री का डिजाइन बनाकर उसे तैयार करता है। तथा स्वास्थ्य शिक्षा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रबन्ध करता है। केन्द्रीय ब्यूरो राज्यों के स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालयों को जो थोड़ा बहुत इसी प्रकार के काम में लगे हुए हैं, उनके काम में मदद और मार्ग-दर्शन देता है। विभिन्न वर्गों के क्षेत्रीय कार्यकर्ता जैसे बहुधंधी

कार्यकर्ता, खंड विस्तार शिक्षक और जन स्वास्थ्य रक्षक से भी लोगों की अनौपचारिक और प्रारंभिक स्वास्थ्य शिक्षा देने की आशा की जाती है ।

विवरण

निष्कर्ष

इस अध्ययन से जो निष्कर्ष निकले हैं वे इस प्रकार हैं :—

(क) राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ।

1. स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यकलापों को चलाने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है और जो स्टाफ उपलब्ध है वह प्रशिक्षित भी नहीं है ।

2. विभिन्न राज्यों में समान पदों के वेतनमानों में बहुत ज्यादा विषमता है ।

3. विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सम्पूर्ण स्वास्थ्य बजट में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जो बजट रखा गया है वह कम है और कम धन उपलब्ध होने के कारण स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यकलापों में रुकावट आती है ।

4. राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के स्वास्थ्य शिक्षक यह महसूस करते हैं कि प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा को कम महत्व दिया जा रहा है ।

5. स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी अनुसंधान की बहुत जरूरत है ।

(ख) जिला स्वास्थ्य शिक्षा यूनिटें ।

1. जिला स्वास्थ्य शिक्षा यूनिटों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित स्वस्थ शिक्षक नहीं हैं ।

2. मौजूदा स्टाफ के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं और वे उन कार्यों में जो उन्हें सौंपे जाते हैं कम उत्साह दिखाते हैं ।

3. वित्तीय सहायता के अभाव के परिणामस्वरूप भौतिक सुविधाओं का उचित प्रबन्ध नहीं हो पाता और साथ ही कार्यकलापों का आयोजन करना निरर्थक हो जाता है ।

4. स्वास्थ्य शिक्षक अधिकांशत: परिवार नियोजन कार्यक्रमों से संबंधित कार्यकलापों से सम्बद्ध रहते हैं ।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।

1. व्यक्तिगत वार्ताएं तथा ग्रुप बैठकें स्वास्थ्य शिक्षा के प्रमुख कार्यकलाप हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जबकि उप-केन्द्र स्तर पर ग्रुप बैठकें की जाती हैं और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी सामग्री का वितरण किया जाता है ।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और खंडस्तर अधिकारियों के बीच नजदीकी तालमेल है और इसे मजबूत किए जाने की जरूरत है ।

3. अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को भौतिक सुविधाओं की कमी तथा धन के अभाव का सामना करना पड़ता है ।

(घ) नर्सिंग स्कूल एवं कालेज ।

1. उनमें से अधिकतर भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या अपनाते हैं ।

2. अधिकतर स्कूलों (84 प्रतिशत) में स्वास्थ्य शिक्षा एक अलग विषय नहीं है (84 प्रतिशत) ।

3. सारे पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा को जो समय नियत किया गया है, वह बहुत थोड़ा है ।

4. कुछेक स्कूलों (23.4 प्रतिशत) द्वारा छात्रों को व्यावहारिक अनुभव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाता है ।

5. अधिकांश स्कूल मिडवाइफरी तथा स्कूल स्वास्थ्य में क्रमश: (45.1 प्रतिशत) तथा (30 प्रतिशत) छात्रों को क्षेत्रीय अनुभव प्रदान कर रहे हैं लेकिन यह बात केवल नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित है ।

6. स्वास्थ्य शिक्षा को अधिकांशत: जन स्वास्थ्य नर्सिंग, जन स्वास्थ्य, नर्सिंग के साथ जोड़ा गया है और सामान्यत: प्रसूति और शिशु नर्सिंग के साथ जोड़ा गया है ।

7. आधे से भी अधिक स्कूलों (53.5 प्रतिशत) ने परीक्षा पत्र में स्वास्थ्य शिक्षा पर प्रश्न नहीं पूछे हैं ।

8. अधिकांश स्कूलों के छात्र एक न एक शिक्षण सामग्री तैयार करते हैं ।

9. लगभग आधे स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा का प्रतिशत स्टाफ नहीं है ।

10. अधिकांश स्कूलों के पुस्तकालयों में स्वास्थ्य शिक्षा की पुस्तकों तथा संदर्भ सामग्री की बहुत कमी है।

11. अधिकांश स्कूल अन्य एजेंसियों की सहायता के बिना स्वतन्त्र रूप से कार्य करते रहे हैं।

(ङ) सहायक नर्स मिडवाइफ।

1. भारत के स्कूलों में सहायक नर्स मिडवाइफों के लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम अपनाया जाता है।

2. 75 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है। बहुत से सहायक नर्स मिडवाइफ स्कूलों में प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष है।

3. स्वास्थ्य शिक्षा को मुख्यत: व्यक्तिगत, सामुदायिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा और सर्जिकल नर्सिंग के साथ जोड़ा गया है।

4. अस्पताल एक ऐसा प्रमुख स्थान है जहां पर प्रशिक्षणार्थियों को स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी वार्ताओं का अनुभव दिया जाता है।

5. स्वास्थ्य शिक्षा की पढ़ाई के लिये सब के अनुकूल साधन मुद्रित सामग्री और मास-मीडिया हैं किन्तु अनुदेशों के लिये व्याख्यान का तरीका प्रमुख है।

6. सुझाव दिया गया है कि यूनिटों को मुद्रित सामग्री और अन्य जन प्रचार सामग्री सप्लाई की जानी चाहिए।

(च) बहु-धंधी कार्यकर्ताओं/जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम।

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लोगों की सफलतापूर्वक शामिल नहीं किया है।

2. अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (87.5 प्रतिशत) ने सूचित किया है कि उनके कार्मिकों ने कुछ हद तक कार्य कुशलता और जानकारी प्राप्त कर ली है।

(छ) सफाई निरीक्षकों की प्रशिक्षण संस्थायें।

1. केवल आधी संस्थाओं में ही स्वास्थ्य शिक्षा एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है।

2. अधिकांश संस्थाओं (6 में से 5) ने अपनी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में प्रश्न शामिल किये हैं।

3. सभी संस्थाओं के पुस्तकालयों में स्वास्थ्य शिक्षा पर पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हैं।

(ज) स्वास्थ्य शिक्षा में अनुसंधान कार्य।

1. स्वास्थ्य के आचरण और व्यवसाय संबंधी अधिकांश अध्ययन (85 प्रतिशत) स्वास्थ्य आचरण, जच्चा-बच्चा स्वास्थ और परिवार कल्याण के क्षेत्र में किये जाते हैं।

2. अधिकांश एजेंसियों (62.4 प्रतिशत) ने परिवार नियोजन और जनसंख्या शिक्षा पर अध्ययनों को प्रकाशित किया।

3. सही मानों में केवल थोड़ी सी एजेंसियों (24.2 प्रतिशत) ने ही स्वास्थ्य शिक्षा अनुसंधान के लिये कर्मचारी रखे हैं किन्तु वह भी पर्याप्त नहीं हैं।

4. भिन्न-भिन्न राज्यों में एक ही पद को धारण करने वाले विभिन्न कर्मचारियों के वेतनमानों में बहुत हद तक अन्तर है।

5. अनुसंधान करने वाले कर्मचारियों की कमी और अलग से धन की व्यवस्था न होने के कारण स्वास्थ्य शिक्षा के अनुसंधान कार्य में बड़ी बाधायें उत्पन्न हो रही हैं।

6. अनेक एजेंसियों (35.4 प्रतिशत) ने सुझाव दिया है कि स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन किया जाये और (30.6 प्रतिशत) ने सुझाव दिया है कि लोगों के स्वास्थ्य संबंधी आचरण का अध्ययन किया जाये।

7. किसी भी संगठन ने स्वास्थ्य शिक्षा में अध्ययनों को प्रयोजित नहीं किया है।

(झ) अस्पताल।

1. अस्पताल में बहुत सी निवार्य स्वास्थ्य समस्यायें संक्रामक रोग, पोषण-गत और पेट की अंतड़ियों की बीमारियों के कारण हैं। संभोग से उत्पन्न होने वाली बीमारियां भी बढ़ रही हैं।

2. डाक्टर और स्वास्थ्य शिक्षकगण अस्पताल में ही स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्यों में अधिकतर दिलचस्पी लेते हैं।

3. अस्पताल के अंदर ही अधिकतर स्वास्थ्य शिक्षा, गतिविधियां चलाई जाती हैं किन्तु समुदाय के बीच यह बहुत कम होती हैं।

4. डाक्टर लोग अस्पताल के बाहर आकर समाज में काम करने के लिये आगे नहीं आ रहे हैं।

5. क्षेत्रीय कार्यकर्ता या परिधि के कार्यकर्ता समाज में स्वास्थ्य शिक्षा में अधिक काम करते पाये जाते हैं।

6. 75 प्रतिशत अस्पतालों में नर्सों, जन स्वास्थ्य नर्सों और सहायक नर्सों, मिडवाइफों को छोड़कर अन्य स्टाफ स्वास्थ्य शिक्षा में प्रशिक्षित पाया गया है।

7. अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परिवार नियोजन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

8. स्वास्थ्य शिक्षक स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों को आयोजित करने के लिये सब से उपयुक्त व्यक्ति माने जाते हैं।

9. 4.4 प्रतिशत अस्पतालों ने अस्पतालों में अलग से स्वास्थ्य शिक्षा की स्थापना करने का सुझाव दिया है।

(ञ) स्वास्थ्य शिक्षकों की स्थिति।

1. अधिकांश स्वास्थ्य शिक्षक (85 प्रतिशत) स्वास्थ्य शिक्षा में प्रशिक्षित हैं और 80.6 प्रतिशत स्वास्थ्य शिक्षकों ने एक वर्ष का प्रशिक्षण पा लिया है।

2. अनेक स्वास्थ्य शिक्षकों ने दस वर्ष से भी अधिक अवधि की सेवा पूरी कर ली है।

3. एक ही पद को धारण करने वाले स्वास्थ्य शिक्षकों के वेतनमानों में बड़ी भिन्नता पाई जाती है।

4. अधिकांश स्वास्थ्य शिक्षकों के लिये अपने संगठनों में पदोन्नति के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं। इनमें से उप-जिला स्वास्थ्य शिक्षकों की हालत ज्यादा खराब है।

5. स्वास्थ्य शिक्षकों के पर्यवेक्षकगण तो प्रशिक्षित होते हैं परंतु स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों, राज्य/जला स्वास्थ्य शिक्षकों और उप-जिला स्वास्थ्य शिक्षकों के मामले में ऐसा नहीं है।

6. अधिकांश स्वास्थ्य शिक्षक क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्यों के अधीन काम कर रहे हैं। दूसरे, वे अधिकतर सेवा एजेंसियों की बजाय प्रशिक्षण केन्द्रों में तैनात किये जाते हैं।

(ट) सामान्य शिक्षा संस्थाओं में स्वास्थ्य शिक्षा।

1. अधिकांश संस्थाओं के पास स्वास्थ्य शिक्षा पर पाठ्य पुस्तकें हैं।

2. अधिकांश संस्थाओं के पुस्तकालयों में स्वास्थ्य शिक्षा पर पुस्तकें और सामग्री ही नहीं है।

3. किसी भी संस्था में स्वास्थ्य शिक्षा का अध्यापक नहीं है।

(ठ) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं।

1. अधिकांश संस्थाओं में स्वास्थ्य शिक्षा एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है।

2. अनेक संस्थायें (65.25 प्रतिशत) व्यावहारिक प्रशिक्षण देती ही नहीं है।

3. कोई भी संस्थान समाज का काम नहीं करता है।

(ड) राज्य के समाज कल्याण निदेशालय/विभाग में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम।

1. अधिकांश संस्थान स्वास्थ्य शिक्षा कार्य कर रहे हैं।

2. अधिकतर चिकित्सक लोगों को ही अनुदेशकों को स्वास्थ्य शिक्षा का प्रशिक्षण देने के काम में लगाया गया है।

3. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम अधिकतर सरकारी एजेंसियों में शिक्षा सामग्री और श्रव्य-दृश्य साधन प्राप्त कर रहे हैं।

(ढ) स्वैच्छिक संगठन।

1. लगभग सारी स्वैच्छिक संस्थाएं अपने-अपने नेमी कार्य के साथ-साथ स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियां चलाती हैं।

2. ये गतिविधियां अधिकतर अप्रशिक्षित स्टाफ द्वारा चलाई जाती है।

3. स्वास्थ्य शिक्षा का काफी काम इन संगठनों द्वारा किया जा रहा है। ये काम व्यक्तिगत, सामूहिक और जन सभायें, फिल्म शो, प्रदर्शनियां और प्रदर्शन आदि हैं।

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा उर्वरक के थैलों का प्रेषण

1998. श्री के० ए० राजन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास द्वारा 1978/1979 में रेलवे रसीद और माल डिब्बों के लेबल में परिवर्तन करके उर्वरक थैलों से भरे हुए सात मेल डिब्बों को धोखे से गलत स्थान को भेज दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या पत्तन न्यास द्वारा कोई जांच की गई थी ,

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) क्या उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सका था और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) कारोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने पोर्ट ट्रस्ट को नवम्बर, 1978 में यह सूचित किया था कि उसने केन्द्रीय, दक्षिण केन्द्रीय और दक्षिण पूर्वी रेलवे के विभिन्न स्टेशनों को जो पांच माल डिब्बे बुक किये थे, उनके असली सील कार्डों और लेवलों में परिवर्तन कर उन्हें दूसरी तरफ भेज दिया गया और इन डिब्बों का माल नकली रेलवे रसीद दिखा कर दक्षिण-केन्द्रीय रेलवे के अनापर्ती स्टेशन पर उतार लिया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान यह पता चला कि फर्टिलाइजर लदे दो और वैगनों को धोखा धड़ीकर दूसरी तरफ भेज दिया गया और द्वारा पुडी स्टेशनपर माल उतारा गया था।

(ख), (ग) और (घ) इसके बारे में उचित माध्यम से जांच करवाई जा रही है। अभी इस जांच का परिणाम नहीं प्राप्त हुआ है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में स्थानान्तरण

1999. **श्री के० लकप्पा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक उद्योग है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने आर्थिक महत्व के आधार पर सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबंध लगाया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह प्रतिबंध कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर भी लागू होता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या ऐसे अधिकारियों को जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन 95 लाख अंशदाताओं के हित में स्थानान्तरित किया जायेगा, जो औद्योगिक कर्मचारी हैं, क्योंकि क्षेत्रीय आयुक्तों के अभाव में अधिकतर क्षेत्र रिक्त पड़े है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी, हां।

(ख) वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार सभी स्थानान्तरणों को एक वर्ष की अवधि के लिये रोक दिया जाये, सिवाय उन स्थानान्तरणों के, जो प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति अवधि के समाप्त होने या विशेष वैयक्तिक कारणों के फलस्वरूप हुई हैं।

(ग) और (घ) सामान्यतया इन अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है, परन्तु अन्य संगठनों की भांति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भी स्थानान्तरणों पर कोई रोक नहीं है, यदि इन स्थानान्तरणों को प्रशासकीय औचित्य के आधार पर अनिवार्य समझा जाए।

लम्बी दूरी की गाड़ियों में सशस्त्र डकैतियां

2000. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री हरी किशन शास्त्री } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान, लम्बी दूरी की गाड़ियों में, माहवार, कितनी सशस्त्र डकैतियां हुई ;

(ख) क्या इसमें से अधिकांश घटनाएं पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में हुई हैं ;

(ग) कितने डकैत गिरफ्तार किये थे ; और

(घ) क्या यात्रियों को प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिये कोई नई व्यवस्था की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हल्दिया में पोत मरम्मत यार्ड

2001. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री आर० एल० पी० वर्मा } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया में पोत मरम्मत यार्ड की स्थापना करने, जिसकी स्वीकृति पिछली सरकार द्वारा दी गई थी, की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त परि योजना की कुल अनुमानित लागत क्या है और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा शामिल है ; और

(ग) इस के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने हल्दिया में जहाज-मरम्मत यार्ड की स्थापना करने के प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं दी है। मैसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कलकत्ता ने हल्दिया में जहाज-मरम्मत कम्प्लैक्स के संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विचारार्थ प्रस्तुत की थी। रक्षा उत्पादन विभाग में अन्य संबंधित पक्षों के साथ परामर्श करके इस रिपोर्ट की जांच की गई और यह फैसला किया गया कि रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार तट से दूर प्लेटफार्मों का निर्माण करने के लिये आवश्यक वित्तीय व्यवस्था को छोड़कर शेष सारी परियोजना की व्यवहार्यता और अन्य संबद्ध पहलुओं की फिरसे जांच की जाए और एक अनुपूरक रिपोर्ट तैयार करके सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत की जाए। उक्त रिपोर्ट रक्षा उत्पादन विभाग में अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

हुगली नदी के नौगम्य मार्ग का खराब होना

2002. श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री गदाधर साहा } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के नीचे हुगली नदी के नौगम्य मार्ग में काफी खराबी आई है ;

(ख) क्या इसका कारण फरक्का बांध से अपर्याप्त जल की सप्लाई होना है ; और

(ग) क्या इस समस्या पर भारत बांगलादेश संयुक्त नदी आयोग की हाल ही में हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और इसका क्या परिणाम रहा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) कलकत्ता से धारा के नीचे की ओर जहाज चलने वाले जलमार्ग में कोई विशेष खराबी नहीं आई है ।

(ग) जी, नहीं ।

आसनसोल-बर्दवान के बीच इ० एम० यू० कोच का शुरू किया जाना

2003. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी रेलवे के आसनसोल-बर्दवान सैक्शन के बीच इ० एम० यू० कोच शुरु किये जाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : बिजली गाड़ी स्टाक का अभिकल्प लम्बी दूरी की यात्राओं के लिये तैयार नहीं किया जाता है। रेलों पर अपनायी जाने वाली परम्परा के अनुसार, बिजली गाड़ियां अधिक से अधिक लगभग 90 कि० मी० की दूरी तक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जिसे तय करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। आसनसोल से हावड़ा तक की दूरी लगभग 200 कि० मी० है और यह दूरी तय करने में लगभग 4 घंटे का समय लगेगा । इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बिजली गाड़ियों में स्नानागार आदि अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाती, बिजली गाड़ियां इतनी लम्बी यात्राओं के लिये उपयुक्त नहीं हैं ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बिजली गाड़ी स्टाक परम्परागत चल स्टाक की अपेक्षा भिन्न डिजाइन का होता है, बर्दवान-आसनसोल खंड पर बिजली गाड़ियां चलाने में प्लेटफार्मों को ऊंचा करने, रेलपथों केन्द्रों को बदलने और अवरोधों को हटाने आदि जैसे अतिरिक्त निर्माण कार्य करने पड़ेंगे ।

इस खंड में बढ़े हुए यात्री यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आसनसोल और दुर्गापुर के सवारी और कोचिंग यार्डों में क्षमता में और वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस यार्डों में कोचिंग संबंधी अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकताओं की जांच करने के लिये एक तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण का काम 1980–81 के बजट में शामिल कर लिया गया है ।

आसनसोल, अंदल और दुर्गापुर में माल डिब्बे तोड़ने की घटनाएं

2004. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर
श्री समर मुखर्जी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979–80 के दौरान आसनसोल, अंदल और दुर्गापुर में माल डिब्बों को तोड़े जाने की कितनी घटनाएं हुई; और

(ख) इन गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 1979–80 (फरवरी 1980 तक) के दौरान आसनसोल, अंदाल और दुर्गापुर में माल डिब्बे तोड़ने की घटनाओं की संख्या नीचे दी गई है :–

स्थान	मामलों की संख्या
आसनसोल	35
अंदाल	28
दुर्गापुर	कोई नहीं

(ख) इन गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपाय इस प्रकार हैं :–

1. आसनसोल और अंडाल यार्ड में चौबीस घंटे सशस्त्र रेलवे सुरक्षा बल की गश्त तेज कर दी गयी है।
2. इन क्षत्रों में बीट एवं क्षेत्र में गश्त लगाने की प्रणाली लागू की गयी है।
3. रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण कड़ा कर दिया गया है।
4. आसनसोल और अंडाल यार्डों में रेलवे सुरक्षा विशेष बल का विशेष दस्ता तैनात कर दिया गया है।
5. आसनसोल और अंडाल यार्ड में पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल द्वारा संयुक्त रूप से धर-पकड़ का काम संगठित किया गया है।
6. पूर्व रेलवे के अपराध आसूचना ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा अचानक छापे मारने और अपराधियों और चुरायी गयी सम्पत्ति के प्राप्तकर्ताओं पर निरन्तर निगरानी रखने का काम तेज कर दिया गया है।
7. यार्ड में गश्त लगाने के लिये रेलवे सुरक्षा बल के कुत्ता दस्ता को भी लगाया गया है।

आसनसोल तक उपनगरीय रेल

2005. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के बर्दवान से आसनसोल तक के क्षेत्र को उपनगरीय क्षेत्र घोषित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) तत्संबंधी विवरण क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पूर्व रेलवे के बर्दवान-आसनसोल खंड को उपनगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

बड़े पत्तनों पर पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिए मजूरी का पुनरीक्षण

2006. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को बड़े पत्तनों पर पत्तनों तथा गोदी श्रमिकों के लिये मजूरी का पुनरीक्षण करने हेतु 1 जनवरी, 1980 से एक व्यवस्था स्थापित करने को कहा गया था; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) बड़े पत्तनों पर काम करने वाले पत्तन और गोदी कर्मचारियों के लिये वेतन पुनरीक्षण समिति द्वारा तैयार किया गया वेतन-ढांचा 31–12–1979 तक लागू था। 1–1–1980 से वेतन का पुनरीक्षण करने के लिये समिति का गठन करने के संबंध में अप्रैल, 1979 में पत्तन और गोदी कर्मचारियों के चारों अखिल भारतीय महासंघों के साथ बातचीत की गई। कुछ महासंघों ने बाद में भेजे अपने पत्रों में सुझाव दिया कि वेतन का पुनरीक्षण पत्तन के प्रबंधकों और महासंघों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिये किया जाये। परंतु, सभी महासंघों के बीच इस बारे में उग्र मतभेद थे कि प्रस्तावित द्विपक्षीय समिति के गठन में श्रमिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये या नहीं। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से बातचीत करने के बाद चारों महासंघ अब इस बात पर राजी हुए हैं कि प्रस्तावित द्विपक्षीय समिति में श्रमिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिये। इसके बाद, समिति के गठन में नियोक्ताओं के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिये पत्तन के प्रबंधकों और नौभरक एसोसिएशनों के महासंघ के साथ भी बातचीत की गई है।

नागेरकोआइल-तिरुनेलवेली बड़ी लाइन

2007. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागेरकोइल को तिरुनेलवेली से बड़ी लाईन द्वारा जोड़ने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण है; और

(ख) तिरुनेलवली-तूतीकोरिन बड़ी लाइन पर कब कार्य शुरु होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) नागेरकोइल-तिरुनेलवेली बड़ी लाइन, नागरकोइल के रास्ते तिरुवन्तपुरम से तिरुनेलवेलि तक नयी बड़ी लाइन, जिसकी शाखा लाइन कन्या कुमारी तक है, संयुक्त परियोजना का एक भाग है। तिरुवनन्तपुरम से नागरकोइल/कन्याकुमारी तक बड़ी लाइन को यातायात के लिये पहले ही खोल दिया गया है। नागरकोइल से तिरुनेलवेलि तक के शेष भाग को शीघ्र ही खोल दिये जाने की आशा है।

(ख) करुड़ से तिरुनेलवेलि/तूतीकुडिन तक एक बड़ी लाइन की व्यवस्था करने के लिये किये गये पिछले सर्वेक्षण का पुनर्मूल्यांकन पूरा हो चुका है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है। रिपोर्ट की सभी पहलुओं से जांच कर लिये जाने के बाद इस परियोजना के बारे में अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

तिरुचिरापल्ली-डिंडीगुल ब्राडगेज लाइन

2008. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिरूचिरापल्ली-डिंडीगुल ब्राड गैज लाइन का कार्य आरंभ कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) करुर से डिंडीगुल तक एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण, डिंडीगुल से मदुरै तक समान्तान्तर बड़ी लाइन तथा मदुरै से तिरूनलवेली तूतीकोरिन तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए किये गये पहले के सवक्षण का पुनर्मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। सभी दृष्टिकोणो से रिपोर्ट की जांच कर लेने के बाद उस परियोजना के बारे में निर्णय लिया जायेगा बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो और योजना आयोग मंजूरी दे दे। तिरूचिरापल्ली-डिंडीगुल मिटर लाइन को बडी लाइन में बदलने के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है।

सेतुसमुद्रम परियोजना

2009. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेतुसमुद्रम परियोजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसे क्रियान्वित कब किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) आर्थिक दृष्टि से संभव नहीं होने के कारण सेतुसमुद्रम परियोजना को कार्यान्वित करने का विचार नहीं है।

लघु क्षेत्र के नमक उत्पादकों को समुद्री जहाजों का दिया जाना

2010. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम क्षेत्र में समुद्री जहाज केवल लघु क्षेत्र के नमक उत्पादकों को ही दिए जाते है; और

(ख) यदि नहीं तो टुटीकोरिन में लघु क्षेत्र के नमक उत्पादकों और उनके संगठनो का समुद्री जहाज दिए जाने हेतु लिए गए निर्णय को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, नही।

(ख) जहां तक तूतीकोरिन से कलकत्ता को नमक ले जाने के लिए जहाज नियत करने का संबंध है, नौवहन महानिशेदक ने अभी हाल में तूतीकोरिन के नमक उत्पादन कर्ताओं को तरजीह देना शुरु किया है। मार्च, 1979 में प्राथमिकता सूची में तूतीकोरिन स्माल स्केल साल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नाम जोड़ा गया था। तब से नौवहन महानिदेशक ने इस एसोसिएशन को 4 जहाज नियत किये है जिन में से तीन जहाज बिना पारी के नियत किये गये।

1979 के दौरान श्रम-दिवसों की हानि और उसके लिए उत्तरदायी कर्मचारी

2011. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विवादों के कारण 1979 के दौरान कुल कितने श्रम दिवसों की हानि हुई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमें कितने कितने कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार औद्योगिक विवादों (हड़तालों और तालाबंदियों) के कारण नष्ट हुए समय संबंधी अनन्तिम आंकड़े 371 लाख श्रम दिन थे।

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे विवादों में सन्निहित श्रमिकों की संख्या 2,741,321 थी।

वर्ष 1979 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम द्वारा छोड़े गए ट्रिप

2012. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम द्वारा छोड़े गए ट्रिपों की दैनिक औसत क्या थी; और

(ख) इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) दिल्ली परिवहन निगम और निगम के अधीन चलने वाली प्रा० इवेट बसों द्वारा 1979 में प्रतिदिन औसतन 4,397 ट्रिप मिस किए गए जबकि निर्धारित ट्रिपों की संख्या 35,404 थी।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम बस सेवाओं को और अधिक विश्वसनीय बनाने और ट्रिपों को कम से कम मिस करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। काफी पुरानी और जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है, उन बसों के स्थान पर नई बसें लाई जा रही है और इसके लिए कुछ अतिरिक्त बसों की खरीद की जा रही है ताकि सफर के दौरान कम से कम गाड़ियां खराब हों। इसके अलावा, बस-मरम्मत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और एक दूसरी केन्द्रीय वर्कशाप खोलने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है ताकि मौजूदा वर्कशाप में काम हल्का हो सके। इस समय मौजूदा वर्कशाप में काम निर्धारित क्षमता से बहुत अधिक है क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या दिनो-दिन बढ़ती जा रही है। बसों की मरम्मत जल्दी और ठिक प्रकार से करने के लिए कुछ अतिरिक्त डिपुओं का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि बसों के प्रबंध-संचालन में सुधार आ सके। छात्र समुदाय और आम यात्रियों के अभ्यावेदनों और सुझावो पर तत्काल कारवाई करके इस बात की कोशिश की जा रही है कि बसों को अनावश्यक रुप से न रोका जाए और उस प्रकार उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि निगम उनकी कठिनाइयों के प्रति पूरी तरह जागरुक है। बसों के ट्रिप मिस होने का प्रतिशत 1977 में 14.34 से घटकर 1979 में 12.42 रह गया।

तमिलनाडु में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2013. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सारी छोटी लाइनों को और केरल में कुछ छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रस्ताव की अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) अगले तीन वर्षों में इन रेल लाइनों के किस सेक्शन पर काम आरंभ किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) तमिलनाडु और केरल राज्यों में मीटर आमान/बड़े आमान की रेलवे लाइनो का जाल बिछा हुआ है। इन राज्यों में छोटे आमान की कोई लाइन नहीं है। लेकिन करुर से डिंडीगुल तक बड़े आमान की लाइन बिछाने, डिंडीगुल से मदुरै तक समानान्तर बड़ी लाइन बिछाने और मदुरै से तिरुनेलवेल्लि/तूतिकोरिन तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए पहले किये गये सर्वेक्षण का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और रिपोर्ट विचारधीन है। इस प्रस्ताव पर 42.86 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। धन की उपलब्धता और योजना आयोग द्वारा अनुमोदन होने पर ही इस परियोजना को हाथ में लिया जा सकता है।

पटना में स्वास्थ्य केन्द्र का असन्तोषजनक कार्यकरण

2014. श्री रामावतार शास्त्री : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एक स्वास्थ्य केन्द्र गत कई वर्षों से कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस केन्द्र के कार्य प्रभारी और इसके कार्यकरण के खिलाफ केन्द्रीय कर्मचारियों में भारी रोष है;

(घ) क्या इस केन्द्र के बारे में शिकायतों का उल्लेख करते हुए एक संसद सदस्य ने उन्हें कोई पत्र लिखा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पटना में कोई स्वाथ्य केन्द्र नहीं चल रहा है। इस योजना के अन्तर्गत पटना में चार एलोपैथिक औषधालय तथा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों का एक-एक यूनिट कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) श्री रामावतार शास्त्री, संसद सदस्य का 28 जनवरी, 1980 का एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयो की असंतोषजनक स्थिति, उनकी अपर्याप्त संख्या, दवाइयों की कमी तथा उनके देरी से मिलने, पैथालाजिकल टेस्टो की असंतोषजनक व्यवस्था, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीयों द्वारा चिकित्सा पर किए गए खर्च की देरी से प्रतिपूर्ति करने के संबंध में शिकायतें की हैं। उस पत्र में जिन बातों को उठाया गया है उनकी जांच की जा रही है। लेकिन पटना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को कुशलता से चलाने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है। पटना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक और औषधालय भी खोला जा रहा है ।

बेरोजगार व्यक्ति

2015. श्री के० मालवा
श्री सोमनाथ चटर्जी } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के रोजगार केन्द्रों में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्ष-वार पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अर्हतावार और राज्यवार पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार व्यक्तिओं की संख्या क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से कितने व्यक्तियों कों रोजगार केन्द्रो के माध्यम से काम मिला ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी०पटनायक) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण- II, III और IV में दी गई है।

(ग) रोजगार चाहने वाले जिन व्यक्तियों को वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार पर लगाया गया, उनकी कुल संख्या क्रमश : 461.6, 460.6 और 466.3 हजार थी।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 703(ग/ 80)]

औद्योगिक सुरक्षा के संबंध में विचार-गोष्ठियां

2016. श्री आनन्द पाठक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 के अन्तिम सप्ताह में औद्योगिक सुरक्षा के संबंध में की गई दो विचार गोष्टियों, जिनमें से एक कलकत्ता और दूसरी धनबाद में आयोजित की गई थी, में की गई सिफारिशों और लिए गये निर्णय क्या-क्या है; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) "कोयला खानों में सुरक्षा में श्रमिकों की सहभागिता" संबंधी सेमिनार 26 से 28 जनवरी, 1980 तक धनबाद में भारतीय राष्ट्रीय खान श्रमिक महासंघ के तत्वावधान में हुआ। सेमिनार के निष्कर्ष प्रबन्धतंत्र और श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्य संचालन के मानिटर करने के लिए यूनियन और प्रबन्धक के प्रतिनिधियों की समिति गठित करने के बारे में है।

सरकार को कलकत्ता में हुए किसी प्रकार के सेमिनार के बारे में सूचना नहीं है।

(ख) यह खानों के प्रबन्धकों के लिये है कि वे मामले में आवश्यक कार्यवाही करें।

प्रतिनियुक्ति पर रेलवे अधिकारी

2017. श्री कृष्ण चन्द्र पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे संवर्ग के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर अपने आप को स्थानान्तरित करा लिया है और वहां उन्हें पदोन्नतियां मिल रही हैं जिसके परिणामस्वरूप रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उनका मनोबल गिरा है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय अन्य विभागों में ऐसे कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर गये हैं और क्या इससे रेलवे की कार्यकुशलता पर निरन्तर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे को ऐसे अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) रेलवे के कुछ अधिकारी जनहित में उन्हीं ग्रेड में अथवा उच्चतर ग्रेड में केन्द्र सरकार के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रतिनियुक्ति की अवधि में किसी अधिकारी को प्राप्त लाभ को उसके अपने संवर्ग में वापस लौटने पर संरक्षित नहीं किया जाता। अतः वरिष्ठ अधिकारियों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ख) इस समय प्रशासनिक ग्रेड के 53 अधिकारी केन्द्र सरकार के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इससे रेलों की कार्यकुशलता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भाटनी-वाराणसी लाइन

2018. श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाटनी–वाराणसी लाइन पर निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : वाराणसी–भाटनी मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने का काम एक अनुमोदित निर्माण कार्य है लेकिन अन्य अत्यावश्यक कारणों से इसे शुरू नहीं किया जा सका। बहरहाल, प्रथम चरण के रूप में इस मार्ग पर पड़नेवाले तुर्तीपार पुल में फिर से गर्डर लगान का काम शुरू किया गया है जो एक लम्बा काम है। इस परियोजना के लिये 1980–81 में 50 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल इस काम को पूरा करने के लिये कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती लेकिन इसे शुरू करने और शीघ्र पूरा करने के लिये पूरा प्रयास किया जायेगा बशर्ते कि इसके लिये धन राशि उपलब्ध हुई।

रेल अधिकारियों के पदों का दर्जा बढ़ाना

2019. श्री कृष्ण चन्द्र पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में उच्च काडर के पदों का दर्जा बढ़ा दिया गया है और इस निर्णय को तुरन्त ही प्रभावी कर दिया गया है परन्तु इसमें न तो कार्यकुशलता बढ़ी है और नही इसमें कोई सुधार हुआ है जबकि 1 जनवरी, 1979 से निम्न काडर के कर्मचारियों के पदों का दर्जा बढ़ाने के निर्णय को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त तनाव को कम करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) सरकार द्वारा राजपत्रित संवर्गों के ग्रेडों को बढ़ाने के लिये हाल में ही जो स्वीकृति प्रदान की है वह एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है जो यह सुनिश्चित करती है कि वर्ग "क" संवर्ग की पुर्नसंरचना का लाभ अधिकारियों के सभी कोटियों तथा वर्ग "ग" के कर्मचारियों को भी सुलभ होगा। ग्रेड बढ़ाने से लगभग 2500 से 3000 अधिकारियों को लाभ होगा और ऐसा कोई कारण नहीं है कि विभिन्न कोटियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कोई असंतोष या तनाव आये। 1-1-1979 से वर्ग "ग" और वर्ग "घ" की विभिन्न कोटियों के जिन 9000 पदों के ग्रेड बढ़ाये गये हैं उनमें अधिकांश भरे जा चुके हैं और/या अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद भरे जाने की प्रक्रिया में हैं। कार्यकुशलता का लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है और रेलों के कार्य निष्पादन में और सुधार लाने के लिये विभिन्न उपाय रेल मंत्री के 1980-81 के बजट भाषण में दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निलहट शिपिंग कंपनी का अधिग्रहण करना

2020. **श्री नारायण चौबे :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडिया स्टीमशिप कंपनी को निलहट शिपिंग कम्पनी का अधिग्रहण करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

पत्तन और गोदी कर्मचारियों को बोनस

2021. **श्री चित्त महाटा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पत्तन और गोदी कर्मचारियों को अभी तक बोनस नहीं दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का इन कर्मचारियों को भविष्य में बोनस देने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) बड़े पोर्ट ट्रस्टों और डाक लेबर बोर्डों द्वारा जो पत्तन और गोदी कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं वे बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के तहत नहीं आते हैं और इसलिये इन्हें कोई भी बोनस देय नहीं है। लेकिन बड़े पोर्ट ट्रस्टों और डाक लेबर बोर्डों द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों को बोनस के बदले अनुग्रह के रूप में प्रति वर्ष के आधार पर अदायगी की जाती है जिसकी रकम की दर सरकार प्रतिवर्ष निर्धारित करती है। यह दर प्रायः बोनस अदायगी अधिनियम में निर्धारित बोनस की न्यूनतम दर के बराबर होती है। 1978-79 के वित्तीय वर्ष के लिये अनुग्रहपूर्ण अदायगी की दर 8.1/3 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) 19 और 20 दिसम्बर, 1978 को पत्तन और गोदी कर्मचारियों के फैडरेशनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई सरकार की बातचीत के दौरान फैडरेशनों ने सुझाव दिया कि एक समिति का गठन किया जाये जिसमें चारों फैडरेशनों का एक-एक प्रतिनिधि और सरकार/पोर्ट ट्रस्टों और डाक लेबर बोर्डों के प्रबंधकों से बराबर-बराबर संख्या में प्रतिनिधि लिये जाएं। यह समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या पत्तन और गोदी कर्मचारियों की उत्पादकता/कार्य/कार्य-कुशलता के साथ बोनस जोड़ने की योजना शुरू की जा सकती है। उक्त फैडरेशनों के साथ 17 अक्तूबर, 1979 को हुई बातचीत में यह निर्णय किया गया था कि ये सभी फैडरेशन कार्य/कार्य-कुशलता/उत्पादकता के साथ बोनस को जोड़ने के लिये सरकार को सिद्धान्तों के बारे में सुझाव देंगे ताकि मामले पर विचार किया जा सके। इस संबंध में फेडरेशनों के सुझाव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इस बीच एक फेडरेशन ने यह मांग की कि 8.33 प्रतिशत की दर से न्यूनतम बोनस तो दिया ही जाये, लेकिन इस के साथ-साथ उक्त दर से ऊपर अतिरिक्त बोनस का भुगतान भी किया जाये जिसके लिये कोई निश्चित् सीमा नहीं होनी चाहिये और इससे पत्तन के अधिशेष या लाभ के बजाय पत्तन के कुल उत्पादन और कार्य के साथ

संबद्ध किया जाये । इस बारे में कोई स्पष्ट सिद्धान्त नहीं बताए गए हैं कि जिनके आधार पर उक्त प्रकार की कोई योजना तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया जा सके । इसलिए, इस मामले पर फिर विचार किया जायेगा जब बोनस को कार्य/कार्य-कुशलता/उत्पादकता के साथ जोड़ने के संबंध में बाकी फेडरेशनों से उनके प्रस्ताव प्राप्त हो जायेंगे ।

कोचीन शिपयार्ड में श्रमिक अशान्ति

2022. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगातार श्रमिक अशांति के कारण कोचीन शिपयार्ड में जहाजों की मरम्मत से होने वाली आय घट रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस शिपयार्ड में मरम्मत कार्य से हुई आय के वर्ष-वार आकड़ें क्या हैं; और

(ग) क्या इस शिपयार्ड में जहाजों का निर्माण कार्यक्रमानुसार चल रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता । फिर भी, पिछले तीन वर्षों में जहाज-मरम्मत कार्यों से प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली आय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1977–78	13,101	रुपए
1978–79	8,82,335	रुपए
1979–80 (अनुमानित)	35,00,000	रुपए

(ग) हाल की श्रमिक अशांति का जहाज-निर्माण कार्यक्रम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

बड़े बंदरगाहों में बंदरगाह और गोदी श्रमिकों के महासंघ से अभ्यावेदन

2023. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े बंदरगाहों और गोदी श्रमिकों के संघ से ऊंची दरों पर बोनस की अदायगी के लिए एक योजना को तैयार करने के संबंध में सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) 19 और 20 दिसम्बर, 1978 को पत्तन और गोदी कर्मचारियों के फेडरेशनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई सरकार की बातचीत के दौरान फडरेशनों ने सुझाव दिया कि एक समिति का गठन किया जाए जिसमें चारों फेडरेशनों का एक-एक प्रतिनिधि और सरकार/पोर्ट ट्रस्टों और डाक लेबर बोर्डों के प्रबंधकों से बराबर-बराबर संख्या में प्रतिनिधि लिये जाएं । यह समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या पत्तन और गोदी कर्मचारियों को उत्पादकता/कार्य/कार्य-कुशलता के साथ बोनस जोड़ने की योजना शुरू की जा सकती है । उक्त फेडरेशनों के साथ 17 अक्तूबर, 1979 को हुई बातचीत में यह निर्णय किया गया था कि ये सभी फेडरेशन कार्य/कार्य-कुशलता/उत्पादकता के साथ बोनस को जोड़ने के लिए सरकार को सिद्धान्तों के बारे में सुझाव देंगे ताकि मामले पर विचार किया जा सके । इस संबंध में फेडरेशनों के सुझाव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । इस बीच एक फेडरेशन ने यह मांग की कि 8.33 प्रतिशत की दर से न्यूनतम बोनस तो दिया ही जाए, लेकिन इसके साथ-साथ उक्त दर से ऊपर अतिरिक्त बोनस का भुगतान भी किया जाए जिसके लिए कोई निश्चित सीमा नहीं होनी चाहिए और इसे पत्तन के अधिशेष या लाभ के बजाए पत्तन के कुल उत्पादन और कार्य के साथ संबद्ध किया जाए । इस बारे में कोई स्पष्ट सिद्धान्त नहीं बताए गए हैं कि जिनके आधार पर उक्त प्रकार की कोई योजना तैयार करने के प्रश्न पर विचार किया जा सके । इसलिए, इस मामले पर फिर विचार किया जाएगा जब बोनस को कार्य/कार्य-कुशलता/उत्पादकता के साथ जोड़ने के संबंध में बाकी फेडरेशनों से उनके फेडरेशनों से उनके प्रस्ताव प्राप्त हो जाएंगे ।

व्यवस्था में खराबी आ जाने के कारण रेल दुर्घटनाएं

2024. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) त्रुटियुक्त रेल पथ, (दो) पुराने/त्रुटियुक्त रोलिंग स्टाक, (तीन) सिगनल की खराबी, (चार) रेलवे परिचालन में यात्रियों द्वारा बाधा डालने, (पांच) बिजली सप्लाई में रुकावट होने और (छः) लगातार रात्रि ड्यूटी सहित अतिशय ड्यूटी के कारण हुई मानवीय चूक की वजह से कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई; और

(ख) इस प्रकार के दोषों के निवारण के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) प्रश्न में उल्लिखित कारणों के परिणामस्वरूप होने वाली गाडी दुर्घटनाओं, जो अप्रैल, 1979 से फरवरी, 1980 तक की अवधि के दौरान भारत की सरकारी रेलों पर हुई, की संख्या नीचे दी गयी है:—

कारण		दुर्घटनाओं की संख्या
(i)	बाढ और लाइन की टूट-फूट आदि के कारण रेल-पथ धंस जाने जैसा रेल पथ के खराबियां, पटरी का टूट जाना, आमान-विविधता आदि—	
	(क) जिसके लिए रेल कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया था . .	41
	(ख) उपस्कर की खराबी	19
(ii)	(क) गतायु चल-स्टाक	..
	(ख) दोषपूर्ण चल-स्टाक जिसके लिए रेल कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया गया था	79
	(ग) उपस्कर की खराबी के कारण दोषपूर्ण चल-स्टाक . . .	156
(iii)	सिगनल की खराबी	..
(iv)	रेल परिचालन में यात्रियों का हस्तक्षेप करना	..
(v)	बिजली सप्लाई में खराबी	..
(vi)	अधिक समय तक ड्यूटी देने, जिसमें निरन्तर रात्री ड्यूटी शामिल है, के कारण मानवीय गलती	1
		296

(ख) चूंकि दुर्घटनाओं का एकमात्र सबसे बड़ा कारण रेल कर्मचारियों की गलतियां होता है, अतः रेलों के संरक्षा संगठन गाड़ी परिचालन से संबंध कर्मचारियों में संरक्षा के अधिकाधिक चेतना जागृत करने तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें या ऐसे लाघव तरीके न अपनायें जिनसे दुर्घटनाएं हो सकती हों।

गाड़ियों की जांच तथा सवारी और माल डिब्बा डिपुओं में तत्काल जांच करने का काम तेज कर दिया गया है और रेल-पथ, चल-स्टाक गौर सिगनल उपस्कर के समुचित अनुरक्षण की ओर भी अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा हैं।

मानव तत्व पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से पहियों, धुरों और पटरियों, पटरियों की झलाई, स्वतः चेतावनी प्रणाली, धुरा काउंटरों, रेल-पथ परिपथन आदि में पराश्रव्य दोष-संसूचक आदि जैसे परिष्कृत साधन उत्तरोत्तर लागू किये जा रहे हैं।

दुर्घटनाओं आदि जैसा अप्रत्याशित कारणों को छोड़कर कर्मचारी आमतौर पर निर्धारित सीमा से अधिक समय तक ड्यूटी नहीं देते। अतः यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी निर्धारित समय से अधिक समय तक काम न करें, कडी निगरानी रखी जा रही है।

स्टेशनों पर प्लेटफार्मों का निर्माण

2025. **श्री सूरज भान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी रेलवे का दिल्ली डिवीजन में अम्बाला-सहारनपुर लाईन पर केसरी और मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों के न होने की वजह से अनेक छात्रों और आम जनता को रेल-गाड़ियों में चढ़ने और उनसे उतरने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्मों के निर्माण करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ग) अम्बाला-सहारनपुर मुख्य बड़ी लाइन खंड पर मुस्तफाबाद और केसरी मार्गवर्ती स्टेशन हैं। इन स्टेशनों पर होने वाले यात्री यातायात की सुविधा के लिए पटरी तल के प्लेटफार्म पहले से उपलब्ध हैं और इस समय से पर्याप्त समझे जाते हैं। वित्तीय संसाधनों की तंगी के कारण, इन स्टेशनों के प्लेटफार्मों का स्तर ऊंचा करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० के उन कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही जिन पर आरोप लगाए गए थे

2026. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के सी० एम० डी० वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी और उन अन्य कर्मचरियों के खिलाफ अब तक क्या अंतिम कार्यवाही की गई है जिन पर गम्भीर आरोप लगाए गए थे ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है, नौकरी से हटा दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें से अधिकांश कर्मचारियों के खिलाफ और विशेषतः सी० एम० डी० के खिलाफ कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के अधिकारियों के विरुद्ध आज तक निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:—

(1) भूतपूर्व अध्यक्ष–प्रबंध निदेशक को उसके कार्यालय अर्थात् भारतीय नौवहन निगम वापस भेज दिया गया।

(2) वित्तीय सलाहकार और मुख्य प्रशासन अधिकारी } अनुशासनिक कार्रवाई कर नौकरी से बर्खास्त कर

(3) भूतपूर्व समुद्री अधीक्षक } दिया गया ।

(ग) जी, नहीं। जिन अधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप सिद्ध हो गये हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भूतपूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के बारे में जिन मामलों की जांच करने का काम केन्द्रीय खुपिया ब्यूरो को सौंपा गया था उन मामलों में रिपोर्ट अभी नहीं प्राप्त हुई है क्योंकि केन्द्रीय खुपिया ब्यूरो द्वारा जिन प्रथम सूचना रिपोर्टों को दर्ज किया गया था उनके बारे में भूतपूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ने कलकत्ता हायकोर्ट से रोक आदेश प्राप्त कर लिये हैं।

(घ) जैसा कि ऊपर (ग) में उल्लिखित है।

कलकत्ता पत्तन की वित्तीय स्थिति

2027. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन की वित्तीय स्थिति अभी तक भी सन्तोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है; और

(ग) कलकत्ता पत्तन की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) कलकत्ता पत्तन नदी के तट वाला पत्तन है। यह पानी की गहराई पर निर्भर रहता है। पानी की गहराई के पर्याप्त न रहने पर बड़े आकार के जहाजों को यहां आने में रुकावट पड़ती है और इसके

फलस्वरूप पत्तन पर यातायात कम हो जाता है। वेतन समिति के निर्णय को लागू करने, वेतन संशोधन समिति कर सिफारिशों, विशेष कार्य अधिकारी की सिफारिशों, अतिरिक्त महंगाई भत्ते आदि में वृद्धि, ऋण चुकाने के लिए प्रभार में भारी वृद्धि पत्तन और गोदी कर्मचारियों द्वारा अक्सर हड़ताल करने, पैट्रोल, तेल और स्नेहक पदार्थों तथा अन्य सामग्री की कीमतों में एकदम से वृद्धि होने से इन चीजों पर और अधिक खर्च होने से कलकत्ता पत्तन की वित्तीय स्थिति असन्तोषजनक हो गई है।

(ग) कलकत्ता पत्तन की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जो उपाय किये गये हैं उनमें हल्दिया में उप पत्तन का निर्माण, हल्दिया आने वाले जहाजी मार्ग का निकर्षण जिसके लिए सरकार ने ऋण दिया है, वर्ष 1980-81 में नदी में निकर्षण और अपेक्षित ड्राव बनाये रखने के खर्च में 80 प्रतिशत आर्थिक सहायता, सरकारी खर्च पर भागीरथी-हुगली नदी में पानी की गहराई बनाये रखने के लिए निकर्षण कार्य तथा नदी में निरन्तर पर्याप्त रूप से पानी बनाये रखने के लिए फरक्का बांध का निर्माण शामिल है। इसके साथ-साथ श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए विभिन्न श्रमिक यूनियनों के परामर्श से माल चढ़ाने उतारने वाले श्रमिकों के लिए प्रोत्साहन योजना को उदार बनाया गया है।

ग्रामीण श्रमिकों के कार्य-दिवसों में कमी

2028. **श्री समर मुखर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिये कार्य-दिवसो की संख्या में कमी, विशेष कर, 1964-65 के बाद हुई कमी की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पहलू का कोई अध्ययन किया था।

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन का स्वरूप क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस पहलू का अध्ययन करने का है?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) से(घ) 1974-75 की ग्रामीण श्रमिक जांच के अनुसार, ग्रामीण श्रमिक परिवारों में प्रति श्रमिक कार्य दिवसों की संख्या में 1964-65 और 1974-75 के बीच कमी हुई। पुरुषों के संबंध में, प्रति व्यक्ति उपलब्ध कार्य दिवसों की संख्या प्रतिवर्ष 277 से 250 तक हो गई, महिलाओं के संबंध में, यह संख्या 199 से 184 हो गई, और बालकों के संबंध में, यह संख्या 267 से 254 हो गई।

(ङ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, 1977-78 का 32वां दौर किया गया है और इसके अन्तिम परिणाम आने हैं।

बज बज-नमखाना रेल लाइन

2029. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बज बज से नमखाना तक रेल लाईन बिछाने के लिए कोई यातायात सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य पूरा किया जा चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। वित्तीय सक्षमता एवं धन राशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच कर लेने के बाद ही इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

बरुईपुर-लक्ष्मीकान्तपुर लाईन

2030. **श्री मुकुन्द मण्डल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सियालदह दक्षिण में बरुईरपुर–लक्ष्मीकान्तपुर सिंगल लाईन सेक्शन की लाइन क्षमता बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लाईन क्षमता को बढाने के लिये कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) इस खंड के दो प्लैग स्टेशनों, अर्थात मथुरापुर रोड और धापाधापी की 1980-81 में चार स्टेशनों में बदलने का कार्यक्रम हैं।

कलकत्ता पत्तन

2031. **श्री चित्त बसु :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन में क्षमता से कम कार्य हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ग) पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य कारण नदी में डुबने की कमी और श्रमिक अशांति हैं।

(ग) पोर्ट की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करने के लिए मुख्य रूप से ये कदम उठाए गए हैं :— माल की ढुलाई करने वाले श्रमिकों के लिए बनी प्रोत्साहन योजनाओं में संशोधन करना; नौवहन कंपनियों को जहां आवश्यक हो, वहां अपने उपस्कर करनें की अनुमति देना, मोबाइल उपस्कर और वार्फ क्रेनोंकी खरीद करने की अनुमति देना, कलकत्ता पत्तन पर चल रही मौजुदा श्रमिक समस्याओं की जांच करन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित करना इत्यादि-इत्यादि।

कलकत्ता मेट्रो रेल परियोजना

2032. **श्री चित्त बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता में मेट्रो रेल परियोजना में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य 1973 में प्रारम्भ हुआ था। यह काम दो चरणों में बंटा हुआ है, अर्थात्

चरण-i (लागत 184 करोड़ रुपय) दमदम से श्यामबाजार तक (3.68 कि० मी०) और एस्प्लानेड से टालीगंज तक (7.85 कि० मी०)

चरण –ii (लागत 66 करोड़ रुपये) श्याम बाजार से एस्प्लानेड तक (4.92 कि० मी०)

चरण–i का काम अक्तूबर, 1973 में दमदम की ओर से शुरु किया गया था। निर्माण की दृष्टि से दोनों चरणों के काम को आगे और 17 खण्डों में बांटा गया हैं।

दमदम से बेलगाछिया तक (2.2 कि० मी०) के परीक्षण खण्ड में काम समाप्त होने वाला है। शेष खण्डों में काम संतोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है। परियोजना का प्रथम चरण 1984–85 तक पूरा किया जाना है।

2. चरण–ii का काम चरण—i के पूरा होने की प्रतिक्षा किए बिना पश्चिम बंगाल सरकार की सहमति से चित्तरंजन एवेन्यू के समानान्तर साथ-साथ शुरू कर दिया गया है ताकि काम शीघ्र पूरा किया जा सके तथा दैनिक यात्रियों के लिए उसकी उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके।

निर्माण कार्य की वर्तमान वास्तविक प्रगति 22.5 प्रतिशत है जिस पर अनुमानतः लगभग 70 करोड़ रुपये लागत आयी है। निर्माण कार्य की गति तेज की जा रही है तथा इस परियोजना के 1986–87 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है बशर्ते कि अपेक्षित संसाधन उपलब्ध रहें।

कलकत्ता के मेट्रो रेलवे के अधीन निष्कासित व्यक्तियों का पुनर्वास

2033. **श्री चित्त बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे बोर्ड से उन लोगों के पुनर्वास के लिये धन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है जिनको कलकत्ता में मेट्रो रेलवे के निर्माण के कारण निष्कासित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि मकानों, दुकानों इत्यादि के अधिग्रहण के कारण जिन वर्गों के व्यक्ति सीधे प्रभावित होंगे, उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत देय मुआवजे के अतिरिक्त परियोजना के खर्च पर फिर से बसाया जाना चाहिये। रेल मंत्रालय द्वारा इस मामले पर विचार किया है और योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से कहा गया है कि वे राज्य सरकार को सूचित कर दें कि यदि यह काम 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की परिधि से बाहर किया जाना हो तो प्रभावित लोगों को फिर से बसाने के काम का खर्च राज्य सरकार वहन करे। कलकत्ता की द्रुत परिवहन परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद है और इसके परिचालन के लिये भारी आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी। इसलिये यह परियोजना प्रभावित लोगों को फिर से बसाने जैसा अतिरिक्त सामाजिक दायित्व वहन नहीं कर सकती, यह राज्य सरकार के समाज कल्याण कार्यक्रम का भाग होना चाहिये।

अहमदाबाद-बम्बई-अहमदाबाद सैक्शन पर दो इंजनों वाली रेलगाड़ी

2034. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद–बम्बई–अहमदाबाद सैक्शन पर दो इंजनों वाली रेलगाड़ी चलाने के बारे में एक प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि अहमदाबाद–बम्बई–अहमदाबाद से चलने वाली प्रायः सभी गाड़ियों में बहुत भीड़-भाड होती हैं और द्वितीय तथा प्रथय श्रेणी के आरक्षणों के लिए सदैव लम्बी प्रतीक्षा सूची होती हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम रेलवे के इस सैक्शन पर यात्री रेलगाड़ी सेवा को बढ़ाने की आवश्यकता है ;

(घ) क्या प्रस्तावित दो इंजनों वाली इस रेलगाडी से जनता के लिए आवश्यक बहुत भारी राहत मिलेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) बम्बई और अहमदाबाद के बीच यात्री सेवाओं की समस्याओं के बारे में रेलवे को जानकारी है। अभी हाल में बम्बई से सूरत के बीच 21/22 फ्लाइंग रानी में डबल डेकर डिब्बे लगाने शुरू किये हैं जिनकी क्षमता परम्परागत डिब्बों की अपेक्षा 60 प्रतिशत अधिक होती है। लेकिन, परिचालनिक कठिनाइयों के कारण अतिरिक्त गाड़ियां चलाना या वर्तमान गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाना संभव नहीं है। यहां तक कि दोनों तरफ इंजन लगाना भी अधिक सहायक नहीं होगा क्योंकि लम्बी गाड़ीयों के आदान और प्रस्थान के लिये पर्याप्त लम्बाई के प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं हैं। छुट्टियों के दौरान यातायात की अतिरिक्त भीड़-भाड़ को संभालने के लिये, अहमदाबाद और बम्बई के बीच विशेष गाड़ियां चलायी जाती हैं।

"महागंगा" ड्रेजर

2035. **श्री नीरेन घोष :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गार्डन रीच, वर्कशाप से कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा खरीदा गया ड्रेजर "महागंगा" ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है और इस प्रकार हुगली नदी पर तलकर्षण सम्बन्धी कार्यक्रम में बाधा पहुंच रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी , हां ।

(ख) विभिन्न तकनीकी खराबियों और कमियों का विश्लेषण किया गया है और इन्हें दूर करने के लिये परस्पर सहमति से एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है । इस कार्यक्रम के अनुसार ड्रेजर आवश्यक मरम्मत के लिये अप्रैल, 1980 तक गोदी में ले आया जायेगा ।

करुर डिंडीगुल लाइन

2036. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली को मदुरै होकर तिरुनेलवेलि के साथ मिलाने की दृष्टि से दक्षिण रेलवे में करुर और डिंडीगुल के बीच नई रेल लाइन (बड़ी लाइन) बिछाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) डिंडीगुल से मदुरै तक बड़ी लाइन के समानान्तर करुर से डिंडीगुल तक एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण तथा मदुरै-तिरुनेलवेलि/तुत्तुकुडी मीटर लाइन के आमान परिवर्तन के लिये किये गये पिछले सर्वेक्षण का पुनर्मुल्यांकन पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है । सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस लाइन के निर्माण पर लगभग 42.86 करोड़ रु० लागत आयेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बीड़ी और सिगार श्रमिक अधिनियम की क्रियान्विति

2037. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों ने बीड़ी और सिगार श्रमिक सेवा शर्तें अधिनियम 1966 को क्रियान्वित किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : उपलब्ध सूचना के अनुसार अधिनियम का कार्यान्वयन आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा गोवा, दमन व दीव में किया जा रहा है ।

मूथाकुन्नम–कोट्टापुरम पुल

2038. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर मूथाकुन्नम-कोट्टापुरम पुल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 में पेरियार नदी पर मूथाकुन्नम-कोट्टापुरम पुल का निर्माण दिसम्बर, 1979 में मंजूर किया गया था । केरल सरकार टेंडर के लिये नोटिस जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रही है और आशा है कि टेंडरों के लिये नोटिस जल्दी ही जारी कर दी जायेगी ।

(ख) निर्माण कार्य शुरू हो जाने के बाद इस पुल के निर्माण में संभवतः 4 वर्ष लग जायेंगे ।

महिला के डिब्बों में प्रविष्ट अनधिकृत पुरुष यात्रियों द्वारा छेड़छाड़ और परेशान किया जाना

2039. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल महिला यात्रियों के लिये आरक्षित रेल डिब्बों में अनधिकृत रूप से प्रविष्ट पुरुष यात्रियों द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ और परेशान किये जाने के बारे में बम्बई में लोकल रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों से कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या उपाय कर रही है जिनसे ऐसी घटनाएं दोबारा न हों ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों का पता लगाने और उनको दण्ड देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां। शिकायतें परेशान किये जाने के संबंध में थीं न कि छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में ।

(ख) और (ग) इस उपद्रव को समाप्त करने के लिये विशेष दस्तों द्वारा नियमित रूप से अचानक छापे मारे जाते हैं महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिये व्यस्त समय के दौरान महिला डिब्बों में सरकारी रेलवे पुलिस की महिला सिपाही भी यात्रा करती हैं। उपनगरीय खंड के सभी स्टेशनों पर सार्वजनिक उद्घोषण प्रणाली द्वारा नियमित रूप से यह घोषणा की जाती है कि महिला डिब्बों में पुरुष यात्रियों द्वारा यात्रा करना असामाजिक ही नहीं है, बल्कि भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध भी है। 1979-80 के दौरान, 13603 यात्री गिरफ्तार किये गये और भारतीय रेल अधि-- नियम के अंतर्गत उन पर मुकदमा चलाया गया ।

अन्तर्राज्यीय मार्ग का जोड़ा जाना

2040. **डा० कर्ण सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू में भद्दरवाह को हिमाचल प्रदेश में चंबा से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय सड़क कई वर्षों से निर्माणाधीन है ; और

(ख) यदि हां तो सड़क निर्माण में विलम्ब क्यों किया जा रहा है और यह कब पूरी होगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। यह एक राज्य सड़क है और इसके निर्माण की जिम्मेदारी जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार ने इसके निर्माण के लिये जम्मू व कश्मीर राज्य की सरकार को 115 लाख रुपये और हिमाचल प्रदेश की सरकार को 65 लाख रुपये की ऋण सहायता देने की सहमति दी है। इन सरकारों ने यह सूचना दी है कि इसका निर्माण विभिन्न कारणों जैसे काम करने के लिये थोड़े दिनों के मौसम के होने, पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाये जाने वाले स्थानों के वर्ष से ढके रहने, सामग्री और मजदूरों का अभाव होने आदि से नियत समय में नहीं पूरा हो सका है। निर्माण कार्य की लागत भी बढ़ गई है और राज्य सरकारें ऋण सहायता की शर्तों के अनुसार अपने साधनों से इस बढ़ी हुई लागत को वहन करने में कठिनाई का अनुभव कर रही हैं। इस सड़क का बन कर तैयार होना स्थल पर निर्माण कार्य के शुरू होने और धन राशि के उपलब्ध होने पर निर्भर है।

भोपाल के लिए शायिका का कोटा

2041. **श्री एन० के० शेजवलकर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर से भोपाल के लिये प्रतिदिन दूसरी श्रेणी के कितने टिकट बेचे जाते हैं ;

(ख) क्या इस समय भोपाल के लिये सभी गाड़ियों में शायिका का कोटा लगभग 42 है और क्या जी० टी० एक्सप्रैस में भोपाल से आगे अर्थात् नागपुर की तरफ कोटा बहुत अधिक है और क्या ग्वालियर से भोपाल तक उतना कोटा बढ़ाने में कोई कठिनाई है; और

(ग) क्या ग्वालियर से दिल्ली का शायिका का कोटा भी इसी प्रकार दूसरी श्रेणी के टिकटों की संख्या की तुलना में काफी कम है और इसे शीघ्र ही बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) ग्वालियर स्टेशन पर भोपाल के लिए प्रतिदिन औसतन 240 टिकटें बेची जाती हैं ।

(ख) और (ग) . भोपाल और उससे आगे की यात्रा के लिए ग्वालियर को भिन्न-भिन्न गाड़ियों में दूसरे दर्जे की 26 शायिकाओं का कोटा आवंटित किया गया है। इनमें से, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन ग्वालियर से भोपाल तक की यात्रा के लिए 16 अप जी०टी० एक्सप्रैस से चलने वाले नयी दिल्ली—भोपाल 3 टिअर वाले खण्डीय सवारी डिब्बे दूसरे

दर्जे की 8 शायिकाएं आबंटित की गयी हैं। इसके अतिरिक्त भोपाल जाने वाले यात्रियों द्वारा ग्वालियर स्टेशन को 16 अप जी०टी० एक्सप्रैस, 18 अप जनता एक्सप्रैस और 22 अप दक्षिण एक्सप्रैस में नागपुर के लिए आबंटित दूसरे दर्जे की 18 शायिकाओं के कोटे का भी "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर उपयोग किया जा सकता है।

गाड़ियों में स्थान की उपलब्धता और विभिन्न प्रमुख स्टेशनों तथा गाड़ी के प्रारम्भिक स्टेशन पर आरक्षण की मांगों को ध्यान में रखकर न कि किसी स्टेशन पर टिकटों की बिक्री के आधार पर, उन मार्ग वर्ती स्टेशनों को आरक्षित स्थानों का कोटा दिया जाता है जहां से महत्वपूर्ण गाड़ियों से नियमित और काफी यातायात होता है। जी०टी० एक्सप्रैस गाड़ियों से ग्वालियर स्टेशन का वर्तमान कोटा बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

गुना-उज्जैन यात्री गाड़ी का चलाया जाना

2042. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी संसद् सदस्यों ने एक वर्ष पूर्व तत्कालीन रेल मंत्री से गुना-उज्जैन यात्री गाड़ी को दिन में चलाए जाने के बारे में मांग की थी, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या उसी समय गुना-बीना शटल गाड़ी के लिए भी मांग की गई थी और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या गुना स्टेशन पर एक और टिकट खिड़की खोलने के बारे में भी मांग की गई थी; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां। 1-10-79 से गुना–उज्जैन सवारी गाड़ी दिन के समय चलायी गयी है।

(ख) और (ग) जी, हां। गुना–बीना शटल अप्रैल, 1980 से चलायी जा रही है। 15-9-1978 से गुना स्टेशन पर भीड़-भाड़ के समय अतिरिक्त टिकट खिड़की की व्यवस्था कर दी गयी है।

ग्वालियर-शिवपुर रेल लाइन

2043. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर-शिवपुर रेल लाइन को सवाई माधोपुर से तथा ग्वालियर भिंड लाइन को इटावा से मिलाने और दोनों लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की योजनाएं रेल प्रशासन के विचाराधीन हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन दोनों लाइनों को मिलाने से मध्य प्रदेश से गुजरते हुए, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को काफी छोटा मार्ग मिल जायेगा जिसके परिणामस्वरूप न केवल यात्रियों को ही लाभ मिलेगा अपितु रेलवे भी प्रतिदिन काफी ईंधन बचा पायेगा जो कुछ वर्षों में करोड़ों रुपए तक पहुंच जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) जी, हां। पिछड़े क्षेत्रों में नयी लाइनों के निर्माण और उनके लिये धन की व्यवस्था के बारे में नीति निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट के प्राप्त होने पर इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा।

काश्मीर में पीलिया से 17 मौतें

2044. **डॉ० फारूक अब्दुल्ला :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर में गत दो महीनों में पीलिया से हुई 17 मौतों का समाचार मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू और काश्मीर में पीलिया ने महामारी का रूप धारण कर लिया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग पीलिया से पीड़ित हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस संबंध में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार को किस प्रकार की सहायता और मदद दी जा रही है;

(ङ) क्या किसी केन्द्रीय दल द्वारा राज्य का दौरा किये जाने की संभावना है या पहले ही दौरा किया जा चुका है; और

(च) सरकार ने पीलिया पर नियंत्रण पाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी। अगली कार्रवाई सूचना की प्रकृति और अपेक्षित सहायता की प्रकार पर निर्भर होगी।

पेरिस के दैनिक समाचार पत्र को प्रधान मंत्री द्वारा दी गई भेंट

2045. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में पेरिस के दैनिक "ला मैटिन" को भेंट दी है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने बताया है कि सोवियत रूस को अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने के लिये विवश किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो भेंट का पूरा ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) पेरिस के दैनिक समाचार-पत्र "ला मातीन" ने 3 मार्च, 1980 को प्रधान मंत्री के साथ हुई भेंट-वार्ता प्रकाशित की थी।

(ख) यह बात प्रश्न में जिस तरह कही गई है उस तरह प्रधान मंत्री ने नहीं कही थी।

(ग) समाचार-पत्र में प्रकाशित भेंट-वार्ता का हिन्दी अनुवाद विवरण में संलग्न है।

विवरण

ल मातीन, पेरिस

3 मार्च, 1980

इन्दिरा गांधी और शक्तिहीन गुट-निरपेक्ष देश--अफ्गान संकट के परिप्रेक्ष्य में।

3 मार्च की "ल मातीन" में भारत की प्रधान मंत्री के साथ हुई भेंटवार्ता में भारत और संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, चीन और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों के प्रश्न को उठाया गया और यह विचार व्यक्त किया गया कि वर्तमान तनाव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी पश्चिम के देशों पर है।

नेहरू युगीन भारत और बाद के पिछले 25 वर्षों में नई दिल्ली की सरकार के पास विचार-विमर्श के लिए आने-जाने वालों का ऐसा तांता कभी नहीं लगा, जैसा कि इस समय इन्दिरा गांधी की सरकार में हो रहा है जबकि दक्षिण एशिया की शांति को दूसरे महायुद्ध के बाद कठोरतम आघात पहुंचा है। 12 जनवरी, को पुनः सत्ता संभालने के बाद से 15 विदेशी सरकारों के प्रतिनिधि प्रधान मंत्री से मिल चुके हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, फ्रांस, युगोस्लाविया और अल्जीरिया के प्रतिनिधि भी शामिल हैं और चीन इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है। जल्दी ही उन्हें पश्चिम जर्मनी और जापान के प्रतिनिधि के स्वागत का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने दूसरी बातों के अलावा खाड़ी के देशों में भी अपने उच्च- अधिकारी भेजे हैं और भारत के सीमावर्ती देशों में भी। उनकी बातचीत का केन्द्रीय विषय है : दक्षिण एशिया का संकट और अफ्गानिस्तान पर सोवियत आक्रमण। लेकिन 1971 की "मित्रता संधि" के माध्यम से मास्को से सम्बद्ध नेहरू की बेटी काबुल में ही इसकी इतिश्री नहीं मानती। उनके लिए सबसे अहम बात "बड़ी शक्तियों" द्वारा अपनाई गई नीति है, जो ऐसा लगता है भारत द्वारा प्रवर्तित गुट-निरपेक्षता के आन्दोलन को निःशक्त बना देना चाहती है।

ल मातीन : हाल ही में अनेक देशों के प्रतिनिधि आपके यहां आये, खासतौर पर गुट-निरपेक्ष देशों के प्रतिनिधि। क्या आपका ख्याल है कि विश्व में तनाव को कम करने के लिए गुट-निरपेक्ष देश दूसरों के मुकाबले में अधिक सफल रहेंगे ? क्या आप इस आन्दोलन का सम्मेलन बुलाने की बात सोच रहे हैं ?

इन्दिरा गांधी : गुट-निरपेक्ष देश अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि उनमें एकता हो। जहां तक इसकी वर्तमान स्थित का प्रश्न है गुट निरपेक्ष आन्दोलन में वैसी एकजुटता नहीं रही है, जो पहले इसकी विशेषता थी। दो बड़ी शक्तियां अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में लगी हैं। दोनों गुट अपने आप को बचाते हुए अपने प्रभाव से काम लेने की चेष्टा कर रहे हैं और इसीलिए कोई प्रगति नहीं होती। जहां तक अफ्गानिस्तान

के मामले पर विशेष सम्मेलन बुलाने का सवाल है—जब तक किन्हीं परिणामों तक पहुंचने की आशा न हो तब तक इसे बुलाना बेमानी है, और यह तो महज वक्त की बरबादी होगी। यही वजह है कि इस समय गुट-निरपेक्ष देश कोई ठोस प्रस्ताव तैयार नहीं कर रहे हैं।

ल मातीन : क्या सोवियत सैनिक के अफ़गानिस्तान से हटे बिना भी इस संकट का समाधान निकल सकता है?

इन्दिरा गांधी : अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत पेचीदा है। पश्चिमी देशों का ख्याल कुछ ऐसा है कि यह समस्या बुनियादी तौर पर सोवियत सैनिकों के अफगानिस्तान में आ जाने के कारण है। यह नहीं कहा जा सकता है कि पश्चिम इस तनाव को कम करने में कोई योगदान दे रहा है। उसने अपने सैनिक प्रयास इस अनुपात में बढ़ा दिए है कि देखकर आश्चर्य होता है। हिन्द महासागर में संयुक्त राज्य का मामला इसका एक विशिष्ट उदाहरण है। हम यह नहीं चाहते कि उस क्षेत्र में कोई विदेशी प्रभाव काम करे। हमें यह समझना होगा कि सोवियत सेना किन कारणों से अफगानिस्तान में घुसी है। यदि इस मुद्दे पर विचार नहीं करें, तो यह बात क्षम्य या समाप्त हो जाती है। किसी भी अन्य देश की तरह सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ को भी जबकि यह लगता है कि उसके राष्ट्र का हित खतरे में है, तो वह निष्क्रियता के लिए अपनी भर्त्सना स्वयं करने लगता है। आप संयुक्त राज्य अमरीका के उनके अपने क्षेत्र लेटिन अमरीका में वे किस नीति पर चलते हैं उस पर गौर करें। अफ़गानिस्तान सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सीमा पर बसा हुआ है और उसके विद्रोहियों को पाकिस्तान से हथियार मिलते थे। सोवियत संघ के पास दूसरा क्या विकल्प था? पिछले अगस्त में ही अमीन ने (जिन्हें सोवियत समर्थक बबरक कार्मल की सरकार ने 27 दिसम्बर को सत्ता से हटा दिया था) उन से हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। अगर सोवियत लोग अफ़गानिस्तान से हट जाएं तो इस बात की पूर्ण आशंका है कि काबुल की सरकार का तख्ता किसी ऐसी सरकार द्वारा पलट दिया जाए जो उनके प्रति शत्रुता रखते हों।

ल मातीन : क्या सोवियत विदेश मंत्री आन्द्रे ग्रोमिको ने अपनी हाल की नई दिल्ली यात्रा के दौरान आप से भारत का समर्थन मांगा था?

इन्दिरा गांधी : जी, नहीं।

ल मातीन : क्या यह भारत-सोवियत बैठक असफल नहीं रही थी?

इंन्दिरा गांधी : इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट परिणाम पर पहुंचना नहीं था। दोनों के दृष्टिकोण को प्रगट किया गया था और बस इतना ही हुआ। लेकिन ग्रोमिको ने मुझे यह संकेत नहीं दिया कि सोवियत हस्पक्षेप से वह खुश है। यह कहना होगा कि उन्हें मजबूरी में हस्तक्षेप करना पड़ा।

ल मातीन : आप मास्को के मुकाबले पश्चिम के प्रति अधिक कटु लगती है मानों आप उन से अभिभूत हों।

इन्दिरा गांधी : पश्चिम की सरकारें कुछ अतिशयतापूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। ऐसा निःसंदेह भारी उद्योग, शस्त्र और नव-सैनिक निर्माण के प्रभाव के कारण होता है। अमरीकियों की ही मिसाल लीजिए—उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सोवियत कार्यवाही पर व्यक्त नहीं की, बल्कि इसके विपरीत असंतुलित अनुपात में उपाय बरतने के लिए इस स्थिति का लाभ उठाया। हमें यह समझना चाहिए कि वर्तमान संकट का एक कारण सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के विरुद्ध चीन और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच की निकटता भी है, क्योंकि सोवियत संघ अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है।

ल मातीन : लेकिन क्या कोई पीकिंग-वाशिंगटन के बीच किसी धुरी के बारे में सचमुच कह सकता है?

इन्दिरा गांधी : नहीं। लेकिन कोई भी चीन, संयुक्त राज्य अमरीका और पाकिस्तान के बीच एक गहरी समझ-बूझ की बात तो कह ही सकता है और उनकी यह समझ-बूझ सोवियत विरोधी है। अमरीकी पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं और बहुत मुमकिन हैं कि इसके अंजाम उनकी आशा के प्रतिकूल निकलें। अब देखिए ईरान में क्या हुआ—शाह का पतन हो गया, वे लोग पाकिस्तान की स्थिति को पूरी तरह नजरअन्दाज कर देते हैं जहां कि विद्रोह बढ़ रहा है और सिंध में (भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री भुट्टो जिन्हें सैनिक राष्ट्रपति जिया ने मौत की सजा दी थी, का क्षेत्र) राजनैतिक आन्दोलन बढ़ता जा रहा है। इस सिलसिले में भी पश्चिम के वे देश जिन्होंने 1975 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने पर मेरी बहुत कटु आलोचना की थी, पाकिस्तानी सैनिक तानाशाह की मदद करने में किसी तरह का संकोच महसूस

नहीं करते । हम पाकिस्तान के साथ किसी साम्यवाद विरोधी समुदाय में शामिल नहीं होना चाहते बल्कि हम उसके साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं । कमजोर पड़ोसियों का होना जहां विघटन का डर हो भारत के लिए बहुत घातक है और उसके हित में भी नहीं ।

ल मातीन : और चीन, आप उन देशों की श्रृंखला में उसका नाम क्यों भूल गईं जिनके साथ आपने सम्पर्क कायम किया हैं ?

इन्दिरा गांधी : हम उसे भूले नहीं । यह सच है कि इस समय सभी हमारे प्रति शिष्ट नजर आते हैं । चीनियों ने अपने मित्र पाकिस्तान के मामले में हमें राहत पहुंचाने वाले संकेत दिए हैं और हमारे सम्बन्धों के सुधार के विषय में भी । मित्रता के बारे में बड़े बोल नहीं बोलते । लेकिन वह सचमुच सोच रहा है—यह जानने के लिए प्रतीक्षा करना जरूरी है । आखिर, हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में पीकिंग का समर्थन किया था, हालांकि अतीत में हमारे प्रति उनका रवैया बहुत शत्रुतापूर्ण रहा है और वह अब भी भारतीय प्रदेश पर अपना दावा करते हैं और उन्होंने नेपाल में अपने परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों की तादाद और बढ़ा दी है ।

ल मातीन : क्या आपको उम्मीद है कि वहां के विदेश मंत्री हुआंग हुआ भारत यात्रा पर आयेंगे ?

इन्दिरा गांधी : यह तो कार्यक्रम बन जाने की बात है लेकिन अगर वे आना चाहते हैं तो हमेशा उनका स्वागत होगा ।

ल मातीन : ब्रेजनेव ने अफगानिस्तान से सेना हटाने का विरोध करके जिन अन्तर्राष्ट्रीय गारन्टियों का सुझाव दिया है और यूरोप के समुदाय ने अफगानिस्तान को तटस्थ बनाने के जो प्रस्ताव रखे हैं उनके सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ?

इन्दिरा गांधी : हमने ब्रेजनेव के प्रस्ताव का अभी अध्ययन पूरा नहीं किया है । जहां तक अफगानिस्तान पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण का विचार है मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे सम्भव हो सकता है । हम भारतवासियों को 1947 में स्वतंत्र होने के बाद और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण का अच्छा अनुभव नहीं है ।

ल मातीन : अगर भारत जैसा देश भी अफगानिस्तान के संकट का समाधान खोजने के लिए हस्तक्षेप करने में सक्षम नहीं हुआ तो क्या आसन्न भविष्य में युद्ध का खतरा नहीं है ?

इन्दिरा गांधी : हमें इस मामले में यथार्थ और सहिष्णुता से विचार करना होगा । वास्तव में तनाव कम हुआ है । अमरीकी नेताओं में अब वैसी हड़बड़ाहट नजर नहीं आती और फ्रांस जैसे दूसरे देशों की तरह भारत ने भी इस प्रभाव को सन्तुलित करने में योगदान दिया है ।

भारतीय खेत मजदूर यूनियन की मांग

2046. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खेत मजदूर यूनियन द्वारा उन्हें खेतीहर श्रमिकों की मांगों के बारे में एक मांग पत्र दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) भारतीय खेत मजदूर यूनियन से इस मंत्रालय में संकल्प के प्रारूप की एक प्रति प्राप्त हुई थी । यह संकल्प अखिल भारतीय कृषि श्रमिक सम्मेलन में 23-10-1979 को पास किया गया था ।

(ख) यह संकल्प मजदूरी-दरों, ट्रेड यूनियन अधिकारों, बेरोजगारी आदि से संबंधित था और इसमें कृषि श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय कानून का समर्थन किया गया था ।

(ग) इस संकल्प को उप समिति ने सामान्यतः ध्यान में रखा है । यह उप समिति कृषि श्रमिकों की मजदूरी-दरों और रोजगार शर्तों को विनियमित करने के लिए केन्द्रीय विधेयक का ढांचा तैयार करने के लिए ग्रामीण असंगठित श्रमिक संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति द्वारा गठित की गई थी । इस उप समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है जो ग्रामीण असंगठित श्रमिक संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति की शीघ्र ही आयोजित की जाने वाली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी । स्थायी समिति सरकार को आगे कार्यवाही की सिफारिश करेगी ।

रेलवे स्टेशनों पर कैन्टीनों के लिये ठेके

2047. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर कैन्टीनों और वस्तुओं की बिक्री के लिये ठेके सामान्य तौर पर कितनी अवधि के लिये दिये जाते हैं;

(ख) क्या इन ठेकों को दिये जाने के मामले में सहकारी समितियों, बेरोजगार स्नातकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दिये जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) वेंडिंग ठेके 3 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किये जाते हैं और अल्पाहार गृहों, रेस्तरांओं तथा भोजन/पैन्ट्री यानों आदि के ठेके 5 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किये जाते हैं। ठेकेदार का कार्य निष्पादन संतोषजनक रहने पर ठेके की अवधि समाप्त हो जाने के बाद इन ठेकों का नवीकरण किया जाता है ।

(ख) और (ग) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत खान-पान/वेंडिंग ठेकों के आवंटन में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों, श्रमिकों की सहकारी समितियों, बेरोजगार स्नातकों आदि को पहले से ही वरीयता दी जा रही है। वरीयता का क्रम इस प्रकार है :—

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति,

(2) सहकारी समितियां,

(3) महिला समितियां,

(4) स्वतन्त्रता सेनानी, और

(5) अन्य ।

आधे यूनिट तक खान-पान/वेंडिंग के छोटे ठेके केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आवंटित किये जाते हैं ।

पीलिया का महामारी रूप लेना

2048. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीलिया ने पटना, तथा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और इलाहाबाद जिलों में महामारी का रूप ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीमारी से अनेक व्यक्तियों की मौतें हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो हाल में प्रत्येक उपरोक्त स्थान में कितने व्यक्तियों की मौतें हुई हैं ; और

(घ) इस बीमारी की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और इलाहाबाद के जिलों में और बिहार में पटना जिले में पीलिया के रोगियों की सूचना मिली है।

(ख) और (ग) 1979-80 के दौरान उपर्युक्त स्थानों में इस रोग से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

आजमगढ़	61
इलाहाबाद	89
पटना	1

(घ) जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिये जो दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपाय किये जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

अल्पकालीन उपाय :

(1) पीने वाले पानी का नियमित रूप से क्लोरीनीकरण ।

(2) मच्छरों को खतम करने के लिये दवाई का छिड़काव और फागिंग ।

(3) दस्ती पर्चों का वितरण जिनमें इस रोग के चिन्ह, लक्षण और निवारण के बारे में लोगों को जानकारी दी गई है।

(4) लाऊड स्पीकरों द्वारा लोगों को नियमित रूप से यह समझाने की उद्घोषणा कि वे रोगियों को अलग रखें, जिला अस्पताल में रोगियों को पंजीबद्ध करायें और निवारक उपाय बरतें ।

(5) यद्यपि कोई भी केन्द्रीय मल-निकास पद्धति नहीं है तथापि गंदगी के समुचित निकास के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

दीर्घकालीन उपाय :

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से कहा गया है कि वे इस महामारी की उत्पत्ति का पता लगाने के लिये समुचित अनुसंधान हेतु यथेष्ट नमूने इकट्ठे करें ताकि हमें भविष्य में इस रोग के निवारण और चिकित्सा के लिये कोई निश्चित हल मिल जाए ।

पन्नीजी सुगर मिल का बन्द होना तथा श्रमिकों को मजूरी का भुगतान न होना

2049. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुलन्दशहर जिले (उत्तर प्रदेश) में पन्नीजी सुगर मिल बन्द हो गयी है और हजारों मजदूरों को गत तीन महीनों की मजूरी नहीं दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मिल की मशीनें चालू हालत में है तथा गन्ना भी बहुतायत में उपलब्ध है किन्तु मिल मालिक इसे मोदी सुगर मिल को अन्तरित करने की योजना बना रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है, यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, जो इस मामले में सम्बन्धित सरकार है, यह मिल 25 फरवरी, 1980 से बन्द कर दी गई है। 29 फरवरी, 1980 को, इस मिल की और श्रमिकों की मजदूरी की 10.97 लाख रूपये की राशि बकाया थी ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस मिल की मशीनें चालू हालत में हैं और इस मिल के बन्द होने के समय लगभग 2.5 लाख क्विन्टल गन्ना खेतों में उपलब्ध था लेकिन किसानों द्वारा इसे सप्लाई न करने के कारण इसकी पेराई न की जा सकी क्योंकि गुड़ और खांडसारी की प्रचलित अधिक बाजार कीमत के कारण किसान गन्ने की अधिक कीमत मांग रहे थे ।

मोदी शुगर मिल्स, मोदी नगर को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस मिल के बाकी बचे हुए गन्ने को खरीद लें ।

(ग) यह मिल इस समय कलक्टर, बुलन्दशहर, द्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर द्वारा चलाई जा रही है। राज्य सरकार यह देखने के लिए प्रयत्नशील है कि जितनी जल्दी हो सके गन्ने की कीमत की लगभग 16 लाख रुपये की बकाया राशि और श्रमिकों की मजदूरी की बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाए ।

पाकिस्तान को भेजे गये संसद् सदस्य

2050. **श्री आर० के० महालगी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कुछ संसद् सदस्य पाकिस्तान भेजे गए थे ;

(ख) क्या इन सदस्यों ने विशेष राजनयिक पार-पत्रों पर यात्रा की थी ;

(ग) क्या पाकिस्तान की इस यात्रा की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी ;

(घ) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ उनकी भेंट की व्यवस्था इस्लामाबाद स्थित भारतीय राजदूत द्वारा की गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो इन बैठकों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) श्री जार्ज फर्नान्डिस और श्री सुब्रमणियम स्वामी अपने आप ही पाकिस्तान की यात्रा पर गये थे ।

(ख) संसद् सदस्य होने के नाते श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री सुब्रमणियम स्वामी राजनयिक पासपोर्ट धारी है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) अखबारों में जो कुछ छपा है उससे अधिक विवरण सरकार के पास नहीं है ।

बारहमासी कामों में ठेका प्रणाली

2051. **श्री ए० के० राय :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम संविदा (उन्मूलन और विनियमन) अधिनियम के अनुसार बारहमासी कामों में ठेका प्रणाली समाप्त करने का अर्थ श्रम संविदा का उन्मूलन है या उसका विभागीकरण करना है ;

(ख) क्या यह सच है कि किसी अन्य व्याख्या के न होने के कारण श्रम संविदा को समाप्त करने के नाम पर बहुत बड़ी संख्या में संविदा श्रमिकों को बेरोजगार कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) केन्द्रीय परामर्शी ठेका श्रम बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कुछ विशिष्ट संक्रियाओं में ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया है :—

(i) कोयला खानें;

(ii) लोहा अयस्क खानों में 10 मई, 1980 से,

(iii) चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज खानों में 15 जून, 1980 से;

(iv) केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रतिष्ठानों के स्वामित्व वाले या उनके द्वारा अधिवासित भवनो में झाड़ देना, सफाई करना, धूल झाड़ना तथा चौकीदारी करना ।

तथापि, ठेका श्रमिकों की छंटनी के कई मामले ध्यान में आए हैं । ऐसे मामलों में संज्ञेय किया जाता है और विवादों का संतोषजनक रूप से निपटारा करने के लिए प्रयास किए जाते हैं । कुछ मामलों में विवादों को औद्योगिक अधिकरण के पास न्याय-निर्णय के लिए भी भेजा जाता है । ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है जो उसे आवश्यक या समीचीत प्रतीत हो, परन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो । तथापि, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के विभिन्न पहलुओं, जिनमें उपर्युक्त विषय शामिल है, की जांच की जा रही है ।

देश के कुष्ठ रोग की सम्भावना वाले क्षेत्र

2052. **श्री ए० के० राय :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि देश के कुष्ठ रोग की सम्भावना वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं और देश में कितने कुष्ठ रोगी हैं, यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस प्रकार की कोई योजना है, जिसके अन्तर्गत कुष्ठ रोग से प्रभावित माता-पिता को अपने बच्चों से अलग रखा जा सके और उनके ठीक हो जाने पर उनके लिए रोगी के साधनों की व्यवस्था करते हुए उन्हें पुनः बसाया जा सके और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला धनबाद, बिहार के टेंटल-नारी में कुष्ठ रोग के इलाज का एक बड़ा अस्पताल जिसमें रोजी और उपचार की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो महान सम्भाव्यताओं और उपयोगिता के बावजूद किसी सरकारी सहायता के बिना बरबाद हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ।

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) ये आंकड़े समय समय पर एकत्र किए जाते हैं। जिन इलाकों में कुष्ठ रोग स्थानीय रूप से फैला हुआ हैं उनकी जिले वार दरों के नवीनतम आंकड़े (1971) अनुबन्ध में दिए गए हैं ।

(ख) ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है। किन्तु समाज कल्याण विभाग द्वारा उन स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता दी जाती है जो रोगमुक्त हो गए कुष्ठरोगियों तथा उनके बच्चों को फिर से बसाने का कार्यक्रम चलाती हैं ।

(ग) और (घ) भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अस्पताल की जानकारी है । लेकिन इसका वर्तमान स्तर क्या है, इसका पता नहीं है । इस दिशा में आवश्यक कदम उठाना राज्य सरकार का काम होगा और उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जा रहा है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 203घ/80]

अनुसूचित जातियों के लोगों को विक्रय के ठेके

2053. **श्री राम लाल राही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अनुसूचित जातियों के व्यक्तियो को विक्रय तथा खान-पान के ठेके देने में प्राथमिकता देने का निर्णय किया हैं और यदि हां, तो इस समय इस बारे में क्या स्थिति है । और

(ख) क्या यह भी सच है कि यद्यपि उत्तर-पूर्व रेलवे लखनऊ-बरेली रेल लाइन पर सीतापुर जंक्शन पर ठेका नियमानुसार हरिजन को दिया गया था तथापि रेल कर्मचारी उसे काम करने नहीं दे रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां, खान-पान और खीमर्थी के ठेकों के आवंटन में अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियो को अन्य व्यक्तियों से प्राथमिकता दी जाती है ।

(ख) उपर्युक्त नीति के अनुसार, पूर्वोत्तर रेलवे ने सीतापुर रेलवे स्टेशन पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को 6-11-79 से खान-पान पर ठेका दिया था । वह अभी भी इस ठेके को चला रहा है ।

केन्द्रीय कोयला खान बचाव समिति द्वारा उपकरण की खरीद

2054. **श्री आर० एल० पी० वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय कोयला खान बचाव समिति, धनबाद (बिहार) के अधिकारियों ने श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से 40 लाख रुपये के बचाव उपकरण की खरीद के मामले में सभी कानूनों का उल्लंघन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) दोषी अधिकारियो के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) ये बचाव उपकरण समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर खरीदे गए थे । इस समिति में चार तकनीकी विशेषज्ञ और वित्त डिवीजन का एक अधिकारी था । सरकार ने यह समिति उपकरण की आपूर्ति के लिए विभिन्न प्रस्तावों का मूल्यांकन करने और तकनीकी उपयुक्तता, कीमतों, फालतू पुर्जों की उपलब्धता आदि जैसे तत्वों को ध्यान में रखते हुए खरीदे जाने वाले उपकरणों और उनकी मात्रा के संबंध में ठोस सिफारिशें करने के लिए गठित की थी ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

प्रदीप लैम्प वर्क्स, पटना में श्रमिकों को बोनस तथा भविष्य निधि का लाभ

2055. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रदीप लैम्प वर्क्स पटना सिटी में स्थित है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस कारखाने के श्रमिकों को कई वर्षों से बोनस, उपदान, भविष्य निधि आदि नहीं दी जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि कारखाने सुचारू रूप से चले और श्रमिकों को आवश्यक लाभ मिले ?

पर्यटन तथा नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि सभी पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बनाया गया है और वे कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन और कर्मचारी जमा सम्बद्ध (लिंक्ड)

बीमा योजनाओं के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी नियोजक ने मई, 1977 से फरवरी, 1980 तक की अवधि के लिए भविष्य निधि की बकाया राशि की अदायगी में चूक की।]

कर्मचारियों को उपदान और बोनस की अदायगी के संबंध में सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(घ) सितम्बर, 1979 तक समाप्त हुई अवधि की बकाया राशि को भू-राजस्व के रूप में वसूल करने और बहि नियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के बारे में नियोजक पर अभियोजन चलाने के लिए भविष्य निधि प्राधिकारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 8 और 14 के अधीन कार्यवाही की है। उन्होंने उपर्युक्त वसूली करने और अभियोजन चलाने से पहले बात की अवधि सम्बन्धी बकाया राशि की मात्रा का निर्धारण करने के लिए अधिनियम की धारा 7-क के अधीन कार्यवाही भी शुरू की है।

जबलपुर-गोन्दिया लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2056. **श्री मुन्दर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर-गोन्दिया मीटर गेज लाईन को बड़ी लाइन में बदलने सम्बन्धी कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या लागत आएगी ;

(ग) योजना कब कार्यान्वित होनी शुरू हो जायेगी ; और

(घ) योजना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) गोन्दिया-जबलपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की दक्षिण-पूर्व रेल प्रशासन द्वारा समीक्षा की जा रही है और आशा है कि यह रिपोर्ट दो एक महीने में प्रस्तुत कर दी जायेगी। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और सभी पहलुओं, जिनमें वित्तीय अर्थ क्षमता और धन की उपलब्धता भी शामिल है, से उसकी जांच कर लिये जाने के बाद ही इस सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया जायेगा।]

चल-स्टाक वसूली कार्यक्रम

2057. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसी कि 12 फरवरी, 1980 के 'बिजनैस स्टैण्डर्ड' कलकत्ता में खबर छपी है, क्या, रेलवे विभाग का चल स्टाक वसूली कार्यक्रम जिसके अंतर्गत 1980-81 के लिए पहले 20,000 वैगन (चौपहियों के रूप में) का लक्ष्य रखा गया था, घटा कर केवल 13,500 वैगन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेलों द्वारा माल डिब्बों की व्यवस्था वर्षानुवर्ष यातायात की मांग और धन की उपलब्धता को ध्यान में रख कर की जाती है। 1980-81 के लिए निधि के आवंटन के अनुसार 8,500 चौपहिये माल डिब्बों की व्यवस्था करने की योजना है। 1980-81 के दौरान 20,000 चौपहिये माल डिब्बे प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रुग्ण मिलों में कर्मचारी और श्रम दिवसों की हानि

2058. **श्री राम विलास पासवान :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक/भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा रुग्ण घोषित किए गए 313 मिलों में से प्रत्येक में गत तीन वर्षों से, वर्षवार विभिन्न श्रेणियों के कितने प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) उनका उद्योग-वार और राज्य वार वार्षिक ब्यौरा क्या है और उपरोक्त अवधि के दौरान इन मिलों में हड़तालों और तालाबन्दी के आंकड़े क्या है; और

(ग) उपरोक्त कंपनियों में हड़तालों और तालाबन्दी के परिणामस्वरूप श्रम दिवसों की जो हानि हुई है उसका उद्योगवार और राज्यवार ब्यौरा और आंकड़े क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संबंधित स्रोतों से एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

अहमदाबाद और जबलपुर के बीच सीधी रेल सेवा

2059. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर और कटनी के व्यापार और वाणिज्य के लिए अहमदाबाद मंडी बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात को दृष्टि में रखते हुए व्यापार की प्रगति के लिए अहमदाबाद और जबलपुर के बीच सीधी रेल सेवा आरम्भ किया जाना बहुत आवश्यक है और अनेक संस्थानों और संगठनों ने रेलवे विभाग को इस आशय के मांग पत्र भेजे हैं ;

(ख) क्या अहमदाबाद और जबलपुर के बीच सीधी रेल सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो इसको कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(ग) क्या गंगा-कावेरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को कोचीन तक चलाकर जबलपुर को दक्षिण भारत से सीधे जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो कब तक इसे क्रियान्वित किया जायेगा ; यदि नहीं, तो गंगा-कावेरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को कोचीन तक न चलाने के लिए क्या कठिनाईयां हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) अहमदाबाद और जबलपुर को सीधे रेल सम्पर्क द्वारा जोड़ने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । लेकिन, परिचालनिक कठिनाइयों के कारण अहमदाबाद और जबलपुर के बीच ऐसी गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

(ग) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । लेकिन, मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता की कठिनाइयों के कारण गंगा-कावेरी एक्सप्रेस को कोचीन तक बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है ।

पुरी से नई दिल्ली तक की सुपर-फास्ट गाड़ी

2060. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुरी से नई दिल्ली गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिये प्रस्तावित सुपर-फास्ट गाड़ी को कितना समय लगेगा और वह कितने स्टेशनों पर रुकेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : 1-4-80 से प्रस्तावित, भुवनेश्वर, टाटानगर, बोकारो, गया और वाराणसी के रास्ते पुरी और नई दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन बार चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी जिनके नाम 175/176 नीलाचल एक्सप्रेस हैं, एक दिशा में लगभग 33 घंटे 40 मिनट और दूसरी दिशा में 34 घंटे 10 मिनट में यह दूरी तय करेंगी । ये गाड़ियां पुरी और नयी दिल्ली के बीच 15 स्टेशनों पर रुकेंगी ।

लामपुर बोर्डर से केन्द्रीय सचिवालय तथा दिल्ली के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों तक दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

2061. **श्री उत्तमराव पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली परिवहन निगम की उस बस सेवा में सुधार के लिये कोई व्यापक समावद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया है जिसके अन्तर्गत लामपुर बोर्डर (नरेला) अलीपुर तथा अन्य निकटवर्ती क्षेत्र आते हों ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दिल्ली के इन ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ती हुई दि० प० नि० बस सेवा को देखते हुए इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि आजादपुर टर्मिनल से लामपुर-सिंघ, बोर्डर-अलीपुर मार्ग तक दि० प०नि० बस सेवा संतोषजनक नहीं है, यदि हां, तो इस मार्ग पर महीने वार कितने चक्कर छोड़ दिये जाते हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम ने ढांसा बोर्डर से केन्द्रीय सचिवालय टर्मिनल तक विशेष बस सेवा चला रखी है, यदि हां, तो इस बात के क्या कारण हैं कि दिल्ली परिवहन निगम काफी समय से की जा रही मांग और दैनिक यात्रियों के लिये बस बदलने की अपर्याप्त सुविधाओं के बावजूद लामपुर बोर्डर से केन्द्रीय टर्मिनल तक विशेष बसें नहीं चला रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं । दिल्ली परिवहन निगम के पास संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के सभी मार्गों में बस सेवाएं चालू करने और उनमें सुधार के लिए एक विशाल कार्यक्रम है ।

इन क्षेत्रों में लामपुर बोर्डर, अलीपुर और इसके साथ लगने वाले कुछ अन्य इलाके शामिल हैं । लेकिन, दिल्ली परिवहन निगम खास-खास इलाको में बस-सेवा में सुधार लाने के लिए कोई समय बद्ध कार्यक्रम तैयार नहीं कर सकता क्योंकि इसके कई कारण हैं। जैसे : नई चेसिसों के बारे में कोई भरोसा नहीं रहता कि वे कब मिलेगी, ऐसी सड़कों का निर्माण करना जिस पर भारी गाड़ियां आ जा सके, बसों के रखरखाव के लिए और उन्हें खड़ा करने के लिए बुनियादी सुविधाओ की व्यवस्था करना और उनका विकास करना, बढ़ते हुए यातायात के ढांचे में निरंतर परिवर्तन होते रहना जिसका संबंध आबादी की बढ़ती या आबादी के कहीं अन्यत्र चले जाने से है, नई कालोनियों का विकास होना, यात्रियों के गंतव्य स्थान में परिवर्तन हो जाना और भूमि का इस्तेमाल इत्यादि-इत्यादि ।

यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली के इन ग्रामीण क्षेत्रों में दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवाओं का स्तर घट गया है । लामपूर बार्डर, नरेला और लामपुर से अनेक बस सेवाएं चालू की गई हैं। हाल ही में नरेला और आजादपुर के बीच रूट नं० 131 और 135 पर शटल सेवाएं चालू की गई हैं। समय-समय पर किए गए यातायात सर्वेक्षणों से मालूम हुआ है कि इन गांवों में जितनी बसें इस समय चल रही हैं, वे वहां के निवासियो की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी हैं।

(ग) जी, नहीं। इन क्षेत्रों में चलने वाले रूटों पर नवंबर, 1979 से फरवरी 1980 के दौरान प्रतिमाह जो ट्रिप मिस हुए, उनका ब्यौरा और मिस हुए ट्रिपों के प्रतिशत का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) यह सच है कि ढांसा बार्डर से केन्द्रीय सचिवालय तक आने वाले यात्री एक स्पेशल बस में आते हैं, लेकिन यह सच नहीं है कि वे सिर्फ एक ही रूट पर आते-जाते हैं। मिसाल के तौर पर, ढांसा बोर्डर से आने वाले यात्री रूट नं० 835 पर टिकट खरीद कर तिलक नगर तक आते हैं। इसके बाद वहीं बस तिलक नगर से केन्द्रीय सचिवालय तक रूट नं० 810 पर एक ट्रिप उठाती है और जो यात्री इस बस में ढांसा बोर्डर से आ रहे होते हैं, वे तिलक नगर से केन्द्रीय सचिवालय तक का एक और टिकट खरीद लेते हैं।

निगम पहले-से ही नरेला, लामपुर और बवाना से केन्द्रीय सचिवालय तक विशेष ट्रिप चलवा रहा है । निगम के लिए यह संभव नहीं है कि वह प्रत्येक गांव से केन्द्रीय सचिवालय तक के लिए सीधी बस सेवा चालू करवाए। आदर्श नगर, आजादपुर, राणा प्रताप भाग जैसे कई प्रमुख टर्मिनलो पर बसें बदलने की सुविधाएं मौजूद हैं, जहां से केन्द्रीय सचिवालय तक आने के लिए काफी बसें मिल जाती हैं ।

विवरण

रूट	नवम्बर, 1979			दिसम्बर, 1979			जनवरी, 1980			फरवरी, 1980		
	निर्धारित ट्रिप	मिस हुए ट्रिप	निर्धारित ट्रिपों की तुलना में मिस हुए ट्रिपों का प्रतिशत	निर्धारित ट्रिप	मिस हुए ट्रिप	निर्धारित ट्रिपों की तुलना में मिस हुए ट्रिपों का प्रतिशत	निर्धारित ट्रिप	मिस हुए ट्रिप	निर्धारित ट्रिपों की तुलना में मिस हुए ट्रिपों का प्रतिशत	निर्धारित ट्रिप	मिस हुए ट्रिप	निर्धारित ट्रिपों की तुलना में मिस हुए ट्रिपों का प्रतिशत
109 .	480	23	5	496	14	3	494	31	6	460	22	5
124 .	450	20	4	465	30	6	463	17	3	433	15	3
125 . .	1,894	124	7	1,950	113	6	1,965	147	8	1,847	205	12
131 . .	1,684	171	11	1,954	129	7	1,916	138	7	1,836	146	8
135 . .	700	5	8	263	42	5	848	12	1	782	27	3
136 . .	868	44	5	873	15	2	877	36	4	814	31	4
138 . .	420	28	6	434	12	2	434	7	1	406	3	1
144 . .	420	18	4	434	35	8	434	24	5	388	17	4
146 . .	420	39	9	434	51	11	432	46	10	390	38	9
147 . .	420	21	5	434	15	3	433	20	4	389	29	7
148 . .	420	18	4	434	26	6	434	6	1	391	10	2
149 . .	420	5	1	434	23	5	434	24	5	389	15	4

नई दिल्ली नगरपालिका के पोषाहार तथा स्वास्थ्य केन्द्रों की दशा

2062. **श्री उत्तमराव पाटिल :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका के पोषाहार तथा स्वास्थ्य केन्द्रों की दशा खराब है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका के पोषाहार तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्दियां तथा मेंजें तक भी नहीं दी गई हैं ;

(ग) क्या वहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सर्दियों/गर्मियों की वर्दियां अभी तक नहीं दी गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना के कार्यकरण की जांच के लिये एक समिति नियुक्त करने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार का विचार इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का है ताकि निर्धन बच्चों एवं महिलाओं के कल्याणार्थ इस योजना के कार्यकरण को कुशल बनाया जा सके ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी, नहीं। उपलब्ध सूचना के अनुसार ये केंद्र संतोषजनक ढंग से चलाये जा रहे हैं, जहां 0.5 वर्ष के आयु वर्ग के उन बच्चों को जिनके मातापिता की आय कुल मिलाकर 400 रुपये मास से अधिक नहीं होती तथा गर्भवती और दूध पिलानेवाली महिलाओं को दूध और डबलरोटी दी जाती है।

(ख) ये वितरण केन्द्र खुली शेडों में चलाये जाते हैं और इसलिये सुरक्षा की व्यवस्था न होने के कारण वहां पर कोई फर्निचर नहीं दिया गया है।

(ग) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित रूप से वर्दियां दी जाती हैं।

(घ) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) के उत्तरों को देखते हुये ऐसी समिति का गठन करने का कोई विचार नहीं है।

(ङ) 34 केन्द्रों के निर्माण का प्रस्ताव नई दिल्ली नगरपालिका के विचाराधीन है। जब इनका निर्माण हो जायेगा तो इस योजना को समुचित रूप से कार्यरूप देने के काम को सुनिश्चित किया जायेगा।

उपनगर क्षेत्र के रूप में पंसकुरा-हाटीबेरिया खण्ड

2063. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्वी रेल के पंसकुरा हाटीबेरिया (हल्दिया) खंड का उस औद्योगिक क्षेत्र के दैनिक यात्रियों को सुविधा के लिए "उपनगर क्षेत्र" घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) 1-4-1979 से "उपनगरीय" और "अनुपनगरीय" खंडों के लिए सीजन टिकटों के किरायों के अंतर को समाप्त कर दिया गया था और हवड़ा तथा हल्दिया के बीच तदनुसार सीजन टिकट जारी किये जा रहे हैं। पांसकुड़ा और हल्दिया के बीच चल रही एक जोड़ी बिजली गाड़ी के अतिरिक्त हवड़ा और हल्दिया के बीच एक जोड़ी सी धी बिजली गाड़ी की व्यवस्था कर दी गयी है।

वाराणसी की लोकोमोटिव स्पेयर पार्ट्स फैक्टरी

2064. **श्री निहाल सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकोमोटिव स्पेयर पार्टस फैक्टरी को वाराणसी से किसी और स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि फैक्टरी को स्थानान्तरित किया जाता है तो पांच हजार कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे ; और

(ग) यदि हां, तो फैक्टरी के स्थानान्तरण के क्या कारण हैं और इस प्रकार बेरोजगार हुए कर्मचारियों को किस काम पर नियुक्त किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास पर दावा

2065. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी प्रक्रिया है कि विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कालटेक्स तेल शोधन कारखाने से तेल से भरे हुए वैगन लेता है और फिर पत्तन क्षेत्र के किसी निश्चित भाग में उन्हें दक्षिण पूर्व रेलवे को सौंप देता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि 1978-79 में दक्षिण पूर्व रेलवे को खाली वैगन दिए गए थे ;

(ग) यदि हां, तो कितने वैगन खाली थे और उनमें कुल कितने तेल की मात्रा गायब थी ;

(घ) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे ने इस सम्बन्ध में पत्तन न्यास से कोई दावा किया है और इस प्रकार किये गये दावे की राशि क्या है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या दावे का निपटान कर दिया गया है ;

(च) क्या पत्तन न्यास ने परिवहन के दौरान हुए तेल की क्षति की जांच की है ; और

(छ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन (वी० एस० यू०) की साइडिंग्स से तेल लदे हुए वैगन जिनकी व्यवस्था पोर्ट ट्रस्ट द्वारा की जाती है, पोर्ट ट्रस्ट द्वारा निकाले जाते हैं और पोर्ट के रिसेप्शन और डिस्पैच यार्ड पर दक्षिण पूर्व रेलवे को सौंपे जाते हैं।

(ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) वर्ष 1978-79 में इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है।

अफगानिस्तान से सोवियत संघ द्वारा अपने सैनिक वापिस बुलाया जाना

2066. **श्री मल चन्द डागा**
श्री अमरराय प्रधान
श्री चिन्त महाटा
डा० फारूक अब्दुल्लाह । क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ को अफगानिस्तान से अपने सैनिक वापस बुला लेने पर राजी करने में भारत के प्रभावों के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) अफगानिस्तान से रूसी सैनिक संभवतः कब तक वापस बुला लिये जायेंगे ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ ने भारत सरकार को यह आश्वासन दिया है कि "जिन कारणों से सोवियत संघ ने यह कार्रवाई की है, वे एक बार दूर हो जायें तो सोवियत सैनिकों को अफगान क्षेत्र से हटा लिया जाएगा"। उन्होंने यह भी कहा कि "जैसे ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि भविष्य में कोई बाहरी खतरा यहां नहीं होगा वैसे ही सोवियत सैनिक हटा लिये जायेंगे"।

अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप

2067. **श्री जी० एम० बनातवाला**
प्रो० मधु दंडवते : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सोवियत प्रधान मंत्री से अफगानिस्तान में रूस की फौज के हस्तक्षेप संबंधी प्रश्न पर उनकी भारत-यात्रा के दौरान विचार-विमर्श किया है ;

(ख) यदि हां, तो अफगानिस्तान से सोवियत फौज की शीघ्र वापसी की आवश्यकता को मनवाने के लिये सोवियत सरकार पर प्रभाव डालने के संबंध में क्या प्रगति की जा सकी ; और

(ग) सोवियत सैनिकों की कथित वापसी करवाने की दिशा में भारत सरकार यदि कोई प्रयास कर रही है, तो वे प्रयास क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सोवियत प्रधान मंत्री ने पिछली बार जनवरी, 1979 में यानी अफगानिस्तान की हाल की घटनाओं से बहुत पहले, भारत की यात्रा की थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार इस बात का पता लगाने के लिए अन्य मित्र देशों की सरकारों के साथ परामर्श कर रही है कि दक्षिण पश्चिम एशिया की स्थिति को सुलझाने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है।

"मूव फार डायरेक्ट यू० एस० -सोवियत टाक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2068. **श्री एन० के० शेजवालकर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मार्च, 1980 के "हिन्दू" में "मूव फार डायरेक्ट यू० एस०-सोवियत टाक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन बडी शक्तियों को एक साथ लाने और विश्व मे शान्ति स्थापित करने में सहायता देने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अमरीका और सोवियत रूस से अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें भारत सरकार को इस सम्बन्ध में अपने सद्प्रभाव का उपयोग करने के लिए कहा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार का यह मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय तनाओं को शान्तिपूर्ण बातचीत के जरिये सुलझाना चाहिए। इसके लिए इस क्षेत्र में सभी सम्बद्ध देशों तथा संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के साथ अलग-अलग परामर्श और सम्पर्क जारी है। लेकिन भारत ने इस बारे में बड़ी शक्तियों को साथ लाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किया है।

(ग) और (घ) जी नहीं, लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ को हमारे सैद्धांतिक रवैये और भारत की इस इच्छा की जानकारी है कि शान्ति, समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का वातावरण पुनः शीघ्र स्थापित किया जाए। हमारे परामर्शों के कारण सभी सम्बद्ध पक्षों को इस मामल में भारत की नीति की जानकारी है और उन्होंने इसकी सराहना की है।

बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का संशोधन करने का प्रस्ताव

2069. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पतन तथा गोदी कर्मचारियों के हित में बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० वी० पटनायक) : (क) और (ख) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में संशोधन करने के लिए विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं। सरकार का आगामी त्योहारों के मौसम से पहले अधिनियम में संशोधन करने के लिए व्यापक विधेयक लाने का विचार है।

औषध निर्माण कारखाना, मद्रास का आधुनिकीकरण

2070. **श्री थाजाई एम० करुणानिधि** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के औषध निर्माण कारखाने का आधुनिकीकरण करने के बारे में अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त "विशेषज्ञ समिति" ने सरकार को अपना प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने अन्य बातों के साथ साथ ट्रैन्सफ्यूजन फ्लूडों के निर्माण के लिए एक यूनिट स्थापित करने की सिफारिश की थी। इस प्रयोजन के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु ट्रन्सफ्यूजन घोलों के निर्माण के क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ परामर्श करना एक प्रारम्भिक आवश्यकता है। तदनुसार महाराष्ट्र सरकार के खाद्य तथा औषध प्रशासन की सहायता से परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की गई। लेकिन राज्य सरकार ने जिन परामर्शदाताओं की सिफारिश की थी, उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया। भारतीय औषध तथा फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड को, जिन्होंने इस बारे में एक प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यह कार्य सौंपने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पड़े पद

2071. **श्री हरीश मकवाना :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और इन पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात राज्य के कितने डाक्टरों को विदेश जाने की अनुमति दी गई और उनमें से ऐसे डाक्टर कितने हैं जो अभी तक वापिस भारत नहीं लौटे ; और

(ग) क्या राज्य में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिये कुछ उपाय किये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज, बड़ौदा में कार्य कर रहे कर्मचारी

2072. **श्री निहाल सिंह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज, बड़ौदा तथा बंगलौर में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनमें से कितने कर्मचारी दैनिक मजूरी तथा मासिक मजूरी के आधार पर काम करते हैं और इन कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा भविष्य निधि की कितनी राशियां जमा कराई गई तथा कितनी धनराशियां अभी जमा कराई जानी हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सूचित की गई स्थिति इस प्रकार है :—

	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की संख्या	कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की संख्या
एलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि०, बड़ौदा . .	2806	2723
एलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज, बंगलौर . . .	858	821

यह सूचित किया गया है कि इस प्रतिष्ठान की स्थिति न्यासी बोर्ड को भविष्य निधि संचयन के हस्तांतरण के मामले में अद्यतन है, जबकि कर्मचारी राज्य बीमा अंशदानों का भुगतान बंगलौर यूनिट के संबंध में जनवरी, 1980 तक किया गया है और बड़ौदा यूनिट के संबंध में नवम्बर, 1979 तक किया गया है। यह भी सूचित किया गया है कि यह प्रतिष्ठान कुछ कर्मचारियों को ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित करता है और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन उनको लाने के बारे में चुनौती दे रहा है। इस मामले पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

अपर्याप्त जल आपूर्ति

2073. **डा० सरदीश राय :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लूथराम वर्ल्ड सर्विस (इंडिया) द्वारा एक्शन फार फूड प्रोडक्शन, नई दिल्ली के सहयोग के साथ बताये गये इन तथ्यों की ओर दिलाया गया है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 750 लाख से अधिक व्यक्तियों को पर्याप्त जल की सप्लाई उपलब्ध नहीं होती जिसके कारण बीमारियां एवं मौतें होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) लूथराम वर्ल्ड सर्विस (इंडिया) ने एक्शन फार फूड प्रोडक्शन, नई दिल्ली के सहयोग से देश में पीने के पानी की पर्याप्तता के बारे में कोई तथ्य प्रकट किये थे इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। तथापि निर्माण और आवास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 1972 में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर 1.53 लाख गांवों को समस्यामूलक गांवों के वर्ग में रखा गया था ये वे गांव होते हैं जहां एक मील के भीतर या 50 फीट की गहराई तक पीन योग्य पानी नहीं मिलता अथवा ऐसे स्रोत हैं जिनसे हैजा और गिनीकृमि जैसे रोग फैल जाते हैं इनमें से 80,000 समस्यामूलक गांवों में मार्च, 1980 तक उपयुक्त पानी दिये जाने की आशा है। छठी योजना अवधि के समाप्त होने से पहले-पहले प्राथमिकता के आधार पर शेष समस्यामूलक गांवों में पानी की व्यवस्था

कर दिये जाने का लक्ष्य है । केन्द्रीय सरकार का निर्माण और आवास मंत्रालय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को 100% सहायता अनुदान देता है ताकि वे ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अपने संसाधनों की कमी को पूरा कर सके और वे इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की अंशदान राशि एकत्रित करना

2074. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अंशदान की राशि इतने सारे सरकारी उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों से एकत्रित की जाती है जिसके लिये काफी लिपिक-कार्य करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह व्यय अंशदान की वसूली में लगने वाले श्रम के अनुरूप है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन, नियोजकों के लिए अपेक्षित है कि ले कर्मचारियों से अंशदान एकत्र करें और इसे अपने अंशदानों सहित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास जमा कराएं । इसमें कुछ लिपिकीय कार्य सन्निहित है, विशेषकर, जब अंशदानों का भुगतान स्टेम्पों द्वारा किया जाता है । तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम नकदी में वसूली करने की पद्धति को धीरे-धीरे शुरू कर रहा है जिससे लिपिकीय कार्य में कमी होगी ।

नेपाली शिष्ट मंडल का हल्दिया पत्तन का दौरा

2075. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार के एक शिष्ट मंडल ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के साथ हल्दिया बन्दरगाह पर माल के लिये एक सामान्य घाट के निर्माण की संभावना का पता लगाने के प्रयोजन से हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) वर्ष 1979 में नेपाल सरकार का एक शिष्ट-मंडल हल्दिया डाक काम्प्लेक्स नेपाल सरकार द्वारा आयात/निर्यात किये गये माल के लिए एक ट्रांजिट वेयरहाउस के लिए जमीन देखने आया था । इस अवसर पर भारत और नेपाल के बीच माल के निर्यात के करार के अनुसार विचार विमर्श हुआ था ।

एक संगठन में एक संघ

2076. **श्री के० लकप्पा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपनी इस घोषित नीति का पालन करती रहेगी कि एक संगठन में केवल एक संघ को मान्यता दी जायगी ;

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय भविष्य निधि कर्मचारी फेडरेशन, बंगलौर जो एक अल्पसंख्यक फेडरेशन है, को प्राधिकारियों द्वारा किन परिस्थितियों में महत्व प्रदान किया जाता है ; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) ट्रेड यूनियनें बनाने के लिए श्रमिकों के अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है । लेकिन स्वैच्छिक अनुशासन संहिता में बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाला यूनियन की मान्यता के लिए मानदंड निर्धारित किया गया है ।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय भविष्य निधि स्टाफ फेडरेशन, नई दिल्ली, नाम की एक मान्यता प्राप्त फेडरेशन है । अनुशासन संहिता के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उपर्युक्त फेडरेशन के साथ द्विपक्षीय मामलों में परामर्श करता रहा है । अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फेडरेशन, बंगलौर नामक अन्य निकाय हाल ही में गठित किया गया है । इसे मान्यता प्राप्त नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गोमती एक्सप्रेस में डकैती के मामले में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

2077. **श्री दया राम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में गाजियाबाद और चोला के बीच गोमती एक्सप्रेस गाड़ी में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : इस मामले में अभी तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

मोतीहरी-मुजफ्फरपुर पी० डब्ल्यू० डी० रोड

2078. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी चम्पारन जिले में (मधुबनी घाट, पकड़ीदयाल, मधुबन और मीनापुर होकर जाने वाली) मोतीहरी-मुजफ्फरपुर पी० डब्ल्यू० डी० रोड को गत 15 वर्षों से लगातार उपेक्षित रखा जा रहा है ;

(ख) इस सड़क के कब तक पूरा हो जाने की आशा है और क्या इस संबंध में सरकार ने "धीरे काम करो" की नीति अपनाई हुई है ; और

(ग) इस सड़क के पूरा होने में अनुमानित व्यय क्या होगा और उसकी पूर्ति किस प्रकार किये जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) बिहार सरकार द्वारा भेजे गए विवरणों से ज्ञात होता है कि मधुबनी घाट, पकड़ीदयाल, मधुबन और मीनापुर से होकर जाने वाली मोतीहारी-मुजफ्फरपुर रोड नाम की ऐसी कोई भी पी० डब्ल्यू० डी० रोड नहीं है जिसका निर्माण करना बाकी हो । बल्कि, नीचे लिखी कुछ मौजूदा पी० डब्ल्यू० डी० सड़कें ऐसी हैं जिनका निर्माण स्वीकृत अनुमान के अनुसार काफी समय-पूर्व पूरा हो गया था :—

(i) मोतीहारी-मधुबनी घाट रोड ।

(ii) पकड़ीदयाल-सिरहा-मधुबनी-मीनापुर रोड ।

(iii) मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी रोड पर झपाहा से होकर जाने वाली मीनापुर-मुजफ्फरपुर रोड ।

जहां तक उपरोक्त मद संख्या (i) में उल्लिखित सड़क का सवाल है, यह सड़क पक्की है और एक लेन की है । लेकिन, सिकारहाना के ऊपर बने मधुबनीघाट पर सड़क का काफी बड़ा हिस्सा गायब है । इस पुल के निर्माण के लिए स्वीकृत अनुमान में व्यवस्था नहीं की गई थी ।

पकड़ीदयाल-मधुबनीघाट के नजदीक मुजफ्फरपुर की तरफ पड़ता है और पकड़ीदयाल-सिरहा-मधुबनी-मीनापुर सड़क की लंबाई 41.6 किलोमीटर है, जिसमें से पकड़ी दयाल से शुरू होकर 22.4 किलोमीटर तक का हिस्सा पक्का है । शेष 19.2 किलोमीटर के हिस्से में कच्ची सड़क है और स्वीकृत अनुमान में भी इसे कच्ची सड़क माना गया था । राज्य सरकार ने बताया है कि उनका विचार है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़क के कच्चे हिस्से को पक्का बनाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1980

ऊर्जा, सिंचाई और कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 15, मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 308 में प्रकाशित हुई थी ।

[पंचालय में रखी गई (देखिए संख्या एल० टी० 654/80)]

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (भारत) लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की समीक्षा तथा विल के कारण बताने वाला विवरण आदि

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ़ कम्पनी (भारत) लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1977-78 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिज एण्ड रूफ़ कम्पनी (भारत) लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 655/80)]

(ख) (एक) भारतीय औषध तथा भैषज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय औषध तथा भैषज लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 656/80)]

(2) उपर्युक्त 1 (क) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) ब्रिज एण्ड रूफ़ कम्पनी (भारत) लिमिटेड, कलकत्ता वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 मास की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 657/80)]

दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 तथा गुजरात राज्य के सम्बन्ध में बम्बई दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 47 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 जनवरी, 1980 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ़ 1(22)/79-एलसी (एस) में प्रकाशित हुए थे।

(2) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित बम्बई दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत गुजरात सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 658/80)]

(एक) अधिसूचना संख्या के एच-एल-128-बीएसई/1449-48293-टी जो दिनांक 6 मार्च, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन किया गया है।

(दो) अधिसूचना संख्या के एच-एल-171/बीएसई-1479-21252-टी जो दिनांक 7 मार्च, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिनियम की अनुसूची 2 में एक प्रविष्टि शामिल की गई थी ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 659/80)]

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा

पर्यटन और नागर विमानन तथा श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं श्री वसंत साठे की ओर से निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(1) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम प्राइवेट लिमिटड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम प्राइवेट लिमिटेड; नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 660/80)]

प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, पश्चिम क्षेत्र, बम्बई के 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा विश्वभारती शांति निकेतन के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे, केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा आदि

शिक्षा और स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानंद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, पश्चिम क्षेत्र, बम्बई के 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 661/80)]

(2) (एक) विश्व भारती शांति निकेतन के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 662/80)]

(3) (एक) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 663/80)]

(4) (एक) रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) उपर्युक्त 4(एक) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 664/80)]

(5) क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज; कालीकट के वर्ष 1977–78 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(6) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन रिजनल की एक प्रति (हिन्दी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 665/80)]

(7) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर, के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपर्युक्त 6 (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण तथा साथ-साथ सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 666/80)]

(8) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 667/80)]

(9) बाल अधिनियम, 1960 की धारा 59 की उपधारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दादरा और नागर हवेली बाल नियम, 1979 जो दिनांक 5 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एडीएम/एलएडब्ल्यू/242/(39)/79 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) पांडिचेरी बाल (प्रबन्ध, कृत्य और विशेष स्कूलों का उत्तरदायित्व, बाल गृह और प्रेक्षण गृह) (संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 24 जनवरी, 1980 की अधिसूचना संख्या जी० ओ० एमएस.7/80 एचई-डब्ल्यू (एसडब्ल्यू) में प्रकाशित हुए थे ।

(10) नियमों के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(11) उपर्युक्त 9 (एक) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 668/80]

(12) बिहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 17 फरवरी, 1980 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल द्वारा 4 मार्च, 1980 को प्रख्यापित बिहार बाल अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 45) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 669/80

(13) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिलचर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 670/80)]

(14) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के लेखों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 671/80)]

(15) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1978–79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 672/80)]

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1978-79 तथा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम केवर्ष 1978-79की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और कोचीन पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे तथा विलम्ब के कारणों का विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 673/80)]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1978–79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक, महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 674/80)]

(2) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1978–79 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 675/80)]

(दो) मुरगप्पओ पत्तन न्यास के वर्ष 1978–79 के वार्षिक लेखे तथा उन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 676/80)]

(4) नौवहन विकास निधि समिति के वर्ष 1978–79 के लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 677/80)]

आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया) : मैं श्री भीष्म नारायण सिंह की ओर से लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1)	विवरण संख्या 19 दूसरा सत्र, 1977	छठी लोक सभा
(2)	विवरण संख्या 14 तीसरा सत्र, 1977	
(3)	विवरण संख्या 17 चौथा सत्र, 1978	
(4)	विवरण संख्या 11 पांचवां सत्र, 1978	
(5)	विवरण संख्या 9 छठा सत्र, 1978	
(6)	विवरण संख्या 12 सातवां सत्र, 1979	
(7)	विवरण संख्या 3 आठवां सत्र, 1979	
(8)	विवरण संख्या 1 पहला सत्र, 1980	सातवीं लोक सभा

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 678/80)]

विभिन्न राज्यों के राज्य कृषि उद्योग निगमों, माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षाएं तथा विलम्ब के कारणों के विवरण, भारत के राष्ट्रीय सहकारी डेअरी महासंघ, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत चीनी मूल्य के बारे में अधिसूचना और राष्ट्रीय भारी इंजीनियरी सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्रसिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 679/80)]

(ख) (एक) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(दो) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 680/80)]

(ग) (एक) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) पश्चिम बंगाल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 681/80)]

(घ) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हैदराबाद के 30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा, समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, हैदराबाद का 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 682/80)]

(ङ) (एक) बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 683/80)]

(च) (एक) बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 684/80)]

(छ) (एक) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 685/80)]

(ज) (एक) पंजाब कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) पंजाब कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 686/80)]

(झ) (एक) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कटक के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, कटक का वर्ष 1972-73 एक वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 687/80)]

(ञ) (एक) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड और इसके सहायक निगम हिमाचल प्रदेश उद्यान कृषि उपज विपणन तथा परिष्करण निगम लिमिटेड के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, शिमला और इसके सहायक निगम अर्थात् : हिमाचल प्रदेश उद्यान कृषि उपज विपणन तथा परिष्करण निगम लिमिटेड का वर्ष

1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 688/80)]

(ट) (एक) आसाम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गोहाटी के वर्ष 1972-73 के कार्यकर की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आसाम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गोहाटी का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 689/80)]

(ठ) (एक) आसाम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गोहाटी के वर्ष 1967-68 के कार्य करण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी संस्करण) ।

(दो) आसाम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गोहाटी का वर्ष 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ड़) (एक) आसाम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गोहाटी के वर्ष 1968-69 के कार्य करण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी संस्करण) ।

(दो) आसाम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड , गोहाटी का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ढ) (एक) आसाम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गौहाटी के वर्ष 1969-70 के कार्य करण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी संस्करण) ।

(दो) आसाम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गौहाटी का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ण) (एक) आसाम कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के गौहाटी के वर्ष 1970-71 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी संस्करण)*

(दो) आसाम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गौहाटी का वर्ष 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)* लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 689/80)]

(त) (एक) बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, पटना का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 690/80)]

(थ) (एक) मार्डन बैकरिज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) मार्डन बैकरिज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 691/80)]

*समीक्षा तथा प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 7 अगस्त, 1978 को सभा पटल पर रखा गया ।

(2) उपर्युक्त मद 1 के (क) से (त) में उल्लिखित प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले 16 विवरण ।

(3) भारत के राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ, नई दिल्ली के 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेख ।

(4) भारत के राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ, नई दिल्ली के 30 जून, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेख ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 692/80)]

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) उत्तर प्रदेश में निर्मित यूरिया के बड़े पैमाने पर वितरण के बारे में सा० सां० नि० 20 (ङ), जो दिनांक 28 जनवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 693/80)]

(दो) चीनी (1978–79 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1980 जो दिनांक 5 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 74(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) चीनी (1979–80 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1980 जो दिनांक 5 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 75(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 694/80)]

(6) राष्ट्रीय भारी इंजीनियरी सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1976–77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेख ।

(7) राष्ट्रीय भारी इंजीनियरी सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1977–78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेख ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 695/80)]

(8) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के वार्षिक लेख (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 696/80)]

(9) भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 697/80)]

(10) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग)(चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के अन्तर्गत गुजरात कृषि कीट तथा रोग अध्यादेश, 1979 (1979 का संख्या 5) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो 2 नवम्बर, 1979 को गुजरात के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 698/80)]

गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969, बिहार विक्रय कर अध्यादेश, 1980 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा राष्ट्रीय सरकारी वित्त तथा नीति संस्थान नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की

धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना (जी० एच० एन०–19) जी० एस० टी० 1080/(एस–49) (83)–टी० एच० (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति जो दिनांक 7 मार्च, 1980 के गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 1980 को अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन०–627) जी० एस० टी०–1970 एस०49)–टी० एच० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 699/80)]

(2) बिहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2)(क) के अन्तर्गत बिहार विक्रय कर अध्यादेश, 1980(1980 का संख्या 1) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 4 मार्च, 1980 को बिहार के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० (700/80)]

(3) राष्ट्रीय सरकारी वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी* संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० (701/80)]

बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) अध्यादेश, 1980, छोटा नागपुर काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1980, तमिल नाडु भूमि सुधार (भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण) अध्यादेश, 1980 तथा हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण

पर्यटन और नागर विमानन तथा [श्रम मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) :] मैं श्री आर० वी० स्वामीनाथन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बिहार राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग)(चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के अन्तर्गत बिहार सरकार के निम्नलिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) बिहार भूदान यज्ञ (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 27) जो 4 मार्च 1980 को बिहार के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था ।

(दो) छोटानागपुर काश्तकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (1980 का संख्या 29) जो 4 मार्च 1980 को बिहार के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० (702/80)]

(2) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 17 फरवरी, 1980 की उद्घोषणा के खंड (ग)(चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के अंतर्गत तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण) अध्यादेश, 1980(1980 का संख्या 3) जो दिनांक 10 मार्च, 1980 को तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था ।

(3) अध्यादेश का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये (देखिए संख्या एल० टी० 703/80)]

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देती हूं—

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमो के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980 जो लोक सभा द्वारा 18

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 18 मार्च 1980, को सभा पटल पर रखा गया था।

मार्च, 1980 की बैठक में पास किया गया था, और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था को लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे पंजाब विनियोग विधेयक, 1980, जो लोक सभा द्वारा 18 मार्च, 1980 की बैठक में पास किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा गया था को लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्ध के अनुसरण में मुझे राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980, जो लोक सभा द्वारा 18 मार्च, 1980 की बैठक में पास किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था को लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(चार) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राजस्थान विनियोग विधेयक, 1980 जो लोक सभा द्वारा 18 मार्च, 1980 की बैठक में पास किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था को लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(पांच) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे तमिलनाडु विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1980, जो लोक सभा द्वारा 18, मार्च 1980 की बैठक में पास किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था को लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(छः) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे तमिलनाडु विनियोग विधेयक, 1980 जो लोक सभा द्वारा 18 मार्च 1980 की बैठक में पास किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था को लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(सात) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान,) विधेयक 1980, जो लोक सभा द्वारा 18 मार्च, 1980 की बैठक में पास किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था को लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(आठ) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1980 जो लोक सभा द्वारा 18 मार्च, 1980 की बैठक में पास किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था को लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोओ) : महोदय मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है। इसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे आज 10.40 बजे अपराह्न श्री एडुआर्डो फैलीरो से प्रैस में कतिपय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की तथा कथित निंदा के बारे में एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना मिली है। चूंकि सूचना देर से मिली है मुझे इस पर विचार करने का समय नहीं मिला है। मैं इस मामले पर विचार करूंगा और इसकी ग्राह्यता के प्रश्न पर विचार करूंगा **(व्यवधान)*** कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

व्यास-सतलुज सम्पर्क परियोजना (हि०प्र०) के कार्य प्रभारित कर्मचारियों में रोष का समाचार

अध्यक्ष महोदय : ध्यान आकर्षण। श्री नारायण चन्द पराशर **(व्यवधान)***

मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं ऊर्जा और सिंचाई मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:—

,,हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में व्यास–सतलुज सम्पर्क परियोजना के कार्य–प्रभारित कर्मचारियों में, उनमें से अधिकांश को छंटनी के नोटिस दिये जाने के कारण व्याप्त रोष तथा उन्हें नयी परियोजना में रोजगार देने में सरकार की असफलता का समाचार।''

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : व्यास–सतलुज लिंक परियोजना के वर्कचार्ज कर्मचारियों की कथित छंटनी के बारे में माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए जो चिंता और उद्विग्नता व्यक्त की है, वैसी ही चिन्ता और उद्विग्नता मुझे भी है।

इस बहुद्देशीय परियोजना पर कार्य 1961–62 में शुरु किया गया था। व्यास नदी पर एक व्यपवर्तन बांध, लगभग 13–13 किलोमीटर लम्बी दो सुरंगे तथा व्यास नदी का जल सतलुज नदी की ओर व्यपवर्तित करने के लिए एक खुली जल विद्युत चैनल का निर्माण इस परियोजना में शामिल था। दूसरी सुरंग के सिरे पर देहर विद्युत केन्द्र नामक एक विद्युत केन्द्र बनाया गया है। व्यास नदी पर पोंग में एक और बांध भी बनाया गया है। यहां भी एक विद्युत केन्द्र बनाया गया है।

परियोजना का प्रथम सोपान 1977 में पूरा हुआ था। यह एक विशाल परियोजना है तथा निर्माण के चरम उत्कर्ष की व्यवस्था में इसमें 36,613 वर्कचार्ज कर्मचारियों को रोजगार दिया गया था। चूंकि ऐसी परियोजनाएं सोपानों में पूरी की जाती हैं, अतः यह स्वाभाविक है कि परियोजना के चरण क्रम–क्रम से पूरे होने पर आवश्यक कर्मचारियों की संख्या कम होती जाती है। तदनुसार विभिन्न स्थानों पर कार्य के विभिन्न चरणों के पूरा होने पर कुल 36,613 वर्कचार्ज कर्मचारियों में से 30,488 कर्मचारी फालतू हो गए और कानून के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार इन्हें सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर से छंटनी का मुआवजा देने के पश्चात् इनकी छंटनी एक सोपानबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत की गई। इन कर्मचारियों में कुछ कर्मचारी सम्बद्ध कानून के अंतर्गत इस प्रकार की छंटनी का मुआवजा पाने के पात्र नहीं थे। प्रबंधकों तथा श्रमिकों के बीच हुए समझौते के अनुसार उन्हें भी 15 दिन के वेतन की दर से छंटनी का मुआवजा दिया गया। इसके अतिरिक्त, जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों ने 5 वर्ष अथवा उससे अधिक सेवा पूरी कर ली थी उन्हें नियमन करने वाले कानूनों के अनुसार, सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए ग्रेचुटी भी दी गयी थी। जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी, उन्हें सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए ½ दिन के वेतन की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त छंटनी किए गए 30,488 कर्मचारियों में से 9,322 कर्मचारी केन्द्र और राज्य की अन्य परियोजनाओं में खपाए गए।

1–3–1980 की स्थिति के अनुसार 6,125 वर्कचार्ज कर्मचारी अभी भी इस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर इस के अनुरक्षण और प्रचालन के लिए अपेक्षित वर्कचार्ज

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कर्मचारियों की संख्या और कम हो जाएगी। तथापि मैं इस सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो कर्मचारी फालतू हो जाएंगे उन्हें सेवा समाप्ति के पूरे लाभ पहले बताए अनुसार दिए जाएंगे और उनके लिए वैकल्पिक रोजगार ढूंढने के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। **(व्यवधान)***

प्रो० नारायणचन्द पराशर : व्यास–सतलुज लिंक परियोजना के वर्कचार्ज कर्मचारियों की परेशानी यह है कि 10 से 20 वर्ष की सेवा करने के बाद भी उनका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उनका भविष्य अनिश्चित है। यह समस्या 1977–79 के बीच केन्द्र में सत्तारूढ़ जनता पार्टी ने पैदा की है। समाचारों से यह स्पष्ट है कि परियोजना निर्माण का मुख्य कार्य मई 1977 तक पूरा हो गया था और फिर भी सरकार तथा परियोजना अधिकारियों ने इस क्षेत्र में कोई अन्य परियोजना शुरु नहीं की ताकि वहां से काम पूरा होने के बाद हटाये जाने वाले लोगों को रोजगार दिया जा सके। विशेषकर रूप से बग्गी बिजली घर के लिये स्वीकृति दी जा सकती थी और इसी तरह से अन्य परियोजनाओं को भी हाथ में लिया जा सकता था तथा सतलुज–व्यास लिंक से छंटनी किये जाने वाले कर्मचारियों को वहां खपाया जा सकता था दुर्भाग्यवश जनता सरकारने कर्मचारियों के कल्याण में रुचि नहीं ली और उनके हितों की अवहेलना की और वर्कचार्ज कर्मचारियों को रोजगार देने संबंधी किसी भी परियोजना को स्वीकार नहीं किया जैसा कि भाकड़ा बांध के पूरा होने पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था।

क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वह 10 से 20 वर्ष तक की सेवा करने वाले कर्मचारियों के साथ न्याय करेंगे और उन्हें अन्य परियोजनाओं में रोजगार देंगे और छंटनी नहीं करने देंगे? क्या मैं उनसे यह भी पूछ सकता हूँ **(व्यवधान)** कि किन किन परियोजनाओं की स्वीकृति पर विचार हो रहा है। **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो कहा था कर दिया है। मैं इस बारे में पर्याप्त चर्चा की अनुमति दे चुका हूँ। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। मैं माननीय सदस्यों तथा नेताओं से निवेदन करता हूं कि.... मैंने सब को बुला लिया है सब कुछ कर दिया है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों तथा उनके नेताओं से शांति बनाये रखने की अपील करता हूँ अगर ऐसे ही चलना है तो कोई हर्ज नहीं है। और सुनने का तो अब सवाल ही नहीं उठता है। मैंने बहुत सुना है बल्कि मेरे पास सब्र का पैमाना बहुत बड़ा है। मैं बिल्कुल विचलित नहीं हुंगा। आपका यह हाउस है किसी बाहर वाले का नहीं है जिस तरीके से इच्छा हो इसको चलायें। मैंने तो हरएक सब्जेक्ट पर इतनी डिस्कशन एलाऊ की है लेकिन उसके बाद भी आप लोग इस तरह करते हैं कि जब मैं खड़ा होता हूं तब भी आप बैठने की कोशिश नहीं करते हैं। शैलानी जी ने कहा है कि मैं बिलकुल नहीं बैठूंगा उन्होंने सभा में ऐसा कहा। अगर कोई आदमी इस तरीके से कहता है तो मैं अपने तरीके से किसी के खिलाफ़ प्रतिशोध की भावना से या पक्षपात की भावना से नहीं चलूंगा, मैं कानून के हिसाब से चलना चाहता हूं। मुझे इस हाउस को चलाना है। अगर इस तरीके से आप पब्लिसिटी गेन करना चाहते हैं तो यह गलत बात है। यह हाउस किसी अकेले व्यक्ति का नहीं है... **(व्यवधान)** ... शैलानी जी मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। मैं किसी भी हालत में इस की अनुमति नहीं दूंगा। सभा चलाने का यह तरीका नहीं है। शैलानी जी आप में बहुत ज्यादा जोश हो सकता है... ठीक है आप में ज्यादा जोश हो सकता है। मैं तो गरीब आदमी हूं मुझे तो इस हाउस को चलाना है।

अब सवाल यह पैदा होता है कि किस तरीके से हमें इस हाउस को चलाना है। लीडर्स यदि चाहें तो मेरे कमरे में आ कर मेरे साथ बैठ कर मीटिंग कर लें कि किस तरह से इस हाउस को चलाना है।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : क्या आप ने कभी मीटिंग बुलाई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो रोज बुलाता हूं । मैं माननीय सदस्यों को हमेशा अपने चेम्बर में आने के लिये और इस पर चर्चा करने के लिये आमंत्रित करता हूं (**व्यवधान**) मैंने बिलकूल नहीं कहा, मैं कहूंगा— मैं इसे सरकार के ध्यान में ला चुका हूं । जो कुछ की कहा गया हैं वह सभा के रिकार्ड में हैं । जो कुछ है वह रिकार्ड में है । मैं चैलेन्ज करता हूं ।

श्री रामविलास पासवान : आप देख लीजिये ।

अध्यक्ष मोहदय : मैं कहता हूं आप आ जांय, मैं दिखा दूंगा । मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता हूं । मैं इसे आपको दिखाऊंगा मैं काफी अनुमति दे चुका हूं । शैलानी जी का नियम 377 में नोटिस हो चुका है । इस के बाद भी इस चीज को लेकर इस हाउस का टाइम खराब किया जाय, आप अपने साथियों को नहीं समझा सकते । इन को तो परमात्मा भी नहीं समझा सकता है ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के अन्तर्गत आप का प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, आप मेरी बात सून लीजिये । हमारी बात के ऊपर आप रूल पूछते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं तो रूल को मानता हूं ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, 376 के तहत आप मेरी बात सूनिये । जब देश में कोई घटना होगी, तो उस के प्रतिनिधि लोक सभा में नहीं बोलेंगे तो...

अध्यक्ष महोदय : जो बात हों गई है, उस को दोबारा कह रहे हैं ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप जनता के आदमी हैं, देश के आदमी हैं, देश ने लोक सभा बनाई है । आप से पहले भी लोक सभा चलती थी ।

अध्यक्ष महोदय : अब भी चलेगी ।

श्री मनीराम बागड़ी : हमारा और आप का कोई घरेलू झगड़ा नहीं है । मैं आप को नोटिस देता हूं, लेकिन उस की इत्तिला नहीं देते हैं कि मन्जूर हुआ है या नामन्जूर हुआ है । ऐसी हालत में क्या हम आप से इस बारे में हाउस में नहीं पूछेंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को अनुमति नहीं देता । मैं सब को इत्तिला देता हूं । जो चीज डिस्कस हो चुकी है, उस को दोबारा डिस्कशन के लिये मैं एलाउ नहीं करुंगा । हरिजनों की हत्या पर डिस्कशन हो चुका है । ...(**व्यवधान**)... आप ने मुझे जो किताब दी है, मैं उसी के हिसाब से हाउस को चलाऊंगा...

हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, नियम 197 के तहत मेरा प्वाइंट आफ़ आर्डर है । जिसमें लिखा है—

"(1) सदस्य, अध्यक्ष के पूर्व अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय की ओर मंत्री का ध्यान दिला सकेंगे और मंत्री उसके बाद अथवा किसी बाद की तिथि में एक संक्षिप्त विवरण देंगे ।"

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अनुमति दे चुका हूं ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने 10 बजे के पहले गोहाना में जो हरिजन की हत्या हुई है, उसके संबंध में नोटिस दिया है और उसके पहले हजारी बाग में जो हरिजन की हत्या हुई थी, उस

का नोटिस दिया था । आप बतलाइये—क्या यह विषय पब्लिक इम्पोर्टेन्स का नहीं है? यदि किसी हरिजन की हत्या पब्लिक इम्पोर्टेन्स का विषय नहीं है, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन यदि आप मानते हैं कि यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मामला है, तो इस को लिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति दे चुका हूं ।

श्री मनीराम बागडी : लोक चर्चा यहां चलेगी। ऐसा नहीं चलेगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप देखें। कुल 57 सूचनाएं आयी है । (**व्यवधान**) कृपया बैठ जायें। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। आप बचाव करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मैं इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा । मैं चर्चा की अनुमति पहले दे चुका हूं ।

हरिजनों पर अत्याचार के बारे में हम एक बार नहीं दो बार चर्चा कर चुके हैं (**व्यवधान**) मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री रामविलास पासवान : हरिजनों की जो हत्यायें हुई है—क्या यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मामला नहीं रहा ?

अध्यक्ष महोदय : इसे सरकार के ध्यान में लाया जा चुका है। इसे उस तरीके से नहीं किया जायेगा। सभा इस तरीके से नहीं चलायी जाती ।

श्री रामविलास पासवान : एक जगह नहीं दो दो जगहों पर हत्यायें हुई हैं...

अध्यक्ष महोदय : इसे नियम के अनुसार लिया जाना है। जो कुछ आपने कहा मैं उसे नहीं मानता ।

* *

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये ।

श्री के० मायाथेवर (डिन्डीगल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत आप किस नियम की बात कर रहे हैं?

श्री के० मायाथेवर : 373 तथा 374 के अन्तर्गत हम सभी मामलों को समुचित ढंग से सभा में निपटाना चाहते हैं । सभी माननीय सदस्यों को पता है कि प्रतिवेदन पर 9 घंटे की चर्चा के दौरान हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातीयों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं हम अनुसूचित जातियों सहित सभी पिछडी जातियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वे प्रतिदिन व्यवधान पैदा करते हैं । अतः मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय नियम 373 तथा 374 को लागू करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को मानता हूं ।

श्री रामविलास पासवान : आप पावर का इस्तेमाल कीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन शक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहता । मैं इसे इस सभा के विवेक पर छोड़ना चाहता हूं । मैं माननीय सदस्यों पर छोड़ता हूं कि क्या वे इसे लेना चाहते हैं या नहीं । मैं आपको यह विशेषाधिकार नहीं दूंगा । अब हम विधानकार्य लेंगे । श्री धनी खां चौधरी, कृपया विधेयक पुरःस्थापित कीजिये

अन्तर्राज्यीय जल विवाद (संशोधन) विधेयक

ऊर्जा और सिंचाई तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ए० बी० ए० गनी चौधरी : मैं विधेयक पुनःस्थापित करता हूं—

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

नियम 193 के अन्तर्गत, जिसे में पढ़ता हूं :—

"अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा उठाने का इच्छुक कोई सदस्य उठाये जाने वाले विषय का स्पष्टतया तथा सुतथ्यतया उल्लेख कर महासचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेगा :

परन्तु सूचना के साथ उक्त विषय पर चर्चा उठाने के कारण देते हुये एक व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगी :

परन्तु यह और भी कि सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से होगा ।"

मेरा निवेदन यह है कि अन्डर रूल 193 मैंने कल नोटिस दिया था और उस में लिखा था कि दिल्ली में कल्याणपुरी थाने के अन्तर्गत मीरा नाम की एक जवान लड़की जो शादीशुदा थी, वह पुलिस की कस्टडी में थी और वहां के एस० आई० और जो वहां के पुलिस कर्मचारी थे, उन्होंने लगातार तीन दिन तक उस के साथ बलात्कार किया है और उसके बाद लड़की का अभी तक कोई पता नहीं है । क्या यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मामला नहीं है? हमारी बहनों और बेटियों की इज्जत के साथ खेला जाए और सीक्रेट जगह पर ले जा कर उस के साथ बलात्कार किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नोटिस प्राप्त कर लिया है विचाराधीन है जो । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : अध्यक्ष जी अखबारों में छपा है कि आप पक्षपात करते हैं । इसलिये हमारे जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए । हमारे साथ आप इन्साफ नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप सोचिये ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या इस से बढ़ कर कोई पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मसला हो सकता है। **(व्यवधान)** . . . राज्य सभा में भी यह मामला उठ चुका है । क्या यह मसला पब्लिक इम्पोर्टेन्स का नहीं हो सकता क्या इस के लिए आप टाइम नहीं दे सकते?

अध्यक्ष महोदय : इस पर बहुत टाइम दिया है ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में रक्त कैंसर के रोगियों के सामने आने वाली कठिनाईयों का समाचार

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के खूनी कैंसर के रोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिनकी ओर तुरंत ध्यान दिया जाना जरुरी है । समाचार पत्रों से हमें पता लगता है कि न तो विशेषज्ञ उनकी ओर ध्यान देते हैं और न ही उन्हें निशुल्क कैंसर निरोधक की औषधियां मिलती हैं, जो उन्हें पहले मिलती थीं । मुझे आशा है कि सरकार इस ओर तुरंत ध्यान देगी और रोगियों को यथा-सम्भव पूरी सहायता देंगी ।

(दो) दीगो गार्शिया में आणविक अस्त्रों के इकट्ठा करने के अमरीका के निर्णय के समाचार

श्री ए० नीलालोहितादसन (त्रिवेन्द्रम) : हिन्द महासागर के डाईगो गार्शिया द्वीप में भारत के लिये स्थायी तथा लगातार खतरा पैदा हो गया है न्यूयार्क से डा० सुशील कुमार द्वारा लिखित एक पत्र में जो मलयालम दैनिक केरल कौमदी के दिनांक 26 फरवरी, 1980 के अंक में प्रकाशित हुआ था यह बताया गया है कि अमरीकी क रक्षा सचिवालय ने डाइगो गार्शिया स्थित अपने सैनिक अड्डे के लिये अणु शस्त्र एकत्र करने के बारे में एक गुप्त निर्णय लिया है जिनके ले जाने का काम चल रहा है।

अमरीका ने दो वर्ष के अंदर डाईगो गार्शिया को आधुनिक सैनिक क्षमता के शक्ति केन्द्र के रूप में विकसित किया है । जानकर सूत्रों से पता चला है कि इस अड्डे से बी-52 बमवर्षक, आणविक पनडुबियां, युद्धो पोत, सुपरसोनिक लडाकू विमान आदि आदि चलाये जा सकते हैं ।

डाइगो गार्शिया केरल को राजधानी त्रिवेन्द्रम से केवल 900 मिल दूर है जिसकी यात्रा जेट विमान द्वारा एक घंटे में पूरी हो सकती है इसके अतिरिक्त द्वीप कोचीन हवाई अड्डे से भी बहुत नजदीक है । अमरीका के युद्ध विमान और अणु पोत जरूरत पड़ने पर थोडे ही समय में बम्बई पहुंच सकते हैं ।

जैसे कि समाचार है, अमरीका के तीन हजार सैनिक स्थायी रूप से इस द्वीप में रह रहे हैं । यह निश्चिति है कि उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जायेगी । अमरीका ने इस द्वीप में सभी उपकरणों का पत्तन बनाया है, जहां तक भारत को सुरक्षा का सम्बन्ध है, यह स्थिति बहुत गम्भीर है । मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले को सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाये और डाईगो गार्शिया में सैनिक अड्डा बनाने की कार्यवाही से पीछे हटने के बारे में अमरीका पर दबाव डालने के सम्बन्ध में विश्व मत तैयार करे ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये ।

(तीन) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा राजस्थान में तेल की खोज करने और कुएं खोदने के बारे में

श्री विरधी चन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान प्रान्त के रेगिस्तानी एवं सीमावर्ती जैसलमेर जिले में गैस एवं पैट्रोल प्राप्ति के लिये जो सर्वेक्षण, खोज एवं तेल कुओं की खुदाई का कार्य किया वह अन्तिम निर्णय की पूरी जानकारी प्राप्त किये बिना ही सन् 1976 में राजनैतिक दबाव से छोड़ दिया ।

जैसलमेर जिले के ग्राम घोटारू, लूणार, संग सांधेवाला, लांगेवाला तनोट, भुआना, सुमेरवाली तलाई आदि स्थानों में तेलकूप भी खोदे। चार कुओं में अधिक मात्रा में गैस भी प्राप्त हुई। भूआना तेल कूप को 4500 मीटर तक खोदना था जो 2100 मीटर तक सिर्फ खोदा गया। खुदाई करते वक्त कूप से निकलने वाली रासायनिक मिट्टी में तेल प्राप्त हुआ । उस तेल को आयोग ने अपनी प्रयोगशाला में जांच हेतु भी भेजा, जहां से कूप में तेल होनें की पुष्टि की गई । यह खबर भारतीय अखबारों में मूखपृष्ठों पर छपी थी । इस प्रकार तेलकूप निर्धारित गहराई तक नहीं खोदे जाने और विदेशी उपकरणों एवं अधिक गहराई तक ड्रिलिंग मशीन न होने एवं अन्य कारणों से सर्वेक्षण एवं खोज के कार्य को सन् 76 में स्थगित कर दिया।

पाकिस्तान में सुई क्षेत्र में जो इस क्षेत्र से लगता है गैस की बड़ी मात्रा में उपलब्धि हुई, अतः जैसलमेर जिले में गैस एवं पेट्रोल मिलने की बड़ी संभावनाएं हैं ।

जैसलमेर जिले की ही नहीं राजस्थान प्रान्त की जनता की मांग है कि वहां गैस एवं पैट्रोल की प्राप्ति के लिये तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सर्वेक्षण एवं खोज का कार्य तुरन्त शुरु कर के जैसलमर जिले की ही नहीं बल्कि देश की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करे ।

यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये ।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(चार) कालीकट जिले में ग्वालियर रेयन्स के मलनिस्सारण के कारण चेलियार नदी के जलदूषण के समाचार

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) । ** नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित विषय की चर्चा करता हूं :—

कालीकट जिले की ग्वालियर रेयन्स, जो केरल का एक बड़ा कारखाना है, का जो मल चलियार नदी में बहता है, उसने आसपास के क्षेत्रों का जनजीवन बहुत ही कठिन हो गया है। जब 160 टन गंदा तैयार होता है तो इस कारखाने से लगभग 2,83,000 क्यूबिक मल निकलता है। यहां प्रतिदिन 20 से 22 टन सूत तैयार होता है। एक टन सूत तैयार होता है तो 1287 सी० एम० मल निकलता है। अतः प्रति सैकिंड 0.63 सी० एम० मल निकलता है। मार्च और अप्रैल के बीच जब चलियार नदी में कम पानी होता है तो इसमें 0.64 सी० एम० मल बहता है। इस नदी में जीवधारी तभी जिंदा रह सकते हैं जब एक लीटर प्रदूषित जल के साथ 27.5 लीटर शुद्ध जल मिलाया जाये। अध्ययन से पता चला है कि इस क्षेत्र में आक्सीजन नहीं है।

चुंकापल्ली और आरादूधा के बीच 4 कि० मी० और चुंकापल्ली से तीन कि० मी० पीछे जल में कोई भी आक्सीजन नहीं है। पानी में मिलने वाले मल में बी० ओ० डी० 312 और 1312 के बीच है। जिंदा रहने के लिये एक लीटर पानी में कम से कम 3 एम० जी० आक्सीजन होना चाहिये।

यह कारखाना 56½ टन कास्टिक सोडे और 15 टन क्लोराईन का उपयोग करता है। एक टन कास्टिक सोडे में 0.08 किलोग्राम पारा होता है। अतः 4 किलो 430 ग्राम पारा प्रतिदिन पानी में मिल रहा है।

यह कहना ठीक नहीं है कि इससे स्वास्थ्य के लिये कोई खतरा नहीं है। इस जल के उपयोग से फसलों को नुकसान पहुंचा है। अतः इस कारखाने से निकलने वाले मल से वहां के लोगों के स्वास्थ्य के लिये खतरा पैदा होता है।

अतः सरकार को मल के नदी में बहने से रोकने तथा वहां के लोगो के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिये उचित कदम उठाने चाहिये।

(पांच) जम्मू म रहने वाले पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों को नागरिक अधिकार प्रदान करने के बारे में

डा० कर्णसिह (उधमपुर) : यह बात विचित्र है और इसका पता बहुत कम लोगो को है कि 1947 के दंगों के दौरान पश्चिम पाकिस्तान के जो लाखों लोग नदी पार करके जम्मू में आये, उन्हें अभी तक राज्य सरकार ने नागरिक के पूरे अधिकार नहीं दिये हैं। यद्यपि वे भारत में तीस वर्षों से रह रहे हैं, फिर भी उनके बच्चे राज्य में रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें स्थायी निवासी घोषित नहीं किया गया है और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि विधान सभा चुनावो के लिये मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसे असंख्य लोग मेरे चुनाव क्षेत्र तथा जम्मू चुनाव क्षेत्र में रहते हैं उनके बीच विशेष कर नौजवान पीढ़ी के बीच निराशा बढ़ती जा रही है क्योंकि वे बिना रोजगार के हैं और उनके लिये कोई भी रास्ता नहीं है। अभी हाल में अपनी शिकायतों की ओर ध्यान दिलाने के उद्देश्य से उन्होंने पाकिस्तान सीमा पर "धरना" दिया। मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इन्हें नागरिकता के पूरे अधिकार दिलाने के लिये कहे और उनके कल्याण तथा जम्मू में स्थायी पुनर्वास के लिये विशेष कदम उठाये जायें।

(छः) क्विलोन जिले के तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र से कटाव के बारे में

श्री बी० के० नायर (क्विलोन) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र क्विलोन जिले में के कुछ तटीय क्षेत्रों को गम्भीर प्रकार के भूमि कटाव का खतरा पैदा हो गया है। कुछ अन्य क्षेत्रों को भी बरसात के मौसम में डूबने का खतरा रहता है।

चेकुम्भागांव और पारावूर गांव में भूमि कटाव बड़े पैमाने पर हो रहा है। पिछले तीन महीनों में मौसम अच्छा रहने के बावजूद लगभग तीन किलोमीटर भूमि कट चुकी है। इस अवधि में समुद्र 100 फुट अन्दर तक आ गया है और सैकड़ों नारियल के पेड़ उखड़ गए हैं। मछुओं की झोपड़ियां नष्ट हो गयी हैं। वहां स्थित दो मस्जिदों में से एक नष्ट हो चुकी है और दूसरे का गिरने का खतरा है। नीन्दाकारा में कई साल पहले जो तटबन्ध बनाया गया था वह रेत में धांस चुका है। शीघ्र मरम्मत करने से नई दिवार के निर्माण पर होने वाला भारी व्यय बचाया जा सकता है।

अल्लापड़ क्विलोन से 20 कि० मी० उत्तर में एक और स्थान है जिसे अनेक किस्म का खतरा उत्पन्न हो गया है। भारत सरकार की कम्पनी इंडियन रेपर आर्थ्स लि० यहां अन्धाधुंद खदान कर रही है और इसके कारण भूमि सतह पानी की सतह

**मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

के बराबर आ गई है। पिछली बरसात में तेज बहाव के कारण नौ बसें पूर्णतः नष्ट हो गई थीं और वहां के निवासियों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। यह कम्पनी नए स्थानों पर खदान कार्य कर रही है। इससे वहां के तटीय क्षेत्र को खतरा हो सकता है।

मेरे विचार से इस समस्या का समाधान प्रभावित क्षेत्र में एक सुरक्षा-बान्ध बना कर किया जा सकता है। इस दिशा में कदम शीघ्र उठाने होंगे क्योंकि कुछ ही महीनों में मानसून आरम्भ हो जाएगा। अगर उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए और स्थिति को जहां की तहां छोड़ दिया गया तो व्यापक हानि होगी और विनाश होगा।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इण्डियन रेयर अर्थ्स लि० को निदेश दे कि वह तट पर बांध से सुरक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करे और अभी तक जो प्रभावित हुए हैं उन्हें पर्याप्त मुआवजा दे।

(सात) राजस्थान के जनजाति क्षेत्रों में अकाल की स्थिति के बारे में

श्री भोखा भाई (बांसवाड़ा) : राजस्थान के डूंगरपुर-बांसवाड़ा जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में अकाल की भयंकरता बढ़ती जा रही है। विशुद्ध आदिवासी गावों से आदिवासी रोजगार की तलाश में समीपवर्ती गुजरात एवं मध्य प्रदेश भाग रहे हैं। आदिवासियों के पलायन की गति से लगता है मई-जून तक उक्त सारा इलाका वीरान हो जायेगा। पेय जल समस्या गम्भीरतर हो गई है तथा पशुओं के चारे एवं पानी की समस्या भी बहुत जटिल हो गई है। रोजगार एवं मजदूरी की व्यवस्था नगण्य है। जीवन-यापन के लिये आवश्यक वस्तुओं के क्रय करने की शक्ति का ह्रास हो चुका है। ऐसी विषम स्थिति के समय विभागीय अधिकारियों द्वारा, विशेषकर राजस्व एवं सहकारी वसूलियां सख्ती से की जा रही हैं। आदिवासियों के मकान और जमीन नीलाम होने जा रहे है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्काल हस्तक्षेप किया जाना अत्यावश्यक है। सारी वसूलियां तुरन्त स्थगित की जावें और राहत-कार्य शुरू किये जावें। पीने के पानी की व्यवस्था तो की ही जावे, जानवरों के लिये चारे की तथा सस्ते अनाज व कपड़े की दुकानें भी खोली जावें। साथ ही संनद् सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाये जो सारे राहत कार्यों की निगरानी करे तथा सरकार को सूचित करे। निष्क्रमणार्थियों को अपने घर में पुनर्वासित करने में विशेष योगदान प्रदान किया जावे।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि आप किसी समय इन लोगों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनसे विचार विमर्श करें। अगर वे संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक है अन्यथा उनके पास कल का सारा दिन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात पहले ही कह चुका हूं। ये लोग 1 बजे मेरे पास आ सकते हैं और मेरे साथ बात-चीत कर सकते हैं।

(आठ) राजस्थान क अकाल प्रभावित क्षेत्रों में किसानों से लगान की वसूली स्थगित करने की आवश्यकता के बारे में

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : राजस्थान में 2 करोड़ 40 लाख लोग अकाल से पीड़ित हैं। उन्हें काम पर आवश्यक संख्या में नहीं लगाये जाने के कारण त्राहि त्राहि मची हुई है। लाखों लोगों के पास क्रय शक्ति बिल्कुल नहीं है। उन्हें अपनी चल और अचल सम्पत्ति को बेचना पड़ रहा है और जो काम पर जाते हैं उन्हें 3 किलो अनाज भी समय पर नहीं मिल पाता। कई महीनों तक उन्हें अनाज नहीं मिलता और उन्हें केवल डेढ किलो और दो किलो अनाज मिल रहा है। पीने के पानी की भी भयंकर समस्या है। वक्त पर डीजल और बिजली के उपलब्ध न होने से काश्तकार रबी की फसल भी पैदा नहीं कर सका और इस कारण उसकी हालत भी बहुत पतली हो गई है। फिर भी सरकार उनसे सभी प्रकार की वसूलियां कर रही है और सख्ती से कर रही है। उनकी सम्पत्ति कुड़क कर रही है। विद्युत मंडल को चाहिये कि उनसे मिनिमम चार्जेज नहीं ले और राजस्व विभाग को लगान वसूल नहीं करना चाहिये और सभी प्रकार की वसूलियां अकाल के समय रुक जानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं हुआ तो गांवो में त्राहि त्राहि मच जायेगी और उनमें भारी आक्रोश जो है वह उग्र रूप धारण कर लेगा।

(नौ) मिजोरम में मीजो नेशनल फ्रंट द्वारा स्कूल के दो अध्यापक तथा आसाम राईफल और सीमा सड़क संगठन के चार जवानों की हत्या करने का समाचार

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

मैं मीजो नेशनल फ्रंट द्वारा दो अध्यापकों और चार आसाम रायफल एवं सीमा सड़क संगठन के जवानों की मीजोरम में हत्या किये जाने के बारे में गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कृपाण के प्राइवेट स्कूल के मुख्याध्यापक

[श्री सन्तोष मोहन देव]

श्री नित्यानन्द राय के पुत्र श्री रंजन राय की पत्थर मार-मार कर हत्या कर दी गई क्योंकि वह मीजो नेशनल फ्रंट की 5,000 रु० मीजो नेशनल फंड में देने की मांग नहीं मानी। कचार के जिला अधिकारी को बारबार अनुरोध करने पर भी मृतक का शव उसके परिवार को नहीं दिया गया। फिर 20 मार्च को एक दूसरे अध्यापक श्री आर० पी० दत्ता की भी मीजो नेशनल फ्रंट के लोगों ने छियातलांग में बेरहमी से हत्या कर दी। वह विज्ञान स्नातक अध्यापक थे। इन दो घटनाओं के कारण कचार जिले में काफी रोष है तथा गैर-मीजोरम लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। ये दोनों अध्यापक कचार जिले के थे। मैं गृह मंत्री से तुरन्त सैनिक कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं। सरकार को इन मृतकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की भी घोषणा करनी चाहिये। जब तक ये उपाय नहीं किये जायेंगे तब तक गैर मिजोरम लोगों को उनकी जान और सम्पत्ति का खतरा बना रहेगा। पिछले बीस दिनों के दौरान मीजोरम नेशनल फ्रंट द्वारा बी० आर० टी० एफ० तथा आसाम राइफल पर दो बार आक्रमण किये जाने की घटनाएं घटी हैं जिसमें चार जवानों की जानें गयीं।

(दस) आंध्र प्रदेश के नरसापुर-राजोल सेक्टर में तेल के लिये छिद्रण कार्य के बारे में

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं:

सारे विश्व में तेल की समस्या विकट रूप धारण कर रही है और हमारे तेल और प्रकृति गैस आयोग ने तेल की खोज का काम काफी तेज करने का फैसला किया है। यह काम पश्चिमी क्षेत्र में हो रहा है। पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तीव्रता से तेल की खोज करने की जरूरत है। यहां पहली बार भारी मात्रा में तेल मिलने की संभावना का पता लगा है।

तेल और प्रकृति गैस आयोग के विचार से गोदावरी बेसिन और उसके किनारों पर काफी मात्रा में तेल और गैस मिलने की संभावना है। पूर्वी तट पर हाइड्रो कार्बन का विद्यमान होना देश के लिये काफी महत्व की बात है। आंध्र प्रदेश में नरसापुर के पास दिसम्बर, 1979 में खोदे गए कुंए से इस आयोग के वैज्ञानिकों की उक्त धारणा की पुष्टि होती है। इस प्रथम कुंए की खुदाई में ही 2,200 मीटर गहराई पर 1 दिसम्बर 1979 को तेल पाया गया था। गैस और तेल की 30 मीटर से अधिक मोटी पर्तें होने का अनुमान है। पर गोदावरी क्षेत्र में किस सीमा तक तेल मिल पाएगे इसकी अभी कल्पना करना ठीक नहीं होगा क्योंकि 5,000 मीटर की खुदाई का लक्ष्य अभी पूरा होना है। ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि बम्बई हाई के बाद यह दूसरी बड़ी खोज सिद्ध होगी।

पेट्रोलियम उत्पाद की ऊंची कीमत और भारी आयात तथा विदेशी मुद्रा व्यय को देखते हुए हमें उन क्षेत्रों में तेल की खोज का काम तेज कर देना चाहिये जहां इसके मिलने की अच्छी संभावना है। अतः मैं सरकार से शीघ्र निम्नलिखित उपाय करने का आग्रह करूंगा :

(क) सभी उपलब्ध रिगों और किसी निश्चित अवधि के लिये कावेरी बेसिन के रिगों को यहां ला कर नरसापुर–रजोल क्षेत्र में एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत तटीय और तट-बाह्य खुदाई का काम तेज किया जाए।

(ख) इस काम को त्वरित आधार पर सम्पन्न करने हेतु एक स्थानीय संगठन का निर्माण करने के लिये शीघ्र कदम उठाए जाए।

(ग) नरसापुर के समीप स्थापित विकेन्द्रीकृत संगठन के साथ तटीय और तट-बाह्य खुदाई कार्य को इकट्ठा करने की वांछनीयता पर विचार किया जाये।

(घ) काकीनाडा नरसापुर-रजोल शिविर के बिल्कुल पास है। तटीय और तट-बाह्य खुदाई कार्य काकीनाडा से चलाया जा सकता है।

(ङ) पेट्रोलियम मंत्री स्वयं नरसापुर–रजोल शिविर का दौरा करें और उक्त आधार पर कार्य करने हेतु उच्चस्तरीय बैठक करें।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ कहा जाए उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान) **

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के० लक्कप्पा (तुमकूर) : इससे पहले कि मैं आप से निवेदन करूं . . .

अध्यक्ष महोदय : वे नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठा रहे हैं। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है (**व्यवधान**) नहीं, प्रो० दण्डवते ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : प्रस्ताव पेश करने से पहले . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आपको प्रस्ताव पेश करना है । मैं चाहता हूं आप पहले प्रस्ताव पेश करें ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं प्रस्ताव पेश करूंगा । पर शान्ति बनाए रखने के लिये आप उन्हें अपनी बात कहने का मौका दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको कई मौके दे चुका हूं । मैंने उनसे मेरे कक्ष में आकर विचार-विमर्श करने को कहा है । (**व्यवधान**) **

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही में शामिल न किया जाए । (**व्यवधान**) **

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के नाते मुझे सभा की मर्यादा कायम रखनी है, नियमों का पालन करना है और निष्पक्ष रहना है । मैं जानता हूं कि यह कैसा किया जाए और मैं वही करने जा रहा हूं । प्रो० दण्डवते ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने निर्देश 2(छः) के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस पर विचार किया है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह बिल्कुल वही घटना है जिसका समाचार पत्रों में उल्लेख किया गया है और श्री बागड़ी ने प्रदर्शित किया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास है ।

श्री एडुआर्डो फलीरो : इन महानुभाव ने अध्यक्ष पर लांछन लगाया है और वह समाचारपत्रों में छपा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा (**व्यवधान**) प्रो० दण्डवते ।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के बारे में प्रस्ताव

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और सिफारिश करती है कि कीमतें कम करने के लिये तुरंत कदम उठाए जाएं ।"

(**व्यवधान**) **

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(**तदुपरान्त, श्री मनीराम बागड़ी सदन से चले गए**)

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : लोग हमारी बात सुनकर फैसला करेंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे विश्वास है कि इस प्रस्ताव की विषय-वस्तु ऐसी है कि इस पर सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों को चिन्ता है। आशा है कि इस पर जो चर्चा होगी उससे कुछ ठोस और रचनात्मक सुझाव सामने आएंगे जिनके जरिये मूल्य वृद्धि और अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव कम किया जा सकेगा ।

चावल, मिट्टी का तेल, डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं । मुद्रास्फीति की दर 23 प्रतिशत तक पहुंच गयी है । यह एक खतरनाक हालत है । मेरे पास कृषि उपज मूल्यों के आंकड़ों की अध्यतन समीक्षा है और

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[प्रो० मधु दण्डवते]

सभा की जानकारी के लिये मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। यदि आप सारे वर्ष के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि चीनी में 162 प्रतिशत, गुड़ में 108 प्रतिशत, मद्रास बाजार के हिसाब से मूंगफली में 42 प्रतिशत, जूट के सामान में 23.2 प्रतिशत, बाजरा के मूल्यों में 55 प्रतिशत, रुई में 21.5 प्रतिशत और चावलों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल ने इस सभा में जो निवेदन किया उससे स्पष्ट है कि कच्चे तेल के आयात पर सरकार ने पिछले साल 4,00 करोड़ रुपये खर्च किए और उन्हीं के अनुसार सरकार को इस वर्ष 1980-81 में इस मद पर 5000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा।

आयात पर हमारा इतना खर्च हो रहा है। यह एक गंभीर समस्या है। मुझे आशा और विश्वास है कि सरकार कोई निश्चित प्रक्रिया और तरीका खोजेगी जिससे कच्चे तेल की समस्या का सर्वोत्तम ढंग से हल किया जा सकेगा। उद्योगों को यह बताया जाना चाहिये कि वे उन औद्योगिक उत्पादों का निर्यात करें जिनसे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो। इस तरीके से हम कच्चे तेल के खर्च से उत्पन्न अतिरिक्त आर्थिक दबाव एवं बोझ को वहन कर सकते हैं।

मुद्रा प्रसार की स्थिति को पैदा करने में बहुत सारे तत्वों का हाथ है। इसका सबसे बड़ा कारण देश में काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था का होना है। दूसरा कारण बढ़ते हुए घाटे की अर्थव्यवस्था है। तीसरा कारण है, मुद्रा आपूर्ति एवं उत्पादन के बीच असंतुलन का होना। इसका एक कारण यह भी है कि हम लोक वितरण व्यवस्था को कारगर नहीं बना सके हैं नियंत्रणों को युक्ति संगत नहीं बना सके हैं। ऐसे तरीके एवं साधन नहीं ढूंढ सके हैं जिससे बचत एवं निवेश को बढ़ावा मिले।

ये ऐसी समस्यायें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। मुद्रा प्रसार की समस्या का निराकरण करने के लिये, मैं अर्थव्यवस्था में प्रचलित काले धन पर कुछ गहराई से चर्चा करूंगा। इस संबंध में प्रामाणिक दस्तावेज हमारे पास है। मैं अपने साथी श्री ज्योतिमय बसु का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने पांचवीं लोक सभा में कराधान जांच समिति अर्थात् वांचू समिति के अंतरिम प्रतिवेदन को प्रकट करने का प्रयास किया था। प्रारंभ में ऐसा लगा था कि यह प्रतिवेदन प्रामाणिक नहीं है किंतु अंत में, यह तय हो गया कि प्रतिवेदन जिसे ज्योतिमय बसु ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था वह एक प्रामाणिक दस्तावेज था। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और आप लोगों के माध्यम से पूरे सदन का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण मसलों की ओर आकर्षित करता हूं जो वांचू समिति के प्रतिवेदन से सामने आये हैं। जहां तक इस प्रतिवेदन का संबंध है, काला धन जो प्रचलन में है उसकी मात्रा का आंकलन करने के लिये कालडोर तरीके का पालन किया गया है। उनके पास पहले से ही सन्, 1960-61 के आंकड़े उपलब्ध हैं। जो प्रक्रिया उन्होंने अपनायी, उसके द्वारा उन्होंने निर्धारित गैर-वेतनिक आय और वास्तविक निर्धारित आय को जानने की कोशिश की थी। और इन दोनों के अन्तर को जानकर, वे सन् 1960-61 के बिना हिसाब किताब वाली राशि की मात्रा की जानकारी पाने में सक्षम रहे।

अगर मैं सही हूं तो बिना हिसाब किताब वाली धनराशि 1960–61 में अनुमानतः 700 करोड़ रुपये थी। मुद्रा की प्रसार का दर 5 है, आय की दर 5 यदि हम इसको 5 से गुणा करें तो उस काले धन की मात्रा का मोटे तौर पर पता चल जाता है जो विभिन्न सौदों में प्रयुक्त है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सन् 1960–61 में काले धन के रूप में करीब 3,500 करोड़ रुपये थे। वे 1969-70 के लिये अनुपात तैयार करना चाहते थे और इसके लिये वांचू समिति द्वारा बढ़िया तरीका अपनाया गया। उनके पास मूल्यांकन नहीं था। इसलिये राष्ट्रीय आय में वृद्धि को जानने के तरीके अपनाये गये। चूंकि 1960–61 से 1968–69 तक राष्ट्रीय आय में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई, उन्होंने निश्चित रूप से यह मान लिया कि काले धन में वृद्धि भी उसी अनुपात से होती है जिससे राष्ट्रीय आय में होती है। चूंकि 1960–61 में बेहिसाब आय 700 करोड़ रुपये थी, उन्होंने यह मान लिया कि यह राशि 1968–69 में 1400 करोड़ रुपये है। वास्तव में यह इससे अधिक होने की संभावना है, कम नहीं जब आय में वृद्धि की दर 5 है और यदि उसे 5 से गुणा करें तो हम मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि वर्ष 1968-69 कालाधन 7,000 करोड रुपये था। यह स्थिति 1968-69 की है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि काला धन कम नहीं हुआ है।

(श्री वी० शिवराज पाटिल पीठासीन हुये—[13.03])

काले धन की राशि में वृद्धि हुई है। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था पर काले धन के प्रसार का बोझ है और मुद्रा प्रसार का बोझ देश पर है जिसके कारण मुद्रा प्रसार और बढ़ा। इसके साथ अभाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई।

हमें यह पता लगाना चाहिये कि काले धन का उपयोग कैसे किया गया इससे स्वतः सरकार को जानकारी मिलेगी कि काले धन का पता लगाने के लिये कौन से आवश्यक कदम उठाये जायें। काले धन का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित के लिये किया जाता है ;

1. गुप्त व्यापार सौदो में
2. सोने के गहने (जेवरात) और विलासिता के पदार्थों में
3. विदेशी मुद्रा के गुप्त सौदे
4. जमाखोरी के लिये वस्तुओं की खरीद जिससे वस्तुओं का कृत्रिम अभाव होता है
5. सट्टा
6. काला बाजार
7. अवैधानिक कोटे परमिट एवं लायसेंसों की खरीद
8. गुप्त कमीशन एवं सौदे
9. कारबार में पैसे का अवैध लेन देन
10. विदेशी बैंकों में जमा
11. राजनैतिक दलों को दान।

देश में काले धन को पूरी तरह खत्म करने के उपाय एवं तरीके ढूंढते समय सरकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिये। कम से कम इसमें पर्याप्त कमी अवश्य की जानी चाहिये। यदि आप काले धन का प्रचलन समाप्त करना चाहते हैं तो एक प्रभावशाली उपाय विमुद्रीकरण है। विरोधी पक्ष के सदस्य निरन्तर यह मांग करते रहे हैं कि देश से काले धन को निकालने के लिये विमुद्रीकरण किया जाना चाहिये। हमें हमेशा भूतपूर्व वित्त मंत्रियों के द्वारा यह बताया गया कि विमुद्रीकरण 1946 में किया गया किंतु असफल रहा। हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिये कि यह प्रयोग 1946 में क्यों असफल रहा। 1946 में तत्कालीन सरकार द्वारा मात्र 1000 रुपये और उससे ऊपर के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। दस रुपये एवं सौ रुपये पूर्णतः अछूत रहे। 1946 में 10 और 100 रुपये के नोट कितने थे ? वे कुल मुद्रा का करीब 76 प्रतिशत थे। जब आप विमुद्रीकरण की नीति का क्रियान्वयन करते हैं तब यदि वह 76 प्रतिशत मुद्रा पर लागू नहीं होगे तो आप इसकी सफलता की आशा नहीं कर सकते। इसके विपरीत अक्तूबर 1944 में बेल्जियम सरकार ने विमुद्रीकरण किया था। वहां 100 फ्रेंक्स, 500 फ्रेंक्स, 1000 फ्रेंक्स और 5000 फ्रेंक्स वाले सभी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। इसका परिणाम यह रहा कि जो विमुद्रीकरण अक्टूबर 1944 में लागू किया गया था उससे दिसम्बर 1944 तक मुद्रा वास्तव में 16 करोड़ फ्रेंक्स से घटकर 5 करोड़ फ्रेंक्स हो गई। यह एक जीता जागता उदाहरण है कि विमुद्रीकरण को कैसे प्रभावशाली ढंग से लागू कर काले धन पर रोक लागायी जा सकती है। अतः हमें विमुद्रीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिये न केवल 1000 और 10,000 रुपये के नोटों बल्कि उनसे कम के नोटों का भी विमुद्रीकरण करना होगा। अगर यह किया जाता है तो संभवतः विमुद्रीकरण में काले धन का पता लगेगा अथवा प्रचलित नोटों पर रोक लगेगी।

जहां तक इसके दूसरे पहलुओं का संबंध है, मेरे दिमाग में यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि केवल विमुद्रीकरण करने से कमी सफलता नहीं मिलेगी। इसे हमें पूर्ण ढंग से लागू करना होगा। जब तक हम विमुद्रीकरण को सर्वांगीण ढंग से नहीं अपनाएंगे तब तक हम अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित नहीं कर सकेंगे। अतः मेरी राय यह है कि विमुद्रीकरण के अतिरिक्त निम्न उपाय भी किये जाने चाहिये।

1. विमुद्रीकरण
2. सोने के संचय पर रोक
3. आय, सम्पत्ति एवं व्यय की सीमा निर्धारित करना। यह सालों से विपक्ष की मांग रही है
4. कृषि एवं गैरकृषि आय को कराधान के लिये जोड़ने के बारे में राज समिति की सिफारिशों की स्वीकृति। हमारी पूरी कराधान व्यवस्था में एक कमी यह रही है कि कुछ कुलक एवं शहरी औद्योगिक क्षेत्रों के धनी लोग शहरी आय को कृषि आय दर्शाने की कोशिश करते हैं जिसके परिणामस्वरूप कुछ राज्यों में वे कर से पूर्णतः बच जाते हैं। यह कर से बचने का एक तरीका है। राज समिति ने इस बात पर अत्यधिक जोर दिया है कि कृषि एवं गैर कृषि आय को एक साथ जोड़ दिया जाना चाहिये। केवल दोनों आय–कृषि एवं गैरकृषि को एक साथ जोड़ने पर ही हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि इस क्षेत्र में कर की चोरी बिल्कुल न हो।

[प्रो० मधु दण्डवते]

इसके अतिरिक्त चीनी उत्पादन की समस्या है। पूरा चीनी उद्योग अव्यवस्थित है। पांचवीं लोक सभा में मैंने भार्गव आयोग के चीनी उद्योग संबंधी प्रतिवेदन पर विवाद आरम्भ किया था। मैं मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि के सामान्यप्रश्न पर चर्चा के दौरान इसकी बारीकियों में नहीं जाना चाहता। भार्गव आयोग के प्रतिवेदन पर फिर से एक अलग चर्चा की जा सकती है। मुझे याद है कि पांचवी लोकसभा में मैंने भार्गव आयोग के प्रतिवेदन पर बहस प्रारंभ की थी और मैंने इस आशय के विस्तृत आंकड़े दिय थे कि कितनी देश में कितनी चीनी मिले हैं, उनमें से कितनी 50 साल से भी पुरानी हैं, कितनी मिलों का पूर्णतया कायाकल्प करने की आवश्यकता है, कितनी मिलें अपने पूरी क्षमता का प्रयोग कर रही हैं, कितनी मिलें अपनी क्षमता से नीचे काम कर रही हैं और कितने मामलों में व्यवस्था में पूर्णतः गड़बड़ी आ गई है, आदि। इन सभी मसलों पर पूर्णतः चर्चा की गई थी। उस समय एक बात पर मैंने जोर दिया था। मैं चाहता हूं कि नई सरकार इसकी ओर ध्यान दे।

चीनी उद्योग का सुचारु रूप से नहीं चलने का एक कारण यह भी है कि न तो सरकारी क्षेत्र और न ही गैर सरकारी क्षेत्र इसमें रुचि लेता है। गत वर्षों में सत्ताधारी दल ने चीनी उद्योगपतियों को चीनी के राष्ट्रीयकरण की धमकी दी थी। उन्होंने चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की मात्र धमकी दी किंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस मामले में टालमटोल के कारण इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे यह हुआ कि गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगपति इस सम्बन्ध में असंमंजस्य की स्थिति में रहे कि उद्योग का राष्ट्रीयकरण होगा या उद्योग उन्हीं लोगों के पास रहेगा। इसीलिये उन्होंने उद्योग के प्रबंध में पर्याप्त रुची नहीं ली। साथ ही क्योंकि उद्योग का राष्ट्रीयकरण नही किया गया। हम सरकारी क्षेत्र के प्रबंधका भी लाभ नहीं उठा सके। इसी कारण से, वास्तव में चीनी उद्योग न तो क्षेत्र में कहा जा सकता है, सरकारी न ही गैर सरकारी क्षेत्र में। मैं तो यह कहूंगा कि चीनी उद्योग का मामला सीमा आयोग को सौंपा गया है। कोई नहीं कह सकता कि गैर सरकारी क्षेत्र में रहेगा या सरकारी क्षेत्र में जायेगा। चीनी उद्योग के स्वामित्व के संबंध में इस अनिश्चितता के कारण उद्योग में कार्यकुलशता की कमी है तथा उत्पादन में भारी कमी आई है जिससे कई जटिलताएं पैदा हो गई हैं। मुझे आशा एवं विश्वास है कि सरकार निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जायेगी ताकि चीनी उद्योग के राष्ट्रीय करण के प्रश्न पर एक दृढ़ निर्णय ले लिया जायेगा। यदि आप राष्ट्रीयकरण न करने का निर्णय लेते हैं, तो मैं आपके दृष्टिकोण को समझ सकता हूं। फिर भी आप यह घोषणा कर दीजिए कि आप दस वर्ष तक इसका राष्ट्रीकरण नहीं करेंगे। यदि आप इसका राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं, तो उन्हे पूरी तरह अपने अधिकार में ले लीजिए। इस उद्योग के स्वामित्व के बारे में कोई अनिश्चितता नही रहनी चाहिये। इसी अनिश्चितता के कारण ही उद्योग में अस्थिरता पैदा होती है और यही बात खराब प्रबंध तथा उत्पादन में कमी के लिये जिम्मेदार है।

जिस एक अन्य पहलू की ओर मुझे अवश्य ही सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहिये वह लागत संबंधी ढांचे का प्रश्न है। इस देश में जहां तक मूल्यों का संबंध है मूल्यों को उत्पादन प्रक्रिया में संबंधित लागत धन राशि के साथ युक्तिसंगत रूप से नहीं जोड़ा गया है। डा० राम मनोहर लोहिया ने इसी सभा में ही एक बहुत रुचिकर वादविवाद आरम्भ करके सभा का इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि सरकार को अवश्य ही इस बात का ठोस सुझाव लाना चाहिये कि वस्तुकी परिवहन तथा भंडारण व्यय सहित उत्पादन लागत और निर्धारित किये गये वास्तविक मूल्य के बीच अनुपात तथा संबंध क्या होगा। इस में मुझे आशा है कि इस समस्या की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा और इन दोनों के बीच एक निश्चित संबंध स्थापित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक सामान तथा कृषि उत्पाद के बीच समानता की समस्या भी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। कई बार उपभोक्ताओं के हित की रक्षा नहीं की जाती और कई बार उत्पादकों के हित की रक्षा नहीं की जाती। उसी के फलस्वरूप कई बार उपभोक्ताओं के साथ अन्याय किया जाता है और कईबार कृषि उत्पादकों के साथ अन्याय किया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि मूल्यों की समस्या के संबंध में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाये। प्याज उत्पादकों की हाल की समस्या ने लोक सभा का ध्यान आकर्षित किया है। अतीत में जब आम चुनाव हुये थे प्याज बहुत महंगे हो गये थे। उस समय ये उपभोक्ता ही थे जिन पर बुरा असर पड़ा था। अब जब कि मूल्य बहुत गिर गये हैं इसका बुरा प्रभाव कृषि उत्पादकों अर्थात प्याज उत्पादकों पर पड़ रहा है। अतः अब समय आ गया है जब कि सरकार प्याज उत्पादकों को उचित मूल्य देने के लिये तैयार हो। इस के साथ ही, विचौलियों को अवश्य ही पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिये ताकि जो कुछ भी उपलब्ध है, वह उत्पादकों को मिले और विचौलिये समूची स्थिति का लाभ न उठा सकें।

जहां तक उत्पादन प्रक्रिया का संबंध है, मैं एक बात बताता हूं। उदाहरणार्थ वस्त्रों को लीजिये। जहां तक वस्त्रों का संबंध है कपड़ा मिलों द्वारा बहुत किस्मों के वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। हमारी विकासशील अर्थ

व्यवस्था है। हम अपने विकासशील देश में विभिन्न किस्म के कपड़े उत्पादन करने की विलासिता पर खर्च नहीं कर सकते। यदि अधिक किस्मों का उत्पादन किया जाता है, तो उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी, क्योंकि समस्त उत्पादन प्रक्रिया जटिल बन जाती है।

अतः, अब वह समय आ गया है जब हमारे जैसे विकासशील देश को, जिसने समाजवाद की अपनी आवाज उठायी थी, अवश्य ही इस बारे में निर्णय करना चाहिय कि क्या हम कपड़े की 3,000 अथवा 5,000 किस्मों का उत्पादन करेंगे अथवा हम कपड़े की उन्हीं किस्मों पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे जिनकी जनसाधारण को आवश्यकता होती है। इस बात पर जोर दिये जान की आवश्यकता है। आपका विभिन्न देशों के कुछ राजनीतिक व्यवस्था के साथ मतभेद हो सकता है, किन्तु, चीन एक ऐसा देश है, जिसने उत्पादन ढांचे के बारे में अपना निर्णय कर लिया है कि यह जनसाधारण की आवश्यकता ही उत्पादन के ढांचे का मार्गदर्शन करेगी और उसी क आधार पर ही उसने इस प्रश्न पर निर्णय लिया है कि क्या वह कपड़े की इतनी किस्म की विलासिता पर खर्च करने में समर्थ है अथवा उसे उन्हीं किस्मों पर बल देना होगा, जिनकी आवश्यकता जनसाधारण को होती है। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर हमें अवश्य ही ध्यान देना चाहिये और मुझे विश्वास है कि यदि ऐसा कर दिया जाता है तो कुछ सीमा तक इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

एक समस्या और है और वह मुद्रा सप्लाई का प्रश्न है। मैं जानता हूं कि मुद्रा सप्लाई की समस्या बहुत ही जटिल है। मुझे याद है कि जब हमारी सरकार सत्ता में आयी थी, तो हमने देखा कि अधिकांश राज्यों में बजट से भी अधिक रुपया निकलवाया हुआ था और भारी घाटे की अर्थव्यवस्था थी और उसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव बहुत ही अधिक था। मेरे विचार में अब वह समय आ गया जबकि हमें अवश्य ही इस बारे में निर्णय कर लेना चाहिये कि प्रति वर्ष कितने प्रतिशत मुद्रा सप्लाई बढ़ने दी जा सकती है। अनेक अधिक विशेषज्ञ यह अनुभव करते रहे हैं कि यदि हम देश में 5 प्रतिशत से अधिक मुद्रा सप्लाई होने देंगे तो इससे एक भयंकर स्थिति बन जाएगी क्योंकि मुद्रा सप्लाई और उत्पादन में अत्यधिक अन्तर है। इससे यह भी संभावना है कि अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का बोझ बढ़ जाए और उसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ती रहें। इस संभावना को भी दृष्टि में रखना चाहिये।

मैंने आपके समक्ष एक सामान्य रूपरेखा, एक नीति संबंधी रूपरेखा रखने का प्रयत्न किया है जिसके अन्तर्गत उन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। विस्तार संबंधी प्रश्नों को जानबूझकर नहीं छुआ जाता है क्योंकि मैं मुख्य-मुख्य तथ्यों को नहीं छोड़ना चाहता हूं। अतः मैं जानबूझकर ही स्वयं को कुछ ऐसी प्रमुख मूलभूत नीतियों तक ही सीमित रखा है जिनका सरकार को पालन करना है। इन समस्याओं के संबंध में मैं कोई पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि जिन समस्याओं को मैंने यहां उठाया है उससे शासक दल भी उतना ही चिंतित है क्योंकि ये तो वे समस्याएं हैं जिनको शीघ्र ही हल किया जाना है।

मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि अनेक वाद-विवादों की भांति इस विवाद को केवल रिकार्ड ही नहीं किया जाएगा अपितु सरकार इस पर ध्यान देगी और ठोस नीतियां बनाएगी और नीतियां बनाते समय विरोधी दल के सदस्यों को भी विश्वास में लिया जाएगा। मुझे आशा है कि वे विवेकपूर्ण, सुपरिभाषित नीतियों का निर्माण कर सकेंगे जिसके आधार पर महंगाई की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।

हमारा 7 वर्ष का अनुभव बताता है कि जब तब मूल्यों में अस्थिरता आती है जब तब, राजनीतिक ढांचा भी अस्थिर हो जाता है। इसलिये बढ़ती हुई कीमतों की समस्या का हल करना आवश्यक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): और इसके विपरीत भी।

प्रो० मधु दंडवते : हां, इसके विपरीत भी। यदि मूल्य ढांचे में स्थिरता आ जाती है तो राजनीतिक व्यवस्था में भी स्थिरता आ जाती है। स्थिरता से मेरा तात्पर्य यथास्थिति नहीं है। हम स्थिरता के पक्षधर हैं, राजनीतिक स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और आर्थिक स्थिरता। परन्तु हमारी स्थिरता की धारणा का अर्थ यथास्थिति नहीं है। हम परिवर्तनों के साथ स्थिरता चाहते हैं। अतः मैंने जिस नीति ढांचे का सुझाव दिया है उसके लिये सरकार की आधारभूत आर्थिक नीतियों में आमूल परिवर्तन करना होगा और इन आमूल परिवर्तनों के पश्चात् ही स्थिरता आ पाएगी। अतः मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता का पक्ष लेने का अर्थ यह नहीं है कि मैं यथास्थिति चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि स्थिरता सामाजिक परिवर्तनों और आर्थिक परिवर्तनों से आये। इसीलिये इस संदर्भ में मैं यह आशा हीन हीं अपितु विश्वास करता हूं कि मेरे द्वारा ठोस आर्थिक नीतियां बनाने के संबंध में दिए गए सुझावों पर सरकार ध्यान देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि मंहगाई कम हो और अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव न पड़े।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अनेक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि और उनकी बड़े पैमाने पर हो रही कालाबाजारी पर गहरी चिन्ता तथा क्षोभ व्यक्त करती है और सिफारिश करती है कि अब से तीन मास के भीतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जाल बिछाया जाये ।"

श्रीमती गांधी ने 1971 में **गरीबी हटाओ** का नारा दिया था और पिछले चुनावों से पूर्व भी उन्होंने यह कहकर कि जनता सरकार मूल्य-वृद्धि को रोकने में असफल रही है, वायदे किया था कि "यदि मैं सत्ता में वापस आई, यदि आप मुझे सत्ता में लाते हैं, तो मैं मूल्य नियन्त्रण करूंगी" । वह भली भांति जानती थीं कि वे अपनी क्षमता से अधिक कह रही हैं क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में मुद्रास्फीति या मुल्यों को नियन्त्रित करना संभव नहीं है ।

श्री सतीश अग्रवाल के 21 मार्च, 1980 को पूछे गये एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुद्रास्फीति की दर के संबंध में यह कहा गया था कि 1970–71 वर्ष में 100 को आधार मानते हुए 12–1–80 को जनता पार्टी के सत्ता से हटने के बाद थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि की दर 20.5 प्रतिशत थी । 1 मार्च, 1980 को इसकी वार्षिक दर बढ़कर 23.8 प्रतिशत हो गई। डेढ़ महीने में ही थोक मूल्य सूचकांक में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और फुटकर स्तर पर तो यह 10 से 12 प्रतिशत हुई ।

महोदय, मुद्रास्फीति का दबाव पिछली प्रवृत्तियों के कारण होता है ये प्रवृत्तियां अनुचित नीतियों और पिछली सरकार के अर्थ व्यवस्था के प्रभावहीन प्रबन्ध की वजह से उत्पन्न होती है । मैं नहीं जानता हूं कि वे कितनी बार इसे दोहराते जाएंगे । परन्तु हम तो यह जानते हैं कि जनता पार्टी ने वही रास्ता अपनाया जो कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा था और कांग्रेस पार्टी वही रास्ता अपना रही है जो जनता छोड़ गई है । अतः दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते । हम जो कि निर्धनों के वक्ता हैं, हम जो भिखारी हैं, हमें चुनने का कोई अधिकार नहीं है उन्हें यह सब करने दीजिए। इसमें विशेष अन्तर नहीं पड़ता । पिछले 32½ वर्षों में नेहरू वंश ने लगभग 28 वर्ष शासन किया है । 17 वर्ष स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने और श्रीमती गांधी ने 11 वर्षों तक और बीच में जनता ने, श्री लाल बहादुर शास्त्री को भूल जाओ—लगभग 2 वर्ष 4 महीने को । श्रीमती गांधी 1966 में सत्ता में आई और 1977 में सत्ता से बाहर हो गई और इस अवधि के बीच मैं पूर्ण उत्तरदायित्व लेकर कह सकता हूं खाद्य पदार्थों में 135 से 136 प्रतिशत औसत वृद्धि हुई । यह तो थोक मूल्यों में वृद्धि है और इस स्वर्णयुग में या 'गतिशील दशक' में फुटकर स्तर पर फुटकर बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में, मूलभूत खाद्य पदार्थों की कीमतों में यह वृद्धि 300 से 400 प्रतिशत तक हुई । यह वृद्धि इसलिये हुई कि यह सरकार का काले बाजारियों द्वारा काले बाजारियों के लिये काले बाजारियों की सरकार थी । वे उन्हें हाथ नहीं लगा सकते थे । यदि वे उन्हें हाथ लगायेंगे तो वे उन्हें राजनीतिक सहयोग नहीं देंगे ।

(व्यवधान)

श्री के० मायावेवर (डिन्डीगल) : आप उस समय भी कह रहे थे कि जिन लोगों का आपने समर्थन किया वे सब तस्कर और काला बाजारिये थे ।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब हम 1973–74 वर्ष को लेते हैं । यह सबसे बुरा वर्ष रहा और इसमें रिकार्ड मुद्रास्फीति हुई । मासिक वृद्धि अभूतपूर्व थी । यह लगभग 2.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत मासिक थी । सितम्बर 1973 से सितम्बर, 1974 में एक वर्ष में 32 प्रतिशत वृद्धि हुई । उस समय जनता सरकार कहां थी ? उस समय श्रीमती गांधी और उनके ये पिट्ठू कहां थे ? आपातकाल के उस समय में जब वे देश में लाठी के जोर से अनुशासन लाना चाहते थे, जब जेलें 2½ लाख लोगों से भरी पड़ी थीं जैसा कि विदेश से आये प्रसिद्ध राजनीति प्रवक्ता बर्नार्ड लेविन ने कहा था—क्या वह राष्ट्र में अनुशासन लाना चाहती थीं ? उनका दल लोगों में इस बात का प्रचार कर रहा था कि "राष्ट्र में अनुशासन लाकर मैं कालाबाजारी रोक दूंगी और मूल्यों को नियंत्रित करूंगी ।" एक पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं हो सकता । यह उन्होंने अपने हाथ में तथा अपने वंश के हाथ में सत्ता को केन्द्रित करने के उद्देश्य से किया । 23 मार्च, 1976 से 11 दिसम्बर, 1976 के बीच आपातकाल के समयमें थोक स्तर पर मूल्यों में 11 प्रतिशत तक वृद्धि हुई और फुटकर स्तर पर हमेशा इससे 3 या 4 गुना अधिक होती है। वर्ष 1976 में थोक मूल्यों में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

महोदय, श्री प्रणव मुकर्जी अपने विभाग में नये हैं मैंने उनके विरुद्ध अधिक कुछ नहीं कहूंगा प्रतीक्षा करनी होगी र देखना होगा। वर्ष 1977–78 और 1978–79 में जब जनता सत्ता में थी तो मूल्य वृद्धि क्या रही? क्या कुछ नहीं थी। मैं जनता पार्टी के संबंध में नहीं कह रहा हूं। आप आंकड़े दीजिए, सभा के ज्ञान में वृद्धि कीजिए। 1977–78 और 1978–79 में मूल्य वृद्धि की दर क्या रही? तबाही तो तब शुरू हुई जब चरण सिंह सत्ता आए। वर्ष 1979–80 के बजट से देश में आग लग गई। मूल्य बढ़ने लगे और तत्पश्चात् आग ने जोर पकड़ा।

अब श्री वेंकटरामन अर्थव्यवस्था को 'विड़ला ढंग' से नियन्त्रित करने में विश्वास रखते हैं। मैं उद्देश्यों आलोचना कर रहा हूं परन्तु एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि स्टाक पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। ाक पर बिना नियंत्रण के आप मूल्यों पर कैसे नियन्त्रण रख सकते हैं। आप मूल्यों पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं जब ोर की चाबी आपके पास नहीं है। क्या मैं बच्चा हूं जो आप यह कहानी गढ़ रहे हैं। यह नहीं किया जा सकता। आप लोगों धोखा दे सकते हैं। अब चुनाव आ रहे हैं तो आप लोगों के लिये कहानियां गढ़ेंगे। आपने दशकों तक नेहरू वंश के सन में लोगों को अंधेरे में रखा है। इसलिये आप कहानी कह सकते हैं परन्तु इसका कितना प्रभाव पड़ेगा यह हम देखेंगे।

अहमदाबाद में श्रीमती गांधी ने एक सार्वजनिक सभा में राष्ट्र से वायदा किया कि वे बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करेंगे। यह सब वोट इकट्ठे करने के हथकंडे हैं। क्या आप सभा को यह बताने की कृपा करेंगे कि 500 लाख लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वे कैसे बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू रेंगे? आप अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अन्तिम रिपोर्ट देखिए जिसमें यह लिखा है कि यह देश विश्व में सबसे अधिक बुरी धिक स्थिति में रह रहा है। आप क्या करने का विचार रखते हैं? बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये पकी क्या योजना है, हम वह जानना चाहते हैं।

सरकारने बहुत बढ़ा-चढ़ा कर वक्तव्य दिए है। उन्होंने चीनी मूल्यों के आंकड़े दिए है, परन्तु हम जानते है कि ो 7 रुपए से 9 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। यदि आप नागालैंड के दूरस्थ गांवों में जाएं या केरल में दूर तक जाएं दे आप कुछ इलाकों में जाएं तो आपको चीनी की सबसे घटिया किस्म का मूल्य 9 रुपए देना होगा।

श्री मुकुन्द मंगल (मथुरापुर) : नागालैन्ड में इस प्रकार की चीनी की कीमत 10 रुपए किलो है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे सही कह रहे हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में मुझे चीनी के प्रश्न की जांच करने अवसर मिला है और मैं आपको बताता हूं कि चीनी उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कुछ सीमा तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में चीनी उद्योगपति ही स्थानीय राजनीति पर होती हैं। चीनी उद्योगपति की स्वीकृति बिना एक राजनीतिज्ञ विधान सभा या संसद् में नहीं चुना जा सकता।

क्या श्री मुकर्जी हमें बताएंगे कि खातों में गम्भीर हेराफेरी करने के बावजूद फैक्ट्री में चीनी उत्पादक की लागत कितनी ो है? जब चीनी के दर को उछाला जाता है जब वसूली 10 प्रतिशत है तब खातों में 8.5 प्रतिशत दिखायी जाती है। ा बाजारी वहीं से आरम्भ होती है। क्या वे हमें बताने की कृपा करेंगे कि फैक्ट्री में चीनी उत्पादन की सही लागत कितनी क्या यह 1.25 रुपए प्रति किलो से अधिक है? नहीं, हेराफेरी के बावजूद भी इतनी नहीं है। क्या वे चीनी उद्योगपतियों दी जा रही आर्थिक सहायता और छूटों के बारे में बताएंगे। किन कारणों से और ऐसी कितनी मिलें हैं जो छूट प्राप्त करने बावजूद भी नहीं चल रही हैं? यदि वे चाहे तो मैं इसकी सूची दे सकता। मुझे ब्यौरे देने की आवश्यकता नहीं है। पको कीमतों का पता है क्योंकि आपके घर से कोई न कोई बाजार जाता होगा। परन्तु मैं इतना कह सकता कि ज मुझे एक दशक पहले की अपेक्षा जब मैं संसद सदस्य बना था पांच से छः गुना अधिक खर्च करना पड़ता है। ब्यौरे दिए है परन्तु मैं कुछ दिलचस्प आंकड़े दूंगा। इस देश में एक सबसे बड़ा बहु राष्ट्रीय कम्पनी अर्थात् हिन्दुस्तान लीवर खाना पकाने वाले तेल हाइड्रोजनीकृत तेलपर एकाधिकार है। और इस कम्पनी को पकड़ा गया। इसके गाजियाबाद रखाने में एक टैंकर लारी जिसके अन्दर चेम्बर में मिलावटी तेल भरा था रंगे हाथ पकड़ी गयी। आप यह देखें कि यह नी किस तरह साबुन की कीमतें बढ़ा रही हैं वह साबुन के कुल चरबी तत्व में किस तरह कमी कर रही है और इसके थ ही वह किस तरह साबुन की टिकियां का आकार कम कर रही है, 1 जनवरी 1979 को सनलाईट की कीमत .10 रुपये थी और 24 दिसम्बर 1979 को इसकी कीमत 1.46 रुपए थे। एक वर्ष के भीतर 30% से अधिक वृद्धि गई। लाइफबाय की कितनी 1 जनवरी 1979 को 1.25 रुपए थी और 24 दिसम्बर 1979 को इसकी कीमत 1.67 ए हो गई। इसी तारीख को लक्स टायलेट स्टैंडर्ड की कीमत 1.35 रुपए थी जो दिसम्बर 1979 में 1.71 रुपए हो ो। प्रत्येक चीज के आकार गुण वजन में कीमत पर प्रभाव पड़ा। सत्तारूढ़ कांग्रेस (आई) के लोगो और बड़े बड़े व्यापारियों

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

के बीच समझौता बहुत ही सरल है। मैं आपके चुनावों के लिए धन दूंगा आपकी पार्टी को धन दूंगा और आप मुझे मनमानी लूट करने दें। यही समझौता हुआ है और इसी से देश का सत्यानाश हो रहा है।

मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं डीजल की क्या स्थिति है? सरकार अभी तक राष्ट्रीय परिवहन नीति नहीं बना सकी है और इसीलिए सड़क परिवहन लाबी अपने ढंग से काम कर रही है। डीजल जो 1.60 रुपए प्रति लिटर बेचा गया था अब 4.50 रु० और 7 रुपए के बीच बेचा जा रहा है और मिट्टी का तेल 4 और 7 रुपए के बीच बेचा जा रहा है। स्कूल जाने वाले बड़े बच्चे सूर्य छिपने के बाद पढ़ नहीं सकते क्योंकि रोशनी ही नहीं होती है। कोयला भवन निर्माण सामग्री आम आदमी को नहीं मिल रहा है। देश संघर्ष की ओर जा रहा है। सरकार धोखा देना चाहती है। वह निवारक निरोध अधिनियम लायी है जिसमें बिना मुकदमा चलाये नजरबंदी की व्यवस्था है। हम जानते हैं कि यह हमारे लिये है और हम इसके लिए हमला तैयार हैं। परन्तु क्या यह सही नहीं है कि यह अधिनियम तो ऐसा ही है और श्रीमती गांधी के जीवन का यह दर्शन है कि चोर को बोलो लग जाओ सड़े को बोलो जग जाओ। दिनांक 21 मार्च 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1358 के उत्तर में उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राज्य और संघराज्य क्षेत्र के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक उपलब्ध नहीं है। क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि संसद में उत्तर देते समय केन्द्रीय सरकार कहे कि उसके पास राज्यों में मूल्य वृद्धि के आंकड़े नहीं हैं? अत्यावश्यक खाद्यान्न आम जनता को नहीं मिल रहे हैं। मैं एक या दो शीर्षक पढ़ता हूं --मध्य प्रदेश में गांव के लोग घास खाकर जी रहे हैं।", "छत्तीसगढ़ में चावल का अवैध धन्धा" और "छोटानागपुर में मुखमरी का खतरा" स्थिति यह है। हम संसद में बैठकर क्या कर रहे हैं? हम किसके लिए क्या कर रहे हैं? यहां मंत्रिगण हैं मैं किसी के प्रति कठोर शब्द नहीं आनाना चाहता। परन्तु मुझे यह कहने में खेद होता है कि आपमें से अधिकांश लोग मनुष्य नहीं है। आपको स्थिति का भी पता नहीं है। आप तो एक ऐसी स्थिति में हैं जो शीघ्र ही विस्फोट बनने वाली है। एक ओर तो अत्यधिक मूल्य वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर आमदनी कम हो रही है। 1960-61 को आधार मानते हुए इस सम्बन्ध में 1974-75 के आंकड़े इस प्रकार हैं: खेतिहर मजदूर की वास्तविक आय में गिरावट की प्रतिशतता पुरुष मजदूर--34.5%, महिला--49.9% और बच्चे--52.4%। यह कैसी आजादी है क्या आप मंत्री जी से इसे बचाने के लिए कहेंगे? आजादी किस लिए--लूट, मुखमरी, जीने के लिए संघर्ष हेतु? वे इसी तरह की आजादी की बात करते हैं।

श्री मधु दंडवते ने प्याज के उत्पादकों के बारे में बात कही है। लोक लेखा समिति के सभापति के रूप में मेरा कृषि मूल्य आयोग के मामले से सम्बन्ध रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृषि मूल्य आयोग धूर्तों का समुदाय है। वे कृषकों के सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्हें बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा मिलता है। उनका काम तो कम मूल्यांकन करना ही है। वे कभी भी उचित मूल्य नहीं बताते हैं और उद्योगपतियों को खुश करते हैं। मुझे यह नहीं मालूम है कि उत्पादन की लागत क्या है या प्याज का उचित मूल्य क्या है। परन्तु मैं तो यह जानता हूं कि नियंत्रकों जो कुछएक विशिष्ट व्यक्ति गरीबी हटाओ परियोजना, आदि के लिए योगदान करने को इच्छुक हैं, के लिए जहां तक सिंगुलर मूल्य 150 रुपए प्रति क्विंटल है और कृषक 30 रुपए प्रति क्विंटल के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

दालों की स्थिति क्या है? गत 14 वर्षों में दालों के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है जब कि आबादी प्रति वर्ष 2 प्रतिशत, अर्थात् 25 प्रतिशत बढ़ गयी है। गरीब आदमियों को प्रोटीन नहीं मिल रहा है। यही स्थिति है।

जहां तक खाद्यान्न तेल का सम्बन्ध है, गत वर्ष से पहले खाद्यान्न तेल के आयात का कुल मूल्य 840 करोड़ रुपए था। आपका दल 30 वर्षों तक सत्ता में रहा है। आपके पास राष्ट्रीय कृषि खाद्य योजना नहीं है। आप अमरीका की ओर देखना चाहते हैं। जब समझ आता है तब आप उनके पैरों पर लोट जाते हैं। आप सी०आई०ए० की भर्त्सना करते हैं। परन्तु जब समय आता है तब आप उनके पैरों पर लोट जाते हैं और सोयाबीन तेल, खजूरतेल, रेपसीड तेल, जो कि खाने योग्य नहीं है, मांगते हैं। इसका रहस्योद्घाटन नहीं किया जा सकता। अन्यथा, यह बेचा नहीं जा सकेगा। अतः आप इसका आयात करके इसे बाजार में बेच दें। स्थिति यह है।

बांधू अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में मुझे एक साम्यवादी विचारधारा का होने के नाते, यह कहने में संकोच नहीं है। हमें लोगों की भलाई करने में संकोच नहीं करना चाहिए और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ कागजातों को हटाना होगा। यह चोरी है। उस पक्ष की ओर से गंभीर आपत्तियां और विरोध किए जाने के बावजूद इसे सभा पटल पर रखा गया। हमें

यह उल्लेख है (नवम्बर, 1970) की 1968-69 में 7000 करोड़ रुपए की मुद्रा का प्रचलन था। मैं तो श्रीमती इन्दिरा-गांधी को इस देश में काले धन की सत्राज़ी और भ्रष्टाचार का मूल स्रोत मानता हूं। लोग यह शीघ्र ही समझेंगे इस समय आपको अधिक मूल्य चुकाना होगा। इससे पता चलता है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बजाय किसी की सेवा करने का कोई इरादा नहीं है। वे उस अन्तरिम प्रतिवेदन को छिपाना और नष्ट करना चाहते थे जिसकी एक प्रति मेरे पास है। परन्तु अब यह सरकारी दस्तावेज हो गया है।

विमुद्रीकरण के बारे में मेरे मित्र श्री मधु दण्डवते बता रहे थे। परन्तु खेद की बात तो यह है कि प्रोफेसर साहब तो इस तरह से समझाते थे कि वह कक्षा में पढ़ा रहे हों। आपको विमुद्रीकरण करने से कौन रोकता है? नौ विधान सभाओं के चुनावों में 200 करोड़ रुपए खर्च होगा। यह धन कहां से आएगा? यह धन चीनी और वस्त्र उद्योगपतियों तथा पटसन उद्योगपतियों आदि से आएगा। कोटा के अलाट करने के बारे में भी मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि इन सब चीजों को जानने के लिए मेरे पास व्यवस्था है।

वांचू समिति ने अपने अन्तिम प्रतिवेदन, जो प्रकाशित हो गया है, में यह स्पष्ट बताया है--मैं उदाहरण देता हूं :

"इसे गैर कानूनी तौर पर कोटा और लाइसेंस अधिक मूल्य पर खरीदने, गुप्त आयोगों को धन देने, रिश्वत, मुकदमें बाजी, आदि, व्यापारिक सौदों में देने, औद्योगिक शांति कायम रखने, चुनाव खर्च के लिए धन देने और राजनीतिक दलों को चंदा देने में भी खर्चा किया जाता है।"

इसलिए आप काले धन को समाप्त नहीं कर सकते। इतने निर्दयी मत बनो। इनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आप बच नहीं पायेंगे।

अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। श्री एस० के० मोदी का मामला है जो दिल्ली में गेहूं की 4133 बोरियों सहित पकड़े गए। मामला दायर किया गया। कुछ भी नहीं हुआ है। उन्हें हुआ तक नहीं गया है। उनके विरुद्ध आंशुका मामला वापस ले लिया गया है, क्योंकि श्री उमाशंकर दीक्षित रात में वहां निजी तौर पर गये--मैं नहीं कह सकता कि वह एक सूटकेस लाने या बोरा और मामला वापस ले लिया गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि श्री मोदी के मामले की स्थिति क्या है। दिल्ली प्रशासन ने क्या किया है? मैं श्री प्रणब मुखर्जी से इस बारे में जानना चाहता हूं। कल श्री के० पी० सिंह देव ने बिहार में कोयले और नमक के अवैध धंधे का मामला उठाया था। मुझे आज सुबह मालूम हुआ कि हरेक ने 1½ लाख रुपए दिये और अब वे इससे मुक्त हैं। और गरीबी हटाओं का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। क्या आप हमें इस के बारे में कुछ बताएंगे या इसकी पुष्टि करेंगे?

पूंजीवादी ढंग से विकास किए जाने के कारण मूल्य स्थिर नहीं हो सकते लाभ ही केवल एक उद्देश्य है। अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ही प्रत्येक आर्थिक प्रयास किया जाता है और यदि अधिक लाभ कमाने का ही उद्देश्य है, जैसा कि मेरे मित्र ने सही ही कहा है, आप समाज या देश की सेवा नहीं कर सकते।

अब मैं पूरी न की गयी घाटे की अर्थव्यवस्था पर आता हूं। 1950-51 में अप्रत्यक्ष कराधान केवल 56.7% था जो 67.5 करोड़ रुपए बनता है, परन्तु 1979-80 में संशोधित अनुमान कुल केन्द्रीय राजस्व का 76% बनता है जो 5,825.2 करोड़ रुपए बैठता है। और अलाभकारी व्यय की स्थिति क्या है? 1950-51 में पुलिस पर 3 करोड़ रुपए था और 1979-80 में यह 262.45 करोड़ रुपए है। 1950-51 में रक्षा पर यह 1683.2 करोड़ रुपए और 1979-80 में यह 3273 करोड रुपए है। 1979-80 में घाटे की अर्थव्यवस्था 2700 करोड रुपए थी परन्तु इस वर्ष यद्यपि मंत्री ने यह कहा है कि यह 1200 करोड़ रुपए है। कृपया यह नोट करें कि यह लगभग 2000 करोड़ रुपए होगी। यह तो आपको देना ही पड़ेगा।

निर्यात करिए अन्यथा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा का नारा, जो धनी राष्ट्र गरीब देशों पर थोपते हैं, एक और तबाही है। गरीब कर दाताओं की कीमत पर हो गयी निर्यात राजसहायता 300 करोड़ रुपए है।

मैं एक और मामले को पढ़कर भाषण समाप्त करूंगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह स्पष्ट कहा है कि वर्तमान प्रणाली में उपचार अन्तिम उपचार नहीं है। उसका कहना है :

(क) केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक खरीद और वितरण की व्यापक प्रणाली शुरू करनी चाहिए जिसमें मुख्य खाद्यान्न, दालें, नमक, चीनी, वस्त्र, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, डीजल तेल, दिया सलाई, कागज और कपड़े धोने का साबुन

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

शामिल हो; (ख) ये वस्तुयें समूचे देश में एक ही मूल्य पर बेची जानी चाहिए; (ग) सार्वजनिक खरीद-व-वितरण कार्यों को राजसहायता देने के लिए 500 करोड़ रुपए की विशेष निधि निश्चित की जानी चाहिए; (घ) आवश्यक आयात माल के लिए 1,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा नियत की जानी चाहिए, (ङ) चीनी और अन्य दुर्लभ वस्तुओं सहित खाद्य वस्तुओं का निर्यात तुरंत बन्द किया जाना चाहिए; (च) कुल चीनी उत्पादन का 80 प्रतिशत माल सार्वजनिक वितरण के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए और चीनी के निर्यात के लिए राज सहायता देने हेतु केन्द्रीय सरकार के बजट में दिखायी गयी समूची राशि जनता को चीनी 2.50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सप्लाई करने के लिए दी जानी चाहिए; (छ) फरवरी, 1979 में बजट पेश किए जाने से पूर्व कोयले, कपड़े, पेट्रोलियम उत्पाद, माचिस, आदि की जो कीमतें प्रचलित थीं उन्हें बहाल किया जाए और इन वस्तुओं पर जो उत्पाद-शुल्क लगाया गया उसे वापस लिया जाए; (ज) तेलों और खाद्य तेलों का सम्पूर्ण आयात सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाए; (झ) एकाधिकारी उद्योग गृहों को दिए जाने वाले ऋण में कटौती; और (ञ) केन्द्रीय भण्डार से सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से और काम के बदले अनाज योजना के माध्यम से भारी मात्रा में अनाज की आपूर्ति ।

सभापति महोदय, मुझे समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूं ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : काफी समय के बाद आज श्री ज्योतिर्मय बसू का भाषण सुनने के बाद ऐसा लगा है कि उन्होंने न कुछ सिखा है और न कुछ वह भुला पाए हैं । उनका हमेशा ही एक सूचीय कार्यक्रम रहा है—सभी प्रकार के तर्कों, गलत, झूठे, बनावटी और बेबुनियाद लांछन लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी को बदनाम करना । अभी तक वह यही कुछ करते रहे । आप कहते हैं कि कांग्रेस 30 साल तक राज करती रही । तो क्या यह आपकी दया का परिणाम है ? या आपकी पार्टी या किसी अन्य व्यक्ति की दया का फल है ? कांग्रेस 30 साल तक सत्ता में इसलिए रही कि जनता ने इसे वोट दिया और सत्ता सौंपी । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ग्यारह वर्ष तक आपकी दया के कारण देश में शासन नहीं किया । आप जितना बुरा कर सकते थे आपने किया ।

आप के कीचड़ उछालने, आचरण-हनन, शाह आयोग की नियुक्ति—जिसके आप बड़े प्रशंसक रहे—जन संचार का दुरुपयोग करके । आपके अभियान आदि के बावजूद आज इन्दिरा गांधी पुनः सत्ता में है क्योंकि देश के लोगों का उन्हें समर्थन मिला है । आज आप कहते हैं कांग्रेस 30 वर्ष तक सत्ता में रही, इन्दिरा गांधी सत्ता में रही । आप किस के साथ सहयोग कर रहे थे ? पिछले 2½ वर्षों में आप जनता पार्टी से सहयोग करते रहे, पर यह दिखाने के लिए कि जनता पार्टी के सभी बुरे कारनामों में आपको सहयोगी न समझा जाए, आप कभी-कभी अपना विमत भी अभिव्यक्त करते रहे । जनता पार्टी का सबसे प्रबल समर्थक सी पी (एम) रहा है । अतः आप उनके सभी पापों के भागीदार है । आज भी आप वही कर रहे हैं । समाचार-पत्रों के अनुसार आप लोग आज भी विधान सभा चुनावों के लिए जनता पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं । जब मैं आप जैसे तथाकथित क्रान्तिकारी की बात सुन रहा था तो मुझे लगा कि आपके दल ने जो पश्चिम बंगाल में सत्ता में हैं, न जाने कितने कालेबाजारियों के सिर आपने काट दिए होंगे । मेरा विचार था कि आपका दल वहां कीमतों पर कुछ हद तक अंकुश लगाने में सफल रहा होगा । मूल्यों को स्थिर रखना, उन पर अंकुश लगाना, उन्हें निर्धारित करना, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । मेरा विचार था कि आपकी पार्टी के अन्य सरकारों की अपेक्षा कीमतों को नियंत्रित करने की दिशा में बेहतर काम किया होगा । आप क्रान्तिकारी कहलाना चाहते हैं । आप का कहना है कि कालाबाजारियों को निकटतम खम्बे पर लटका कर फांसी लगा दी जाए । हमने भी यह कहा है । पर आप जैसे तथाकथित क्रान्तिकारी अपने राज्य में निवारक निरोध अधिनियम को लागू करने से भी कतरा रहे हैं । आप मुझे यह बताएं कि पश्चिम बंगाल में कितने कालाबाजारियों को सजा दी गई है । आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कीमतें निश्चित करने के लिए क्या किया गया ? कुछ भी नहीं किया गया । कीमतों की स्थिति पश्चिम बंगाल में वस्तुतः अन्य राज्यों से खराब है । मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं । मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं और आम आदमी की भावना व्यक्त कर रहा हूं । मैं अन्य सदस्यों की तरह आंकड़े पेश करके सभा पर बोझ नहीं डालना चाहता । वस्तुतः बढ़ती हुई कीमतों की समस्या जटिल और गम्भीर समस्या है । मैं इस बात से सहमत हूं कि स्थिरतावादी दृष्टिकोण काम नहीं करेगा । पिछले ही तरीकों को अपनाने से समस्या हल नहीं होगी । कोई चमत्कार भी सम्भव नहीं है । पर देश की जनता श्रीमती इन्दिरा गांधी से किसी चमत्कारी कार्य की अपेक्षा रखती है । उन्हें विश्वास है कि कीमतों को कम करने के लिए वह अवश्य कुछ न कुछ करेंगी हालांकि समस्या बड़ी विकट है ।

मेरे मित्र प्रो० दण्डवते ने हमेशा की तरह अनेक सुझाव दिए हैं, सुझावों की एक फेहरिस्त पेश की है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 2½ वर्षों में इन सुझावों पर अमल क्यों नहीं हुआ जब वे मन्त्रिमंडल के स्तर के मंत्री थे तब यह क्यों नहीं हुआ ? वह आपकी सरकार थी। महोदय, यह एक राष्ट्रीय समस्या है। मैं इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। यह आपकी ही सरकार थी जिसने बजट पेश किया, रिकार्ड कर लगाए। मुद्रास्फिति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। कीमतें इससे पहले इस सीमा तक नहीं बढ़ी थी। इसके लिए यह स्पष्टीकरण दिया जाता है कि चौधरी चरण सिंह ऐसा बजट लाए। हाल के चुनावों में हमने सुना कि बजट के लिए श्री चरण सिंह जिम्मेदार थे। इसका लोगों ने उत्तर दिया कि तुम सभी जिम्मेदार थे और उसकी तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। और जनता ने आपको दे दी है।

मुद्रास्फिति की दर में इतनी भारी वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है ? मैं यह नहीं कहता कि इसके लिए कांग्रेस का पिछले 30 वर्षों का शासन जिम्मेदार नहीं था पर अब वह समय आ गया है कि हमें स्थिति को सुधारना होगा। मैं इस सम्बन्ध में अपनी सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं इमरजेंसी के दौरान दिल्ली में कीमतों को नियंत्रित करने के मामलों में मैं भी कुछ हद तक सम्बन्धित रहा, इसलिए इसका मुझे भी थोड़ा ज्ञान है।

यह देखा गया है कि वस्तुओं के फैक्टरी मूल्य और उपभोक्ता मूल्य में 30 से 300 प्रतिशत का अन्तर रहता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक ही मंत्रालय इसे हल नहीं कर पाएगा केवल प्रणव मुकर्जी या उनका मंत्रालय इस समस्या को सुलझाने में समर्थ नहीं है। **(व्यवधान)** यह एक जटिल समस्या है। मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए बहुकोणीय दृष्टिकोण, समन्वित कार्यवाही की जरूरत है। केन्द्र में एक उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय मूल्य नियंत्रण बोर्ड बनाया जाना चाहिए जो कीमतों पर अंकुश रखने का कार्य करेगा। ऐसी वस्तुओं के मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं जिसके लिए कोई औचित्य नहीं है। कई वेईमान निर्माता केवल इसलिए कीमतें बढ़ा रहे हैं कि जब सरकार कहेगी तो वे कुछ कीमतें कम कर देंगे। अतः मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूँ। अवश्य ही एक केन्द्रीय मूल्य सतर्कता बोर्ड होना चाहिये जिसमें कुछ विशेषज्ञ हों और कुछ मंत्री हों। इसकी लगातार बैठकें होनी चाहिए जिसमें विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों पर विचार किया जाए। यह मूल्य वृद्धि के सभी कारणों का अध्ययन करे और मौके पर ही निर्णय ले जो अनिवार्यता लागू किए जाएं।

फिर केवल केन्द्रीय बोर्ड ही काफी नहीं होगा। केवल सरकारी शक्ति से कीमतें नियंत्रित नहीं होंगी। लोगों की शक्ति को शामिल किया जाना जरूरी है। मुझे यह कहते खेद है कि उपभोक्ता अपने को बेसहाय समझता है। वह नाखुश है। अधमरा है। उसे लूटा जा रहा है। पर वह संगठित नहीं है। जो वह अनुभव करता है उसे संगठित तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता। सरकार और जनता की मिलीजुली शक्ति से ही मूल्यों को कम करने के लिए वातावरण तैयार किया जा सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि सभी राज्यों, सभी जिलों और सभी शहरों में सतर्कता समितियां गठित की जानी चाहिए जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य हों जो अपने अपने क्षेत्र में मूल्यों की साप्ताहिक समीक्षा करें और इस प्रकार का वातावरण तैयार करें कि इस समस्या से प्रत्येक व्यक्ति सम्बद्ध हो जाए और लोगों को यह अनुभव हो कि उसमें उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। जनता और सरकार की मिलीजुली शक्ति से ही बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। किसी निर्दोष आदमी के खिलाफ कार्यवाही किए जाने का मैं सख्त विरोधी हूं। पर कालाबाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है। प्रो० दण्डवते कह रहे थे कि देश में भारी मात्रा में काला धन है। मैं उनसे पूछता हूं कि उसे बाहर निकालने के लिए आपने क्या किया ? श्रीमती गांधी ने एक योजना चलाई थी जिसके अन्तर्गत कम-से-कम 1700 करोड़ रुपयो बाहर आया था।

आप तीन वर्ष तक कहाँ सोते रहे ? आप रेलों के काम में व्यस्त थे। मुझे आपकी क्षमता, ईमानदारी और निष्ठा में विश्वास है। मैं आप पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरी राय में एक समुचित वितरण प्रणाली इसके लिए जरूरी है जिसे आपने पूर्णतः नष्ट कर दिया।

मैं दिल्ली के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। दिल्ली में जनता सरकार ने वितरण प्रणाली को लगभग नष्ट कर दिया। उन्होंने अपने ही आदमियों को राशन की दूकानें अलाट की और जनता को लूटा। वस्तुतः उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। बनावटी कमी पैदा की गई। चीनी, सीमेंट के वितरण में घोटाला हुआ। कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए कि उनके दोस्त पूंजीपति हैं, जमाखोर हैं और स्वार्थी व्यक्ति हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए—13.56]

[श्री एच० के० एल० भगत]

श्री वसुजी आप उनके सहयोगी थे। उनका अपना स्वार्थ था। इसलिए कीमते तेजी से बढी। उन्होंने जानबूझकर स्थिति खराब की और दिल्ली में अराजकता पैदा की। मूल्यों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। वस्तुत ये लोग धन इकट्ठा करने, लोगो को लुटने में व्यस्त थे। इसी कारण महानगर परिषद् को भंग करना पड़ा। जो मैं कहना चाहता हूं शायद प्रो० मधु दण्डवते आप मुझ पर हँसेंगे। पर आप दिल्ली के लोगों से स्वयं बात करें। दिल्ली जनता पार्टी के कुछ लोग कालाबाजारियों के सहयोगी थे। वे इनके दोस्त और समर्थक थे। उन्होंने यह स्थिति जानबूझकर पैदा की। मैं सुझाव दूंगा कि सरकार दिल्ली तथा अन्य क्षेत्रों के लिए भी नागरिक पूर्ति निगम बनाए और उपयुक्त वातावरण तैयार करें। मूल्यों को स्थिर करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। गन्ने के कम उत्पादन के लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या जनता पार्टी की गलत चीनी नीति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आपने गलत कृषि नीति अपनाई। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि में गन्ना ही गन्ना पैदा होता है। उन्हीं के शासन काल में स्थिति बिगड़ी। उन्हें भी बूरा-भला कहा गया। उन्हीं के कार्य काल में गन्ना उत्पादकों को बहुत ही कम मूल्य मिला। आपकी गलत चीनी और कृषि नीतियों के कारण यह स्थिति पैदा हुई।

महोदय, अन्त में मैं कहूंगा कि जहां कहीं भी उत्पादन में कमी आ रही हो सरकार को उसमें वृद्धि के लिए साहसिक कदम उठाने चाहिए। मूल्य वृद्धि को रोकने और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें साहसिक कदम उठाने चाहिये। उसके लिये एकजुट कार्यवाही, सम्मिलित कार्यवाही, सतर्क कार्यवाही और हर दिन कार्यवाही की आवश्यकता होती है।

मुझे आशा है कि विभिन्न स्वैच्छिक संगठन, समाचार-पत्र और अन्य लोग सरकार का हाथ बटायेंगे और जनता मूल्य वृद्धि के विरुद्ध एक अन्यक युद्ध छेडेंगी। और तभी हम सफल भी हो सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजगोपाल नायडू।

श्री पी० राजगोपाल नायडु (चित्तूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जनता दल के एक नेता की बात सुनी है। और मैं उनका सम्मान करता हुं। उन्हों ने एक अर्थ शास्त्री की सी बाते की न कि जनता दल के एक नेता की तरह। मुझे इसकी खुशी है। उन्हों ने कीमतों में अनुरूपता की मांग की। जनता शासन में उन्हों ने जो कुछ किया वह यह है कि सत्ता में आते ही उन्हों ने सब से पहला काम जो किया वह था कि उन्हों ने कृषि उत्पादों के दूसरे देशों को निर्यात पर रोक लगा दी जिसके पीछे उनका कहना था कि ऐसा वे उपभोक्ताओं के हित में कर रहे हैं।

इसी कारण हर वस्तु की कीमत विद्यमान स्तर पर कम से कम 15% बढ़ गई। इससे केवल पूंजीपतियों को सहायता मिली। कपास पैदा करने वाले, गन्ने की खेती करने वाले, जूट पैदा करने वाले तथा अन्यों के बारे में आपने क्या सोचा है। कीमतों में गिरावट आने के कारण उन सबको एक ही वर्ष में 5,000 करोड़ की हानि हुई। पूंजीपतियों को भारी लाभ हुआ। यह है जनता पार्टी सरकार के शासन का परिणाम। जब गन्ने के दाम गिर गये तो उ० प्र० के गन्ना उत्पादकों ने लखनऊ में आन्दोलन किया। वे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे और प्रो० रंगाजी तथा अन्य लोगों ने बड़े ही शान्तिपूर्ण ढंग से उनका नेतत्व किया। परन्तु जनता पार्टी सरकार ने उन्हें क्या दिया ? कीमते बढ़ाने की बजाय उन्हें लाठियों से पीटा गया और उन के सिर फोड दिए गए और टांगे तोड़ दी गई। इसी ढंग का व्यवहार उन्हों ने कृषकों के साथ किया। अब उन्हें कीमतों में समरूपता चाहिए। जब हमने लाभकर दामों की मांग की तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कारखानेदारों को गन्ने के दामों को न बढ़ाने की चेतावनी दी जो कि लाभकर स्तर से नीचे था। उन्हों ने कृषि मूल्य आयोग को चेतावनी दी कि वह खाद्यान्नों के दाम न बढाए। इस ढंग से तो जनता पार्टी ने किसानों की सहायता की। मैं मानता हूं कि कीमतों में समरूपता होनी चाहिए और मैं श्री दण्डवते को भी धन्यवाद देता हूं कि अब उन्हों ने यह बात उठाई। हम कीमतों में समतुल्यता चाहते हैं। जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आई तो मंत्रिमंडल ने कृषि मूल्य आयोग के क्षेत्र को विस्तृत करने और कृषिजन्य वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करने

के लिए प्रबन्धकीय खर्चों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया। अतः इन्दिराजी की सरकार अब किसानों की सहायता करना चाहती है और इसीलिए मन्त्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया। जनता सरकारने किसानों की सहायता नहीं की थी।

महोदय, यह कहा गया है कि सरकार ने चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कोई दृढ निर्णय नहीं लिया है। जनता सरकार ने ही क्या किया था ? उस सम्बन्ध में उन्हों ने तो कुछ किया ही नहीं। जब हमने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग की और जब हमने चीनी उद्योग को भी नियंत्रण में रखना चाहा जिससे कि वे गन्ने की पूर्व खरीद की बकाया रकम का भुगतान कर सकें तो जनता सरकार ने इस बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठाया। जब ऐसी तो स्थिति थी तो वे कैसे कह सकते है कि जनता सरकार ने किसानों की सेवा की।

महोदय, उन्हों ने काले धन को समाप्त करने की बात कही। बिलकुल ठीक है। परन्तु उन्हें मार्ग भी सुझाना चाहि।

प्रो० मधु दंडवते : वह मैं बता चुका हूं।

श्री पी० राजगोपाल नायडु : तब आपने रास्ता नहीं दिखाया था। अब आप मार्ग दिखा रहे है। क्योंकि अब आप विपक्ष के सदस्य हैं। निसंदेह हम आपकी सलाह मानेंगे और प्रयत्न करेंगे कि काला धन हो रही कीमतों की बात, किसी सरकार को अपनाने के लिए एक समन्वित नीति होनी चाहिए। हमारी सरकार ऐसा करेगी और मुझे इसमें पूर्ण विश्वास है। परन्तु जब तक उत्पादन में स्थिरता नहीं आ जाती और जब तक उत्पादन बढ नहीं जाता किसी भी सरकार के लिए कीमतें गिराना सम्भव नहीं है। जनता सरकार की नीति उत्पादन को हतोत्साहीत करने की थी। मुझे इस बात का पता है। जब गुड़ के भाव गिर गये और गुड़ उत्पादकों ने जब तत्कालीन कृषि मन्त्री श्री भानु प्रताप सिंह से यह बात कही तो उन्हों ने कहा कि गन्ना पैदा ही मत करो। ऐसी सलाह किसानों को दी गई थी। उन्हों ने गन्ने की खेती घटाने को प्रोत्साहन दिया। इसलिए चीनी के उत्पादन में कमी आई। श्री मधु दण्डवते ने कहा है कि चूंकि चीनी उद्योगपतियों के सिर पर तलवार लटक रही थी तो चीनी का उत्पादन घट गया। मेरा कहना यह है कि स्वयं चीनी का उत्पादन ही घट गया। एक और भी महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि कृषि उत्पादकों की कीमतें निश्चित करने के लिए एक स्थिर नीति होनी चाहिए। जब तक कृषि उत्पादनों की कीमतें निश्चित नहीं कर दी जाती और जब तक उनको बनाए नहीं रखा जाता, तब तक कृषिजन्य उत्पादन को बढ़ाना सम्भव नहीं है। और जब तक कृषिजन्य उत्पादन नहीं बढ़ जाता तो कीमतों को कम रखना हमारे बस की बात नहीं है।

कोई कानून भी तो होना चाहिए। अब तो कोई कानून है ही नहीं। विकसित देशों में ही नहीं, लगभग सभी देशों में—निर्धारण का एक कानून होता है—केवल कीमत निर्धारण का ही नहीं अपितु इन कीमत-कानूनों को लागू करने का कानून होता है। सरकार कीमतें निर्धारित करती हैं जिन्हें हम समर्थन मूल्य कहते हैं। परन्तु वे अधिशेष को तो खरीद ही नहीं रहे। अतः इस सम्बन्ध में कुछ कमी है। अतः इन वस्तुओं की पूरी मात्रा को खरीदने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और आवश्यक वस्तुओं के बारे में भी मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इनका भी सुरक्षित भण्डार बनना चाहिए अभाव के दिनों में हमारे लिए वस्तु का आयात करना या उसकी पैदावार करना सम्भव नहीं है। इसलिए चीनी या मिट्टी के तेल अन्यथा डीजल तेल या अन्य किसी वस्तु का हमें सुरक्षित भण्डार बनाना चाहिए। या तो हमें इसका आयात करना पडेगा या हमें ये वस्तुएं अपने ही स्रोतों से ही प्राप्त करनी पड़ेगी। हमें सुरक्षित भण्डार तो बनाने ही पड़ेंगे। केवल जब ये सुरक्षित भण्डार ठीक से रखे जाएंगे तभी हम अपने लोगों की मांग को पूरा कर सकेंगे। और तभी हम कीमतों पर नियन्त्रण रख सकेंगे। अतः मामले के इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, बहुत से लोगों ने सूखे की स्थिति के बारे में बताया है। इस सूखे से 16 करोड़ लोग और 11 राज्य ग्रस्त है। यह कोई मामूली सूखा नहीं है। निस्सन्देह हमारी सरकार लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए सभी सम्भव कदम उठा रही है। और लोगों की हर संभव सहायता कर रहे हैं। परन्तु मेरा एक सुझाव है जो कि काम

[श्री पी० राजगोपाल नायडु]

के बदले अनाज कार्यक्रम से सम्बद्ध है । सूखे की इन परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सहायता अवश्य पहुंचनी चाहिए विशेषकर ग्रामीण मजदूरों के पास । काम के बदले अनाज जिस योजना को श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शुरू किया था वह ग्रामीण क्षेत्रों को दो प्रकार से सहायता पहुंचायेगी । एक तो खेतीहर मजदूरों को अपनी जीविका कमाने में सहायक होगी और दूसरे गांवों में तालाब, सड़कें, विद्यालय भवन, पंचायतघर, नहरें और अन्य ऐसी ही स्थायी सम्पत्तियां तैयार हो जाएंगी । इस लिए इस प्रयोजन के निमित्त आवन्टित राशिमें वृद्धि कर दी जाए । अब इस बजट में 70 करोड़ रुपये का अस्थायी नियतन किया गया है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है । यह तो तदर्थ आधार पर किया जाता रहा है । तदर्थ आधार होने से कठिनाई आती है । राज्य तो नकद सहायता देने और उनको दी गयी आवन्टित राशि को खर्च की योजना बनाने में भी असमर्थ हैं । अतः यह व्यवस्था स्थायी तौर पर होनी चाहिए और इसे कम से कम 50 लाख टन कर दिया जाना चाहिए और चूंकि अब सूखा चल रहा है तो यह मात्रा बढा दी जानी चाहिए । जहां तक काम के बदले अनाज की बात है, उसमें दो बातें हैं । एक तो सामान्य योजना और दूसरी है विशेष योजना । विशेष योजना के अधिन नियतन में तुरन्त वृद्धि की जानी चाहिए । यह मात्रा भी तत्काल पहुंचनी चाहिए । तभी हम सूखे की स्थिती पर काबू पा सकते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज इस सदन में एक ऐसे विषय पर हम विचार कर रहे हैं जिससे हमारे देश की जनता का हर वर्ग प्रभावित है । रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामान की बढ़ती हुई कीमतें । चाहे अनाज हो, चाहे तेल हो, चीनी हो, कोयला हो, साबुन हो, चाय हो, हर चीज जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, उस चीज की कीमत दिन प्रति-दिन बगैर किसी रोक-टोक के बढ़ती जा रही है । ऐसे लोग, जो अपने घरों के मामलों में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें इस बात का पता चलता है कि हर हफ्ते जिन्दगी के काम में आने वाले सामान के दाम बढ़ते जा रहे हैं । जो सामान पहले हफ्ते में खरीदा गया, दूसरे हफ्ते में उसका दाम बढ़ता हुआ नजर आया ।

श्रीमन्, इससे हर वर्ग परेशान है । लेकिन जो सब से गरीब लोग है, मध्यम वर्ग के लोग है, जो हमारे देश की आबादी का 85 प्रतिशत हिस्सा है, आज इनकी सब से ज्यादा कमर टूट रही है इस बढ़ती हुई महंगाई से । आज हमारे सामने यह सवाल नहीं है, जैसा कि कहा गया कि जनता पार्टी के शासन काल में महंगाई बढ़ी, कि जनता पार्टी के जमाने में महंगाई बढ़ी या कांग्रेस के जमाने में महंगाई बढ़ी । आज सवाल यह है कि हमारे सामने सच्चाई है कि जिन्दगी की जरुरत की चीजों की कीमतें निरन्तर बढ़ रही हैं । यह आज वास्तविकता है । यह ठीक है कि जनता पार्टी के जमाने में भी कीमतें बढ़ी लेकिन आज उस से ज्यादा कीमतें बढ़ती जा रही हैं । जो चीज आज हमारी जिन्दगी को तबाह कर रही है, उस से हम एक दूसरे पर दोषारोपण कर के आंख नहीं मूंद सकते ।

श्रीमन्, आज देश के किसी भी कोने में साढ़े छः रुपये से आठ रुपये किलो चीनी मिल रही है । खाने के काम आने वाला तेल 14 रुपये से 16 रुपये किलो मिल रहा है । किसान जो डीजल इस्तेमाल करता है, वह डीजल 8 रुपये लीटर में चोरबाजारी में खरीदने के लिए मजबूर हो रहा है । मैं कल मेरठ जिले में था । वहां के विद्यार्थियों के एक स्कूल का शिलान्यास करने गया था । वहां सैकड़ो विद्यार्थियों ने मुझे घेर कर कहा कि हमारे इम्तिहानों के दिन हैं, बिजली रात को आती नहीं, मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है जिससे कि हम पढ़ाई कर सकें । श्रीमन् यह केवल एक जगह की ही बात नहीं है । देश के सारे हिस्से में ही ऐसा है । मैं 15 दिन पहले तमिलनाडु में था । वहां भी यही स्थिति थी । वहां भी गरीबों, मध्यम दर्जे के लोगों ने यही शिकायत की कि देश में कीमते बढ़ती जा रही हैं । जैसा कि भगत जी ने अभी कहा, वास्तविकता वह नहीं है । चुनाव से पहले इस देश में चार रुपये किलो, साढ़े चार रुपये किलो चीनी मिलती थी लेकिन वह आज साढ़े छः रुपये से आठ रुपये किलो मिल रही है । इस के लिए कौन जिम्मेदार है? इस के लिए हम सोचेंगे या नहीं ? इसका कोई हल निकालेंगे या नहीं आज मिट्टी के तेल की, डीजल की, चाय की, कपड़े की, साबुन की जो कीमत बढ़ती ही चली जा रही है, उसके लिए सवाल यह नहीं हैं कि आप उसके लिये किस के ऊपर दोष डालते हैं । सवाल यह है कि क्या ऐसे कदम उठाये जाएंगे जिससे कि हमारे देश की 85 प्रतिशत जनता को उस से राहत मिल सके? मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कौन ऐसा परिवार

है जिसमें 6 या 8 आदमी परिवार में हों, और वह परिवार 6 रुपये, 7 रुपये या 8 रुपये से कम में सब्जी खरीद कर खा सके? आप परवल, गोभी, टमाटर किसी के भी दाम ले लीजिए। वह मजदूर जिस की अमदनी पांच छः रुपये रोज है, वह बुनकर जो सारा दिन मेहनत करने के बाद अपने करघे पर काम करने के बाद पांच छः रुपया कमाता है और अपना पसीना बहाता है, कहां से छः रुपये की सब्जी खरीद सकता है? देहात में रहने वाला आदमी कैसे खरीद सकता है। कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इस पर सरकार को हमदर्दी के साथ विचार करना होगा। यह सवाल देश की जनता के लिए, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है और इस सवाल पर आपको ठंडे दिल से गौर करना होगा। भगत जी वैस्ट बंगाल की सरकार के ऊपर दोष डाल सकते हैं। लेकिन मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या यह वास्तविकता नहीं है कि जिस शहर में वह रहते हैं और हम सब रहते हैं यानी दिल्ली क्या यह लंदन से भी अधिक महंगा शहर आज नहीं हो गया है? क्या यह सच नहीं है कि बम्बई शहर लंदन से भी ज्यादा महंगा शहर हो गया है? किसी पर इस का दोष डालना, मैं समझता हूं कि वास्तविकता पर पर्दा डालना होगा। ऐसा करना सच्चाई से मुकरना होगा। अगर इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया तो हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था भयंकर रूप धारण कर लेगी। वैसे ही वह एक भयंकर संकट के दौर से गुजर रही हैं। हमारी अर्थ व्यवस्था के सामने आज चुनौत क्या है। सब से बड़ी चुनौती यह है कि हमारा उत्पादन ठहराव की स्थिति में पहुंच गया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में स्टेंगनेशन आ गया है। यह एक वास्तविकता है कि हमें औद्योगिक उत्पादन करने के लिए बिजली नहीं मिल रही है, डीजल कारखानों को चलाए रखने के लिए नहीं मिल रहा है, करोड़ों टन किसानों का अनाज सूखे के कारण इस वास्ते सूख गया कि उन को डीजल और बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, उनके ट्यूबवैल लगे हुए हैं लेकिन बिजली के अभाव में वे चल नहीं सके, नहरें नहीं चल सकती थीं, इसलिए कि पानी की कमी हो गई थी, इंजन चलाने के लिए आपके पास डीजल और कोयला नहीं था ट्यूबवैल जो डीजल से चलते हैं, वे चल नहीं सके क्योंकि डीजल का अभाव था।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या स्थिति है। 85 प्रतिशत फेयर प्राइस शाप्स जिन को हम कहते हैं वे आज शहरों में है या छोटे छोटे कस्बों में हैं। सत्तर प्रतिशत जनता जो गांवों में रहती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। गांव में रहने वाले 54 फीसदी आदमी आज गरीबी की रेखा के अन्दर रह कर जिन्दगी बिता रहे हैं, 48 प्रतिशत आबादी शहरों में ऐसी हैं जो गरीब है, जो गरीबी की सीमा में रह रही है। उनकी आमदनी बढ़ाने का कोई उपाय नहीं किया गया है। उनकी परचेसिंग पावर गिरती चली जा रही है, हर महीने गिरती जा रही है। आज समस्या आम आदमी की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर बढ़ाने की है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? कैसे वह मजदूर की आमदनी बढ़ाने जा रही है, वैसे जो खेती विहिन मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं उनकी आमदनी को बढ़ाने जा रही है। शहरों में जो मजदूर काम करते हैं महंगाई जब बढ़ती है तो उनकी आमदनी को बढ़ाया नहीं जाता है। उसकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए यह समस्या है। अगर सरकार ने इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया तो सरकार को एक भयंकर स्थिति का मुकाबला करना पड़ेगा। महंगाई पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा।

आप मुद्रा स्फीति को लें। 23 प्रतिशत वह देश में बढ़ी है या 24 प्रतिशत बढ़ी है। सरकार ने जान बूझ कर इस साल का बजट पेश नहीं किया क्योंकि विधान सभाओं के चुनाव आ रहे थे। गरीब जनता की भावनाओं को भड़का कर उसको उनका वोट लेना था। लेकिन इस चुनाव के बाद सरकार किस तरह से साधन इकट्ठे करेगी? इनको इकट्ठा उसको करना पड़ेगा। सरकार के इरादे हम को मालूम हैं। गरीबों के ऊपर, मध्यम दर्जे के लोगों के ऊपर, जिन की आमदनी बंधी हुई हैं, उन के ऊपर सरकार बड़े पैमाने पर चुनावों के बाद टैक्स लगाने वाली है तब क्या होगा? तब मुद्रा स्फीति और बढ़ेगी। यह देश हित में नहीं होगा। इस सब को रोकने के लिए आपको प्रभावकारी कदम उठाने होंगे।

कैपेसेटी का आज अंडर-युटिलाइजेशन हो रहा है चाहे वे इस्पात के कारखाने हों, बिजली के हों या दूसरे हों। क्या सरकार बताएगी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले दो महीनों में कौन कौन से कदम उठाए हैं ताकि देश की जनता को इस बात का यकीन हो सके कि आने वाले समय में हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा?

10—50 एल०एस०एस० (एन०डी०)/80

[श्री चन्द्रजीत यादव]

आज अभाव की स्थिति है । इस अभाव की स्थिति का फायदा इस देश में कौन उठाता है? चोर बाजारी करने वाले, जखीरेबाजी करने वाले और इसी देश के बड़े उद्योगपति इस अभाव की स्थिति का फायदा उठाते हैं। पिछले 10 साल के आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि हिन्दुस्तान में कारखानों में जो सामान पैदा करने वाले पूंजीपति हैं उनकी आमदनी, और उनमें उत्पादित चीजों की कीमते मनमाने तरीके से बढ़ी हैं। आज कारखानों में बनने वाले सामान की कीमतें गत 90 वर्षों में 170 फीसदी बढ़ी हैं यह वह सामान है जिनको उद्योगपति अपने कारखानों मे पैदा करता है। लेकिन दूसरी तरफ इस देश के किसान द्वारा पैदा की गई चीजों की कीमते पिछले 10 सालों में केवल 50 फीसदी बढ़ी है। यह भेदभाव क्यों? इस देश के रिजर्व बैंक की रिपोर्ट, सरकारी आंकड़ें और जो आर्थिक समीक्षा निकलती है उससे इस बात की पुष्टी होती है।

आज हमारे देश की स्थिति इसलिए और भयानक हो रही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को उचित आहार नहीं मिलता है। इस देश में 80 फीसदी लोगों के बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दूध पीने को नसीब नहीं होता। ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सूखी रोटी पेट भरने के लिये नसीब नहीं होती । इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होने वाला है कि हमारे देश की भावी सन्तान की दिमागी और शारीरिक शक्ति दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में कम होने वाली है ।

आज हमारी क्या आर्थिक स्थिति है? अमरीका का रहनेवाला आदमी प्रतिदिन 690 ग्राम दूध पीता है। फ्रांस के अन्दर एक आदमी 620 ग्राम, इटली में 630 ग्राम दूध पीता है । लेकिन हिन्दुस्तान का आदमी औसतत 116 ग्राम दूध पीता है । उसमें भी यह दूध केवल 20 प्रतिशत लोगों के पास जाता है । 80 फीसदी लोगों के बच्चों को एक घूट दूध भी नसीब नहीं होता है । दूसरे मुलकों में चाहे वह पुंजीवादी मुल्क हो या समाजवादी मुल्क हो, जो विकसित देश हैं, जैसे रुस, यूगोस्लाविया, अमरीका, फ्रांस, इटली, कनाडा, आस्ट्रेलिया इन देशों में आज पर कैपिटा 3,000 कैलारीज व्यक्ति रोज इस्तेमाल करता है, लेकिन हिन्दुस्तान में केवल 1,800 केलारीज प्रति व्यक्ति इस्तेमाल करता है। क्या इस पर हम सोच रहे हैं कि नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चुनाव के समय इसी दिल्ली के अन्दर बढ़ी हुई प्याज की कीमतों को अपने चुनाव का मुद्दा बनाया, और हमारे देश के गरीब लोगों ने महसूस किया, उस वक्त उन्हें जो सबसे ज्यादा चीज खल रही थी वह बढ़ी हुई प्याज की कीमते थीं, उसका श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस्तेमाल किया और कहा कि जनता पार्टी की, लोकदल की हुकमत है इसलिए प्याज की कीमत बढ़ी हैं। अगर यह हुकूमतें नहीं होतीं तो मैं देश के अन्दर प्याज, कपड़ा और खाने के सामान की कीमतें कम कर देती । लेकिन आज क्या हो रहा है ? उन्हीं के राज्य में चीनी 4 रु० प्रति किलो से बढ़ कर 8 रु० पर बिक रही है । दो महीने के अन्दर ही ऐड़िबिल आयल 10 रु० प्रति किलो से बढ़ कर 14 रु० प्रति किलो हो गया। डीजल जो 3 रु० लिटर से भी कम होना चाहिये वह आज 8 रु० लिटर मिल रहा है । आज मामूली आदमी के इस्तेमाल के लिये और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। किसानों की फसल सूख रही है। कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ब्लैक मारकेटिंग को रोकने के लिये हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून पास किया। लेकिन मैं जाना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के जमाने में कितने लोग ब्लैकमारकेटिंग के लिये पकड़े गये हैं? आज सारा हिंदुस्तान राष्ट्रपति शासन के अन्दर है, बंगाल और केरल पर शासक दल की निगाहें इसलिये हैं कि वहां उनकी दाल नहीं गल सकी, लेकिन जहां पूरी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर के देश के 10 प्रदेशों के अन्दर आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया उसके बाद भी गरीब आदमी की मंहगाई से कमर टूट रही हो, गरीब हरिजन और आदिवासी के बच्च जलाय जायें, दिन दहाड़े उनकी हत्यायें की जायें, उनके मकान जलायें जायें, वह इस देश में असुरक्षित महसूस करें, क्या यही इनका शासन है ?

आज की समस्या को ही आप ले ले । वहां की समस्या की बुनियाद में हमारे देश की आर्थिक परिस्थितियां ही हैं। आज वहां का नौजवान महसूस कर रहा है कि उसके लिए इस देश में कोई भविष्य नहीं है। आज उन्हें कोई काम नहीं मिलने वाला है। समय आ गया है कि हमारे देश के हित में, हमारी संसदीय

व्यवस्था के हित में जो बुनियादी सवाल है, इस देश की गहरी होती हुई आर्थिक संकट की समस्या, उसके ऊपर सरकार विचार करे । वरना 2 करोड़ से ज्यादा पढ़े नौजवान और नवयुवतियां इस देश में पढ़ने के बाद बेकार बैठे हुए हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। आज उनके मन में भयंकर निराशा पैदा हो रही है, जिसका नतीजा यह होगा कि हमारी व्यवस्था एक संकट के दौर में जाकर भवर में फंस जाने वाली है अगर सरकार ने उसका कोई रास्ता नहीं निकाला। अगर आज इस समस्या का हल निकालना है तो सरकार को गम्भीरता से सब से पहले जिस तरीके से भी उत्पादन बढ़ सकता है, उसको बढ़ाने के लिये हर संभव कदम उठाना पड़ेगा ।

इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो हमारी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी में कमी है, पावर हाउस और स्टील प्लान्ट्स का मिस-मैनेजमेंट है, कोयला खानों में अव्यवस्था है, इस पर सरकार को तुरन्त ध्यान देकर ज्यादा सक्षम काम करने वाली व्यवस्था को बनाना चाहिये ।

वहां के मजदूरों की बात बारबार कही गई कि मजदूरों को व्यवस्था में प्रबंध में भागीदार बनाइये, ट्रेड यूनियनों के साथ बैठकर बात करिये, उनकी समस्याओं पर विचार करिये, मगर सरकार ने एक मौखिक सहानुभूति दी है, इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है । मैं उमीद करता हूं कि इस काम को सरकार जल्दी से करेगी ।

मैंने शुरु में कहा कि 85 फीसदी फेयर प्राइस शाप्स या तो शहरों में हैं या कस्बों में हैं, गांव के गरीब आदमी को बेजवान समझा जाता है, गांव की तरफ कोई इस बारे में ध्यान नहीं है कि गांव के मजदूर खेतिहर को भी सूखी रोटी मिलेगी या नहीं, गांव के बेकार लड़के या लड़की को भी रोटी मिलेगी या नहीं । छोटे मध्यम दर्जे के किसान को भी चीनी, डालडा, साबुन, चाय उपलब्ध हो सकेगी या नहीं । इसलिये मेरा कहना यह है कि परमानेंट तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इस देश में लागू किया जाये। केवल एमर्जेन्सी की सिचुएशन, सूखा आ गया या बाढ़ आ गई, उसका मुकाबला करने के लिये ही नहीं है, बल्कि हिन्दुस्तान आज जिस आर्थिक दौर से गुजर रहा है, उसमें यह जरुरी है कि इस देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे इकनामिक सिस्टम का एक हिस्सा बन जाये, उसको बड़े पैमाने पर, चाहे शहर हो या गांव हो, सब जगह लागू किया जाये ।

आज जो हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन में ठहराव आ गया है, उसके लिये जरुरी है कि सरकार अपनी पूरी आर्थिक नीति में प्राथमिकता फिर से निर्धारित करे और आने वाले बजट में सरकार को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो गरीब लोक हैं, जिनकी आमदनी कम है, कैसे उनकी आमदनी बढ़े, कैसे उनको खाना, कपड़ा, दवा और जिन्दगी की जरुरियात का सामान मिल सके । इसके लिये उसे प्राथमिकाता तय करनी पड़ेगी। मेरा सुझाव है कि प्लानिंग कमीशन को निश्चित रूप से डायरेक्शन देना चाहिये कि वह प्राथमिकताओं तरीकों को फिर से बदले, एलोकेशन को फिर से देखे । जब तक खेती नहीं बढ़ाई जायेगी, छोटे उद्योगों को नहीं बढ़ाया जायेगा, लोगों को काम मिल सके, इसके लिये जब तक जौब ओरिएन्टेशन स्कीम बड़े पैमाने पर पुरे देश में लागू नहीं करेंगे, हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक संकट बराबर गहरा होता जायेगा ।

यह कोई सूखे या बाढ़ का संकट नहीं है, इससे समस्या ज्यादा विकराल और गहरी हो जाती है, मगर पिछले वर्षों का अनुभव बताता है कि हमारी व्यवस्था पर एक पूंजीवादी शक्ति बराबर हावी होती जा रही है। इस देश के लिये यह जरुरी है कि पुंजीपतियों के ऊपर सरकार नियंत्रण लगाये, पब्लिक सैक्टर का विस्तार करे, पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को बढ़ाये। गांव, छोटे उद्यगों की तरफ ज्यादा ध्यान दे और मिडिल-मैन को इलीमिनेट करने के लिये योजना बनाये । साधारणत: क्या होता है कि कपड़ा बुनने वाला बुनकर लुट जाता है, खेत में अनाज पैदा करने वाला किसान लुट जाता है । जब किसान का गन्ना, गुड़, अनाज मंडियों में पहुंच जाता है, बड़े आड़ेतियों के पास पहुंच जाता है तो उसकी कीमते अचानक 25, 50 फीसदी बढ़ जाती हैं। इसलिये आज मिडिलमैन का इलिमिनेशन बहुत जरुरी हो गया है, ताकि पैदा करने वाले लोगों की सही रूप से सहायता हो सके ।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

कई बार इस देश में इस बात का बड़ा फख्र अनुभव किया जाता है कि हमने अपने देश में 20 मिलियन टन अनाज, 4 मिलियन टन चीनी सरप्लस बनाकर रखी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोगों की पर्चेजिंग कैपेसिटी में इरोजन हो रहा है। उनकी क्रय-शक्ति गिरती जा रही है। नतीजा यह है कि आज वे लोग गल्ला और जिन्दगी का जरुरी सामान नहीं खरीद सकते । इसलिए सरकार को हि व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम ये चार पांच चीजें लोगों को आसानी से और उचित दाम पर मिल सकें : मोटा अनाज गेहूं, चना, दाल, पहनने के लिए कम से कम ऐसा कपड़ा, जो आम आदमी पहन सकता है और गरीब आदमियों के लिए दवायें ।

सरकार को अपनी प्राइस पालिसी पर फिर से गौर करना चाहिए । उसको व्यवस्था करनी चाहिए कि हर स्तर पर कीमतों का ठीक तरह से निरीक्षण किया जाये और उनको नियंत्रित करने के लिए आम पब्लिक का सहयोग लिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा कि यूरोप जैसे विकसित समाज में भी को-आपरेटिव मूवमेंट के जरिये रोज-मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले सामान उचित कीमत पर लोगों को उपलब्ध किये जाते हैं ।

क्यों नहीं सरकार यह सोचती है कि हमारे देश में भी आने वाले जमाने में को-आपरेटीव मूवमेंट और कनज्युमर सोसायटीज को प्रोत्साहन दिया जाये, ताकि रोज-मर्रा के इस्तेमाल की चीजें लोगों को मिल सकें?

मैं आशा करता हूं कि सरकार बढ़ती हुई कीमतों के सवाल को किसी दलगत राजनीति का सवाल नहीं बनायेगी। आज आम जनता बढ़ती हुई कीमतों से कराह रही है। उसके मन में बराबर डर बना हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों का अनुभव बताता है कि हर हफ्ते और हर महीने कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और वे उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। इसलिए सरकार को इस बारे में प्रभावकारी कदम उठाना चाहिए।

श्री बी० के० नायर (क्विलोन) : सदन के दुसरी ओर बैठे हुये सदस्यो द्वारा मूल्य-वृद्धि के बारे में जो चिंता व्यक्त की गई है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं । मैं यह भी मानता हूं कि यह कोई दलगत प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर राजनीति से हटकर विचार किया जाना चाहिए। जहां तक हो सके, हमें आर्थिक प्रश्नों से दलगत राजनीति को दुर रखने का प्रयत्न करना चाहिये। यह ऐसा माला है जिसका सम्बन्ध देश के सभी लोगों में है। हम में से प्रत्यक सदस्य द्वारा 5–6 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है और निश्चय ही मैं भी उन्हीं गरीब तथा दलित लोगों का प्रतिनिधित्व यहां कर रहा हूं, जोकि हमारे चुनाव क्षेत्रों में काफी अधिक है । जब हम उन्हें संसद में प्रतनिधित्व प्रदान करने का दावा करते हैं, तो उनकी स्थिति में सुधार करने की चिंता भी हमें ही करनी चाहिये। मूल्य-स्थिति चिंता का कारण बनी हुई है। ऐसा काफी लम्बे समय से चला आ रहा है। मैं इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता परन्तु इतना आवश्यक कहना चाहता हूं कि औद्योगिक आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में हमने जो नीतियां अपनायी, मूल्य-वृद्धि उसी के फलस्वरूप हुई है । मैं यह भी नहीं मानता कि यह विषय सदन में अन्तिम बार विचार के लिये आया हो या फिर पहले बार सदन में उठाया गया हो। संसद में अनेक अवसरों पर इस मामले के बारे में चर्चा हुई है और निश्चय ही भविष्य में भी हमें इस मामले पर चर्चा करने के अवसर मिलते रहेंगे ।

जब हम मूल्य-वृद्धि की समस्या पर विचार करते हैं तो हमें इस तथ्य को दृष्टिगत रखना पड़ता है कि हम सभी वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि पर चिंतित नहीं होते है। कई अवसर ऐसे भी आये जबकि हम खाद्यान्नों, अनाजों, आलुओं, प्याज आदि के बारे में चिंता व्यक्त करते रहे हैं। सौभाग्य वश अभी भी हम निश्चित रूप से यह बात नहीं कह सकते कि प्रत्येक वस्तु हर व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जा सकती है, फिर भी कुछ मूल्यों में हुई वृद्धि चौंका देने वाली है। कुछ वस्तुये ऐसी भी रही है जिनके मूल्य निरन्तर और धीरे धीरे गिरते ही रहे है उदाहरणार्थ जैसे कि प्याज जिसके बारे में अनेक शिकायतें की गई। अगले ही दिन सदस्य गण इस बात की शिकायत कर रहे थे कि परिवहन के अभाव में रायपुर में संतरा पड़ा हुआ सड़ रहा है। यह बहुत पेचीदा समस्या है। आप कुछ वस्तुओं को अलग से लेकर उनकी भर्त्सना नहीं कर सकते और इसके साथ ही उत्पादन अधिक लेने को नजर अंदाज नहीं कर सकते। हमे मालूम है कि हमारे उत्पादन परिवहन तथा वितरण के मार्ग में अनेक

कठिनाईयां है। इन सभी के मार्ग में बहुत कठिनाईया है। इनम से पहली उत्पादन के बारे में है। सरकार द्वारा अपनाई गई गलत नितियों के परिणामस्वरूप गत दो या तीन वर्षों में उत्पादन में गिरावट आई है। जनता सरकार इस समस्या का समाधान यही कर सकी कि उसने उनका निर्यात करना आरम्भ कर दिया। अप्रयुक्त क्षमता का उन्होंने क्या किया? जब हमारे यहां अप्रयुक्त क्षमता पड़ी हुई थी उन्होंने सीमेंट का आयात भारी मात्रा से करना शरू कर दिया। जब किसी ने यह शिकायत की कि कोयला, जिसका उत्पादन हमारे देश में ही होता है, वह उपयुक्त नहीं है, तो उन्होने आस्ट्रेलिया से इसका आयात आरम्भ कर दिया। उन्होंने इस्पात तथा अन्य ऐसी वस्तुओं का आयात किया क्योंकि उन्हें पैसा आसानी से मिल गया। उन्होंने देश के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने यह सोचने का कष्ट भी नहीं किया कि देश में मशीनरी बेकार पड़ी है। उन्होंने मजदूरों की मांगों की ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। उन्होने मजदूरों की मांगों को पूरा नहीं किया और मशीनरी को चलाने के लिये कुछ नहीं किया। इन सभी समस्याओं की ओर ध्यान देने की अपेक्षा अपनी उपलब्ध क्षमता के उत्पादन के प्रति लापरवाही करते हुये उन्होंने बहुत अधिक आयात आरम्भ कर दिया इतना कि हमारी उत्पादन क्षमता की ओर अधिक क्षति हुई। अन्ततः अब हम एक ऐसी स्थिति में आ पहुंचे है जहां हमें सभी चीजों को नये सिरे से बनाना होगा।

जनता पार्टी की नीति का एक विशेष सिद्धांत यह रहा कि वह सभी सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध रहे। इसके बारे में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वह हर समय पंडित जवाहर लाल नेहरु तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी को बदनाम करने में ही लगे रहे। इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम किया। उन्होंने सोचा था कि सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करके सम्भवतः वह भारत के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम मिटाने में सफल हो जायेंगे। यह उनकी बड़ी भारी भूल थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम मिटाने के प्रयास में उन्होंने उन संरचनाओं को गिराना शुरू कर दिया जिन्हे बहुत परिश्रम के बाद बनाया गया था, और वह उनका आसान समाधान खोजने में लगे रहे। दूर्भाग्यवंश गत 2½ वर्षों में केन्द्र या राज्यों ने कोई भी समर्थ सरकार नहीं रही। वह केवल सत्ता की चिंता में ही लगे रहे। वह केवल अपने ही भाग्य को बनाने के चक्कर में रहे। वह जब तक सत्ता में रहे लड़ते झगड़ते ही रहे। वह लोगों के बारे में भूल गये। अब वह यहां खड़े होकर कहते है कि देखो लोग दुःख पा रहे है तथा भूखे मर रहे है। वह पूर्णतया ईमानदार तथा सच्चे नहीं है। यदि वह सच्चे तथा ईमानदार होते तो वह समय की नजाकत को भांप लेते और वह उससे भी पहले जागृत हो जाते।

अब समस्या का समाधान क्या है? श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा हमारा दल 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रति वचन बद्ध है। मैं यह नहीं कहता कि इससे सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा परन्तु इससे उत्पादन में वृद्धि करने तथा वितरण सम्बन्धी उपयुक्त तरीके अपनाने में सहायता मिलेगी। यही हमारा उद्देश्य है। उत्पादन में वृद्धि किये बिना हम न तो लोगों की किसी प्रकार का सामाजिक न्याय दिला सकते है और न ही अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। उत्पादन आधार-भूत वस्तु है। जैसा कि जनता पार्टी द्वारा सुझाव दिया गया है हम कालेधन को रोकने के लिए विमुद्रीकरण कर सकते है परन्तु ऐसा करने में समय लगेगा।

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत गंभीर सीमाये बनी हुई है। उसमें हम क्या कुछ कर सकते है, वर्तमान संरचना के अन्तर्गत कैसे कार्य किया जा सकता है और कम से कम समय में यह सब कुछ कैसे हो सकता है हमें यही सब देखना है। यह सुझाव देना कि 50 वर्ष बाद यहां स्वर्ग बन जायेगा तथा लोगों के लिए उसकी प्रतीक्षा करने के लिए कहना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि हमें मुख्य रूप से मूल्य नियंत्रण की समस्या पर तुरन्त ध्यान देना चाहिए। हमें अपना उत्पादन बढ़ाने तथा अपनी परिवहन मशीनरों को अधिक सुचारू बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। परिवहन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारी परिवहन व्यवस्था को जनता सरकार के शासन काल में काफी धक्का लगा क्योंकि रेल-कर्मचारियों को दिये गये आश्वासन के बावजूद भी उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। रेल कर्मचारियों को बोनस का आश्वासन दिया गया था। यद्यपि श्री जार्ज फर्नांडिस तथा श्री मधु दण्डवते जैसे दिग्गज मंत्रिमंडल में थे परन्तु वह भी रेल कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके तथा हमारी परिवहन तथा रेल-कर्मचारी कष्ट झेलते रहे। अब इसके बारे में सुनिश्चित तथा साफ आश्वासन दिया गया है कि उनके लिए कुछ न कुछ किया जायेगा। मुझे आशा है कि अब रेल-कर्मचारी संतुष्ट है क्योंकि वह जानते है कि जब श्रीमती गांधी आश्वासन देती है, तो कुछ न कुछ अवश्य किया जाता है। वह जनता पार्टी की तरह नहीं करती कि आश्वासन पर आश्वासन देती चली जाये परन्तु करे कुछ भी नहीं।

[श्री जी० के० नायर]

हमारा दल सत्ता में आया है। काम हो रहा है यद्यपि जो काम हो रहे है वह बहुत बड़े नहीं है परन्तु फिर भी हम अपनी सीमित क्षमता के अन्तर्गत कार्यकर रहे है। हम एक एक कर के सभी कार्य कर रहे है। मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है। सामान की लाना-ले जाना भी शुरू हो गया है। जहां तक वितरण का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि यह आसान कार्य नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की वितरण-व्यवस्था आरम्भ कर पाना सम्भव नहीं होगा। हमारी जन संख्या 65 करोड़ लोगों की है जिसका तात्पर्य हुआ 10 करोड़ परिवार। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत 10 करोड़ परिवारों को कैसे लाया जा सकता है? इसे शहरी क्षेत्र तथा केवल कुछ प्रभावशाली लोगों तक ही सीमित रखना पड़ेगा। देश के दूर-दूराडे के भागों-पहाडों-आदि तक इसे नहीं पहुंचाया जा सकता। वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। इसका समाधान केवल खेतों में उत्पादन वढा कर ही किया जा सकता है।

पिछले बजट में काला-बाजारी करने वालों तथा मुनाफाखोरों को खुली छूट दे दी गई थी। जब सरकार उपभोक्ताओं के उपयोग की वस्तुओं जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, माचस, साबुन तथा अन्य ऐसी वस्तुओं पर उपकर लेने लग जाते है तो व्यापारियों को इन वस्तुओं के मूल्य बढ़ाने का सुअवसर मिल जाता है। यह सारी शरारत वहीं से आरम्भ हुई। इससे पहले मूल्य नियंत्रण में थे। श्रीमती गांधी के शासनकाल की अन्तिम कुछ महीनों तक तथा सत्ता हस्तान्तरण के समय मूल्य नियंत्रण में थे। हमारे पास फालतू खाद्यान्न था। यह एक मुख्य बात थी। मौन्सून भी अच्छी थी। जनता शासन काल के दौरान भी मौनसून अच्छी रही और यही कारण है कि जनता शासनकाल के प्रथम 3 महिनों के दौरान मूल्यों पर नियंत्रण बना रहा। परन्तु इसके बाद जब श्री चरण सिंह का बेतुका बजट लागू किया गया जिसमें कि उन्होंने शहरी तथा ग्रामीण को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का प्रयत्न किया तो किसान तथा व्यापारी दोनों ने ही लोगों को लूटना आरम्भ कर दिया। व्यापारियों को जनसंघ का समर्थन प्राप्त था और किसानों को भारतीय लोक दल का और इन दोनों ने मिल कर लोगोंको लूटना आरम्भ कर दिया तथा लोगों के समक्ष बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न कर दी। अब नई सरकार द्वारा इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है। हमारे वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रण तथा अनुशासन लागू करने का प्रयत्न कर रहे है। अन्य कदम भी उठाये जा रहे है। उत्पादन के मामले का अध्ययन करने तथा परिवहन सुविधाओं में सुधार करने के उद्देश्य से एक मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया है। अतः हमने काली-बाजार को रोकने तथा मूल्यों की स्थिति पर काबू पाने की दिशा में कुछ कदम उठाये है। परन्तु हमारे दूसरी ओर कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी बैठे हुये है जो यह चाहेंगे कि मूल्य-वृद्धि होती रहे। वह इससे केवल राजनीतिक नाम उठाना चाहते है। केरल में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा कहा जा रहा है कि श्रीमती गांधी को सत्ता में आये इतने दिन हो गये है। अभी तक उसने क्या किया है? मूल्य बढ़ते जा रहे है। अतः उन्हें निश्चय ही मूल्य वृद्धि से खुशी हो रही है। वह सहयोग नहीं कर रहे है और वह मूल्य-वृद्धि को रोकने, मुनाफाखोरी को नियंत्रित करने तथा काली-बाजारी को समाप्त करने के प्रति ईमानदार नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक बेतूका विज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें कहा गया है :—

"आये दिन बाजार में मूल्य-वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन उपभोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। बहुत सी वस्तुयें हमारी पहुंच से बाहर होती जा रही है। यह सब कुछ हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभव पर आधारित है। क्या इस समस्या का केवल समाधान नहीं है?

क्या खाद्यान्न, चीनी, तेल, मिट्टी का तेल, कपड़ा आदि जैसी 10 आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित मूल्य पर समूचे देश में बेचना तथा उन्हें राशन की दुकानों के माध्यम से बेच कर इन चीजों को जनसाधारण की क्रयशक्ति के अन्तर्गत लाना सम्भव नहीं है? हम यह समझते है कि ऐसा किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में ऐसा करने के लिए कार्यवाही की जा सकती है राज्य सरकार के पास विदेशी मुद्रा का कोई भंडार नहीं होता जिससे कि वह इन वस्तुओं का आयात कर सके और न ही वह केन्द्र सरकार की मंजूरी के बिना अन्य राज्यों से सामान ले सकती है। इसलिए इन्हें प्राप्त करने का मुख्य दायित्व केन्द्रीय सरकार का है क्योंकि परिवहन तथा संचार के सभी साधनो पर केन्द्रीय सरकार का ही नियंत्रण है। केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्यों को सामान भेजे जाने का कार्य अपने हाथ में लेना होगा। अतः इस कार्य को सही से सही ढंग में चलाने का दायित्व तो राज्य सरकार का ही है।"

अतः उन्हें कोई भूमिका नहीं निभानी है। वह तो काला-बाजारी तथा मुनाफाखोरी करने वालों के साथ मिले हुए है और रंगरलियां मना रहे है। वह उन लोगों को आश्वासन देते रहते है कि न तो उन्हें गिरफतार किया जायेगा और न ही उन्हें

बंद किया जायेगा। हम यह मानते है कि यदि कालाबाजारी तथा मुनाफाखोरी को समाप्त करने के लिए सभी राज्य सरकारें सहयोग करें, यदि वह इस कार्य में लगे लोगों में से प्रमुख नगरों तथा शहरों के आधा दर्जन लोगों को भी हिरासत में ले ले, तो मूल्यों को नियंत्रण में किया जा सकता है। उन्हें यह कार्यवाही करनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार को पूरी ईमानदारी के साथ यह कानून क्रियान्वित करना चाहिये। जिन राज्यों में राष्ट्रपति का शासन है, वहां केन्द्रीय सरकार ऐसा कर सकती है। विभिन्न राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जबकि यदि आवश्यक हो तो हम कुछ चीनी का आयात करे तथा चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी की मात्रा भी कम करे। कुछ समय के लिए खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी बंद कर दी जानी चाहिये ताकि कमी को पूरा करने के लिए उसे लोगों में वितरित किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम गोपाल रेड्डी।

एक माननीय सदस्य : वह एक चीनी उद्योगपति हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं एक चीनी उत्पादक हूं। महोदय, जनता पार्टी में समाजवादी दल ने देश के लिये कुछ अच्छाई करना चाहा था किन्तु दुर्भाग्य से वह उस पार्टी में इतने अधिक अल्पमत में थे कि वह कुछ नहीं कर सके। श्री मोहन धारिया ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बहुत पहले लागू किया था को लागू करने का भरसक प्रयास किया। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। जनता पार्टी के शासन काल के दौरान कोई नियम अथवा पद्धति नहीं थी। वास्तव में 1977 से 1979 के बीच की अवधि में शासन जैसी कोई वस्तु ही नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं, मूल्यों पर नियंत्रण पाने में मनोविज्ञान की बड़ी भूमिका होती है। ज्योंहि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सत्ता संभाली, मूल्यों में गिरावट आरम्भ हो गई।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप बता सकते हैं कि 1977-78 तथा 1978-79 में मूल्यों की स्थिति क्या थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी फुटकर में खरीद नहीं करते।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : 1974 में मूल्यों में बहुत वृद्धि हो रही थी। उस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कठोर कदम उठाये और मूल्य कम हो गये। श्री सी० सुब्रह्मण्यम, जो उस समय वित्त मन्त्री थे, ने प्रधान मंत्री को केन्द्रीय सरकार को कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में कमी करने का सुझाव दिया, किन्तु उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते में कोई कमी नहीं की जानी चाहिये। क्योंकि उससे सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे।

1978 में हमारे पास चीनी का बाहुल्य था। उस समय विशेषज्ञों ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह चीनी का बफर स्टाक बना लें। दुर्भाग्य से सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने चीनी पर से नियंत्रण हटा लिया और देश से सारी चीनी की तस्करी कर दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को इसका पता था ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : जी हां, महोदय, चाहे यह षडयन्त्र न हो किन्तु इसका उन्हें पता था। काफी चीनी की तस्करी की गई और चीनी की काफी मात्रा की देश में भी खपत हुई। चीनी का मूल्य बहुत ही गिर गया, इस कारण चीनी का अभाव हो गया है। उस समय हमारे पास 45 लाख टन चीनी थी क्योंकि 65 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष यह उत्पादन 40 लाख टन भी नहीं होगा। यह जनता पार्टी के शासन काल की स्थिति है। इस साल सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही हैं। अगले वर्ष, अक्तूबर 1980 से अप्रैल, 1981 तक हम कम से कम 51 लाख टन चीनी का उत्पादन करेंगे। अतः एक वर्ष में चीनी का 25प्रतिशत अधिक उत्पादन होगा। एक ऐसा समय था जब चीनी का उत्पादन 30 लाख टन था फिर यह 50, 55 और 65 लाख टन हुआ। किन्तु जनता पार्टी ने चीनी उद्योग को ही समाप्त कर दिया। अनेक चीनी मिलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और वह बन्द होने जा रही हैं। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह चीनी में दोहरी मूल्य नीति को जारी रखे और साथ ही फुटकर दूकानों के माध्यम से और चीनी निकालें।

तेल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उचित दर की दुकानों में नियन्त्रित दरों पर उपलब्ध थी। श्री मोहन धारिया को इस बात में विशेष रुचि थी कि यह नियन्त्रित मूल्यों पर उपलब्ध होता रहे, किन्तु दुर्भाग्य से जनता सरकार ने

[श्री एम० रामगोपाल रेड्डी]

उसे इस नीति का पालन करने की अनुमति नहीं दी और धीरे धीरे इस पर से नियन्त्रण हटा लिया गया। अब तेल के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। नहीं तो इस देश की गरीब जनता को भी तेल उपलब्ध हो सकता था, चीनी तथा अन्य वस्तुएं नियन्त्रित मूल्यों पर उपलब्ध हो सकती थी।

देश के विकास के लिये कोयला बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले तापीय संयंत्रों की 58 प्रतिशत क्षमता तक कार्य होता रहा है। जनता पार्टी के शासनकाल में वह कम हो कर 40 प्रतिशत रह गया। अतः बिजली की कमी के कारण हमारे औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है।

देश में चावल काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि किसी क्षेत्र में कमी हो तो मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उसके लिये इसे काफी मात्रा में दिया जाये। यदि तमिल नाडु में चीनी का अभाव है तो हमारे आन्ध्र प्रदेश में बहुत चीनी है, उसे उन्हें नियन्त्रित भावों पर उपलब्ध किया जा सकता है।

हम अनेक वस्तुओं का आयात कर रहे हैं और इसलिये ही कुछ निर्मित वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है। यदि हम इन वस्तुओं को अपने देश में निर्मित करने का प्रयास करें तो आयात के कारण होने वाली मुद्रास्फिती से हमारे देश का विकास अवरुद्ध नहीं होगा।

जनता के शासनकाल में मूल्य बढ़ रहे थे। अब जनता पार्टी के पतन से मुझे विश्वास है कि मूल्यों में भी कमी आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आप जनता पार्टी पर उसकी असफलताओं का दोष लगा रहे हैं। किन्तु आप मूल्यों में कमी कैसे लायेंगे ? इस सम्बन्ध में आपकी नीति क्या है ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : एक कदम यह है कि जमाखोरी को समाप्त किया जाये और जमाखोरों को गिरफ्तार किया जाये। किन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन बढ़ाया जाये। यह सरकार उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दे रही है। यदि आप 60 महीने तक प्रतीक्षा कर लें तो आप तिलहन खाद्यान्न; चीनी और बिजली उत्पादन में वृद्धि पायेंगे। बांधों का निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि मन्त्री महोदय ने एक दिन बताया था कि योजना यह है कि उत्पादन में हर वर्ष 2½ प्रतिशत की वृद्धि की जायगी। सरकार के पास अन्य अनेक योजनाएं हैं। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के साथ ही जनता को यह आभास हो रहा है कि सरकार की वर्तमान नीतियों के कारण एक दिन ऐसा आयेगा कि जब विपक्ष को सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा करनी पड़ेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : महोदय, अनेक मित्रों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि निरन्तर बढ़ते मूल्य ही एक मात्र ऐसा विस्फोटक मामला है जिसका इस समय देश सामना कर रहा है। उपर से शान्त प्रतीत होने वाली स्थिति से किसी को धोखे में रहने की आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्य से अधिकांश समाचार पत्र इस तथ्य को प्रकाशित नहीं करते कि इस मामले पर देश के विभिन्न भागों में जनता द्वारा धरनों, मोरचा, प्रदर्शनों आदि द्वारा अपने असन्तोष को काफी सीमा तक अभिव्यक्त किया जा रहा है। जब तक कहीं गोली नहीं चलती अथवा लाठी चार्ज नहीं होता, समाचार पत्रों अथवा शायद संसद् के ध्यान में बात आती ही नहीं है। किन्तु हमें ऐसी स्थिति की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये।

मैं इस विषय पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। चूंकि इस सम्बन्ध में काफी बातें कहीं गई हैं अतः मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। मेरे मित्र श्री भगत ने यह अपील की थी कि इस मामले का राजनीतिकरण न किया जाये किन्तु उसके पश्चात् उन्होंने स्वयं उस मामले का राजनीतिकरण किया। मुझे बोलने में कुछ घबराहट-सी हो रही है क्योंकि आज मैं उन माननीय भूतपूर्व मंत्रियों की संगत में बोल रहा हूं जो कभी न कभी सरकारी बैंचों पर बैठे हैं। वह एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं ! किन्तु वास्तविक बात तो यह है कि जब मूल्यों का मामला प्रश्नों और उत्तरों के रूप में आता है...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त, केरल में आपकी पार्टी सत्ता में है। आपका केरल में शासन है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सही है। किन्तु मैं श्री भगत के इस विश्लेषण से सहमत नहीं हूं कि आप इस क्षेत्र में किसी भी राज्य सरकार के कार्यनिष्पादन का केन्द्रीय सरकार के कार्य-निष्पादन के साथ तुलना कर सकते हैं। यह बड़ी विलक्षण बात है। समूचा देश एक इकाई है। कुछ आधारभूत आर्थिक नीतियां, आयोजना नीतियां, वित्तीय तथा कराधान सम्बन्धी नीतियां केन्द्रीय सरकार द्वारा ही आरम्भ की जाती हैं। इसका समूची अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अनेक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों के न्यूनतम मूल्य अथवा समर्थन मूल्य भी केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

महोदय, आवश्यक वस्तु अधिनियम का बार-बार उल्लेख किया जा रहा है। निस्संदेह, इस अधिनियम का राज्य सरकारें भी उपयोग कर सकती हैं। किन्तु इस मामले का मुझे बहुत ही कम ज्ञान है क्योंकि मुझे इस सम्बन्ध में बहुत चिन्ता थी कि राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठाती ? और मैंने यह पाया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को बहुत ही कम अधिकार प्राप्त हैं। मेरा अभिप्राय यह है कि वह बेईमान व्यापारियों, मुनाफाखोरों और अन्य ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि अनेक राज्यों में —विशेषकर पश्चिम बंगाल में लाखों मुकदमें अनिर्णित पड़े हैं। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अन्तर्गत और क्या किया जा सकता है ? इन लोगोंको शीघ्र ही जमानत पर छोड़ दिया जाता है और उनके विरुद्ध मुकदमें अनिश्चित काल तक चलते रहते हैं। कभी कभी अन्त में उन्हें केवल जुर्माना हो जाता है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : इस लिये ही 15 दिन की नजरबन्दी होती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक नजरबन्दी कानून का सम्बन्ध है, हमने हमेशा उसका विरोध किया है क्योंकि इसका हमेशा दुरुपयोग होता है (**व्यवधान**) आप अब सत्ता में हैं। अब सभी राज्यों में आपका शासन है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप वहां शासन कर रहे हैं। आप सभी इन कालाबाजारियो का सहारा लेते हैं।

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आपने आन्ध्र प्रदेश में नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : आपके सभी व्यक्तियों को।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, अच्छा तो यह होगा कि आप पहले इन्हें बोलने दें—मैं बाद में अपनी बात कह लूंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : हमें एक दूसरे के प्रति सहृदय होना चाहिये। तब हमें व्यवधान की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमें तथ्यों के प्रति निष्ठावान होना चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते : हमें नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत बन्द रखा गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि मैं तथ्यों को उनके सही रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा तो भी आपको अपने टिप्पण जारी नहीं रखने चाहिये।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं आपके भाषण में व्यवधान डालूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम आप की बजुर्गी के कारण आपका सम्मान करते है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आयु की कोई बात नहीं। आप भी बजुर्ग हैं, किन्तु हमें सच्चाई के सम्बन्ध में एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : महोदय, दोनो ही युवा हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको यहां बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते : वह वृद्ध नहीं है। महोदय वह तो जवान है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर आप मेरा विनिर्णय चाहते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब कभी भी यह प्रश्न आता है, तो यह सिद्ध करने या दावे के साथ कहने का प्रयत्न किया जाता है कि ये बढ़ी हुई कीमतें कुछ कारणों से है जो मेरे विचार से केवल अस्थायी कारण हैं और वे समस्या के मूल में कतई नहीं जाते। अस्थायी कारणों से मेरा मतलब है, परिवहन की रुकावटें, रेलवे की अड़चने या प्राकृतिक आपदाएं, कभी-कभी सूखा कभी बाढ़, कभी-कभी जैसा कि उनका कहना है किसी राज्य विशेष में किसी प्रकार की कानून और व्यवस्था अथवा जो कुछ अब असम में हो रहा है। ये सब क्षणिक और अस्थायी हैं। एक दीर्घकालीन अवधि में यूं कहें कि 15, 20 और 30 वर्ष में आप यह नहीं कह सकते कि यह निविघन मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फितिजन्य दबाव मुख्य रूप से इन्हीं कारणों से उत्पन्न हुए है ये तो अस्थायी कारण हैं। मुख्य कारण तो सरकार की मूल-नीतियों में समाहित है। चाहे यह सरकार हो यह पिछली सरकार हो या उससे भी पहली सरकार हो, प्रश्न तो यह है कि आप चाहे जितने बोर्ड बिठाइए, जैसा कि श्री भगत ने सुझाव दिया है

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

कितनी ही समितियां आप बनाइए परन्तु क्या कीमतों को नियन्त्रित करना और उनके विरुद्ध संघर्ष छेड़ने की सरकार की इच्छा है, राजनैतिक इच्छा है, क्योंकि हर कोई जानता है और विश्व के हरेक पूंजीवादी देश में यह विदित है कि यदि आप कीमतों को नियन्त्रित और कम करना चाहते हैं तो ऐसा उन लोगों को दबाये बिना नहीं हो सकता जिनको इन ऊंचे दामों से लाभ मिल रहा है। वैसा आप कर नहीं सकते। यही तो कार्यगत विरोधाभास है।

यह सभी जानते हैं कि ऊंचे दामों वाली अर्थव्यवस्था जब जन-साधारण पर चोट करती है तो लाभ कमाने वालों, व्यापारियों और बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाती है। वे ऊंचे दामों वाली अर्थव्यवस्था की कतई चिंता नहीं करते। ऊंची कीमतों वाली अर्थव्यवस्था तो आपके लाभ को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। यह कैसे होता है यह हम देखते हैं कि गत कुछ वर्षों में जबकि कीमतों में वृद्धि होती रही है और लोगों के कष्ट भी बढ़ते रहे हैं बड़े व्यापारिक घरानों और एकाधिकार प्राप्त घरानों को कतई भी कोई कष्ट नहीं हुआ। क्योंकि ऊंची कीमतों वाली अर्थव्यवस्था सदैव ही उनके लिये लाभदायी होती है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार की नीति चाहे भूतपूर्व सरकार और या वर्तमान सरकार भी जब तक यह नहीं दर्शाती कि इसकी कुछ और भी इच्छाएं हैं---वह मूल रूप से एकाधिकारी की पक्षपाती, पूंजीपति की पक्षपाति, व्यापारी हिमायती हैं---मेरे यहां कहने से मतलब छोटे व्यापारी नहीं हैं क्योंकि उनको रोका जा सकता है---अपितु थोक के व्यापारियों से हैं---स्वार्थजन्य हितों से और मुझे डर है कि जो सरकार अब सत्ता में आई है उसे अकेले ही कुछ करने दो, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जायेगा, क्योंकि आगामी चुनाव भी हैं। और जब तक कम से कम ये चुनाव खत्म नहीं हो जाते देश को कष्ट झेलना ही है, चाहे उनकी नीति अनेक कारणों से कुछ भी क्यों न हो। चुनावों के बाद वे क्या करने वाले हैं यह देखना बाकी है कि असली बजट कैसा होगा। परन्तु कुछ समय तक तो वे कुछ भी नहीं बता पायेंगे क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उनके समर्थन और उनके योगदान के निहित स्वार्थों पर वे बुरी तरह निर्भर करते हैं। जनता पार्टी भी वैसी ही थी वे कोई भिन्न थे।

प्रो० एन० जी० रंगा : हम भिन्न है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह देखना अभी बाकी है। आप कृपया कुछ वर्णित तो कीजिये। अन्तरिम बजट पर चर्चा के दौरान श्री वेंकट रामन से हमने बार-बार यह अपील की थी कि कम से कम मोटे शब्दों में अपनी नीति का तो निर्देश कर दें परन्तु वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे तो राजनैतिक दबाव में हैं।

इसलिये पहली बात मैं यह कहूंगा कि कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जो अनेक वर्षों से चले आ रहे हैं। वे किसी भी सत्तारूढ़ सरकार विशेष के विशेष अधिकार या एकाधिकार नहीं है। अर्थव्यवस्था में न कोई वित्तीय अनुशासन है और न ही कोई मौलिक अनुशासन। क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक, बैंककृण के बारे में समय समय पर वित्त मन्त्रालय द्वारा दिये जाने वाले किसी निर्देशन या किसी प्रकार के मानदण्ड अथवा चेतावनी का पालन करते हैं। वे उनका पालन नहीं करते। रिजर्व बैंक जो कि महाजनों (बैंकरों) का बैंक माना जाता है, मेरे विचार से सबसे बड़ा दोषी है। रिजर्व बैंक, मुद्रास्फीतीय दबाव का जो कि दिये जाने वाले बैंकों के ऋणों की इस बढ़ोतरी से पैदा होता है स्रोतबिन्दु है।

निस्संदेह, बैंकों को ऋण देना होता है, यह तो स्पष्ट ही है, परन्तु कोई निगरानी करने वाला अभिकरण है ही नहीं, जो यह देख सके कि बैंक ऋणों के अधिकांश का क्या होता है। क्या इसका उपयोग उत्पादन को बढ़ाने के लिये किया जा रहा है अथवा क्या इसका उपयोग सम्बद्ध वस्तुओं, सट्टेबाजी, जमाखोरी, आदि आदि जैसे अन्य उद्देश्यों के लिये किया जा रहा है। ऐसा कोई तन्त्र नहीं है और ना ही कभी होगा भी। सरकार के पास कोई तन्त्र या रोक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको केवल पांच मिनट का समय दिया गया है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : परन्तु उसमें से आपको प्रो० रंगा द्वारा डाले गये व्यवधान को घटाना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही दो मिनट कम कर चुका हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैंने तो केवल एक मिनट लिया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानने का प्रयास कर रहा था कि क्या उस दिशा का कोई संकेत था जिस ओर वे जाना चाहते थे। गत मास 21 तारीख के 'दी स्टेटसमैन' को वित्तीय सम्वाददाता ने एक समाचार दिया था। यह कोई साम्यवादी पत्र नहीं है अपितु कलकत्ता के बड़े व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। समाचार था "कलकत्ता स्टाक एक्सजेंज ने ऋणों

पर से नियंत्रण में छूट देने का स्वागत किया है। बड़े लेनदारों के लेखे में 20% की कटौती फिर से लागू कर दी गई है।" मेरे विचार से यही एक ऐसा ठोस काम नई सरकार का मेरे देखने में आया है ? इन बड़े लेनदारों को दिये जाने वाले कर्ज पर 20% का नियंत्रण था और ऐसा लगता है कि उसे फिर से लागू कर दिया गया है तथा स्वाभाविक है कि स्टाक एक्सचेंज तो स्वागत ही करेगा। यह इस तथ्य का एक उदाहरण है कि क्या यह मंदे का सीजन है या तेजीका सीजन है और हम पाते हैं कि बैंक ऋणों में लगातार वृद्धि हो रही है और वे मुख्यत: बड़े व्यवसायी क्षेत्र में जा रहे है जो कि निजी वाणिज्यिक क्षेत्र है और उसमें वे लोग भी आते हैं जो कि बाजार में वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा करने के इच्छुक होते हैं।

चीनी, वस्त्र और सीमेंट के प्रश्न को उठाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैं जनता सरकार को भी बराबर का जिम्मेवार ठहराता हूं। सबसे बुरा काम जो किया गया वह था चीनी पर से नियन्त्रण हटाना और उपभोक्ता को पूर्णरूप से खुले बाजार के हवाले कर देना। पहले वाली स्थिति अभी फिर से नहीं लाई गई है और उसे बहाल करना बहुत ही कठिन है। मैंने देखा है कि वर्तमान सरकार के कृषि मन्त्री राव बिरेन्द्रसिह ने कुछ ही सप्ताह पहले एक पत्रकार सम्मेलन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिये लेवी की चीनी जो उन्हें अपने उत्पादन में से देनी चाहिये को न देनेके कारण चीनी मिल मालिकों को चेतावनी दी। वे उस लेवी की चीनी का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। परन्तु उसके बाद, हो क्या रहा है और उन्होंने इसके बारे में किया क्या है ? कुछ नहीं किया है और चीनी मिल मालिक तथा चीनी के व्यापारी जानते है कि आने वाले महीनों में लेवी योजना को बिगाड़ने से उनको कहीं अधिक लाभ होगा और उसे खुले बाजार में बेच जेंगें और इसलिए वे बड़े पैमाने पर चीनी की जमाखोरी कर रहेहैं। अत: विस्तार में जाये बिना सरकार कम में कम हमे यह तो बता सकती थी कि वे जमाखोरी के विरुद्ध एक भारी कार्यवाही करने के लिये दृढ संकल्प है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है क्योंकि अन्यथा चीनी के व्यापारी चुनावों में उनकी सहायता नही करेगें। यहि तो कठिनाई है। कपड़े के मामले में भी यही बात है। मैं समझता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डिस को भी कम से कम अपनी कुछ जिम्मेदारी अनुभव करनी चाहिये। पहले निजी क्षेत्र का टेक्सटाइल मिलों पर कुछ बन्धन था अर्थात वे नियन्त्रित कपड़े मानक कपड़े की न्यूनतम मात्रा तैयार करें। परन्तु उसे जनता सरकार ने हटा दिया और उन्हें उस बन्धन से मुक्ति मिल गयी और इस तरह सरकारी क्षेत्र की नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन की मिलों को स्टैन्डर्ड क्लाथ बनाने की समस्त जिम्मेदारी वहन करनी पड़ रही है और कपड़े की कीमतें। किस्में जिनमें अधिक लाभ मिलता है उसका निर्माण पूर्णरूपेण निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया है। उनका क्या करने का इरादा है ? क्या उन्होंने उसके बारे में हमे कुछ बताया है? "हमे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं है। खाने के तेलों में भी वही भारी धोटाला चल रहा है। उन्होंने अपनी अगली कार्यवाही के बारे में कुछ नहीं बताया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपके दल को केवल पांच मिनट का समय दिया गया था। आप अन्य सदस्यों का समय ले रहेहैं। आप पहले ही दस मिनट का समय ले चुके हैं। कृपया समापन कीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हम छोटो-छोटो दया दृष्टियों के धन्यवादी है कि इतना अगड़ने के बाद ऐसे विषय पर विचार विमर्श के लिये हमे चार घन्टे का बहुमूल्य समय दिया गया। (व्यवधान) यह या तो एक प्रकार का विरोध है या प्रो० रंगा की मेरे प्रति हुई एलर्जी। कभी यहां वे मेरे साथ ही बैठते थे और तब भी जब मैं बोलने के लिये खड़ा होता था तो वे भड़क उठते थे। मैं नहीं समझता कि आखिर क्यों ? मैं कुछ ऐसी बात कहने जा रहा था जिससे आपको भी प्रसन्नता होती जो इस बारे में है कि किसानों को कैसे लुटा जा रहा है क्यों कि उन्हें उनके उत्पादन के कम दाम मिल रहेहैं। (व्यवधान) आपको क्या हो गया है ? क्या आप मुझे बोलने नहीं देगें ? आप क्या मेरा बोलना पसन्द नहीं करते या और कोई बात है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं उत्तेजित नहीं हूं। आप ही अनावश्यक रुप से उत्तेजित हो रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको मुझसे ही लाभ मिलता है। इतना ही मैं कह सकता हूं।

मैं इस तीन मुख्य कारण गिनाकर अपनी बात समाप्त करता हूं, एक तो सरकार की मुख्यतया पूंजीवादी-हिमायत और जनता-विरुद्ध नीतियां, वित्तीय नीति, आर्थिक टेक्सटाइल नीति आदि। इन बातों पर ध्यान देना होगा।

दूसरी बात है उद्योगपतियों और व्यापारियों की मुनाफाखोरी जिसका मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। काला धन मुख्य रूप से वही से पैदा होता है। उन्होंने हमें यह नहीं बताया है कि वे उसके बारे में क्या करना चाहते हैं। निस्सन्देह, ये सभी बातें गत 2-3 वर्षों में बढ़ती ही गई है। लेकिन यह कोई उत्तर नहीं है। अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा।

[श्री इंद्रजीत गुप्त]

तीसरी बात है किसी प्रभावी वितरण प्रणाली का न होना। मुझे इसमें सन्देह है कि ऐसी प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यह सरकार भी चालू कर सकेगी। यह नहीं कर सकती। क्योंकि ऐसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिये सरकार के उन भण्डारों पर नियन्त्रण रखना चाहिये जिसके द्वारा वें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पूर्ति करेंगे जैसे, कपड़े का भण्डार, खाने के तेल भण्डार, खाद्यान्नों का भण्डार, चीनी का भंडार, और यहां तक की दियासलाईयों और कापियों आदि के भी। ऐसा वे कर नहीं सकते क्योंकि ये भण्डार तो किसी और के कब्जे में है। जब तक इन भण्डारों को सरकार अपने हाथ में नहीं लेती तब तक वितरण प्रणाली की पूर्ति सही नहीं चल सकती। उन भण्डारों को हस्तगत करने का मतलब है कि या तो कुछ चीजों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा या आपको कुछ भण्डार हाथ में लेने पड़ेंगे जो कि करना उनके लिये बड़ाही कष्टदायक होगा। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे एकाधिकारीयों, उद्योगपतियों और व्यापारियों के सभी स्वार्थी वर्ग को अपना विरोधी बना लेगें। वे उनके सामने खुलकर आ जायेंगें। वैसा वे करना नहीं चाहते।

अतः, यद्यपि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जनता सरकार अथवा वर्तमान सरकार द्वारा जबानी तौर से बहुत बात की जाती रही है, तथापि कभी भी उसे मूर्तरूप नहीं दिया गया।

मैं यह कहते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं कि वर्तमान स्थिति में मूल्यों के प्रश्न का समाधान करने का कोई सरल उपाय नहीं है। जहां तक हमारा संबंध है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम घटनों प्रदर्शनों तथा लोगों के विरोधों को व्यक्त करने को जारी रखेंगे, क्योंकि अभी उसी दिन कुछ सदस्यों ने यहां कहां था, "आप लोग बाहर धरनों का आयोजन करके गड़बड़ कर रहे हैं, आप सरकार को कार्य करने नहीं दे रहे हैं।" श्री एच० के० एल० भगत ने भी कहा है कि उपभोक्ता को अपनी आवाज अवश्य उठानी चाहिये। श्री भगत ने कहा कि जब तक उपभोक्ता अपनी उपस्थिति को अधिक प्रभावी रूप से महसूस नहीं करा देते तब तक कोई भी उनकी आवाज नहीं सुनेगा। वे सोचते हैं कि सभी राजनीतिज्ञ एक समान हैं। "ये सब चोर हैं साले।"

यहां कुछ आम आदमी कह रहा है, "वे वहां जाते हैं और हमारे दुखों के लिये आंसू बहाते हैं किन्तु कुछ करते नहीं हैं।" लोग कहते हैं, "वे हम अनेक बातों का वचन देते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद सब रावण बन जाते हैं।" क्या आप जानते है कि आम लोग क्या कहते हैं? अतः, उनका मुख्य कार्य यह है कि यदि सरकार ईमानदारी से कुछ करना चाहती है, तो उसे कर के दिखाना तथा इसे सिद्ध करना चाहिये। किन्तु जहां तक हमारा संबंध है हमें लोगों के पास जाने में भी बड़ी प्रसन्नता होती है। इसके साथ ही हम यथा सम्भव उच्च मूल्यों के विरुद्ध अधिक से अधिक विरोध, घटना, आन्दोलन तथा संघर्ष करते रहेंगे। क्योंकि केवल यही एक उपाय है जिसके द्वारा आम लोग अपनी उपस्थिति को महसूस करा सकते हैं। यही एक तरीका है जिससे अखिरकार इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

श्रीमान् जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे खेद है कि मैं ने अधिक समय ले लिया।

***श्री ए० एम० वेलू (अर्कोनम)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश के आम लोगों की प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुओं के बढ़ रहे मूल्यों संबंधी संकल्प के बारे में कुछ शब्द कहुंगा। जब मेरी पार्टी 1977 में सत्ता में नहीं रही थी, तब हम ने जनता सरकार के लिये 180 लाख टन खाद्यान्न छोड़ा था जैसे ही जनता सरकार ने कार्यभार सम्भाला, वैसे ही खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर सभी प्रतिबन्ध हटा दिये गये, जैसा कि देश की सभी समस्याओं के लिये यही एकमात्र इलाज था जिनका देश सामना कर रहा था। जिसका अनिवार्य परिणाम यह निकला कि जमाखोरी तथा चोरबाजारी करने वालों मनमानी करने का अवसर मिल गया। खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडार कम हो गया और खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ने लगे। यद्यपि खाद्यान्नों का उत्पादन अत्यधिक बढ़ा, तथापि खाद्यान्नों के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये। दिशाविहीन एवं नीतिविहीन जनता सरकारें ही इसका मूख्य कारण थीं।

1979 के केन्द्रीय बजट ने मूल्यों को और भी बढ़ा दिया। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अनावश्यक वादविवाद को पूरी तरह छूट दे दी गयी जिसके फलस्वरूप लोगों में असंतोष की भावना फैल गयी। इस के कारण आवश्यक वस्तुओं के लाने ले जाने में अनेक बाधायें खड़ी हो गयीं जिसका दोष पूरी तरह से चरण सिंह सरकार पर थोपा जाना चाहिये।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

तमिलनाडु में अद्रमुक सरकार केन्द्र की चरण सिंह सरकार से सहयोग कर रही थी। आवश्यक वस्तुओं का वितरण नागरिक पूर्ति निगम के माध्यम से किया जा रहा है। चीनी, मिट्टी के तेल आदि जैसी वस्तुओं की डिलेवरी गोदामों से लेने के पश्चात विक्रेता खुले तौर पर इन्हें चोर बाजार में बेच रहे हैं। लेवी चीनी 2.95 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाना चाहिये। ये लोग इसे 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चोरबाजार में बेच देते हैं। तमिलनाडु में मिट्टी के तेल को लाने ले जाने के लिये ड्रम उपलब्ध नहीं हैं। विक्रेता लोगों ने मिट्टी के तेल को 100 रुपए प्रति ड्रम की दर से अधिक लेकर के अनुचित लाभ भी उठाया है। जब इन लोगों पर शक होता है, तो तहसीलदारों, उप-तहसीलदारों तथा खण्डविकास अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करने के लिये शक्तियां प्राप्त नहीं होती। स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिये ताकि वे इन अपराधियों को निवारक दण्ड दे सकें।

कल के समाचार पत्र में आपने बड़े पैमाने पर हो रही बिजली की चोरी के बारे में पढ़ा होगा। छोट अधिकारी, जिनसे अद्रमुक सरकार का संरक्षण प्राप्त था, इस में अन्तर्ग्रस्त हैं। अभी तक वे अद्रमुक के भय से मुक्त नहीं हो पाये हैं। तमिलनाडु में अनेक ऐसी सलाहकार समितियां हैं जिनमें अद्रमुक दल के वचनवद्ध लोग शामिल हैं। वे भ्रष्टाचार की जड़ है। उन्हें तुरन्त बंग किया जाना चाहिए। मद्रास का दुग्ध संभरण निगम कदाचारों के कारण समाप्त होने वाला है। मद्रास के लोगों के हित में राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम को चाहिये कि वह इसे अपने नियंत्रण में लेले। खाद्यतेलों के वितरण तंत्र को आधुनिक बनाया जाना चाहिये। सुपर बाजार शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिये चलत फिरते सुपर बाजार होने चाहिये जिनको दुःख को यहां कुछ मिनटों में नही बताया जा सकता है। प्रत्येक जिले आवश्यकता वस्तुओं के वितरण पर निगारानी रखने के लिये एक समिति बनायी जानी चाहिये जिसमें संसद सदस्य एवं विधायकों को शामिल किया जाना चाहिये एक संसद सदस्य नागूर कोयल से अर्कोनम आ सकता है और आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर निगरानी रख सकता है।

दक्षिणी राज्यों में दालों का उत्पादन नही किया जाता। दक्षिणी राज्यों का जलवायु वहां पर दालों की खेती के लिये उपयुक्त नही है। दक्षिणी राज्यों के लोगो की आवश्यकता को उत्तरी राज्योसे दलों को प्राप्त करके पूरा किया जाता है। दक्षिणी राज्यों के लोगो को प्राकृतिक प्रकोपों का शिकार नही बनाया जाना चाहिए इस समय बढ़ती हुये परिवहन लागत के कारण दक्षिणी राज्यों के आम लोग वर्तमान मुल्यों पर दालो को प्राप्त करनें में असमर्थ है। भारत सरकार परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता देनी चाहिये ताकि दालो के मूल्य जन साधारण की पहुंच में हो सकें। जनता सरकार ने अचानक गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों को स्टेन्डर्ड कपड़े का उत्पादन करने से छुट दे दी जिसके परिणाम स्वरूप स्टैन्डर्ड कपड़े के मुल्य में अत्यधिक वृद्धि हो गयी। गैर सरकारी क्षेत्र की मिलों को स्टैंडर्ड कपडे के अपने निर्धारित कोटे का उत्पादन निदेश दिया जाना चाहिये। केवल तभी लोगो को उचित मूल्यों पर स्टैंडर्ड कपड़ा मिल पायेगा। निवारक नजर बन्द अधिनियमों को पूर्ण रूप से पूरी शक्ति के साथ लागू किया जाना चाहिये। जहां तक आवश्यक वस्तुओं का संबंध है एक स्थायी नियंत्रण तंत्र का गठन किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। इस महत्वपूर्ण वाद विवाद में मझे भाग लेने का अवसर देने के लिये आप का धन्यवाद।

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश के सामने जो कठिन समस्या मूल्य वृद्धि के रूप में छाई हुई है यह एक बड़ा गंभीर मसला और बड़ा गंभीर सवाल है। इस में कौन सी खामियां हैं, कौन सी गलतियां हुई हैं, इन सारी बातों पर हम लोगों को गौर करना होगा और मूल्यों में कमी हो, इस लिए हम लोगों को उपाय सोचने होंगे ताकि मध्यम वर्ग और गरीब तब के लोग ही नहीं बल्कि और तो और जो अच्छे पैसे कमाने वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशे के लोग हैं और जिन की हजार हजार रुपए तलब है ऐसे लोगों को भी आज अपना जीवन-निर्वाह करने में जो भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उसे दूर किया जा सके। कोई भी चीज करने के पहले हमें यह देखना होगा कि हम ने कौन सी गलतियां की हैं और यदि गलतियां की है तो उस से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। इन सारी बातों पर हम लोगों को गौर करना होगा।

मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज की जो मूल्य वृद्धि है उस के लिए मुख्यतः हमारे जनता पार्टी के दोस्त और लोक दल के लोग जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने जैसे ही सत्ता में पदार्पण किया इन के जो गुर्गे और वर्कर्स हैं उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए होड़ लगा दी कि हमें दूकान मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए। यदि जनसंघ घटक के लोगों का दबदबा है तो उन्होंने अपने वर्कर्स को दूकानें बांट दीं, लोक दल के लोग हैं तो उन्होंने अपने वर्कर्स को बांट दीं। नतीजा

[श्री शिव प्रसाद साहू]

क्या हुआ कि यदि कोई अधिकारी उन पर अंकुश लगाना चाहता है तो वह कहते हैं कि मैं जनता पार्टी का हूं, मैं लोक दल का हूं और अधिकारी मौन हो जाते है । इच्छा रहते हुए भी वह अपने को कमजोर महसूस करता है । तो अब इस में इस तरह की बातें न हों । ऐसे लोगों को दूकानें नहीं दी जायं जो उन को ठीक ढंग से चला सकें और सख्ती से उन के साथ वर्त्ताव किया जाय । जो जमाखोरी करते हैं उन की ओर भी हमें ध्यान देना होगा । उत्पादन को भी हमें देखना होगा कि उस में बढ़ोतरी किस तरह से हो । जो उत्पादन की प्रक्रिया थी और वितरण की प्रणाली थी जनता पार्टी और लोक दल के लोगों ने उस को बिलकुल तोड़ दिया । शहरी क्षेत्रों में तो चीजें मिल जाया करती थीं लेकिन जहां तक मैं वाकिफ हूं, बिहार और उड़ीसा के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर दूकान नाम की कोई चीज नहीं है । यदि है भी, तो केवल कागज पर ही है । दूसरे किसानों के माध्यम से मुखिया लोगों को दूकानें दी गई हैं लेकिन उनको चलाने वाले जनता पार्टी और लोकदल के कारिन्दे ही थे । किसी ग्राम पंचायत के नाम पर अगर दो क्वींटल चीनी उठाई गई तो उसमें से 10—20 किलो चीनी जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में बांट दी गई और बाकी चीनी प्रति बोरा 5—6 सौ रुपए की आमदनी करके शहरों में ही ब्लैक कर दी गई । यह समस्या बिहार के छोटा नागपुर और उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में है । इसको रोकने के लिए सरकार को कड़ाई के साथ कार्यवाही करनी होगी ।

एक दूसरी त्रुटि यह भी रही है कि जब शासक वर्ग कमजोर होता है, उसमें जब गल्तियां होती हैं तो अधिकारी वर्ग भी उसका लाभ उठाता है । जब जनता पार्टी के कारिन्दे दूकानें चला रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं तो अफसर भी उनके साथ मिलकर कालाबाजारी में सहयोग करते हैं और अपना हिस्सा खाते हैं । यह जो सारी गड़बड़ियां हैं यह जबतक चुस्त और दुरुस्त नहीं होंगी तब तक सफलता नहीं मिल सकती है । इन बातों पर अंकुश लगाना होगा तभी जो मूल्य बढ़ रहे हैं उनको सरकार कन्ट्रोल करने में समर्थ हो सकेगी । यदि इनपर कन्ट्रोल नहीं लगाया जाता तो सुरक्षा की तरह से मूल्य-वृद्धि की समस्या बनी रहेगी । इसलिए सरकार को सख्ती के साथ कदम उठाने होंगे ।

जहांतक वितरण का सम्बन्ध है मैं यह भी कहूंगा कि सभी लोगों को बराबर मिलना चाहिए । आज की स्थिति में शहरों में बसने वाले जो पढ़े-लिखे लोग हैं वे हल्ला करके अधिकारियों तथा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सारी चीजें प्राप्त कर लेते हैं लेकिन विशेष तौर से जो लोग जंगलों में हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी भाई हैं, ताना भगत और कन्द जाति के भाई जो कि उड़ीसा में रहते हैं, जिनमें बोलने की शक्ति नहीं है वे राशन की दूकान को जानते भी नहीं हैं । इसलिए सरकार को चाहिए कि जो समाज में गिरे और दबे हुए लोग हैं उन तक भी सारी चीजों को पहुंचाने की व्यवस्था करे ।

मूल्य वृद्धि का एक कारण और भी है । आज खाद महंगी हो गई है । कृषि में प्रयोग होने वाले ट्रैक्टर और औजार बहुत महंगे हो गए हैं । किसानों का इन चीजों पर बहुत पैसा लगता है । मेरा सुझाव है कि खेती में उपयोग होने वाली चीजों के दाम सरकार कम करे । ऐसा करने पर ही अनाज का भाव कन्ट्रोल हो सकेगा अन्यथा ट्रैक्टर और खाद इत्यादि के दाम बढ़ते जाने पर यह समस्या कभी हल नहीं होगी चाहे आप कुछ भी करते रहें । हमारी पिछली कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से विद्यार्थियों के लिए सस्ती कापियां और किताबें वितरित करने की योजना कार्यान्वित की थी उसी प्रकार से खेती के काम में आने वाले जो सामान है वह भी कम कीमत पर किसानों में बांटा जाए । आज कपड़े के दाम आसमान को छू रहे हैं । 1977 के पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने मिल वालों से कहा था कि तुम बडे बड़े लोगों के लिए टेरिलीन, नाइलोन और अन्य कई कपड़े बनाते हो लेकिन जो जंगलों में बसते है, पहाड़ों में रहते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, आफिस के चपरासी हैं और हमारी गरीब बहने हैं उनके लिए तुम्हें कंपलसरीली 25 प्रतिशत मोटा कन्ट्रोल का कपड़ा और साड़ियां बनानी होंगी । वह कपड़ा काफी सहूलियत के साथ सरकारी दूकानों पर ढ़ाई, तीन रुपये मीटर के हिसाब से हमारे कामगारों, मजदूरों को मिल जाता था और बहनोंको सस्ती साड़ियां मिल जाती थीं । लेकिन जब लोकदल और जनता पार्टी के लोग आए तो हमारे आदरणीय श्री जार्ज फर्नांडीस के दिल में पता नहीं क्या आया कि इन्होंने मिल वालों को छूट दे दी कि तुम्हें मोटा कपड़ा बनाने की जरूरत नहीं है । जितना महंगा कपड़ा टेरेलीन का बनाना है, बनाओ । इसलिए मैं आप के माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि जिस तरह की व्यवस्था इन्दिरा जी ने लागू की थी मोटे कपड़े की गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए और आदिवासियों के लिए, उस तरह का 25 प्रतिशत कपड़ा पुनः उत्पादित किया जाए और उस कपड़े को कन्ट्रोल की सरकारी दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए जैसा कि पहले कराया जाता था ताकि आम लोगों को राहत मिले ।

दूसरी चीज यह है कि जो व्यापारी हैं, उन को जो अधिकारी हैं, वे पहले समझा दें और एक वार्निंग दे दें कि जो भी सामान सरकार के माध्यम से मिलता हो, उस को वे आम लोगों को दें और उस में भविष्य में काला-बाजारी न करें। उसी तरह से हमारे मंत्री-मंडल के जो लोग हैं, वे उन बड़े लोगों को, चीनी पैदा करने वालों को, सीमेंट पैदा करने वालों को, यह कड़ी चेतावनी दे दें कि तुम को लेवी की शूगर देनी होगी, तुम को एक मौका हम और दे रहे हैं कि संभलो और लेवी की शूगर उपलब्ध करवाओ। अगर इस तरह की चेतावनी को मिल-मालिक पालन नहीं करते हैं, तो मेरा सरकार से यह अनुरोध होगा कि सरकार उन के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाए और जो भी कानूनी रास्ता हो, उस को अपनाए।

मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया और इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : हम एक ऐसी महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत के 65 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रही है। जैसाकि इस देश तथा अन्य देशों के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि मूल्यस्तर न केवल इस देश के लिये ही प्रत्युत समूचे विश्व के लिये भी बुनियादी महत्व रखता है। अतः इस सरकार को चावल, चीनी, सीमेंट, माचिस, सभी प्रकार के तेलों, खाद, उर्वरकों, डीज़ल, मिट्टी के तेल सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करना चाहिये और अधिकांश सभी आवश्यक वस्तुओं...

श्री दीनेन भट्टाचार्य : सरकार इसे किस प्रकार कम करेगी ?

श्री के० मायातेवर : वह इसे कम करेगी। वह आप की अपेक्षा बेहतर ढंग से करेगी।

इस समय जो मूल्य अधिक हो रहे हैं, उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? इस समय इस देश में ऊंचे मूल्य स्तर के लिये कौन जिम्मेदार है ? मैं एक बहुत साधारण प्रश्न माननीय सदस्यों के, जो काफी समय से इस सदन के सदस्य हैं, के सामने रखता हूं। हमारा किसी महिला के साथ विवाह होने वाला है। (व्यवधान) दो मूर्खों का विवाह नहीं होने जा रहा है। वैसा प्रश्न मत पुछिये। अतः हमारा विवाह होने जा रहा है। आप हम से तीन महीनों के भीतर शिशु को जन्म देने की आशा नहीं कर सकते। यदि एक दम्पति 6 महीनों अथवा तीन महीनों के भीतर एक शिशु को जन्म देता है, तो यह एक अबंध शिशु होता है। हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं और हमारा मानव समाज भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। यह मूल्य स्तर जनता दल के, आप के शासन, आप के भागीदारों के शासन और आपके सहयोगियों के शासन के दौरान किये गये कार्यों के कारण हुआ है और जन्म अर्थात परिणाम अब निकलने जा रहा है। वही मूल्य स्तर है। आपने ही इस मूल्य स्तर को जन्म दिया है जो इस समय है। इस समय देश में जो मूल्य स्तर है, उस सब के लिये जनता पार्टी की नपुंसक सरकार ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

अतः, आप को इस बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मैं यह कहता हूं कि यह सरकार वर्तमान मूल्य स्तर के लिये जिम्मेदार नहीं है। इस के साथ ही हमें दूसरों को गाली देते नहीं रहना चाहिये अथवा दूसरों में दोषों को नहीं निकालते रहना चाहिये अथवा हमें इस सरकार के विरुद्ध आरोप नहीं लगाते रहना चाहिये। ऐसा करने का कोई लाभ नहीं है। लोगों ने इस लिये मतदान देकर इस सरकार को सत्तारूढ़ नहीं किया कि उन्हें उस में विश्वास नहीं है। उन्होंने इसलिये हमें मतदान देकर सत्तारूढ़ किया क्योंकि उनका हमारी प्रिय महिला प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी के, जो एकेले ही लोगों की भलाई कर सकती हैं, नेतृत्व में अटूट विश्वास था। उसी आधार पर ही लोगों ने उन्हें मतदान देकर सत्तारूढ़ किया। हमने भी उसी आधार पर ही मत प्राप्त किये। इस बात को मत भूलिये। लोग जानते हैं कि इंदिरा जी को छोड़ कर और कोई भी भारत के लोगों के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकता। यहां निकट भविष्य में भी और कोई अन्य व्यक्ति इस देश के हितों की सुरक्षा करने वाला नहीं है।

मैं पुनः कहता हूं कि जनता दल की सरकार इस मूल्य वृद्धि के लिये जिम्मेदार है। सुवर्ण की नीलामी के मामले को लीजिये। किन्होंने सब से अधिक हानि उठायी ? यह महिलायें ही थीं जिन्हें सुवर्ण के मूल्यों में वृद्धि के कारण सब से अधिक कठिनाई हुई। बेशक आप यह कह सकते हैं कि आवश्यक वस्तु वर्ग के अंतर्गत सोने का मूल्य नहीं गिरेगा। हम सोने को खरीदने के लिये भी अभ्यस्त नहीं हैं। हम भोजन के लिये थाली नहीं बल्कि केवल टाली (मंगलसूत्र) के लिए सुवर्ण प्राप्त करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंगलसूत्र कहिये।

श्री के० मायातेवर : ताली या मंगलसूत्र चाहे कुछ भी नाम हो पर उसका उपयोग स्त्री के गले में पहनने के लिए होता है। इंदिरा कांग्रेस के समय 1976-77 में सोने का मूल्य 420 रुपये प्रति सावरेन था—420, भारतीय दंड संहिता

[श्री के० मायातेवर]

के अंतर्गत नहीं। आप लोगों ने सन् 1977 में भ्रष्ट तरीकों से लोगों को धोखा देकर वोट लिये थे। यह बात हमारे साथ लागू नहीं होती है लेकिन वह आप लोगों पर लागू होती है जिन्होंने जनता को धोका दिया है। इसलिये आप लोग इस मूल्यवृद्धि के लिये जिम्मेदार हैं। हम कीमतो को कम करन का प्रयत्न करना चाहिये। यही इस सरकार का, उद्देश्य है।

जनता सरकार की कुशासन एवं शरारतपूर्ण शासन प्रबंध ही इस मूल्य वृद्धि के लिये जिम्मेदार है। गत 2½ वर्षों से लोगों को ऐसा लगा कि यहां कोई सरकार ही नहीं थी। इसी तरह से तमीलनाडु के लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ कि उनकी कोई सरकार नहीं थी। चाहे एम० जी० आर० की सरकार हो या जूनियर जनता अथवा अखिल भारतीय जनता, दोनों एक नाव में यात्रा कर रहे हैं। तमिलनाडु की एम० जी० आर०, मोरारजी देसाई और चरणसिंह की सरकार ने पूरे भारत को पथ भ्रष्ट कर दिया है। यहां आप लोग अपनी सच्चाई पेश करिये। श्री इन्द्रजीत गुप्त यहां नहीं हैं। मैं उन्हें सच्चे दिल से बधाई देता हूं। उन्होंने सदन के समक्ष सच्चाई का सही चित्र प्रस्तुत किया था।

सावरेन सोने की कीमत बढ़कर तमिलनाडु में 1400 रुपये हो गई है। भारत की स्त्रियां एक चौथाई सावरेन भी उनकी पुत्रियों की शादी में, ताली (मंगलसूत्र) बनाने के लिये नहीं खरीद सकती हैं। निःसंदेह अब कुछ हद तक मूल्य घट गया है। चुनाव के समय स्वर्ण-आभूषण का मूल्य भी अन्य आवश्यक वस्तुओं के कीमत के साथ बढ़ गया था।

श्री० दीनेन भट्टाचार्य : सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी थीं।

श्री के० मायातेवर : वह अभी वादविवाद के अधीन नही है। मैं केवल इतना कहता हूं कि इंदिरा कांग्रेस के शासन काल 1976 में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत कम थी। जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद वह बढ़ गई। जब इंदिराजी 1975-76 में प्रधानमंत्री थीं तब उन्होंने सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया था।

आपने तस्करों को संरक्षण दिया था एवं रक्षा की थी। आप उनके संरक्षक थे। हम देखते हैं कि आप एक तरफ गरीबों के लिये चिल्ला रहे हैं और दूसरी तरफ अमीरों के लिये। अतः हम जानना चाहते हैं कि आप किनके साथ जा रहे हैं। आप गरीबों के साथ है या टाटा एवं बिरला के साथ। कृपया आप सच्चाई के साथ सामने आइये।

महाशय जी, आपातकाल के दौरान सभी कालाबाजार करने वाले एवं मुनाफाखोरों को बंदी बनाया गया था। परिणामस्वरूप कीमतें घटीं जिसकी लोगों ने सराहना की थी। आपात काल हटाने के बाद से कीमतें बढ़ रही हैं। अतः आप लोग ही इस देश में मूल्य वृद्धि के लिये जिम्मेदार हैं।

महाशय आपातकाल के दौरान तमिलनाडु एवं अन्य जगहों में कांग्रेस सरकार एक रुपया में भोजन दे रही थी। दुर्भाग्य से इसे जनता भोजन कहा गया है। जब जनता सरकार सत्ता में आई तब एक रुपये के भोजन को खतम कर दिया गया।

जहां तक आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है मैं यह महसूस करता हूं कि वितरण पणाली संतोषप्रद ढंग से काम नहीं कर रही है। हम चावल, गेहूं, तेल अधिक मात्रा में पैदा कर रहे हैं। फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं। अतः मेरा कहना है कि ये मध्यस्थ जैसे टाटा, बिरला एवं तस्कर इस मूल्य वृद्धि के लिए जवाबदार हैं। मैं अपने विरोधी दल के मित्रों से यह पूछता हूं कि क्या वे तस्करों के विरोध में निवारक नजरबंदी अधिनियम का समर्थन करने के लिए साफ-साफ शब्दों में तैयार हैं। यदि सरकार इस निवारक नजरबंदी अधिनियम लागू करती है तो आप लोग कल यह चिल्लाना शुरू करेंगे कि सरकार ने उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित किया। मेरा विचार है कि यदि यहां एक प्रतिशत लोग जमाखोर और तस्कर हैं तब आप शेष 99 (प्रतिशत) आबादी को बचा सकते हैं। भारत की निन्यानवे प्रतिशत गरीब जनता की रक्षा करने के लिये तस्करों को फांसी पर चढ़ाया जा सकता है।

महाशय, वितरण व्यवस्था का नियमन होना चाहिये और केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह तमिलनाडु के राज्यपाल को यह निर्देश दे जिससे उचित मूल्य वाली दुकानें गाँवों में खोली जांय। मेरे चुनाव क्षेत्र में 3,000 से 5,000 गाँव है। वहाँ हमारे पास उचित मूल्य वाली दुकानें नहीं हैं। उचित मूल्य वाली दुकानें भारत के सभी गाँवों में खोलना चाहिये।

महाशय, मैं यह कहता हूं कि कुछ अधिकारी गण भी जमाखोरों एवं तस्करों से घूस लेने में लगे हुए हैं। अतः सारे भारत में इन जमाखोरों तथा तस्करों एवं साथ ही साथ घूस लेनेवाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाही की जानी चाहिये।

महाशय, आवश्यक वस्तु अधिनियम, राज्य का कानून है। परन्तु उसमें बहुत सारी कमियां हैं। हमारी मांग है कि ये कमियां दूर की जांय। आर्थिक अपराधियों की जमानत मंजूर नहीं की जानी चाहिये। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कोई जमानत नहीं होना चाहिये। हमारे माननीय मंत्री जो अभी यहां हैं वे 1975-76 में वाणिज्य मंत्री थे उन्होंने आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिये बहुत सारे प्रभावशाली अधिनियम लागू किये थे। उन अधिनियमों को जनता सरकार ने रद्द कर दिया जिससे मूल्यों में वृद्धि हुई।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वकील की तरह तर्क कर रहे हैं।

श्री के० मायातेवर : महाशय मैं सात लाख लोगों के लिये वकील हूं जिन्होंने मुझे वोट दिये। हम सभी अपने अपने चुनाव क्षेत्र के वकील हैं। हमारे सभी सहयोगी यहां है अपने अपने चुनाव क्षेत्र के वकील हैं। आप उत्तर मद्रास के वकील हैं। हमारे मित्रगण अपने अपने चुनाव क्षेत्र के वकील हैं। वास्तव में हमारे कई लाख मुवक्किल हैं—कोई एक या दो नहीं। वास्तव में हमारे सात लाख मुवक्किल हैं जिन्होंने हमें वोट दिये हैं। इसीलिये मैं एक वकील की तरह तर्क कर रहा हूं, केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिये नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता के लिए। वस्तुतः सारे माननीय सदस्यगण भारत की पूरी जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : केवल आप के चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री के० मायातेवर : नहीं, सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। महोदय, आवश्यक वस्तु अधिनियम की त्रुटियों को दूर करना चाहिये। कड़े कानून बनाये जाने चाहिये। आर्थिक अपराधियों, कालाबाजार करने वालों एवं जमाखोरों की जमानत मंजूर नहीं की जानी चाहिये।

आपातकाल के दौरान कपड़ा बाजार में सस्ती दरों में बेचा जाता था। कपड़े की मूल्यसूची छपी रहती थी और कपड़े पर भी अंकित रहती था। कपड़े का निर्धारित मूल्य सभी कपड़ों में लगा होता था। यही बात प्रत्येक वस्तु के संबंध में थी। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि अब भी यही प्रक्रिया लागू करे। आपातकाल के दौरान यह थी किंतु जनता सरकार ने सन 1977 में उस विशेष प्रक्रिया को हटा कर खत्म कर दिया था। आपको उसे पुनः लागू करना चाहिये जिससे आसाधारण मूल्य-वृद्धि जो मध्यम दर्जे के एवं बड़े व्यापारियों द्वारा की जाती है उसमें कमी आये। यही मेरी प्रार्थना है। उन्हें आवश्यक वस्तुओं की सही कीमत अंकित करनी चाहिये जिससे कि ग्राहक उचित दामपर वस्तुएं प्राप्त कर सकें।

महाशय, सन् 1970-71 में मूल्य का निर्देशांक 100 था। जनता शासन काल 1978-79 में क्या हुआ? निर्देशांक 225 प्रतिशत हो गया। यह बेहद शर्मनाक स्थिति भूतपूर्व जनता सरकार के द्वारा पैदा की गई है। वे इस मूल्य वृद्धि के लिये जिम्मेदार हैं जिसका सामना हम राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कर रहे हैं।

महोदय, मैं मुद्रास्फीति के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। कांग्रेस शासन काल में मुद्रास्फीति बहुत नियंत्रित थी। मुद्रास्फीति की दर को उनके शासन काल में 23 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत आ गयी थी। यह स्थिति आपातकाल में थी। जब आपातकाल हटाया गया और जनता सरकार सत्ता में आई तो मुद्रास्फीति की दर फिर से बढ़कर 22.3 प्रतिशत हो गई। अब मुद्रास्फीति की दर 22.3 प्रतिशत है। इसलिए इस सरकार का दायित्व है कि वह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखे एवं कीमतों को घटाये। परन्तु इस बात को हम नहीं भूल सकते कि इस सरकार को सत्ता में आये मात्र 3 महीने हुए हैं। जनता सरकार 2-1/2 साल में मूल्य वृद्धि को कम नहीं कर सकी। मैं अब अपने मित्रों से यह पूछता हूं कि क्या अचानक तीन महीनों में मूल्य वृद्धि कम करना संभव है। क्या यह आशा करना संभव है कि शादी के तीन दिन बाद जानवर या आदमी बच्चा पैदा कर सकता है?

श्री ज्योतिर्मय वसु : अगर गर्भधारण शादी के 10 महीने पूर्व ही हो गया हो यह तभी संभव है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनको बोलने दीजिये।

श्री के० मायातेवर : महोदय, मैं यह कह रहा था कि आर्थिक अपराध अधिनियम में जो त्रुटियां है उन्हें दूर की जानी चाहिये मुझे विश्वास है कि इस मुद्देपर हमारे मित्र हमारा समर्थन करेंगे। आर्थिक अपराधियों को सजा मिलनी चाहिये। उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके लिए उन्हें कुछ भी ढिलाई नहीं दी जानी चाहिये। उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये। आर्थिक अपराधियों की जमानत नहीं होनी चाहिये। अगर ऐसा हो तो, यद्यपि कुछ वकील जमानत के मामलों में अधिक कमाई कर सकते हैं, पर वास्तव में स्थिति सुधरेगी नहीं।

[श्री के० मायातेवर]

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण रखने के लिये भरसक प्रयत्न करे । केन्द्रीय सरकार को नोटों के प्रचलन को कम करने के लिये सभी कदम उठाने चाहिये । सौ रुपये और अन्य सभी प्रकार के नोटों को निरंतर छापने का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि यही वर्तमान मुद्रास्फीति का कारण है । आपको नोटों के प्रचलन को नहीं बढ़ाना चाहिये । क्योंकि इसके कारण मुद्रा स्फीति एवं मूल्य वृद्धि होती है । आपको अधिक मात्रा में गेहूं, खाद्यान्न, अनाज, तेल एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं पैदा करनी चाहिए और मूल्यों को भी कम करना चाहिये जिससे मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हो ।

मैं अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मूल्यों में वृद्धि के लिये जनता सरकार को दोषी ठहराता हूं, इसके लिये यह सरकार दोषी नहीं है । विरोधी दलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए इस सरकार को कम से कम दस माह का समय देना चाहिये । एक औरत को भी बच्चा पैदा करने के लिये भी दस माह की जरूरत होती है । तबतक के लिये धीरज रखिये । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो हमारे उधर बैठने वाले माननीय राजनीतिक पंडितों ने रखा है, उनकी भावना अच्छी हो या नहीं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आचार्य कृपालानी ने कहा था कि इन राजनीतिकों को भगवान समझकर मत चलो । इनका कहने का तरीका बहुत ठीक हो सकता है, लेकिन इन्होंने जान-बूझकर इस प्रस्ताव को रखा है । अभी इस सरकार को शासन में आये हुए करीब 60 दिन ही हुए होंगे, उस हालत में भी आपने इस विषय को रखा है जब कि हिन्दुस्तान के अन्दर 30, 40 परसेंट पापूलेशन आज अकाल से पीड़ित है, देश के अन्दर सूखा है, बादल नहीं बरसे, उत्पादन नहीं बढ़ा, यह मानी हुई बात है ।

जहां तक मुद्रास्फीति का सवाल है, वह आप जानते हैं कि आपने कितनी घाटे की अर्थ-व्यवस्था कायम की है । जनता पार्टी के माननीय सदस्य इसका उत्तर देंगे कि हिन्दुस्तान में अकाल की स्थिति में उन्होंने जो मुद्रास्फीति पैदा की उससे आज हमारे पास ट्रांस्पोर्टेशन की फैसिलिटी, डीजल आदि न होने के कारण, कम है । जब एसेन्शियल कमोडिटीज आर्डिनेन्स यहां लाया गया तब आपने उसका विरोध किया, इन सारी बातों से मालूम होता है कि आपका उद्देश्य पाक नहीं था इस प्रस्ताव को लाने का । अगर इस प्रस्ताव का लाने के पीछे आपकी यह भावना होती कि भारत की वर्तमान सरकार ने कोई कदम कीमतों का नीचे लाने के लिये नहीं उठाये तो मैं मानता, लेकिन हमारे बंडवते जी ने तो बड़ी जनरल और अर्थनीति की बात कही और उसको उन्होंने पार्टी की दलगत नीति से ऊपर उठने की बात कह दी । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कभी-कभी अहिंसा की आड़ में हिंसा होती है, पुण्य के पीछे पाप होता है । यह प्रस्ताव इस समय उपयुक्त नहीं था । अगर सरकार की कोई मशीनरी काम न करती, तो पांच छः महीने के बाद ऐसा प्रस्ताव लाने की बात समझ में आ सकती थी ।

मेरे पास होलसेल प्राइस इनडेक्स के जो आंकड़े हैं, उनके मुताबिक राइस का इनडेक्स नम्बर वीक एंडिड 29-12-1979 को 190.2 था और वीक एंडिड 1-3-1980 को 188.1 हो गया । इसी तरह व्हीट का इनडेक्स नम्बर 29-12-1979 को 178 था, जबकि 1-3-1980 को वह 170.9 हो गया । हां, मैं यह जरूर मानता हूं कि एडिबल आयल्ज का नम्बर 201.5 से बढ़ कर 216.2 हो गया ।

इन आंकड़ों से मालूम होता है कि वर्तमान सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं, जिनकी सराहना करनी चाहिए । 14 मार्च, 1980 को पूछे गये एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि 114 रेड्ज कर के 956,100 किलोग्राम शूगर और खंडसारी, 1,048,675 किलोग्राम राइस और 141,200 किलोग्राम ग्राम सीज किया गया ।

श्री निरेन घोष (दमदम) : छोटी सादरी कहां है ?

श्री मूलचन्द डागा : छोटी सादरी राजस्थान में है । उसका निर्णय हो चुका है ।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि दो महीनों में ब्लैक-मार्केटियर्ज और होर्डर्ज के यहां रेड्ज कर के ये चीजें रीकवर की गई और 164 लोगों को एरेस्ट किया गया ।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

सरकार ने इन दो महीनों में इतने माल को सीज कर के जाहिर कर दिया है कि वह ब्लैक-मार्केटिंग और होर्डिन्ग को खत्म करना चाहती है । उस पर भी आप उस बात की सराहना न करते हुए एक यह बात कहना चाहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया । यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं ।

मैं सरकार का ध्यान डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की ओर दिलाना चाहूंगा । राजस्थान में आज 2 करोड़ 40 लाख लोग अकाल से प्रभावित हैं । गांवों में लोग रहते हैं । मैं आज भी यह कहना चाहता हूं कि गांवों में समाज के आखिरी पंक्ति में रहने वाले लोगों के पास तक आप का डिस्ट्रिब्यूशन नहीं पहुंचता । जो अर्बन एरिया में, शहरों में रहने वाले लोग हैं जो आवाज करना जानते हैं, जो बोलते हैं आन्दोलन करते हैं उनके पास तो पहुंच जाता है लेकिन गांवों की जो मूक जनता है उसके पास पहुंचाने के साधन आप के पास क्या है ? मेरे यहां सारी सहकारी समितियां हैं, उन सब के यहां एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर है । आज हालत यह है कि कोई माल ले नहीं जाना चाहता । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका उत्तर देंगे, एक बोरी शक्कर की अगर कोई गांवों में ले जाना चाहता है तो आप ट्रांसपोर्टेशन का एक रुपया देना चाहते हैं । वह सप्लाई विभाग के आफिस में आता है तो वहां उस को कई दिन तक इंतजार करना पड़ता है । हमारी मशीनरी में अभी भ्रष्टाचार है, इसको मानना होगा । भयंकर करप्शन है और उस के कारण हमारे जो गरीब लोग हैं उन के पास तक जीवन की आवश्यक चीजें पहुंच नहीं पातीं हैं । मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह इस के लिए कोई न कोई ऐसी मशीनरी निकाले । कपड़ा आज उनको मिलता नहीं है ।

एक बात और हो रही है । राजस्थान में आज लोगों की क्रय शक्ति बिलकुल कमजोर हो गई है । अकाल के कारण उनको जो अनाज मिल रहा है वह तीन किलो या दो किलो भी नहीं मिल पाता और जब क्रय शक्ति नहीं है तो वे अपनी चल और अचल सम्पत्ति को बेच रहे हैं । वह बेचने के कारण और कुछ लोगों के पास माल बढ़ जायगा । सरकार की मशीनरी के अंदर कहीं कोई फला है । अगर हिन्दुस्तान में किसी ने इस राज्य-व्यवस्था का लाभ उठाया है तो तीन लोगों ने उठाया है--एक तो सरकारी मशीनरी नौकरशाही ने एक बड़े बड़े पूंजीपतियों ने और एक राजनेताओं ने । इन तीनों की गुटबन्दी ने देश को नुकसान पहुंचाया है और इसमें कोई शक नहीं कि जब तक यह गुटबन्दी नहीं तोड़ी जाती आम जनता को लाभ नहीं पहुंच सकता । ज्यों ही आप का प्राइस इंडेक्स बढ़ता है महंगाई बढ़ती है, सरकारी आदमी को महंगाई भत्ता मिल जाता है आर्गनाइज्ड लेबर को मिल जाता है लेकिन एग्रीकल्चरल लेबर का क्या होगा ? गरीब आदमी का क्या होगा ?

इसलिए मैं यह कहता हूं कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेज जो हैं उनको कर्टेल करने के लिए गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए । उस के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, गवर्नमेंट आज भी मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या कर रही है ? मेरा कहना है कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेज को रोका जाय, सीलिंग एक्ट को लागू किया जाय ताकि जिनके पास ज्यादा जमीन है जो जमीन को काम में नहीं लाते हैं, अनयूटिलाइज्ड जमीन जिन की रहती है उसको लेकर वितरित किया जा सके । उसके लिए क्या किया जा रहा है ? यह करना बहुत जरूरी है ।

एक माननीय सदस्य : श्री अप्पालायडु का नाम भी है ।

सभापति महोदय : मैं उन्हें कहूंगा । अब श्री चित्त बसु । सदस्य केवल 4-20 बजे तक बोलेंगे ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय हम अब भूल गये है कि कांग्रेस (आइ) ने चुनाव एक आकर्षक नारे पर जीते है । नारा यह है कि वे ऐसी सरकार चाहते है जो काम करे । अब पहला प्रश्न यह है कि वह सरकार 2-1/2 महीने पहले स्थापित हो गई है जो काम करती है । क्या वह सरकार जो काम करती है मूल्य स्तर को नीचे लाने के लिए काम कर रही है ? मैं समझता हूं कि आप इस बात से सहमत होंगे कि यह सरकार जहां तक मूल्यों को रोकने का प्रश्न है काम नहीं कर रही है । थोथे शब्द है और थोथे वायदे हैं और ये कभी भी पूरे नहीं किये जायेंगे । मूल्य वृध्दि के विरुद्ध लड़ने के प्रश्न के सम्बन्ध में यह सरकार केवल कागजी शेर ही सिद्ध हुई है । हाल ही में मूल्य वृद्धि हुई है । मैं भारत सरकार उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय से उद्धरित करता हूं । इसमें कहा गया है "23 फरवरी 1980 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान सभी वस्तुओं का सरकारी थोक मूल्य सूचकांक 230.8 रुपये था जबकि पिछले सप्ताह यह 228.2 रुपये था । एक सप्ताह की अवधि के दौरान ही मूल्य सूचकांक में .2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस स्तर पर पिछले सप्ताह तथा एक वर्ष पहले की तुलना में वृद्धि क्रमश: 1.1 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत थी । अत: जहां तक मूल्यवृद्धि का सम्बन्ध है यह नारा काम नहीं करता है जैसा कि स्वयं भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आंकड़ों से सिद्ध

[श्री चित्त बसु]

होता है। हमारे आर्थिक जीवन में यह मूल्य वृद्धि एक अबाध घटना रही है। मैं किसी सरकार विशेष को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूं। मैं इस मूल्य वृद्धि के लिए एक पद्धति विशेष को जो एक पुंजीवादी पद्धति हैं, एकाधिकार पुंजीवादी पद्धति है तथा सामन्तवादी पद्धति है जिम्मेदार ठहराता हूं। यदी निरंतर तथा अबाध मूल्यवृद्धि के लिए जिम्मेदार है।

मेरी आपत्ति यह है कि पिछली सरकारे भी; जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में बनी थी निरन्तर इस पद्धति का समर्थन करती रहीं। जनता सरकार भी पुंजीवाद, साम्राज्यवाद और सामंतवाद के मूल स्वरूप को बनाये रखते हुए इस नीति का समर्थन करती रही। यह सरकार भी उसी मूल ढांचे को भी बनाये रखी हुई है। अतः मूल्यो में और कमी होने की कोई आशा नहीं है बल्कि इनमें वृद्धि होगी। इसका परिणाम क्या रहा है। योजना आयोग द्वारा संकलित आकडों के अनुसार इन वर्षों के दौरान 400 रुपये प्रतिमाह से कम आय वाले औद्योगिक मजदूरों की वास्तविक आय में 1966-67 में 1/3 की कमी हुई है। 1975 में अर्थात् आपात स्थिति के दौरान औद्योगिक मजदूरों की आय में भी 1/3 की कमी हुई है। कृषि श्रमिको की वास्तविक वार्षिक आय 1961-62 में 282.5 रुपये थी। 1963-64 में यह घट कर 180 रुपये रह गई। 1975 में अर्थात् आपात स्थिति के दौरान अथवा आपात स्थिति के आरम्भ में औद्योगिक श्रमिकों तथा कृषि श्रमिकों दोनों की वास्तविक आय घट गई। सारांश में हाल के वर्षों में लाखों भारतीय मजदूरों, कृषि श्रमिकों और मध्यम वर्ग के लोगों की वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की कमी हुई है। मूल्यों में अचानक वृद्धि के कारण समाज के कमजोर वर्गों की आय में एक अकस्मात कमी आ गई है। इस लगातार मूल्य वृद्धि के कई कारण हैं। मैं प्रत्येक कारण पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। हाल के दिनो में मुद्रा सप्लाई में काफी वृद्धि हुई है, बैंक ऋण में और घाटे की वित्त व्यवस्था तथा बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था मे काफी वृद्धि हुई है। वास्तव में वित्तीय तथा मुद्रा सम्बन्धी नीति के कारण मूल्यों म निरंतर वृद्धि होती रही है। मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि जबतक इस नीति में संशोधन नहीं किया जाता है, जब तक नई नीति नहीं बनाई जाती है तबतक मूल्य वृद्धि को बिल्कुल रोका नहीं जा सकता है। यदि सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने मे वास्तव मे रुचि रखती है तो उन्हे सारे ढांचे में, जिससे मूल्य वृद्धि हो रही है संशोधन करना चाहिए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बार-बार कहा गया है। जब तक स्टाक पर वस्तुतः नियंत्रण नहीं होता है तब तक कारगर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नहीं हो सकती है। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में सारी कमी यह है कि यद्यपि वे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था चाहते हैं किन्तु स्टाक के अधिग्रहण अथवा स्टाक को वस्तुतः हाथ में लेने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः सार्वजनिक वितरण की केवल ऊपरी बात है। अतः मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिग्रहण और वितरण की एक कुशल व्यवस्था बने। इस संदर्भ में अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए। आज सरकार भी विभाजित है। वह काम करने वाली सरकार का दावा करती है। अखबारों के अनुसार वाणिज्य मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि अगर चीनी उद्योग ठीक काम नहीं करेगा तो उसे सरकार अपने हाथ में ले लेगी। फिर दूसरे दिन राव वीरेन्द्र सिंह नागपुर जाते हैं और घोषणा करते हैं कि सरकार का इस प्रकार का कदम उठाने का कोई इरादा नहीं है।... (व्यवधान) अतः जब तक सरकार कोई निश्चय नहीं कर लेती तब तक कोई काम होने वाला नहीं है।

अन्त में मैं आपसे निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करने का आग्रह करता हूं : अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करके उनका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण ; आवश्यक वस्तुओं के व्यापक वसूली कार्यक्रम से उनके भण्डार का वास्तविक नियंत्रण ; प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसके अन्तर्गत अधिकाधिक वस्तुएं लाई जाएं, कृषि उपज के लिए लाभप्रद मूल्य तथा वर्तमान मुद्रा और वित्तीय नीतियों में परिवर्तन ताकि कीमतें घटाई जा सकें।

***श्री एस० आर० ए० एस० अप्पाला नायडू** (अनकापल्ली) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

*तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हमारे दल के बहुत बड़े बहुमत से पुनः सत्ता में आने से उन गरीबों और पद दलितों की आकांक्षाएं पुनर्जीवित हो गई हैं जो इस शानदार विजय के लिए उत्तरदायी है।

उन्हें इस सरकार से काफी आशाएं हैं। बढ़ती हुई कीमतों को रोकने और उन गरीब लोगों को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुएं देने के लिए सरकार ने कार्यवाही आरम्भ कर दी है। कमजोर वर्गों और कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने के लिए आवश्यक और प्रभावी उपाय किए जा रहे है। पर मुझे इस बात का सन्देह है कि व्यापारी वर्ग इस सम्बन्ध में सरकार के साथ किस सीमा तक सहयोग करेगा। ये लोग धन कमाने के लिए गरीबों का हर प्रकार से शोषण कर रहे हैं और उपभोक्ता की पूर्णतः उपेक्षा कर रहे हैं।

आवश्यक वस्तुओं के प्रभावी वितरण में अनाज की कमी मुख्य बाधा है। यह कमी बनावटी है। यह कमी कुछ चंद लोगों द्वारा पैदा की गई है जो आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। केन्द्र में नई सरकार बनने पर भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष ने हमारी विजय का स्वागत किया और कहा कि वे अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना पूरा सहयोग देंगे। सारे ही व्यापार समुदाय ने एक स्वर में अपने वाणिज्य मंडल की भावना का समर्थन किया है। पर वास्तव में हो क्या रहा है? ये लोग आवश्यक वस्तुओं की बनावटी कमी पैदा कर रहे हैं। ये अभी भी कालाबाजारी और जमाखोरी कर रहे हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं।

बड़े उद्योगपति अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये गम्भीरता से नहीं सोच रहे हैं। वे हड़तालों का खतरा बता कर तालाबन्दी घोषित कर रहे हैं और वह बेईमान श्रमिक नेताओं के साथ मिल कर श्रमिकों के लिये समस्याएं उत्पन्न कर रहे है। वह अपने अबंध भंडारों को ऊंचे दामों पर बेच देते है। वह काफी लाभ कमा रहे है। उनके लिये यह बड़ा दिलचस्प खेल है। ऐसा लगभग सभी उद्योगों में किया जा रहा है। श्री के० एन० मोदी जो "फिक्की" के निर्वाचित अध्यक्ष हैं ने गैर-सरकारी क्षेत्र को कोयला खानें अलाट करने की मांग की है। सभापति महोदय इस समय विश्व जिस ऊर्जा संकट से गुजर रहा है हम उनके वास्तविक मन्तव्य को समझ सकते है। अतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन क्षेत्रों पर, जो समाज के अस्तित्व के लिये अत्यन्त आवश्यक है, गैर-सरकारी एकाधिकार की अनुमति न दी जाये। किन्तु हमारी प्रधान मंत्री स्थिति की गम्भीरता से परिचित है और वह इस समस्या को जानती है और उसके समाधान के लिये हर संभव प्रयत्न कर रही है।

व्यापारी वर्ग स्वयं को अनुशासित करने के अपने दायित्व में बुरी तरह असफल रहा है। अतः अब ऊपर से अनुशासन लागू किया जाना चाहिये। उद्योगपतियों ने राष्ट्र-पिता के उस आव्हान का मजाक उड़ाया है जिसमें उन्होंने उन्हें अपने आपको राष्ट्र की सम्पत्ति का न्यास मानने के लिये कहा था। वह जनता से बहुत दूर हो गये है। वह जो वातानुकूलित कक्षो में विलासपूर्ण रात्रि-भोजों और सुन्दर और कामुक सचिवों के बीच निर्णय लेते है। वे वास्तव में, वास्तविकताओं से दूर हो गये हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य समाज के शोषण को उचित ठहराना होता है। महोदय, भूख और गरीबी सीमाहीन है। उसका राजनीतिक वादों, रंगों अथवा सिद्धांतों से कोई तालुक नहीं होता। वह धर्म, जातियों, सम्प्रदायों में कोई भेद नहीं करती। महोदय, इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिये अधिक समय नहीं बचा है। अतः मैं सरकार के विचारार्थ निम्नलिखित कदमों का सुझाव देता हूं। मेरे सुझाव ये हैं :—

1. सभी आवश्यक उद्योगों के लिये एक 'लागत सेल' सहित एक पृथक सार्वजनिक वितरण विभाग की स्थापना, राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों पर निगरानी, बार बार बढ़ती घटती कीमतों का ध्यान रखना, नाजुक क्षेत्रों का पता लगाना तथा शीघ्र ही आवश्यक उपाय करना।

2. मैं यह अनुभव करता हूं कि बार-बार वेतन-वृद्धि देने से कल्याणकारी उपाय करना अधिक लाभदायक होगा। संगठित क्षेत्र को जीवन निर्वाह सूचकांक में वृद्धि नकद के रूप में न करके वस्तुएं स्वीकार करने के लिये मनाया जाना चाहिये। यदि उन्हें नकद भुगतान किया जाता है तो मुद्रा का परिचालन अधिक होगा और परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि होगी और गरीब तथा असंगठित क्षेत्रों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

3. आसूचना ब्यूरो के एक उप विभाग से रूप में एक वाणिज्यिक आसूचना विभाग स्थापित किया जाये। सभापति महोदय, अन्त में, मैं महान आन्ध्र कवि क्रान्तिकारी और सुधार का गुराजदा अप्पाराव को उद्धृत करता हूं :—

कैसे होगा देश खुशहाल
जनता जहाँ निर्बल हो, हतोत्साही हो।

[श्री एस० आर० ए० एस० अप्पाला नायडू]

राष्ट्र हित के लिए उत्पादन बढ़ाइये।
कुछ सीमा तक
स्वार्थ अपना छोड़िये।
ताकि दूसरों को उसका लाभ मिले।
देश मात्र मिट्टी या धूल कण नहीं,
वह जीते जागते मानव का
हिन्दुस्तान है।

*श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : सभापति महोदय, जिस प्रस्ताव में सदन में बहस हो रही है वह जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक है। मूल्यवृद्धि से उत्पन्न स्थिति न केवल निराशाजनक है, बल्कि शोचनीय भी है। मूल्य वृद्धि से आम आदमी को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। सत्तारूढ़ दल ने जो वायदे किये, वे आज सरासर खाली नजर आ रहे हैं। भारतीयों ने 1977 तथा 1979 में दिवाली मनाई थी किन्तु तब कहीं कतारे नहीं थी और न ही राशन कार्ड थे। अच्छे किस्म की आवश्यक वस्तुएं काफी मात्रा में उपलब्ध थी। चीनी, मिट्टी के तेल, खाद्य तेल की कीमतों पर न केवल नियंत्रण था बल्कि उनमें कमी आई थी। चीनी 2 रुपये किलो बिकती थी और खाद्य तेल 7.50 रुपये किलो। किन्तु वर्तमान शासन के दौरान मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है कि वह आसमान छू रही है। चीनी के मूल्य 2 रुपये से बढ़ कर 7 रुपये हो गया और खाद्य तेल का मूल्य 7.50 रुपये प्रति किलो से बढ़ कर 11.50 रुपये प्रति किलो हो गया है। इन 2-1/2 महीनों में गरीबों की जेब बढ़ते हुए मूल्यों से खाली हो गयी है। शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जनता बड़ी क्षुब्ध है। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार सूखी घास के ढेर पर बैठी है। उन्हें यह समझना चाहिये कि यदि उस ढेर में आग की चिनगारी आ गिरे तो क्या होगा। यह तर्क दिया जाता है कि राज्य सरकारें सहयोग नहीं कर रही हैं। 18 फरवरी को 9 राज्य सरकारों को भंग कर दिया गया। किन्तु आप हमें बतायें कि इसके परिणामस्वरूप स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। कोई परिवर्तन नहीं आया है। स्थिति और खराब हो गई है। बम्बई में सत्याग्रह और धरना दिये गय हैं। वर्तमान सरकार के पुलिस अधिकारियों ने स्थिति पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण नहीं किया है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई है। यह कहना ही काफी नहीं है कि वितरण प्रणाली उचित है। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिये प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार को ठोस कदम उठाये जाने चाहिये। जो प्रस्तावित उपाय जून में प्रस्तुत होने वाले बजट में शामिल किये जाने चाहिये। जब तक स्थिति में सुधार नहीं होता, कुछ वस्तुओं का आयात किया जाना चाहिये। यह कहना काफी नहीं है कि हम कार्य कर रहे हैं बल्कि कार्य वास्तव में किया जाना चाहिये। सरकार को कार्यकुशल होना चाहिये। कुछ वस्तुओं का आयात रोक दिया जाना चाहिये। चीनी बड़े महंगे दामों पर बेची जा रही है। एक उचित वितरण प्रणाली भी होनी चाहिये। यह कहना ही काफी नहीं है कि जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। यदि आप जो कहते हैं वही कर के दिखाते हैं तो वहां बहादुरी का काम होगा। यद्यपि वितरण प्रणाली ठीक है किन्तु कभी कभी समुचित परिवहन प्रणाली नहीं होती है। अपेक्षित माल डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं। माल डिब्बों देने में बाधा डाली जाती है और रेल अधिकारी तथा व्यापारी दोनों मिल कर बाधा पहुंचाते हैं। और वे आम आदमी का शोषण करने का प्रयास करते हैं। रेल अधिकारी व्यापारियों के साथ साथ इसके लिये जिम्मेदार हैं। अगली बात, जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं कोई नई बात नहीं है। रिजर्व बैंक, जिसके पास अधिकार हैं, को बैंक ऋण सुविधाओं पर नियंत्रण रखना चाहिये। जहां तक वांचू समिति के प्रतिवेदन का प्रश्न है, उसके बारे में इतनी अधिक बातें कही गई है। किन्तु यह रिपोर्ट ताला पर रख दी गई है। इसे उपलब्ध कराया जाना चाहिये और इसमें की गई सिफारिशों के अनुसार काले धन पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाये जाने चाहिये।

अन्तिम बात बहुत ही साधारण है। आप के पास कार्य करने के साधन उपलब्ध हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 है। 1980 में इस सदन द्वारा एक अन्य अधिनियम पारित किया गया था। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रभावी ढंग से उन कानूनों को लागू करते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ परिवारों में गैस बहुत आवश्यक है। कई बार गैस दो दो महीने उपलब्ध नहीं होती। उन्हें राशन कार्डों पर मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता। जब गैस भी

*मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

न हों और न ही मिट्टी का तेल मिले तो ये परिवार भोजन कैसे पकायेंग ? जिनके पास गस है उन्हें मिट्टी का तेल भी उपलब्ध होना चाहिये ।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : सभापति महोदय, मूल्यवृद्धि जो जनता सरकार द्वारा पिछले वर्ष के बजट पेश करने के शीघ्र बाद ही आरम्भ हुई थी, अब भी अबाध गति से चल रही है । मार्च, 1978 से दिसम्बर, 1979 की अवधि में थोक मूल्यों का सूचकांक 21.6 प्रतिशत तक पहुंच गया है । कुछ आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवद्धि 100 से 200 प्रतिशत की हुई है । कालाबाजार फल फूल रहा है और उपभोक्ता राहत के लिये तड़फ रहे हैं । खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, खाना पकाने की गैस, चीनी, डीजल, डबल रोटी, चाय, साबुन तथा डिटरजेंट्स का मूल्य पिछले वर्ष से अधिक है । जैसा कि एक रिपोर्टर ने कहा है कि चाय के जिस कप को पीने से सुख प्राप्त होता था उससे दुःख ही होता है लेकिन इसका मतलब क्या है यह है कि आप चाय की कीमत के बारे में सोचना ही बन्द कर दें । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कप इतना छोटा हो गया है कि आप उसमें चाय का स्वाद ही चख सकते हैं, चाय पीने का संतोष नहीं प्राप्त कर सकते । यह हमें जनता-लोकदल सरकारों की विरासत मिली है, जिसके परिणाम आज हम भुगत रहे हैं ।

सरकारी क्षेत्र की उपेक्षा, जिसके कारण उसका आधारभूत ढांचा लगभग चरमरा गया है, गलत औद्योगिक नीति राज्य की अर्थ-व्यवस्था तथा वित्त की अव्यवस्था ही वर्तमान बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति के लिये जिम्मेदार हैं ।

इस समस्या के लिये उनकी वित्तीय नीति विशेष रूप से जिम्मेदार है । पिछले वर्ष उन्होंने बजट में 1,382 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था की किन्तु संशोधित बजट प्राक्कलनों में 2,700 करोड़ रुपये का घाटा हुआ । यदि यह घाटा 3,000 करोड़ रुपये की बड़ी राशि तक पहुच जाता है तो उस पर किसी को आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है । यह घाटे की अर्थव्यवस्था दूसरी या तीसरी या पांचवी पंच-वर्षीय योजना से कहीं अधिक है । पांचवीं योजना के पहले तीन वर्षों में यह राशि केवल 754 करोड़ रुपये थी । इससे मुद्रा-स्फीति की सम्भावना बहुत ही बढ़ गई है ।

कल ही वित्त मन्त्री ने हमें बताया था कि अगस्त, 1978 तथा फरवरी, 1980 के 6 महीनों के अन्दर मुद्रा सप्लाई में लगभग 1,147 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । पिछले वर्ष इसी अवधि में मुद्रा सप्लाई 2,064 करोड़ रुपये थी । इस अत्यधिक वृद्धि की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई में ह्रास हुआ है । कुल राष्ट्रीय आय में 1 से 2 प्रतिशत की रिकार्ड कमी होने की संभावना है । कृषि उत्पादन में 6 प्रतिशत कमी होने की संभावना है और औद्योगिक उत्पादन में भी पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कमी आने की संभावना है । अतः बढ़ती हुई मुद्रा सप्लाई और घटते हुए उत्पादन के कारण ही आज मुद्रास्फीति में असाधारण वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है ।

• इसके अतिरिक्त कच्चे तेल की निरन्तर बढ़ती हुई कीमतें हैं जिसके कारण पिछले 7 अथवा 8 वर्षों में हमारी अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ी है । इस प्रकार हम बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति का आयात कर रहे हैं और यदि इसके लिये कोई उपचार नहीं किया जाता अर्थात् अगर देश में उत्पादन में वृद्धि नहीं की जाती अथवा पैट्रोलियम का कोई विकल्प नहीं ढूंढा जाता अथवा हमारे आयात में कमी नहीं की जाती तो हमारे भुगतान सन्तुलन में बड़ा अंतर आ जायेगा ।

प्रो० मधु दंडवते : हमें मुद्रास्फीति का निर्यात करना पड़ेगा ।

श्री वाई० एस० महाजन : हम अब मुद्रास्फीति का आयात कर रहे हैं । अर्थ-व्यवस्था की स्थिति अस्तव्यस्त और हमें तेज रफ्तार से बढ़ती मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है, यह मुद्रास्फीति जनता -लोक दल सरकार का कार्य है ।

समस्या के समाधान के सम्बन्ध में मैं अपने सुझाव संक्षेप में रखूंगा । इसके लिये व्यापक उपाय करने होंगे ये उपाय अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक होने चाहिये । सरकार को जमाखोरों और कालाबाजारियों के साथ निपटने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करके ठोस कार्यवाही करनी चाहिये ताकि वह बढ़ते मूल्यों पर नियन्त्रण रख सके, क्योंकि इसके कारण ही विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है । जब तक ऐसा नहीं किया जाता, इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कुछ होने वाला नहीं है ।

मुद्रा सप्लायी तथा ऋण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है । कुछ माननीय सदस्यों ने रिजर्व बैंक की प्रतिबंधात्मक ऋण नीति का जिक्र किया है । हमें प्रतिबंधात्मक ऋण नीति को जारी रखना है । चालू वर्ष में वाणिज्यिक क्षेत्र को दिया गया ऋण, उतना ही है जितना पिछले वर्ष दिया गया था । यह गलत नीति है क्योंकि इस वर्ष राष्ट्रीय उत्पादन कम

[श्री वाई० एस० महाजन]

हो गया है। आप उतनी ही मुद्रा का परिचालन करेंगे जितना कि पिछले वर्ष किया था। अतः वर्तमान नीति प्रतिबंधात्मक नीति नहीं है। रिजर्व बैंक को इस मामले में कुछ अधिक सावधानी से नियोजित नीति लागू करनी चाहिये।

जहां तक घाटे के बजट का सम्बन्ध है, उसे जितना भी सम्भव हो, उतना कम किया जाना चाहिये। 1974 में हमने जो कठोर कदम उठाये थे, उसके फलस्वरूप 1975-76 में हम बचत का बजट लाने में सफल हुये और यही एक मुख्य कारण था जिससे 1975-76 के दौरान मूल्य स्तर नीचे लाया जा सका। पिछले वर्ष का घाटे का बजट 3,000 करोड़ रुपये का होगा। मुझे आशा है कि इस वर्ष घाटा विभिन्न उपायों द्वारा कम किया जायेगा। इसके साथ एक कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी होनी चाहिये।

अंत में, मैं कहूंगा कि मुद्रास्फीति एक प्रतिगामी कराधान है जो गरीब को अधिक गरीब और अमीर को अधिक अमीर बनाता है। इससे आर्थिक गणना करने में कठिनाईयां पैदा होती हैं और इससे युक्तिसंगत आयोजन भी असम्भव हो जाता है। शुरू में तो बढ़ती मुद्रास्फीति से लोग खुश होंगे क्योंकि हर व्यक्ति की जेब में अधिक पैसा होगा। लेकिन बढ़ती मुद्रास्फीति से अर्थ-व्यवस्था बिगड़ जाती है और इससे गम्भीर राजनैतिक परिणाम निकलते हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति ही जर्मनी में वेमर प्रजातंत्र के पतन तथा नाज़ीवाद के उदय की मुख्य कारण थी।

1974 में मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण विरोधी दलों को आन्दोलन आयोजित करने का अवसर मिला जिसके फलस्वरूप जनता पार्टी सत्ता में आयी। चुनाव के समय कर अपवचकों, कालेबाज़ारियों तथा जमाखोरों, जिन्हें इस नीति से बहुत नुकसान हुआ, ने जनता पार्टी को धन दिया और कांग्रेस को हराने के लिये सहायता प्रदान की। मैंने स्थिति से यही अर्थ लगाया है। अतः हमें मुद्रास्फीति के बारे में सावधान रहना चाहिये और बढ़ते मूल्यों को रोकने के लिये अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक कदम उठाने चाहिये।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना है और अनेक सुझाव देने के लिये मैं उनका आभारी हूं। मैं प्रो० मधु दंडवते के इस सुझाव से सहमत हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर चलायी विचारधाराओं को एक ओर करते हुये, हमें मिलकर विचारविमर्श करना चाहिये क्योंकि इससे हम सब प्रभावित हैं और हमें एक ऐसी नीति बनानी चाहिये जिसके द्वारा हम संकट पर काबू पा सकें।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, सरकार की ओर से सभा के अंदर या बाहर किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि यह हमारे नियंत्रण में है। हमने स्वयं माना है कि स्थिति खराब है। समस्या यह है कि स्थिति का समाधान कैसे किया जाये और छोटी तथा लम्बी दोनों अवधियों में हम क्या कर सकते हैं।

जहां तक लघुकालीन व्यवस्था का सम्बन्ध है, हमने प्रश्नों तथा अन्य प्रस्तावों द्वारा विस्तारपूर्वक विचार कर लिया है। इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है। लेकिन जब हम चार पांच साल की अवधि की स्थिति को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि मूल्य सरकार की नीतियों तथा निर्णयों के अनुसार उठते तथा गिरते आये हैं।

श्री ज्योतिर्मय वसु कुछ आंकड़े दे रहे थे और उनकी इस बात से सहमत हूं कि जनता शासन के पहले दो वर्षों के दौरान, 1977 तथा 1978 में मूल्यों में कुछ स्थिरता आयी लेकिन श्री चरणसिंह द्वारा बजट प्रस्तुत करने के बाद क्या हुआ जब 1,381 करोड़ रुपये का घाटा था और उन्होंने लगभग सभी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाया। यह बात दिलचस्प है कि उस समय मूल्य कैसे थे। मैं कुछ आंकड़े देता हूं जिससे पता लगेगा कि इस राजकोषीय निर्णय से मूल्य कैसे बढ़े, जो 1977-78 के दौरान भी जनता शासनकाल में स्थिर थे।

श्री मधु दंडवते : "भी" क्यों ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं उस बात पर आ रहा हूं। इतने उतावले न बनें। फरवरी, 1979 में मूल्य सूचकांक 184.7 था। मार्च में बजट पेश होने के तुरंत बाद सूचकांक बढ़कर 189.1 हो गया ; अप्रैल में बढ़कर 195.5 हो गया ; मई में 198.5 हुआ ; जून में 202.4 हुआ ; जुलाई में 211.7 हुआ और अगस्त में 218.5 हुआ। बजट पेश होने के बाद 5 महीनों के अंदर मूल्य हर महीने बढ़ते गये और इसमें कोई संदेह नहीं कि बजट में अपनायी गयी राजकोषीय नीतियां मूल्य वृद्धि के लिये मुख्य कारण थीं। मेरे प्रिय मित्र

प्रो० मधु दंडवते ने भी रेलवे भाड़े में 5 से 10 प्रतिशत वृद्धि करके मूल्य वृद्धि में अपना योगदान दिया है। आज हम इस प्रकार की स्थिति का सामना कर रहे हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि कांग्रेस शासन के दौरान मूल्यों को नियंत्रित करना सम्भव था। मैं श्री वसु की इस बात से सहमत हूं कि 1974 में 34 प्रतिशत मुद्रास्फीति थी जो उस समय तक क्या रिकार्ड था लेकिन आंकड़े देते हुये वे यह बताना भूल गये कि 1975 में हमने इसे कम किया था और 1976 में इसे नगण्य स्तर पर लाये। 1976-77 से फिर मूल्य में वृद्धि होनी शुरू हुई। श्री वसु को इस बात की पूरी जानकारी है कि पहली सरकार ने 1976 तथा 1977 के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में वसूली की। उस समय दो करोड़ टन का सुरक्षित भंडार बनाया गया। श्री दंडवते ने कहा है कि जब राष्ट्रीय आय 4.1 से 4.2 प्रतिशत और मुद्रा सप्लायी 17.5 से 17.7 प्रतिशत हो तो इसका प्रभाव मूल्यों पर अवश्य पड़ेगा।

जैसे कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा, कच्चे तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों का आयात भी मुद्रास्फीति के लिये जिम्मेवार है। श्री दंडवते तथा श्री वसु जैसे वरिष्ठ सदस्य इस बात को मानेंगे कि हमें न केवल स्थिति का सामना करना पड़ा बल्कि अन्न, ईंधन और उर्वरक के आयात पर 80 प्रतिशत विदेशी मुद्रा भी व्यय करनी पड़ी जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति पैदा हुई। कुल आयात में से 50 प्रतिशत आयात पैट्रोलियम का था जिस पर दो तिहाई मुद्रा समाप्त हुई। किसी सरकार के लिये ऐसी व्यवस्था करना सम्भव नहीं जिससे बाहरी स्थिति का कोई प्रभाव न पड़े।

वर्तमान स्थिति के क्या कारण हैं, मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बाद में यह भी बताऊंगा कि इसके लिये क्या कदम उठाये गये। हमें देखना है कि हमें इस समय क्या करना है आने वाले समय में क्या करना है। जहां तक अल्पकालिक नीति का सम्बन्ध है, इसके बारे में किसी ने यह पूछा है कि हम बार बार जन वितरण प्रणाली पर क्यों बल दे रहे हैं। इसका कारण यही है कि स्थिति का सामना करने का यही तरीका है। श्री वसु ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के बजट भाषण का हवाला भी दिया। वहां भी इसी प्रकार का बल दिया जाता है यद्यपि यहां अथवा वहां की वस्तुओं में कुछ फर्क हो सकता। अतः हमें जन वितरण प्रणाली में सुधार करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि समाज के अधिकांश भाग को अनिवार्य वस्तुएं प्रस्तुत दुकानों द्वारा उचित दरों पर अवश्य मिलें।

यहां भी सप्लायी तथा वितरण का प्रश्न पैदा होता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : और राज सहायता।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह बात नहीं कि हम राज सहायता नहीं दे रहे। सीमेंट जैसी वस्तुओं पर हम राज सहायता दे रहे हैं। श्री वसु जानते हैं कि सीमेंट का लागत मूल्य क्या है और हम उपभोक्ताओं को किस कीमत पर दे रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसे कौन ले रहा है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : चीनी की बात लीजिये। इस का वितरण खाद्य निगम द्वारा किया जाना था। कुछ राज्य सरकारों ने अपने प्रबन्ध कर रखे हैं। लेकिन ये राज्य वहीं हैं जहां चीनी के कारखाने हैं और चीनी का उत्पादन करते हैं। उनके अपने प्रबंध हैं। जिन क्षेत्रों में चीनी का उत्पादन नहीं होता वहां की वितरण व्यवस्था का काम भारतीय खाद्य निगम पर छोड़ दिया गया है। जब चीनी की दोहरी मूल्य प्रणाली को त्यागा गया, तो उन्होंने अपनी कार्य मशीनरी को बंद कर दिया और उसे 17 अथवा 18 दिसम्बर, 1979 को द्वारा लागू किया। मैं माननीय सदस्य को आपके द्वारा कह सकता हूं कि इसमें सुधार कैसे हुआ। वास्तव में जनवरी तथा फरवरी के महीनों में हम निश्चित मात्रा में राज्यों को चीनी नहीं भेज सके और इस प्रकार की शिकायतें हम सम्बन्धित प्रभावित राज्य हर नागरिक पूर्ति मंत्री से प्राप्त करते रहे। लेकिन मार्च के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि सुधार काफी हुआ है लेकिन कुछ सीमा तक अवश्य हुआ है और मैंने विभिन्न राज्यों को नागरिक पूर्ति मंत्रियों से पता किया है कि सप्लायी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। प्रति दिन 6 से 7 हजार टन चीनी उपभोक्ता राज्यों को भेजी जाती है। जहां तक खाद्य तेल का संबंध है, प्रति दिन एक हजार टन खाद्य तेल का आयात किया जाता है। जब इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो बुनियादी ढांचा बनाने में अवश्य कुछ समय लगता है। इस सम्बन्ध में, मैं एक उदाहरण देता हूं। जब हमने खाद्य तेल का आयात किया विशेषकर ताड़ तथा तोरिये का तेल और आर० डी० डी० तेल का आयात किया तो राज्य सरकारों को यह देखने के लिये कुछ प्रयास करने पड़े कि उपभोक्ता इन वस्तुओं का उपयोग करने की आदत डालें। इसके लिये कुछ समय का लगना स्वाभाविक ही था। पश्चिम बंगाल का ही मामला लीजिये। वहां की सरकार न लोगों को इन तेलों के उपयोग के बारे में तसल्ली दिलाने के लिये काफी प्रयत्न

[श्री प्रणव मुखर्जी]

किये। जब लोगों को तसल्ली होती है और मांग आती है तो हम सप्लायी कर सकते हैं। इसमें कुछ समय लगता है। बीच की अवधि में जब बदले की वस्तु को लोग शीघ्र स्वीकार नहीं करते तो अंतर रहता है क्योंकि प्रश्न मांग और सप्लायी का है। हम मांग और सप्लायी के अंतर को आयात द्वारा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में सुझाव दिया गया है और विशेषकर एक वस्तु के बारे में हम बिलकुल स्पष्ट कर चुके हैं। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है जिसके बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा है कि चालू वर्ष में चीनी के निर्यात की कोई योजना नहीं है। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि भारत चीनी निर्यात करने वाला देश है और अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संस्था की ठेकेदार पार्टी के नाते माल सप्लायी सम्बन्धी कुछ वायदे भी है और हम यह ध्यान रखने की कोशीश कर रहे हैं कि हम अपने वायदों को किस सीमा तक पूरा कर सकते है और क्या इसका कोई समाधान है। लेकिन जहां तक वास्तविक निर्यात का सम्बन्ध है हमें अपने वायदे पूरा करने के लिये बहुत कम मात्रा का निर्यात करना है।

एक माननीय सदस्य : कितनी मात्रा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : 25,000 टन। जहां तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सम्बन्ध है हमें इतनी मात्रा का वचन पूरा करना है। लेकिन साधारणतः हम 6 से 8 हजार टन का निर्यात करते हैं। हमने उतना निर्यात नहीं किया। राज्य व्यापार निगम ने मंडी में प्रवेश नहीं किया। इस प्रकार के समाचार न जाने क्यों आ रहे हैं और लोगों के बीच यह आंतक पैदा कर रहे हैं कि चीनी का निर्यात हो रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चीनी ही नहीं बल्कि प्याज, मीट और हर वस्तु। आपकी "एक्सपोर्ट और पेरिश" नीति एक खतरनाक फार्मुला है जो अमीर राष्ट्रों ने आपको दिया है और जो हमें बर्बाद कर रहा है। इसे तुरंत बंद करना चाहिये।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक 'निर्यात कीजिये अन्यथा आपका आस्तित्व समाप्त हो जायेगा' के फार्मूले का संबंध है मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हम इस स्थिति में हैं कि हम इसका कड़ाई से अनुसरण नहीं कर रहे हैं। किसी विशेष समय पर हमें अपने कच्चे पदार्थों तथा अपने खाद्यान्नों का निर्यात कुछ आवश्यक आयात मदों को प्राप्त करने के लिये केवल विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के लिये ही करना पड़ा था। प्याज के मामले को ही लीजिये। यह बात सच है कि चुनावों के समय तथा चुनावों से पहले भी प्याज के मूल्य बढ़ गये थे। वह एक मामला बन गया था।

श्री निरेन घोष (दमदम): खाद्यान्नों के मूल्य भी बहुत बढ़ रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं एक विशेष मामले का उदाहरण दे रहा था। प्रतिदिन मुझे प्याज की खेती करने वाले नासिक, पुणे जिले तथा महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों से अभ्यावेदन मिला करते थे और इसके पश्चात् मैंने विभिन्न नागरिक पूर्ति निगमों से यह पता लगाने के लिये सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया था कि क्या वे प्याज को खरीदने की स्थिति में हैं ताकि इसकी खेती करने वालों को इसे बहुत कम मूल्यों पर बेचने के लिये विवश न होना पड़े। उनके पास तंत्र नहीं है, उनके पास पर्याप्त भंडारन सुविधा अथवा परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है और यदि आप सीमित मात्रा में इसका निर्यात करने की अनुमति नहीं देंगे तो इसका वास्तविक शिकार तो प्याज के खेती करने वालों को ही होना पड़ेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : केवल फालतू प्याज का निर्यात ही किया जाना चाहिये।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित कर सकता हूं कि आरम्भ में मैं इसका निर्यात किये जाने के विरुद्ध था और मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि हमें बाजार की स्थिति पर निगरानी रखनी चाहिये और प्रारम्भिक चरण पर हमने जिस मात्रा के निर्यात किये जाने की अनुमति दी है, वह 25,000 टन....

श्री निरेन घोष : परिवहन सुविधा के उपलब्ध न होने का क्या कारण है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : क्योंकि माल डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं।

श्री निरेन घोष : परिवहन सुविधा नहीं है, अनाज नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है....

श्री प्रणव मुखर्जी : कुछ तो है। मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत नहीं हूं कि कुछ नहीं है। आवश्यकता और उपलब्धि के बीच अन्तर है। हमारा प्रयास उस अन्तर को दूर करने का होना चाहिये। वह दीर्घकालीन नीति है, जिसके द्वारा इस समस्या का एक मात्र उत्तर अपने उत्पादन को बढ़ाना और उपलब्धता की मात्रा को सुधारा जाना ही है। जब

तक हमारे पास अपनी मांग को पूरा करने के लिये अधिक उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक हमें इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ेगा कि एक ऐसे देश को, जिसके पास थोड़ा फालतू है, उस थोड़े को बेचने के लिये बाजार न मिले। समूची अर्थव्यवस्था सीमान्तक अर्थव्यवस्था ही है। यदि आपके पास थोड़ा फालतू है, तो आपको हमें बेचने के लिये बाजार की समस्या का सामना करना पड़ता है और यदि किसी वस्तु की थोड़ी कमी हो जाती है तो मूल्य तुरन्त बढ़ जाते हैं। यदि आप पूछें कि ऐसा क्यों होता है और हम इसका समाधान कैसे करेंगे, तो क्रांतिकारी समाधान मेरे पास नहीं है और मैं यह नहीं कह सकता कि रात भर में ही इस स्थिति में सुधार हो जायेगा।

मैं यह नहीं कहता कि स्थिति नियंत्रण में है। किन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि जब हम गत दो सप्ताहों के बीच तुलना करते हैं, तो कुछ संतोषप्रद प्रवृति दिखायी देती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लक्षण उत्साहवर्धक हैं। निःसंदेह कुछ मदों में थोड़ा मूल्य कम होने की प्रवृत्ति दिखायी दी है। उदाहरणार्थ श्री ज्योतिर्मय वसु ने गत दो महिनों में जो कुछ भी थोक मूल्य में 3 प्रतिशत की वृद्धि का उल्लेख किया है, गत दो महीनों में इसमें से 2 प्रतिशत वृद्धि में से 90 प्रतिशत वृद्धि चार मदों, अर्थात् चीनी खाण्डसारी, गुड़ और खाद्य तेलों में हुई। इन चार मदों ने 2 प्रतिशत वृद्धि के 90 प्रतिशत का योगदान किया है। अतः यह निश्चित है कि अन्य मदों के संबंध में लगभग स्थिरता रही है। अन्यथा यह वृद्धि 3 प्रतिशत से अधिक हुई होती। यदि थोक मूल्यों में 3 प्रतिशत वृद्धि में से 90 प्रतिशत वृद्धि इन चार मदों में हुई है, तो इसका तात्पर्य यह है कि अन्य मदों के मूल्यों में कम से कम वृद्धि होने की प्रवृत्ति रही है। यदि श्री दीनेन भट्टाचार्य को शब्द 'स्थिरता' के बारे में कोई आपत्ति है, तो मैं यह कह सकता हूं कि कम से कम वृद्धि की प्रवृत्ति तो नहीं है।

जहां तक वितरण का संबंध है, मैं पहले ही इस सभा तथा दूसरी सभा में कह चुका हूं कि हम एक स्थायी वितरण पद्धति को बनाना चाहेंगे। जब किसी वस्तु की कमी होती है तो केवल अस्थायी प्रबन्ध से उस कमी को दूर नहीं किया जा सकता। जहां कहीं भी सार्वजनिक वितरण पद्धति लागू होती है, उदाहरणार्थ जैसाकि पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे 4 अथवा 5 राज्यों में उचित तथा अच्छी प्रकार से विकसित सार्वजनिक वितरण पद्धति लागू है इससे हमारा काम आसान हो जाता है। यदि हम उन्हें सामान उपलब्ध कर सकें, तो उनके लिये इसे वितरित करना सम्भव है। किन्तु जब आप के पास सामान ही नहीं है, तो 6 लाख ग्रामों पर अर्थात् 6500 लाख लोगों पर खुदरा बिक्री के द्वारा इसे लागू करना आसान नहीं है। यदि आप खुदरा बिक्री के एक केन्द्र द्वारा 2000 से 4000 लोगों पर किसी भी तरह से इसे लागू करना चाहते हैं तो आप राज्य सरकारों को—जो भी नाम वितरण एजेंसी को वे देना चाहें तो आप उन्हें—ऐसा करने दीजिये। हम ने इस बारे में राज्य सरकारों से किसी भी उपलब्ध एजेंसी का उपयोग करने के लिये कहा है, चाहे वे एजेंसियां पंचायतें हों, सहकारी समितियां हों, अन्य पंजीकृत संगठन हों, उचित मूल्य की दुकानें हों अथवा सार्वजनिक वितरण की दुकानें हों। किन्तु कोई न कोई खुदरा बिक्री का केन्द्र प्रबन्ध होना चाहिये जिसके द्वारा हम कम से कम उपभोक्ताओं की आवश्यकता के एक अंश को सीमित रूप से वितरित कर सकें। वैसा प्रबन्ध किया जा रहा है। हम वैसा कर रहे हैं।

श्री चित्त वसु : प्रश्न यह है : कि सप्लाई कहां से होगी।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक सप्लाई का संबंध है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हम ने राज्यों के नागरिक पूर्ति तथा सहकारी मंत्रियों से विचार विमर्श किया है और हम कुछ वस्तुओं की सूची बनायी है। उन वस्तुओं के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं। यदि वे चाहें, तो मैं उनके बारे में पुनः बता सकता हूं। वे वस्तुयें हैं : खाद्य तेल, चीनी, स्टैंडर्ड कपड़ा, कापियां, माचिसें। कुछ राज्यों ने नहाने का साबुन भी शामिल किया है...

श्री ज्योतिर्मय वसु : दालों और अनाजों के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : 'अनाज' सदैव होते हैं। दालों के संबंध में कुछ राज्यों ने इसे शामिल किया है किन्तु सभी राज्यों ने। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल ने 'दालों' को भी शामिल किया है और उन्होंने इस के लिये अपना प्रबन्ध किया है। वह राज्य हमें इसके लिये प्रबन्ध करने के लिये नहीं कह रहे हैं। कुछ अन्य राज्यों ने भी कुछ अन्य मदों को शामिल किया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : सीमेंट को आप इस सूची में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं ? सीमेंट तो भोगविलास की वस्तु नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : सीमेंट को पहले ही शामिल किया हुआ है।

श्री प्रणव मुखर्जी : सीमेंट पहले ही शामिल है। सीमेंट, डीजल और मिट्टी का तेल भी इस सूची में पहले ही शामिल किये जा चुक हैं और इनके वितरण का काम जिन-जिन एजेंसियों को सौंपा हुआ है, प्रत्येक के बारे में सभी को पहले ही पता है....

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर (दुर्गापुर) : आप कहते हैं....

सभापति महोदय : श्री हाल्दर। कृपया बैठ जाइये।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : वह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार अपने प्रबन्ध के द्वारा दाले वितरित कर रही है। श्री मुखर्जी को यह कहना चाहिये कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस बारे में सराहनीय कार्य कर रही है।

सभापति महोदय : श्री हाल्दर, कृपया बैठ जाइये। इस तरह कार्य समाप्त नहीं होगी। मैं इस सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि हम सही मध्यान्ह पश्चात् 5 बजे दूसरे संकल्प पर विचार करने वाले हैं और यदि आप सभा में उठायी गयी सभी बातों का उत्तर चाहते ह, तो कृपया उन्हें अपन ढंग से बोलने दीजिये। यदि आप उनके भाषण में बाधा डालेंगे और प्रश्न पूछेंगे तो कठिन होगा। और शायद आप चाहेंगे कि वह कुछ वाक्यों में उत्तर दें।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक आवश्यक वस्तुओं का संबंध है, सभी माननीय सदस्य यह जानते हैं कि विभिन्न एजेंसियां मौजूद हैं किन्तु वस्तुतः आवंटन तथा वास्तविक रूप से उपलब्ध होने में अंतर है। वह बात मैं स्वयं भी स्वीकार कर रहा हूं....

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत भारी अन्तर है।

श्री प्रणब मुखर्जी : जो कुछ भी है, आप इसे 'बहुत भारी अन्तर' कह सकते हैं और मैं इसे 'अन्तर' कह सकता हूं....

श्री चन्द्रजीत यादव : श्री मुखर्जी, आपने बताया है कि चार या पांच राज्यों की अपनी वितरण एजेंसियां हैं और वे संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं, किन्तु अन्य राज्य इस बारे में पहल नहीं कर रहे हैं। क्या आप पहल करके एक स्थायी वितरण पद्धति को लागू करने के लिये राज्य सरकारों को आमंत्रण देंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं ने राज्य सरकारों के साथ बातचीत की है—यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं—कि उनसे खुदरा बिक्री को शुरू करने के लिये यथा सम्भव अधिक से अधिक खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने का प्रयास करना चाहिये। वे पंचायतों, सहकारी समितियों तथा अन्य पंजीकृत संगठनों की सहायता ले सकते हैं और जो भी एजेंसियां वे चाहे उनकी स्थापना वे कर सकती हैं और यथासम्भव अधिक से अधिक क्षेत्रों पर इन्हें लागू करने का प्रयास कर सकती हैं। किन्तु इसमें कुछ समय लगता है। प्रत्येक एजेंसी को किसी विशेष वस्तु के वितरण का काम सौंपा गया है। उदाहरणार्थ इंडियन आयल कार्पोरेशन मिट्टी के तेल तथा डीजल के सप्लाई का काम सौंपा गया है। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों तथा चीनी की सप्लाई की ओर ध्यान दिये हुए हैं और राज्य व्यापार निगम खाद्य तेलों की सप्लाई करने का प्रयास कर रहा है। यहां तक खाद्य तेल का संबंध है, अभी तक हमें कोई भी शिकायत नहीं मिली है। एक मात्र शिकायत यह है कि आवंटन की गयी मात्रा में इसे राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं किया गया है। हमने अब स्थिति को सुधार लिया है। रेल माल-डिब्बे माल को इधर उधर ला तथा ले जा रहे हैं और उपभोक्ता केन्द्रों पर माल को पहुंचाया जा रहा है।

जहां तक माचिसों तथा अन्य मदों का संबंध है, इसे खादी और ग्राम उद्योग के सुपुर्द किया हुआ है। किन्तु एक समस्या है। नहाने के साबुन निर्माता एसोसियेशन के साथ राज्य सरकारों द्वारा कुछ प्रबन्ध किये गये थे, जो ठीक तरह से चल नहीं सका। हम इसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनके साथ यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्य नागरिक पूर्ति निगम को सामान उपलब्ध कर दिया जाये। इसमें कुछ समय लग गया है, किन्तु इस में सुधार होना शुरू हो गया है। फिर भी मैं यह नहीं कहूंगा कि यह संतोषजनक है।

जहां तक सीमेंट का संबंध है, औद्योगिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत सीमेंट नियंत्रक स्वयं ही इस का ध्यान रखता है। जसाकि सदस्यों को ज्ञात है कि वह इसके लाने ले जाने के बारे में भी सुधार कर रहे हैं, किन्तु इस में भी गंभीर बाधायें हैं....

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसा क्यों है ? ऐसा इस कारण से है कि हम 32-½ वर्षों में राष्ट्रीय परिवहन नीति नहीं बना पाये हैं। आप को जो काम करना चाहिये था, वह आप करने में समर्थ नहीं हो पाये हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : श्री ज्योतिर्मय बसु 32-½ वर्षों में नीति के वारे में बार बार कह रहे हैं, किन्तु हम क्या कर सकते हैं? वे भी गत 32-½ वर्षों में सत्ता को रुची लाने का प्रयास कर रहे थे ; किन्तु अब तक वे सफल नहीं हो पाये हैं। कहीं कहीं वे सफल हुये हैं। हम ऐसी लोकतंत्र प्रणाली में कार्य कर रहे हैं जिसमें श्री बसु को यहां लोक सभा में भेजा गया है किन्तु कांग्रेस दल को मतदान द्वारा सत्तारूढ़ किया गया है, हालांकि तीन या चार राज्यों में श्री बसु का दल मतदान के द्वारा सत्तारूढ़ हुआ। मैं भविष्य में भी उनके अच्छे भाग्य की कामना करता हूं।

किन्तु इस प्रणाली के वारे में नहीं कहना चाहता जैसा कि मैंने स्वयं ही स्वीकार किया है कि इस जैसी प्रणाली में, जिस में हम कार्य कर रहे हैं, त्रुटियां हैं। कौन इस वात को नहीं जानता। वह यह सुझाव दे रहे थे कि कुछ चीनी मिलों द्वारा धोखे वाजी की जा रही है, कौन नहीं जानता कि वे धोखेबाजी कर रहे हैं ? हम इसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अच्छा वनिये और सभा को विश्वास में लाइये कि चीनी के एक किलोग्राम की कारखाना द्वारा शुल्कों से रहित प्रथम सही लागत क्या है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं आपको इस वारे में सूचित करूंगा। किन्तु मैं आप से सहमत हूं कि जिस लोकतंत्र प्रणाली में हम कार्य कर रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि उद्योग तो संकटग्रस्त हो जाते हैं, किन्तु उद्योगपति कभी भी संकटग्रस्त नहीं होते। इसीलिये यह स्थिति है।

अब प्रो० दंडवते काले धन के बारे में कह रहे थे। मैं सहमत हूं कि काला धन कमी की स्थिति में तबाही लाता है।

किन्तु इस के साथ साथ प्रो० दंडवते को यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिये कि उन्हें भी अवसर मिला था और एक वात उन्होंने यही की थी। उन्हें हमारे तथा उनके विरुद्ध शिकायतें हो सकती हैं जिन्होंने उन्हें कठिनाईयों आदि में डाला। किन्तु इसके साथ ही यह वात भी समान रूप से सच है कि जनता प्रशासन के गत तीन वर्षों के दौरान एक भी कर संबंधी छापा नहीं पड़ा. . .

एक माननीय सदस्य : 30 महीनों के दौरान।

श्री प्रणव मुखर्जी : उनके 30 महीनों के शासन में एक भी कर संबंधी छापा नहीं पड़ा, जैसा कि सभी करापवंचक एवं कर संबंधी धोखेवाज ईमानदार वन गये थे तथा वे कर संबंधी नियमों का पालन करने लगे थे। सभी तस्करों को रिहा कर दिया गया। यदि आप राजनीतिक नजरवंदियों को तुरंत रिहा कर दें, तो इस बात को मैं समझ सकता हूं। मैं यह भी स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि ऐसा तो हो सकता है 'काफेपोसा' के अन्तर्गत नजरवन्द किये गये सभी लोग तस्कर न हों, इस में एक या दो मामलों में गलती हो सकती है। किन्तु यह वात भी समान रूप से सच है कि उनमें से काफी संख्या में तस्कर थे और आप ने उन्हें तुरन्त रिहा कर दिया। उसका आपातकाल से कोई संबंध नहीं है। यह अधिनियम तो आपातकाल से वहुत पहले पारित किया गया था। आप ने तस्करों को रिहा कर दिया, आप ने कर संबंधी छापे मारने वन्द कर दिये, आप ने कर संबंधी धोखेवाजों तथा करापवंचकों के विरुद्ध मजवूत लागू करने वाले उपाय नहीं किये, किन्तु अब आप काले धन के विरुद्ध वोलते हैं। मैं नहीं जानता कि यह दोनों वातों एक साथ कैसे हो सकती हैं। मैं यह नहीं कहता कि केवल लागू करने वाले उपायों को अपना कर ही आप काले धन पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ साथ वित्तीय उपाय भी करने होंगे। किन्तु जो कुछ भी थोड़ा सा....

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप जो 30 वर्षों में नहीं कर सके, उसके लिये आप यह आशा कर सकते हैं कि वे केवल दो वर्षों में सफल हो जायेंगे ?... **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें तीस महीनों में करना चाहिये था। मेरी सीमित वात यह है। जो कुछ भी थोड़ा सा काम शुरू किया था, उसे भी समाप्त कर दिया गया। इस के अतिरिक्त मैंने कुछ और नहीं कहना है। मैं ने माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी कुछ वातों के बारे में कहने का प्रयास किया है। किन्तु एक बार फिर मैं यह दोहराना चाहता हूं कि मैं प्रो० मधु दंडवते के साथ सहमत हूं कि यह एक ऐसा मामला है कि जिसके बारे में अनिवार्य रूप

[श्री प्रणव मुखर्जी]

से हमें एक राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करनी चाहिये। और स्थिति एवं सार्वजनिक वितरण को सुधारने के लिये माननीय सदस्यों से, किसी भी सुझाव का स्वागत किया जायेगा, चाहे ये सुझाव प्रो० दंडवते, अथवा ज्योतिर्मय बसु, या किसी और से प्राप्त हों और उन पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय मंत्री महोदय ने इस तथ्य उल्लेख करके अच्छा काम किया है कि राज्यों को कोटा आबंटित करके भी सप्लाई नहीं की जा रही है। वह एक बहुत ही गंभीर बात है। अन्य बात यह है कि मिट्टी के तेल, सीमेंट आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं के कोटे कम किये जा रहे हैं। और कम की गयी मात्रा में भी वस्तुओं की सप्लाई नहीं की जा रही है। अतः आवश्यक बात यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम वस्तुओं को कम की मात्रा में राज्यों को सप्लाई तो की जाये।

सभापति महोदय : यह एक प्रश्न नहीं है। यह एक सुझाव है जिसका मंत्री महोदय ध्यान रखेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है....

सभापति महोदय : आप ने एक यह सुझाव दिया है और जिसे माननीय मंत्री ने नोट कर लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि वह यहां आश्वासन दे दें, तो उसका देश में लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इस सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हम समाज या मानवता के महिला वर्ग द्वारा इस सभा के समक्ष प्रस्तुत एक संकल्प पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमें उस संकल्प के प्रति भी बेहतर न्याय करने का प्रयास भी करना चाहिये। प्रो० मधु दंडवते।

प्रो० मधु दंडवते : सभापति महोदय, श्रीमान जी जब मैंने प्रस्ताव पर चर्चा का सूत्रपात किया था तो मैंने होश हवास में तथा जानबूझ कर इसका ध्यान रखा था कि मैं इसमें किसी प्रकार की राजनीति को न ले आऊं। मैंने इस चर्चा में पक्षपातपूर्ण रवैये को लाने का प्रयास इस आशा से नही किया कि बदल में वैसे रवैये को लौटाया जायेगा। किन्तु कुछ लोगों को तो जनता दल तथा जनता सरकार के लिये एक एलर्जी हो गयी है कि वे जनता दल और जनता सरकार को इसमें घसीटने का प्रयास करते है। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती है।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं केवल इतना ही कहूंगा। इस सभा के सदस्य के रूप में मैंने 1977-78, 1978-79 वर्षों में राष्ट्रीय आय, मूल्य स्थिरता, कृषि उत्पादन आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे है और सरकार की ओर से जो उत्तर लिखें गये है, उनसे इस बात की पुष्टि हो जाती है जो कि हम मूल्य स्थिरता के क्षेत्र, खाद्यान्नों के क्षेत्र, विदेशी मुद्रा रिसर्व को बनाने के क्षेत्र आदि के बारे में कहते रहे है। इन सभी बातों की पुष्टि हो गयी है। अतः मैं मुझे पृथक रूप से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका उत्तर सरकारी पक्ष की ओर से ही प्राप्त हो गया है। किन्तु मैं एक मामला उठाना चाहूंगा।

जहां तक सरकारी क्षेत्र का संबंध है, मैंने अपनी प्रारम्भिक टिप्पणियों में इस बात का उल्लेख नहीं किया था। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मैं चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही प्रभावशाली और ऊंचा स्थान प्राप्त करे। इसको और अधिक दक्षता प्राप्त करनी चाहिये। मैं सरकार से यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या हम सरकारी क्षेत्र के कार्यक्षेत्र में मुकाबले का तत्व नहीं ला सकते। किन्तु याद रखिये कि मैं सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं चाहता किन्तु मैं चाहता हूं कि मुकाबले के तत्व को स्वयं सरकारी क्षेत्र में शुरु किया जाये ताकि उस स्पर्धात्मक भावना से हमारे लिये सरकारी क्षेत्र की कार्य कुशलता को बढ़ाना सम्भव हो सकता है और यदि सरकारी क्षेत्र को और फालतू उत्पादन करने में समर्थ हो जाता है, तो उसी सरकारी क्षेत्र के विस्तार के लिये उस फालतू उत्पादन को उपयोग में लाया जा सकता है।

वास्तव में अधिशेष का समाज कल्याण गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। यह एक ठोस प्रस्ताव है जो मैं करना चाहूंगा।

महोदय, चीनी के बारे में काफी चर्चा हुई है। हमारे मित्र, श्री रेड्डी ने चीनी उद्योग के बारे में काफी कहा है...

एक माननीय सदस्य : चीनी रेड्डी—श्री राम गोपाल रेड्डी ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं 'स्वीट' रेड्डी का उल्लेख कर रहा हूं। भार्गव आयोग की नियुक्ति से पहले एक पुरानी गुण्डु राव समिति थी और गुण्डु राव समिति के निष्कर्षों के आधार पर, महोदय, मैंने पुराने रिकार्ड को यानी पांचवीं लोक सभा में अपने भाषण को देखा और उस समय भी मैंने सभा से यही बात कही थी कि 215 चीनी मिलों में से जो 1969-70 में काम कर रही थीं, 113 मिलों, 32 से 67 वर्ष पुरानी हैं। अतः आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब कुछ मिलें इतनी पुरानी हैं तो वे रुग्ण होंगी ही। आपने उनके रुग्ण होने की प्रत्याशा की थी। अतः इसके परिणामस्वरूप यदि चीनी का उत्पादन गिर गया है तो आप मजदूरों को दोषी नहीं कह सकते। इसके अन्य कारण हैं। संख्या 1-कुप्रबंध हुआ है। मशीनें बहुत पुरानी हो गयी थीं।

गन्ना उत्पादकों और चीनी मिल मालिकों के बीच विवाद लम्बित पड़े है। साथ ही कृषि-मौसम की दशा के अनुसार चीनी मिलों के लिए फिर से नियतन करने में असफलता रही है। अन्त में मैं इसे फिर से कहूंगा कि मैंने इसका उल्लेख किया है। चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का क्या होने जा रहा है? यदि आप इसका राष्ट्रीयकरण करना नहीं चाहते हैं तो हमें तथा चीनी मिल मालिकों को स्पष्ट कहिए ताकि उन्हें मालूम हो कि उनका हित कहां है। किन्तु यदि हम राष्ट्रीयकरण करते हैं तो इसे बिना विलम्ब के कीजिए ताकि ऐसा नहीं कि चीनी उद्योग किसी की भी सम्पत्ति न रह जाये अर्थात् यह न सार्वजनिक क्षेत्र में रहे और न निजी क्षेत्र में रहे।

एक और दूसरा पहलू है। कुछ मित्रों ने खाद्यान्न में राज्य व्यापार का उल्लेख किया है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब तक आप इसका उचित राष्ट्रीयकरण करते अथवा खाद्यान्नों में राज्य व्यापार नहीं करते है विशेषरूप से थोक व्यापार को राज्य अपने हाथ में नहीं ले लेता है तथा सुरक्षित भंडार नहीं बनाये जाते है और यदि हम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न दे सकते हैं तो केवल तभी हम खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं की सप्लाई कर पायेंगे। अतः हमें एक विशेष कमी को दूर करना है जो इस व्यवस्था में है।

विपणन के योग्य जो अधिशेष है तथा विपणन किये गये अधिशेष के बीच एक आवश्यक भेद है। आज वे इस कमी का लाभ उठा रहे है। जो महत्वपूर्ण है, वह है विपणन के योग्य अधिशेष। खरीद में विपणन योग्य अधिशेष नहीं आ रहा है। जो आ रहा है वह केवल विपणन किया गया अधिशेष है। अतः इस विशेष कमी को भी दूर किया जाना चाहिए। किंतु इसका अर्थ कतिपय कुछेक लाबी को अप्रसन्न करना है। जब तक आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है तब तक मैं नहीं समझता कि हम सफल हो सकेंगे।

महोदय, गैर-उत्पादक व्यय में वृद्धि हो रही है। उसमें भी कमी करनी होगी। जहां तक निवारक निरोध अधिनियम का सम्बन्ध है, मैं रिकार्ड से कहना चाहता हूं कि यदि हमने इसका विरोध किया था तो इसका कारण यह नहीं था कि हमारा तस्करों के प्रति प्रेम था। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारा तस्करों के प्रति कोई प्रेम नहीं था। हमारा पिछला अनुभव, पांचवीं लोक सभा का यह था कि इसी सभा में मैंने गृहमंत्री से तथा तत्कालीन प्रधान मंत्री, इंदिरा गांधी से आश्वासन लिया था कि 'मीसा' राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। किन्तु जब आपात स्थिति की घोषणा की गई तो जयप्रकाश जी से लेकर मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता 'मीसा' के शिकार हुए। यदि हमने इसका विरोध किया था तो इसी कारण से इसका विरोध किया था।

मेरा अभिप्राय यह है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम है। उस स्थिति में हमें सारी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें। आपको हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। यदि हम सभी कमियों को दूर कर पायेंगे तो आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रभावी ढंग से उपयोग हो सकता है और समस्या का समाधान हो सकता है।

महोदय, प्रो० महाजन ने एक बहुत अच्छा तथा महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि हमने मुद्रास्फीति का भी आयात किया है। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। मैं इस बात से इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यदि आयातित मुद्रास्फीति का निर्यात किया जाना है तो उस स्थिति में मेरे पास ठोस सुझाव है। मैं उन्हें दोहराऊंगा--मैंने आरम्भ में सरकारी तौर पर कहा था कि इसी सभा में पैट्रोलियम मंत्री ने पहले ही पुष्टि की थी कि यद्यपि गत वर्ष कच्चे तेल जिसका आयात किया गया था, की लागत 4,000 करोड़ रुपये थी, किन्तु 1980-81 में इसका खर्च 5,000 करोड़ रुपये तक बढ़ने की सम्भावना है। मैं वे आंकड़े दे रहा हूं जिनका उल्लेख किया है। यदि ऐसा होने जा रहा है तो मैं इस

[प्रो० मधु दण्डवते]

बात पर जोर देना चाहता हूं कि आप को उद्योग को बताना है कि उनके कुछ उत्पादों का निर्यात किया जाना चाहिए और उन्हें कतिपय औद्योगिक उत्पादों का अधिकतम निर्यात करना चाहिए। हमें कुछ विदेशी मुद्रा जमा करनी चाहिए जिससे आयातित मुद्रा-स्फीति को प्रतिसंतुलित किया जा सके। मुझे विश्वास है कि इस मुद्दे की पहले ही जांच की जा रही है। मैं समझता हूं कि पैट्रोलियम मंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया है कि वे पहले ही इस विशेष मुद्दे पर विचार कर रहे है। मुझे विश्वास है कि यह सतर्कता बरती जाती है तो उस स्थिति में इस विशेष कमी को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। मैं इसी नोट से इसे समाप्त करना चाहता हूं। जो संकल्प अथवा प्रस्ताव मैंने पेश किया है उसमें किसी की भी निंदा नहीं की गई है। प्रस्ताव में केवल यही कहा गया है :

"कि यह सभा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करती है और सिफारिश करती है कि कीमतें कम करने के लिए तुरंत कदम उठाये जायें।"

मैं नहीं समझता कि इस सभा का कोई भी वर्ग सरकार से यह सिफारिश करने के विरुद्ध है कि वह ऐसे ठोस उपाय करें जिससे मूल्यों में गिरावट आये। अतः यह एक ऐसा संकल्प और प्रस्ताव हो सकता है जिस पर सबकी एक सम्मति हो सकती है तथा कोई भी मत-भेद नहीं हो सकता है।

अतः मैं सभा से सिफारिश करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं केवल आधा मिनट चाहता हूं। मैंने यह स्पष्ट किया था। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय हमें बताएं कि क्या करोड़ पति तथा नमक और कोयला में गोल-माल करने वाले गिरफ्तार किये गये है। मंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। यदि हां, कितने अधिकारी गिरफ्तार किये गये और क्या वे अधिकारी और व्यापारी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उन्हें रिहा किया गया है, या नहीं। इससे अधिक कुछ नहीं।

श्री प्रणब मुखर्जी : वह सूचना एकत्रित की जानी है।

सभापति महोदय : अब स्थिति क्या होने जा रही है ?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि इस प्रस्ताव को पास किया जाए।

सभापति महोदय : अब मैं प्रो० दण्डवते द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखुंगा। प्रश्न यह है...

प्रो० मधु दंडवते : प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखने से पहले मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। क्या प्रस्ताव में कोई ऐसी बात है जो किसी को भी मान्य न हो ? यदि नहीं, तो इसे स्वीकार किया जाये।

श्री प्रणब मुखर्जी : आपने पहले ही अपना सुझाव दे दिया है और मैंने आपसे निवेदन किया है कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें क्योंकि हम आपकी सिफारिश पर विचार कर रहे है।

सभापति महोदय : अब मैं प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और सिफारिश करती है कि कीमतें कम करने के लिए तुरंत कदम उठाये जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु, क्या आप भी अपने प्रस्ताव के लिए जोर देंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हां, मैं अपने प्रस्ताव के लिए जोर देता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अनेक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि और उनकी बड़े पैमाने पर हो रही कालाबाजारी पर गहरी चिन्ता तथा क्षोभ व्यक्त करती है और सिफारिश करती है कि अब से तीन मास के भीतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जाल बिछाया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

महिलाओं पर बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव

सभापति महोदय : अब सभा श्रीमती गीता मुखर्जी के प्रस्ताव पर विचार करेगी ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (बंसकुरा) : सभापति महोदय, मैं भारी दिल से किन्तु कुछ आशा से अपने निम्नलिखित प्रस्ताव को पेश करती हूं :

> "कि यह सभा देश के विभिन्न भागों म महिलाओं पर, विशेषकर नीहित स्वार्थ वाले लोगों के किराये के समाज-विरोधी तत्वों और कभी-कभी पुलिस द्वारा भी, बलात्कार की आतंकपूर्ण घटनाओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह इन्हें रोकने के लिये कारगर कदम उठाये ।"

महोदय, मैं सभा के माननीय सदस्यों से इसका समर्थन करने की अपील करती हूं । मुझे विश्वास है कि वे ऐसा करेंगे और महिलाओं, समस्त समाज तथा समस्त मानवता के विरुद्ध इस जघन्य अपराध को रोकने के लिए राष्ट्र के अन्तकरण की आवाज के रूप में समर्थन करेंगे । बलात्कार की विचित्रता यह है कि यहां लांछन बजाय अपराध करने वाले के उस पर अधिक लगता है जिसपर बलात्कार किया गया है और इसके परिणामस्वरूप बहुत ही कम मामले प्रकाश में आते है । उन विभिन्न महिला संगठनों की संगठित कार्यवाही के लिए धन्यवाद है कि यह प्रश्न अब आगे आया है और इस जघन्य अपराध के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए समस्त समाज के समक्ष एक विचारार्थ विषय के रूप में रखा है । मशहूर मथुरा केस संबंधी फैसले की समीक्षा कराने के लिए जो आन्दोलन हो रहा है उसने सारे राष्ट्र को झकझोरा है । पर इस मामले की गंभीरता सभी ने अनुभव नहीं की है ।

बलात्कार सभी महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार है, पर यह हथियार विशेषरूप से गरीब औरतों पर इस्तेमाल होता है । इसका इस्तेमाल सभी समाज विरोधी तत्व करते है और खासतौर पर उन तत्वों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है जो स्वार्थी लोगों के भाड़े के टट्टू होते है । दुर्भाग्य है कि विधि और व्यवस्था कायम रखने के लिए जिम्मेदार पुलिस भी इससे अछूती नहीं है जो या तो उक्त तत्वों के सहयोगी बन कर या अपनी पिपासा तृप्त करने के लिए अथवा अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते है ।

महोदय, यद्यपि इस मामले पर इस वर्ष आम लोगों का ध्यान गया है पर महिलाएं इस समस्या को काफी अर्से से उठाती आ रही है ।

'नैशनल फेडरेशन आफ इंडियन वूमेन' ने जिसकी मैं सदस्या हूं, अपने चेयरमैन श्रीमती अरुणा आसफ अली के नेतृत्व में 12 जुलाई, 1978 को राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया था जिसमें देश के विभिन्न भागों में किए गए एकल. ग्रुप या सामूहिक बलात्कार के मामले दिये गए थे । उन्होंने मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश की घटनाओं का उल्लेख किया था । मेरे पास इन सब का उल्लेख करने का समय नहीं है । पर मैं कुछ दृष्टांत दूंगी जिनको सुन कर इस सभा के सभी सदस्यों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे ।

दिसम्बर 1977 के आरम्भ में बिहार के भोजपुर जिले के पियोनिया गांव की दो बहिनों, रामरती और कुमुद के साथ जमींदारों के कुछ भाड़े के टट्टूओं ने बलात्कार किया । जब रामरती ने विरोध किया तो उसके हाथ काट दिए गए । उसी दिन जमींदारों ने बिहार के रोहतास जिले के पूरे हरिजन टोला गांव को जला दिया । उनके आदमियों ने एक नववधू के साथ उसके स्वसुर की आंखों के सामने बलात्कार किया । स्वसुर को इस कृत्य को देखने के लिए मजबूर किया गया । बिहार के मुंगेर जिले के कोरमा गांव की एक खेतिहर मजदूरिन जप्तिया देवी को, जिसका एक 1-1।2 साल का बच्चा था अपनी मजदूरी मांगने पर बुरी तरह पीटा गया । उसका घर जला दिया गया । उसने इस मामले की ग्राम पंचायत में शिकायत करने की धमकी दी तो उसे एक अंधेरे कमरे में बन्द किया और उसके साथ हर रोज कई लोग बलात्कार करते रहे ।

महोदय, 1 सितम्बर, 1977 को जमींदारों और उनके गुण्डों ने आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले के केसानाकरू गांव के हरिजनों तथा अन्य गरीब लोगों पर हमला किया । इन हमलावरों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया और एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया जिसका शव दस दिन के बाद एक खेत में पाया गया । हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा तहसील के नीते गांव में 11 अक्तूबर, 1977 को एक हरिजन तोताराम और उसकी पत्नी पर खेत में काम करते हमला किया गया । उसे उस खेत से निकाला जा रहा था । उसे मार मार कर बेहोश कर दिया गया

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

और एक झाड़ी में फेंक दिया गया जहाँ से गांव वाले उसे उठा कर लाए । उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया गया और उसे एक नाले में डाल दिया गया ।

महोदय, गांव की इन औरतों को कानून और व्यवस्था के अभिरक्षकों से मदद नहीं मिलती । 1 अप्रैल, 1978 को पुलिस वालों ने मध्य प्रदेश की बेलाडीला खान में काम करने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार किया । छंटनी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर लाठी चार्ज हुआ और अश्रुगैस छोड़ी गई । प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ छेड़ छाड़ की गई । रात को औरतों को एकान्त स्थान पर ले जाकर उनके साथ बलात्कार किया । उन चार औरतों के नाम दिए गए जिनके साथ बलात्कार करके उन्हें गोली से उड़ा दिया गया । सार्वजनिक नेताओं ने उन औरतों के बयान लिए जिनके साथ बलात्कार हुआ था । एक औरत के साथ सात पुलिस वालों ने बलात्कार किया ।

ऐसी औरतों या उन लोगों के परिवार की सदस्याओं के साथ पुलिस द्वारा बलात्कार के बहुत अधिक मामले होते है जो वास्तविक या बनावटी अभियोग में गिरफ्तार किये जाते हैं ।

सभापति महोदय, आन्ध्र प्रदेश के गुन्टुर जिले की शकीला के साथ जिस प्रकार से बलात्कार हुआ वह एक बहुत ही घृणित मामले का एक उदाहरण है । शकीला और उसके पति को बेशिनाख्त व्यक्तियों के रूप में पुलिस ने उस्मानिया अस्पताल में दाखिल कराया जहाँ शकीला की मृत्यु हो गई । यह अक्तूबर, 1979 की बात है ।

हेनरी को चोरी के आरोप में 22 सितम्बर को पुलिस हिरासत से रखा गया था । जब 14 अक्टूबर को आन्ध्र प्रदेश के चार महिला संगठन के प्रतिनिधि टूटे हुए हेनरी से उस्मानिया अस्पताल में मिले तो उन्होंने यह बताया आंखों में आंसू भर कर उसने बताया कि किस प्रकार उसी की कोठरी के पीछे उसकी पत्नी से बलात्कार किया गया । वह कोठरी में बन्द उसकी चीख सुनता रहा । वह 'मुझे बचाओ, मुझे बचाओ' चिल्लाती हुई उसकी कोठरी तक आई । पर उसे पुलिस ने घसीट लिया और न केवल एक रात बल्कि कई रात उसके साथ बलात्कार किया । पुलिस ने उसे धमकी दी कि यदि उसने यह राज किसी को बताया तो उसके बुरे परिणाम होंगे । एक सिपाहीने नींद की गोलियां लाया और उसे जबरदस्ती खिला दी । पुलिस ने उसे धमकी दी कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो उसे आत्महत्या के आरोप में सारी उम्र जेल में सड़ना पड़ेगा ।

ये मैंने जो मामले बताएं हैं वे थोड़े पुराने हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि अब ये मामले कम हो रहे हैं । मैं नारायणपुर, पारसबीघा, दोहिया और पिपरा के मामलों का उल्लेख नहीं करना चाहती क्योंकि ये अभी हाल में ही घटे हैं और सभी के दिमागों में इनकी याद ताजा है ।

किस प्रकार के बलात्कारों के मामलों का मैंने जिक्र किया है उसके अलावा भी कुछ दूसरे प्रकार के मामले होते हैं जैसे कि पुराने झगड़ों में बदले की भावना से बलात्कार, अन्धविश्वास के कारण बलात्कार तथा पाशविक पिपासा की तृप्ति के लिए बलात्कार । पर सभी का स्वरूप एकसा है, यानि यह गहरी धारणा कि औरत निकृष्ट रचना है और उसे ईश्वर ने पुरुष द्वारा बलात्कार करने के लिए ही बनाया है । वस्तुतः औरत के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलने और उसकी समानता वास्तविक रूप में स्थापित करने की अनिवार्यता है ।

सरकार या सरकारी तंत्र की बलात्कार के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है । आमतौर पर इसकी उपेक्षा की जाती है । अगर कभी बहुत शोर-खराबा होता है तो वे जागते हैं और किसी न किसी प्रकार की जांच का आदेश दिया जाता है और फिर सबकुछ शून्यता में विलीन हो जाता है । अनेक मामलों में इसका नतीजा और भी बुरा होता है ।

मध्य प्रदेश के मंत्री ने बड़ी ईमानदारी दिखाते हुए विधान सभा में बताया कि 1977 में नई सरकार के गठन के छः महीनों बाद हरिजन और आदिवासी लड़कियों के साथ बलात्कार के 137 मामले हुए हैं । यह बड़े आश्चर्य की बात है । यह और भी बड़े आश्चर्य की बात है कि बिहार विधान सभा में वहां के मंत्री ने बताया कि 1976 में 57 मामलों की तुलना में 1977 में केवल 54 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं । विभिन्न शासनों के अन्तर्गत क्या होता है उसके शब्द-जाल का यह एक उदाहरण है ।

मध्य प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस दल को एक परिपत्र जारी किया कि वे लोग बलात्कार उन दिनों न करें जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो, शायद इस आशय से कि जब सत्र न चल रहा हो तो वे उसका मजा ले सकते हैं ।

यदि मथुरा केस में उच्चतम न्यायालय के फैसले से देश के विभिन्न भागों में महिलाओं में इस प्रकार का रोष पैदा हो सकता है तो आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकार के और समस्त समाज के औरतों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की कितनी आवश्यकता है ।

मैंने अपने प्रस्ताव में बलात्कार की घटनाओं को रोकने और कम से कम उन्हें कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाने की बात कही है । विभिन्न क्षेत्रों में इन कदमों की जरूरत है । एक क्षेत्र कानूनी कार्यवाही है । यद्यपि मैं वकील नहीं हूं फिर भी सामान्य ज्ञान के आधार पर कुछ सुझाव देना चाहती हूं । भारतीय दंड संहिता, दाण्डिक व्यवहार संहिता और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन की मांग महिला संगठन और महिला वकील काफी अर्से से कर रहे हैं । इस संबंध में जो एक बात कही गई है वह है कि अपराधी को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने बलात्कार नहीं किया है । वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत इस अपराध के लिए भी उसी प्रकार प्रमाण देना पड़ता है जैसे कि सामान्य आपराधिक कानूनों के अन्तर्गत अपराधी को निर्दोष माना जाता है और उसका दोष सिद्ध करना मुकदमा दायर करने वाले की जिम्मेदारी है । पर अपराध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत भी किन्ही परिस्थितियों में दोष की कल्पना कर ली जाती है और अपराधी को दोषी मान लिया जाता और फिर उसपर अपने को निर्दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी डाली जाती है । क्या बलात्कार एक आर्थिक अपराध की भांति एक जघन्य अपराध नहीं है । इस प्रकार के संशोधन क्यों नहीं किए जाते जिनके अन्तर्गत बलात्कार के मामले में अपराध के शिकार व्यक्ति की बजाय अभियुक्त को यह सिद्ध करना होगा कि वह निर्दोष है ।

दूसरी बात है बलात्कार की परिभाषा । वर्तमान स्थिति के अनुसार औरत की इच्छा या उसकी सहमति के बिना किया गया संभोग बलात्कार है । पहली बात तो यह है कि उसे यह सिद्ध करने को क्यों कहा जाता है कि उसकी सहमति नहीं थी । क्या कोई लुटा हुआ व्यक्ति यह सिद्ध करेगा कि जब लुटेरे ने उसे लूटा तब अपनी सम्पत्ति को उसे देने में उसकी सहमति नहीं थी । फिर वर्तमान कानून के अनुसार मारने की या चोट पहुंचाने की धमकी देकर प्राप्त की गई सहमति 'सहमति' नहीं होगी । अन्य आशंकाओं के विषय में आप क्या सोचते हैं । प्रियजनों की हत्या की आशंका, समाज में बदनामी की आशंका ; आर्थिक अभाव की आशंका ? ये सभी आशंकाएं रहती हैं और क्या ये आशंकायें कम खतरनाक हैं ? इसके अतिरिक्त बलात्कार के मामलो में पीड़ित को न केवल सामाजिक परिस्थितियों के कारण-बल्कि प्राकृतिक शारीरिक अवस्था के कारण भी कष्ट सहना पड़ता है । यहां उससे यह कहना कि वह अपनी असहमति का प्रमाण दे जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है ।

एक और मांग यह भी है कि मुकदमा बन्द कमरे में चलाया जाए, ताकि बलात्कार की शिकार महिला के नाम आदि का पता न चल सके । हमारे समाज में बलात्कार की शिकार महिलाओं को लगनेवाले कलंक को ध्यान में रखते हुए यह अत्यन्त अनिवार्य है ।

मेरे विचार में इस अपराध के विषय में कड़ा दृष्टिकोण अपनाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि यह पुलिस द्वारा किया जाए, क्योंकि यही 'रक्षक' हैं जो अधिकांश मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराधी होते हैं । यदि इन मामलों में अपराधी पुलिस वाला हो तो जांच पड़ताल का अधिकार उन्हीं पुलिस वालों के पास नहीं होना चाहिए । कुछ अन्य एजेंसियां इस काम पर लगाई जाएं, अन्यथा किसी भी दोषी को अपराधी सिद्ध करना असम्भव होगा ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को उनके घर के अतिरिक्त जांच पड़ताल के लिए और कहीं न बुलाया जाए यह अत्यन्त आवश्यक है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160(1) को कड़ाई से लागू किया जाए । मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने बलात्कार से संबंधित कानून में संशोधन करने के प्रश्न को विधि आयोग के पास भेजा है । परन्तु ऐसे आयोगों के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए मैं यह आशंका व्यक्त करना चाहती हूं कि जब तक महिलाओं को, चाहे वह वकील हो, या सामाजिक कार्यकर्ती, इन आयोगों में सम्मिलित नहीं किया जाता, पुरुष प्रधान इन आयोगों के लिए महिलाओं के दृष्टिकोण से इस पर विचार करना कठिन होगा । मुझे आशा है, महोदय, ऐसा किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, महिला संगठनों से परामर्श किया जाना चाहिए और समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए । सरकार इस सभा को यह बताए कि वह किस समय तक ये संशोधन लायेगी ।

महोदय, प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि अच्छे आदेश ही पर्याप्त नहीं होते । हाल ही में सरकार द्वारा जारी किए गए इस अच्छे आदेश के बावजूद कि महिलाओं को सूर्यास्त के पश्चात् पुलिस जांच-पड़ताल के लिए थाने में न ले जाया

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

जाये हमने समाचार-पत्रों में यह पढ़ा है कि एक पुलिसवाले ने राजधानिकी कोतवाली पुलिस स्टेशन के अहाते में एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार किया है।

अतः इस अपराध को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि सामाजिक जागृति लाई जाए। इस उद्देश्य के लिए महिला और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से एक राष्ट्रीय समिति के गठन पर विचार किया जाए जो इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करे और सतर्कता समिति के रूप में कार्य करे।

इस संबंध में एक दूसरी बात बलात्कार की शिकार महिलाओं के सामाजिक पुनर्वास की है। जब तक यह नहीं किया जाता ये मामले प्रकाश में नहीं आएंगे। मुझे आशा है कि सरकार ऐसी महिलाओं की सहायता के उपाय करेगी और सामाजिक संगठनों की समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सहायता करेगी ताकि वे ऐसे मामलों को प्रकाश में लाएं, मामलों की पैरवी करें तथा बलात्कार से पीड़ित महिला का पुनर्वास करें।

इस बुराई से लड़ने के लिए प्रचार माध्यमों के उपयोग की आवश्यकता अत्यन्त जरूरी है। आजकल रेडियो का प्रसार गावों तक हो जाने से सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस संबंध में बहुत कुछ कर सकता है। यदि वे पहले न कर रहे हो तो उन्हें ऐसा करना चाहिए और सभा को यह बताना चाहिए कि वे इस संबंध में क्या करना चाहते हैं।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभा के सभी सदस्यों से न केवल अपने प्रस्ताव का समर्थन करने का अनुरोध करती हूं अपितु चाहती हूं कि वे इस घृणित अपराध को बन्द करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करे। मैं सभी दलों से यह अनुरोध करती हूं कि इस प्रश्न पर हमें मिलकर कार्य करना चाहिये। आओ, हम ऐसा करें। महिलाओं, जो शारीरिक दृष्टि से दुर्बल हैं, वास्तव में मानवता में इनका श्रेष्ठ स्थान ही है, पर इस गंभीर अपराध संबंधी मामले में हमें लोगों का हिमायती होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा देश के विभिन्न भागों में महिलाओं पर, विशेषकर निहित स्वार्थ वाले लोगों के किराये के समाज-विरोधी तत्वों और कभी-कभी पुलिस द्वारा भी, बलात्कार की आतंकपूर्ण घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करती है और सरकार से आग्रह करती है कि वह इन्हें रोकने के लिये कारगर कदम उठाये।"

सभापति महोदय : श्री डागा, क्या आप अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में, "उठाये" शब्द के **पश्चात्** निम्नलिखित **अंतःस्थापित** किया जाए—

"और कानून में आवश्यक संशोधन किए जाएं"।

श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी(अमरावती) : श्रीमती मुखर्जी ने जो प्रस्ताव विचारार्थ हमारे सामने रखा है और जो महिलाओं पर होने वाले बलात्कारो के संबंध में है इस पर पहले भी इस सदन में चर्चा हो चुकी है और यह विषय इस सदन में पहले भी आ चुका है और उनको संरक्षता प्रदान करने की बात कही जा चुकी है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे देश और हमारे समाज में दिन प्रति दिन महिलाओं के साथ होने वाली बलात्कारों की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अखबारों में हमें रोज एक न एक इस प्रकार की घटना पढ़ने को मिल जाती है या सुनने को मिल जाती है। किस जाति या किस समाज की महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनायें घटती हैं यह सवाल नहीं है। जो महिलाएं अर्थोपार्जन करने के लिए अपने घर से बाहर जाती है चाहे खेत में मजदूरी करने के लिए या कहीं सर्विस करने के लिए अपने संसार की खातिर उनको रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना पड़ता है तो उन के सामने यह बहुत बड़ी कठिन समस्या आ कर खड़ी हो जाती है। यह ऐसी समस्या है जिस पर वाद विवाद करते समय हमको राजनीति को अलग रख देना चाहिये। जब भी कोई सवाल आता है उसको हम लोग राजनीतिक सवाल बना देते हैं और उस हिसाब से उस चर्चा पर चर्चा करते हैं कांटछांट करते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव के बारे में मेरा

आप से नम्र निवेदन है कि यह जो सामाजिक प्रश्न या समस्या है यह कोई राजनीतिक समस्या नहीं है, सवाल नहीं हैं, किसी पार्टी या किसी पक्ष का यह सवाल नहीं है और राजनीतिक पहलू से राजनीतिक दृष्टि से इस हाउस में इस पर विचार नहीं होना चाहिये ।

जो लोग बलात्कार के गुनाहगार हैं उनके वास्ते कानून में धारायें 375, 376 और 377 हैं । ये भारतीय दंड संहिता की धारायें हैं । इन धाराओं का संशोधन और पुनर्गठन होना चाहिये. एक तो म यह सुझाव आपको देना चाहती हूं ।

मैं कोई वकील नहीं हूं जो यह बता सकूं कि किस तरह से इनको बदला जा सकता है । लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने बहुत सी ऐसी समस्यायें देखी हैं, ऐसे हालात देखे हैं, ऐसी घटनाएं देखी हैं और जानने की कोशिश की है कि इनकी रोकथाम के लिए किस प्रकार का संशोधन इन धाराओं में होना चाहिये। इन धाराओं में जो कंसेंट, रिजिस्टैंस और प्रीवियस हिस्ट्री आफ दैट विमेन है और इन तीन प्वाइंट्स पर यह जो कानून खड़ा हुआ है और गुनाहगारों को सजा देने की कोशिश करता है, उससे कुछ गलतफहमी पैदा होती है और कोई लूज प्वाइंट है जिसके बारे में सोचा जाना चाहिये । मेरी प्रार्थना है कि ये जो तीन सिद्धान्त गुनाहगारों को सजा देने के बारे में इन धाराओं में बताए गए हैं इन तीनों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। एक विनंती तो मैं आप सब से यह करना चाहती हूं।

सारे देश में बलात्कारों की घटनाएं बढ़ रही है। नागपुर से ले कर दिल्ली तक सभी पक्षों के, समाज के सभी अंगों के सामाजिक कार्यकर्ता आन्दोलन छेडे हुए, मूक मोर्चे निकाल रहे हैं और आपका ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कर रहे है। महाराष्ट्र में हमारी कांग्रेस आई की कुछ महिलाओं और अन्य दलों की सामाजिक महिला कार्यकर्ताओं द्वारा बम्बई और नागपुर में मोर्चा निकाला गया था और उन्होंने कुछ सुझाव आपके सामने, शासन के सामने रखे भी थे। उनमें से एक सुझाव यह है कि हरएक जिला स्तर पर एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाना चाहिये महिलाओं का जिसमें जज से ले कर पुलिस तक महिलायें हों और जब भी ऐसे गुनहगार थाने में या कोर्ट में लाये जाते हैं तब उनकी जांच करने के लिये लेडी डाक्टर होनी चाहिये, उनको गिरफ्तार करने के लिये, उनकी जमानत लेने के लिये और उनको न्याय देने के लिये लेडी जज होना जरूरी है । ऐसे स्पेशल ट्रायब्यूनल होने की बहुत आवश्यकता है। हम देखते हैं कि जब बलात्कार हुई महिला पुलिस थाने में या अन्य जगह लायी जाती है या कोर्ट में लायी जाती है तो जज के सामने वह अपने साथ बीती हुई घटना के बारे में बोल नहीं सकती। इसलिए उनका जो साक्ष्य हो वह इनकैमरा होना चाहिये. ऐसा सुझाव मैं यहां सब महिलाओं की तरफ से रखती हूं ।

भारतीय दंड संहिता में धारा 160 है जिसके अनुसार महिलाओं को शाम को पूछताछ के लिये पुलिस थाने में ले जाने की मनाही है। लेकिन मथुरा केस में रात को ही साढ़े 10 बजे उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। तो मेरा निवेदन है कि कानून ऐसा होने के बावजूद भी जिसके मन में आये किसी भी बलात्कारिक महिला को पूछताछ के लिये पुलिस थाने में रात को रखना बहुत बुरी बात है। इसीलिये मथुरा जैसी लड़की पर पुलिस थाने में साढ़े 10 बजे बलात्कार हुआ था।

श्रीमती मुखर्जी ने यहां एक बात ऐसी रखी कि यह बलात्कार जिनके हाथ में कानून है, चाहे वह पुलिस हो, जज हो या कोई भी अधिकारी हो, अगर ऐसे लोग ऐसा अपराध करते है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये. इससे हम सब सहमत हैं। पुलिस थाना संरक्षण के लिये है, उनकी भलाई के लिये है, फिर भी जिस देश में पुलिस ही बलात्कारी लोगों को सहयोग देती है, इतना ही नहीं खुद ही महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, या जो महिला उनके हाथ में आती है उस पर बलात्कार करते हैं, ऐसे लोगों को सजा देने के लिये कानून में संशोधन होना चाहिये और किसी भी साधारण आदमी को ऐसे अपराध के लिये जितनी कड़ी से कड़ी सजा देंगे उससे भी ज्यादा कोई पुलिस अधिकारी जब बलात्कार करगा तब उसको तो एक साधारण नागरिक से भी ज्यादा कड़ी सजा देनी चाहिये । ऐसा संशोधन कानून में अवश्य करना चाहिये, यह मेरा सुझाव है ।

[श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी]

यह गुनहगारी जो बढ़ रही है जो घटना पुलिस या जज के सामने आती है, संरक्षण के लिये कानून तो बनाया गया है, लेकिन उनको जो सजा मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती है । कई केसेज में राजकीय या बड़े लोगों का संरक्षण आता है, भ्रष्टाचारी अधिकारी रहते हैं और इसलिये भी ऐसे केसेज में महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है । इसलिये कानून की पुनर्गठना करने और महिलाओं पर जो अन्याय, अत्याचार और बलात्कार दिन पर दिन बढ़ रहे हैं उसके लिये कुछ सोच विचार या कानून में संशोधन करने तथा कड़ी से कड़ी सजा देने के बारे में आप अवश्य सोचें । जिस परिस्थिति में जनता की या लोगों की यह दुष्प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, उसमें जो हम लोग चित्रपट देखते हैं या पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंटस में महिलाओं के बुरे चित्र प्रदर्शित किये जाते हैं, ऐसे चित्रपटों या एडवर्टाइजमेंटेस पर पाबन्दी लगनी चाहिये । इसके लिये आप कोई नया कानून या नया बन्धन डालने की कोशिश करें । इतनी प्रार्थना करके मैं अपनी बात समाप्त करती हूं ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, इस सदन के सामने श्रीमती गीता मुखर्जी ने जो सुझाव रखा है, उसका समर्थन करने के लिये मैं यहां पर खड़ी हुई हूं । इस चर्चा के बारे में मैं माननीय स्पीकर साहब को खास धन्यवाद देती हूं, क्योंकि हम बहिनों ने जब इस बारे में पैटीशन सदन के सामने रखा था, तब हमें पता था कि इस पर यहां बहस नहीं हो सकती है । उसके बाद जब हमने उनसे यह प्रार्थना की कि महिला सुरक्षा का यह विषय बहुत महत्व का है, इस पर बहस होनी चाहिये, हमारे सदन के सारे सन्माननीय सदस्यों को इस विषय पर सोचना चाहिए क्योंकि बाहर रास्ते पर शहर-शहर में इस सवाल को लेकर महिलाओं ने एक आन्दोलन छेड़ रखा है फिर मैं उनको धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमारी मांग पूरी कर के इस सदन में कुछ घंटे इस विषय पर चर्चा करने के लिये देकर हमें एक मौका दिया है । शुरू में मैं यह बात रखना चाहती हूं कि यह सवाल सच्चे मायने में किसी भी दल का सवाल नहीं है । यह पूरी स्त्री जाति का सवाल है, ह्यूमैनिटी का जो आधा हिस्सा है, जिसे समझाना है वैटर हाफ लेकिन जो वैटर हाफ आज वर्स्ट कंडीशन में है, इसके बारे में मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहती हूं । बहुत पुराने जमाने से, सदियों से अगर हम देखें तो किसी भी दो गुटों में, दो नेशनल्ज में, दो राष्ट्रों में, दो कौमों में धर्म-युद्ध के नाते से भी अगर कुछ संघर्ष हो जाता है, तो उसमें महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम पुरुषों के लिये पुरुषार्थ का काम बन जाता है, यह बुरी बात है । हमें इसको बदलना चाहिये । यह पुराने जमाने से चलता आया है, हमें आज आजादी पाने के बाद 30, 35 साल हो गये, हम राजनीतिक दल एक दूसरे पर इलजाम लगाते रहे लेकिन स्त्री की सुरक्षा की व्यवस्था आज तक नहीं हुयी । हम स्वयं इसे राजनीतिक सवाल बनाकर उस पर दलीय रंग लगा देते हैं ।

नारायणपुर में जो कुछ हुआ, उस कांड के लिये हम सब को दुःख हुआ था, लेकिन उसको हथियार बनाकर, अपना बहाना बनावट, अपनी राजनीतिक मनीषा पूर्ण करने के लिये हमारे देश की एक महिला ने, जो इस देश की पूरी बागडोर अपने हाथ में रखती हैं, अपना काम किया और उत्तर प्रदेश विधान सभा का भंग किया । इसमें हमें बहुत दुःख हुआ । मैंने उस समय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा कि एक महिला इस देश की प्रधान मंत्री है, उसे सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करना चाहिये । 11 साल तक सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस कांड को भी उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र का हथियार बनाया ।

मथुरा नाम की लड़की की बात को लेकर जो आन्दोलन छेडा जा रहा है यह मथुरा एक सिम्बल है हमारे देश की । मथुरा को 7 साल के बाद क्या इन्साफ मिलेगा, मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी वजह से अगर हम इस देश की महिलाओं को सुरक्षा देने के लिये कोई व्यवस्था कर सकते है तो यह एक बहुत अच्छी बात होगी । मथुरा के दुखी मन को तसल्ली मिलेगी ।

जैसे श्रीमती गीता मुखर्जी ने कुछ उदाहरण आपके सामने रखे, मैं दो-तीन मिसाल यहां कहना चाहती हूं । उत्तर प्रदेश के बांदा में मैं खुद गई थी जहां उर्मिला नाम की एक गरीब परिवार की स्त्री के साथ

उसके घर पर रात को पुलिस के दारोगा और दो कांस्टेबिलों ने उर्मिला के पति बल्लराम को जबरदस्ती बांध कर रखा और उनके छोटे-छोटे 3 और 5 साल के बच्चों के सामने बलात्कार किया। दुसरे दिन वह बेचारी महिला अपने पति को लेकर अपनी शिकायत लेकर कालिजर थाने गई, पुलिस सोते गई, दरोगा आदि को सजा क्या हुई । मुझे पता लगा कि उनका सस्पेंशन किया गया, सिर्फ सस्पेंशन। जहां पुलिस इस प्रकार का गलत काम करे, जहां गुंडा कायदा अगर गुंडों के लिये है, तो वहां पुलिस अगर गलत काम करे तो वहां तुरन्त उसको कैद होनी चाहिये । पुलिस अगर गुंडा बन जाता है, गुंडे की तरह कार्यवाही करनी है तो उसको तुरन्त कड़ी से कडी सजा मिलनी चाहिय, लेकिन मुझे पता चला है कि उसको सस्पेंड किया गया है, इन्वैस्टीगेशन हो रही है।

इसी तरह 25 तारीख को दिल्ली की बात है । 20 साल की मीरा नाम की एक हरिजन लड़की अपनी ससुराल से अपने पिताजी के घर जा रही थी, पता नहीं कहां क्या हो गया, बीच में कहां रही, 2, 3 दिन के बाद एक व्यक्ति को मिल गई, और उसने उसको पुलिस कस्टडी में दे दिया । 2 दिन के बाद उसके पिताजी ने फिर खोज की, तो पता चला कि पुलिस के पास रखा है, वह वहां गये तो पुलिस ने कहा कि हमें पता नहीं । जिस बीस साल की मीरा को सुरक्षा के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया, उसका क्या हुआ, यह पता नहीं है । इस बारे में मेरे पास बहुत से लोग आये थे । इस मोमेंट तक उस लड़की का कुछ भी पता नहीं है । मैं चाहती हूं कि अध्यक्ष महोदय इस बात की व्यवस्था करें कि इस लड़की का क्या हुआ है, इसकी सूचना कल तक इस सदन में दे दी जाये ।

अगर इस देश के पुलिस, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते है, तो फिर उन्हें कौन सुरक्षा देने वाला है ? हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए आन्दोलन छेड़ रहे हैं, हम उनकी सुरक्षा के लिए तैयार होंगे, लेकिन इस सदन के सदस्यों के हाथ में पूरे देश की बागडौर है, हम लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हैं, इस लिए मेरी प्रार्थना है कि हम यहां पर इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एमेंडमेंट करें, जिससे हमें महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने में मदद मिले ।

हम सब का अनुभव है कि पुलिस और गुंडों का हमेशा गठबंधन रहता है । पुलिस थाने में गुंडा इंस्पैक्टर के सामने बैठकर चाय पीता है, वे बडे मजे से आपस में बातें करते हैं । अगर कोई गरीब परिवार का व्यक्ति वहां जाये, तो उसको कुर्सी तक नहीं दी जाती है । हां अगर किसी के पास कार, रेडियो आदि हैं, तो शायद उसे कुर्सी मिल जायेगी । लेकिन सारी जनता जानती है कि गुंडों और पुलिस का गठबंधन रहता है ।

कहा जाता है कि चूंकि महिलायें बहुत फ़ैशन करती हैं, इसलिए रेप केसिज़ बढ़ रहे हैं । लेकिन बलात्कार किस पर होता है ? बलात्कार होता है गरीब परिवार की महिलाओं पर, जिनके पास पाउडर लगाने की सुविधा नहीं है, पहनने के लिए पूरे कपड़े नही हैं, देखने के लिए आईना भी नहीं है---कुछ भी नहीं है । यह कहना बिल्कुल झूठ बात है कि बहनें इस प्रकार के कपड़े पहनती हैं, इसलिए बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं । यह तो सिर्फ़ एक बहाना है ।

हम देखते हैं कि जब कोई महिला पुलिस स्टेशन में जा कर अपने ऊपर बलात्कार की शिकायत करती है, तो यह पता लगाया जाता है कि उसका पूर्व-चरित्र क्या है । आन्ध्र प्रदेश में सिकन्दराबाद में जब रमीज़ा बी पर बलात्कार हुआ, तो कहा गया कि वह तो प्रास्टीट्यूट है, उसका तो यही धंधा था । मैं कहना चाहती हूं कि एक वेश्या पर भी बलात्कार करने का अधिकार किसी को नहीं है । वह स्वयं जो कुछ करना चाहती है, वह करे, लेकिन किसी को उसपर बलात्कार करने का अधिकार नहीं है । वह वेश्या है, अगर इस आधार पर पुलिस ने गलत काम किया, तो उसको उतनी ही सजा दी जानी चाहिए, जितनी कि एक अच्छे घर की स्त्री के साथ बुरा व्यवहार करने पर दी जाती है । इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि कोई किसी स्त्री के साथ बलात्कार करे और उसको वेश्या बता कर छूट जाये । इसलिये बलात्कार करने वालों का पूर्व चरित्र नहीं पूछना चाहिये । उस आधार पर बलात्कार को सम्भोग नहीं कहना चाहिये ।

स्त्री की इज्जत हमारे राष्ट्र की इज्जत है । स्त्री की इज्जत हमारे देश के स्वाभिमान का प्रश्न है । लेकिन हमारे देश में दिन-ब-दिन जो बातें हो रही हैं, उन्हें देख कर लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है । पिछले हफ्ते श्री महालगी ने यहां एक सवाल पूछा था कि मथुरा के केस को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कुछ संशोधन करने वाली है । मथुरा केस को ले कर हमारे देश में आन्दोलन चल रहा है, पेटीशन दिये गये हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कानून मंत्री ने जवाब दिया कि ऐसा कोई विचार नहीं है । यह बहुत बुरी बात है । शायद पिछले हफ्ते तक उन्होंने इस बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि उन्हें यह संशोधन करना चाहिए और इस देश की महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए । बलात्कार और अनुमति की परिभाषा बदलनी चाहिये ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं बताना चाहता हूं कि यह मामला ला कमीशन को रेफर कर दिया गया है ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : यह खुशी की बात है । हमने मांग की है कि मथुरा केस को रीव्यू किया जाये । नैशनल फ़ेडरेशन आफ़ विमेन, महिला दक्षता समिति, आल-इंडिया विमेन्ज़ फ़ेडरेशन आदि बहुत से स्त्री-संगठनों ने रीव्यू के लिए पेटीशन दिया है । हमने इसके लिए बम्बई के गवर्नर से प्रार्थना की है । महाराष्ट्र में भी आपका शासन है । अगर आप यह आश्वासन दें कि रीव्यू के लिए एप्लाई किया है, तो हमें खुशी होगी कि आप इस बारे में कुछ न कुछ कर रहे हैं ।

[श्रीमती प्रमिला दंडवते]

मैं आप से एक बात कहना चाहती हूं कि हमारे राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि पुलिस के शासन में राजनैतिक दलों की ओर से, सरकार में जो लोग बैठे हुए ह उनकी ओर से इंटरफेयरेंस किया जाता है, ऐसी बहुत बड़ी शिकायत है। 9 अगस्त, 1974 को बम्बई से यहां यूथ कांग्रेस की रैली के लिए लोग आए थे, उस समय जो बातें हुई थीं, उसके ऊपर 14 अगस्त, 1974 को यहां पर बहस हुई है। उस बहस में इस पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसलिए उस के बारे में मैं अब फिर नहीं कहना चाहती। लेकिन उड़ीसा में नारायण मंदिर के पास जो महिला छात्राएं गयी थी उनके साथ छेड़खानी करने का काम भी यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया। यह मैं यूथ कांग्रेस के लिए ही नहीं बोल रही हूं। मैं यह कहती हूं कि राजनैतिक दल में काम करने वाले ने नवयुवक गलत काम नहीं करना चाहिये। उनका काम है कि एक अलग प्रकार की नई दुनिया बनाएं, जहां महिलाएं और दुर्बिल सुरक्षित रहें।

परसों आसाम के बारे में जब यहां बहस चल रही थी तो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमें अच्छा नहीं लगता था कि आसाम का ब्लाकेड हो जाय लेकिन क्या करे, हम नौजवानों को रोक नहीं सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा। मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की भाषा कम से कम हमारी क्रियाओं की सुरक्षा के बारे में इस्तेमाल न की जाय और कहा जाय कि क्या करें नौजवान हैं, इस काम को हम रोक नहीं सकते।

भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और स्वास्थ्य अधिनियम में संशोधन करने के बारे में और अन्य जो सुझाव गीता मुखर्जी ने रखे है उनका मैं पूरा समर्थन करती हूं। पीनल कोड धारा 260(1) के अनुसार कि किसी स्त्री को पूछताछ के लिये पुलिस थाने पर बुलाने पर प्रतिबन्ध है। स्त्री के घर पर जा कर ही पुलिस सवाल पूछ सकती है। हम इस नियम को पूरी तरह लागू करें।

और जिस समय महिलाओं को पुलिस कस्टडी या लाकअप में रखा जाता है तब निगरानी रखने के लिये महिला पुलिस की नियुक्ति होनी चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहती हूं जो मेरा अनुभव है। एमर्जेंसी में इंदिरा सरकार की मेहरबानी से मैं जेल में 18 महीने थी। उस वक्त मुझे कन्विक्ट्स के साथ रहने का मौका मिला था। उस समय कई बहनों ने जो शिकायत की थी उसमें से एक शिकायत यह है कि पुलिस कस्टडी में जब ये बहनें होती हैं तो रात को दरवाजा खुलता है, किसी एक स्त्री को वहां से ले जाते हैं और उसके साथ एक बहुत गलत प्रकार का काम पुलिस स्टेशन में होता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि पुलिस कस्टडी जहां-जहां होती है वहां महिला पुलिस की ही जरूरत है। महिला पुलिस ही वहां पर रहनी चाहिए। इस प्रकार का गलत काम करने के लिए पुलिस को मौका नहीं देना चाहिए।

आखीरी बात यह है कि पुलिस इंसान हैं, यह मैं समझती हूं। पुलिस की भी कुछ दिक्कतें हैं। मुझे यह पता है कि दिल्ली में जो पुलिस है उसमें से 80 प्रतिशत के रहने के लिए स्थान नहीं है। उनका परिवार उनके साथ नहीं रह सकता, इसलिए शायद वह कुछ गलत काम करते होंगे। लेकिन अगर पुलिस इंसान है तो उसका पशु से भी ज्यादा पशु होने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अधिक है।

बाकी सारे जो हमारे सुझाव हैं, जो गीता मुखर्जी ने रखे हैं और जो अमेंडमेंट कानून में करने की बात कही गई है उसको मैं दोहराती नहीं हूं। लेकिन एक बात आप जरूर करिए, नेशनल लेवेल से लेकर ताल्लुका लेवेल महिलाओं की और समाज की सुरक्षा करने वाले लोगों की एक कमेटी बन जाय, ऊपर से नीचे तक जहां पर महिलाएं शिकायत दे सकें और जो भी केसेज हों उन की खोज करने के लिए कानूनी अधिकार उनको रहे। इतना आप काम करें तो अच्छा होगा। बाकी जो सुझाव आए हैं उनका मैं पूरा-पूरा समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय : श्रीमती सुशीला गोपालन।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : महोदय, क्या इस चर्चा में केवल महिला सदस्यों को भाग लेने का विशेषाधिकार प्राप्त है ?

सभापति महोदय : इस पर कल भी चर्चा होगी उस समय आपको अवसर मिलेगा।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलेप्पी) : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इस ओर ध्यान दिलाया गया है, यद्यपि देर की गयी है। महिलाओं पर अत्याचार प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और हम प्रतिदिन इस विषय पर समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और सुनते हैं सुनते हैं। फिर भी, 32 वर्षों से देश पर शासन करने वालों ने इस बात को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता नहीं समझी।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

6 बजकर 1 मिनट मध्यान्ह पश्चात् तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 28 मार्च, 1980/8 चैत्र, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

भा०स०मु०ना०—वि० 7—50-एल०एस०एस० (एन०डी०)/80—20-5-80—210